राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2]   चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पांचवां दिवस   [संख्या : 3

मंगलवार,

15 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: सबको मेरा प्रणाम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सारी बेंचेज खाली पड़ी हुई हैं। दिल्ली गए हुए हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-1, डा. फूलचन्द भिण्डा।

विराटनगर पंचायत समिति में स्वीकृत इंदिरा आवास

1. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति विराट नगर, जिला जयपुर में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक कितने इंदिरा आवास किस-किस परिवार को कब-कब स्वीकृत किए गए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों की पहली किश्त, दूसरी किश्त एवं अंतिम किश्त किस-किस आवास की कब-कब जारी की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों के ग्राम सेवकों द्वारा पहली किश्त की राशि का उपयोग हो जाने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के उपरांत भी दूसरी किश्त की स्वीकृति जारी होने में विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(5) क्या सरकार नई स्वीकृति जारी करने एवं दूसरी किश्त की स्वीकृति जारी करने में विलम्ब करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) पंचायत समिति विराट नगर, जिला जयपुर में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक इंदिरा आवास योजना में कुल 2,192 आवास स्वीकृत किए गए। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**स्वीकृत आवासों की संख्या**
2008-09	68
2009-10	414
2010-11	274
2011-12	692
2012-13	744
योग	**2,192**

वर्षवार व ग्राम पंचायतवार स्वीकृत आवासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत इंदिरा आवासों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक लाभार्थी को दो किश्तों में राशि जारी करने का तथा वर्ष 2011-12 व 2012-13 में तीन किश्तों में राशि जारी करने का प्रावधान है। लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम किश्त जारी करने का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) लाभार्थी द्वारा प्रथम किश्त का उपयोग कर लिंटल स्तर तक आवास निर्माण के पश्चात् ग्राम सेवक द्वारा पहली किश्त का उपयोगिता प्रमाण—पत्र, कार्य प्रमाणीकरण पश्चात् पंचायत समिति को प्रस्तुत किया जाता है। पंचायत समिति द्वारा उक्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र व कार्य प्रमाणीकरण का आवास साफ्ट पर इन्द्राज किया जाता है, जिसके आधार पर जिला परिषद

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कार्यालय द्वारा द्वितीय किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की कार्यवाही की जाती है।

इंदिरा आवास योजना के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् किश्त भुगतान अवधि विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। कुल स्वीकृत 2,192 इंदिरा आवासों में से 71 आवासों की द्वितीय किश्त भुगतान में अपेक्षाकृत विलम्ब हुआ, जो स्वीकृत आवासों की संख्या की दृष्टि से नगण्य (तीन प्रतिशत) है। चुनाव आदर्श आचार संहिता, आवास साफ्ट व इंटरनेट की तकनीकी खामियां, आदि विलम्ब के कारण रहे हैं।

(5) जी हां। योजना-प्रावधान-अनुसार समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को देय किश्तों के भुगतान में विलम्ब के प्रकरणों में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक। श्री भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, इसमें यह लिखा गया कि 2,192 में से केवल 71 में विलम्ब हुआ है, जबकि यह जो विवरण है पूरा, उसमें 258 दिन तक का विलम्ब हुआ है। पहली बात।

दूसरा, उसमें एक कालम है कि निरीक्षण के बाद दिया जाएगा। उसको हम 25 हजार रुपए देते हैं, 35 हजार रुपए देते हैं, उसमें एक महीने में निर्माण करवा लेता है। ग्यारह-ग्यारह महीने तक कोई निरीक्षण करने नहीं जाता। यू.सी. वहां पर आती नहीं है। उसके बाद जिला परिषद का प्रकरण है।

इस कारण से वह गरीब, और इसमें अधिकांश विषयों में यह लिख दिया गया कि छत नहीं डली। जब पैसा ही प्राप्त नहीं हुआ अंतिम किश्त का तो छत कहां से डलेगी? 'लिंटल' लिख दिया गया इसमें। इस प्रकार के बहाने बनाकर कर्मचारी अधिकारी बचना चाहते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को रोके जाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक का जवाब आने दें, फिर दूसरा कर लेना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): साथ ही पूछ लूं मैं पहले?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह ठीक रहेगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अधिकांश भुगतान जो किया जाता है, वह फरवरी, 31 मार्च, अंतिम दिन क्यों किया जाता है? जबकि वह साल निकल जाता है। ऐसी प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। क्या सरकार इरादा रखती है कि ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जाएगा? जब आज बजट पास हो रहा है, इस साल तो, पिछले वर्ष तो 31 मार्च को हो गया था, तो अप्रैल में ही यह प्रवृत्ति लागू क्यों नहीं होती?

गरीब को हम छत दे रहे हैं। इसमें सैकड़ों केस ऐसे हैं, जिनमें 'छत नहीं डली', ऐसा लिख कर उत्तर दे दिया गया। तो गरीब की छत तो तब डलेगी जब अंतिम किश्त मिलेगी। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं, एक भी अधिकारी को अभी तक पीनेलाइज नहीं किया गया है।

इस कारण से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि निश्चित तौर पर इनको पाइंट-आउट करके ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को पीनेलाइज किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को 2,192 जो इंदिरा आवास स्वीकृत हुए हैं, उसकी डिटेल मैं उनको दे रहा हूं। केवल 15 दिन के अन्दर जिनका पेमेंट हुआ, वे हैं 197 आवास; जिनमें 16 दिन से 30 दिन के अन्दर पेमेंट हुआ, ऐसे हैं 473; 31 दिन से 90 दिन का, जिसमें प्रमाण-पत्र आने के बाद जो पेमेंट हुआ है, वे हैं 881; 90 दिन के बाद वाला जो पेमेंट है, 71 जो आवास हैं उनका पेमेंट उसके बाद हुआ है। कुछ आवास ऐसे हैं इन 2,192 में, जिन पर अभी भी पेमेंट नहीं हुआ, या उन पर किसी कारण से विवाद है। इसमें 14 आवास को तो निरस्त कर दिया भूमि विवाद के कारण से; 18, उस पर कुछ काम नहीं हुआ; 3 मृतक हैं; 4 पलायन हैं। राशि का दुरुपयोग किया, जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई, ऐसे 88 हैं। ऐसे 127 लोगों का तो एक तरह से निरस्त ही हो गया। उसके बाद जो बचते हैं, वे 443 अभी भी कम्प्लीट नहीं होने के कारण से उनको किश्त जारी नहीं की।

सामान्यत: विराटनगर में, सारे प्रदेश का भी मेरे पास है, मैं यह संतोषप्रद कह सकता हूं कि इस पंचायत समिति में पेमेंट के बारे में जितनी तत्परता सम्भव हो सकती थी, वह की है। केवल 71 प्रकरण ही ऐसे हैं जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विलम्ब के कारण से हैं। उनको भी मैं दिखवाऊंगा और उसमें अगर किसी का दोष पाया जाएगा तो जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: गढ़ी से आने वाले माननीय विधायक। आपका जवाब आ गया न, माननीय भिण्डा साहब?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक और है।

श्री अध्यक्ष: एक और है तो पूछ लो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर तीन महीने का विलम्ब 881 मामलों में हुआ है। लेकिन, वह दो कमरों के लिए, जो भी गरीब आदमी है, वह ठेके पर देता है। फिर वह कारीगर बैठा नहीं रहेगा, उसके लिए। इस कारण से इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कंटिन्यू उसकी छत डल जाए, वरना वह कारीगर को ढूंढता रहता है और कारीगर नहीं आएगा छोटे पेमेंट के लिए।

श्री अध्यक्ष: सुझाव आ गया, विराजिए। गढ़ी से आने वाले माननीय विधायक।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गढ़ी विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, आप स्वयं भी जानते हैं कि टी.एस.पी. क्षेत्र है, 2012-2013 की फर्स्ट किश्त मिलने के बाद में आज दिन तक उसको दूसरी किश्त नहीं मिली है। पूरे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जिन लोगों को एक किश्त मिलने के बाद में, उनकी छत नहीं ढक पाई है, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह 2012-2013 का भुगतान कब तक किया जाएगा? नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: यह अलग विषय है लेकिन आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, जवाब दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में बहुत सच्चाई है। मैंने सारे प्रदेश के जिलों के भी आंकड़े मंगवा रखे हैं कि कहां-कहां पर कितना डिले

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है, जो समय पर पेमेंट नहीं हुआ। उसमें बांसवाड़ा भी हमारी हिट लिस्ट में है। भुगतान का बकाया, जो द्वितीय किश्त है बांसवाड़ा की, वह 2,619 की है; तृतीय किश्त है, उसमें 2,470 की है; भुगतान हेतु बकाया कुल किश्त जो है, वह 5,089 है। निश्चित रूप से इस जिले में किश्तों का वितरण विलम्ब से हो रहा है। मैं माननीय सदस्य और सदन को भी आश्वस्त करता हूं कि जो भी इस प्रकार के दागी जिले हैं, जिनमें पेमेंट में डिले हुआ है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निश्चित रूप से करूंगा, उस अधिकारी के विरुद्ध।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: आपने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है अभी। आपके पास रिक्वेस्ट भेजने का एक बटन है, वह आ जाएगा तो मुझे ठीक रहेगा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कौनसा बटन है, साहब?

श्री अध्यक्ष: बता देंगे आपको।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रथम किश्त जारी करने के बाद में, प्रथम किश्त का कार्य पूरा होने के बाद अगर प्रार्थना-पत्र दे दिया जाए कि मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है, उसके बावजूद भी सचिवों के द्वारा यू.सी. नहीं भरी जाती है, तो क्या इसमें समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है जिससे यदि उपभोक्ता का काम पूरा हो चुका है और उसकी सूचना सचिव के माध्यम से पंचाचत समिति में दे दी गई है तो एक निर्धारित अवधि के अन्दर, उस काम के लिए दूसरी किश्त जारी हो सके?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रिक्वेस्ट आ रही है। श्रीमती शकुंतला रावत की रिक्वेस्ट आ रही है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दागी जिले कौन-कौन से हैं? यह हमारा जालौर जिला भी दागी जिला है क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं बताता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सदस्य का प्रश्न था कि किश्त में डिले होता है और काम कर लेता है। जो भी इसका बनाने वाला व्यक्ति है, वह पंचायत में भी लिखित दे सकता है, पंचायत समिति में भी दे सकता है और जिला परिषद में भी लिखित में दे सकता है। उसके बाद, कई जिले हैं, तो निश्चित रूप से प्रथम-दृष्टया जो जिम्मेदार है किश्त देने के लिये, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

जिन जिलों में विलम्ब है, सारे प्रदेश में, उनमें से जो जिले मुख्य रूप से आते हैं, उनमें बांसवाड़ा है, बाड़मेर है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है और सिरोही है। ये जिले ऐसे हैं जिनमें पेमेंट का बहुत अधिक विलम्ब है। ये सारे के सारे जिले मैंने छांटे हैं और इनको मैंने कल ही नोटिस, आपके इस प्रश्न के साथ ही जब आंकड़े जारी हुए, तब मैंने इसको शो-काज नोटिस जारी कर दिया कि आपके जिले में विलम्ब किस कारण से हुआ? स्पष्ट कीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हो गया पूरा। दस मिनट हो गये इस प्रश्न को।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आपके पहले मेरे यहां जो नाम रजिस्टर हुआ है, वह है श्रीमती शकुंतला रावत। वे पूरक प्रश्न करेंगी। हमारे अधिकारी आपको रजिस्टर कैसे होता है, वह बता देंगे। रजिस्टर होने का तरीका भी आपको बता देंगे। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, मैंने तो बटन दबाया नहीं। वह उन्होंने दबाया है, साहब। वे मेरी सीट पर बैठे हैं। आप बोलो।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अच्छा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उन्होंने दबाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इनको मालूम है, हमको नहीं बताया, साहब। We are not aware of it.

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय विधायकों से माफी चाहता हूं; एक मिनट, मैं माननीय विधायकों से माफी चाहता हूं, यह जो आपरेशन है, इसमें एक बटन आपका नाम रजिस्टर कराने का है, पूरक प्रश्न में, जिससे मुझे भी सुविधा रहे और दूर बैठने वाले जो विधायक हैं, उनको भी सुविधा रहे। क्योंकि हाथ देखने में, कभी इधर या इधर गलती कर जाऊं। अभी मैंने यह मालूम किया, यह कल जारी होने वाला था यह नोटिफिकेशन, लेकिन वह आया नहीं। आपके पास आज

(श्री अध्यक्ष)

शाम तक पहुंच जायेगा, तैयार होकर। तो आपको मालूम पड़ जायेगा कि कौनसा बटन किस बात का है। आपका इन्होंने दबा दिया, अब आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, इनकी सीट पर बैठे हैं ये। शकुंतलाजी की सीट भंवरलालजी के पास में है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): अध्यक्ष महोदय, इनको पता नहीं, मैं आल -राउंडर हूं। मेरा एक प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, सीट बदलने की कला तो कोई इनसे सीखे। सीट बदलने की कला में पारंगत हैं ये।

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): हाउस से निकालोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मेरा सिर्फ एक निवेदन है कि आपने दागी जिले या क्रानिकली हिट जिले छांट लिये हैं। इस पूरे सिस्टम को, हर जिले को स्ट्रीमलाइन करने के लिये कोई आप चरणबद्ध डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट से सब जिला परिषदों को भेजना उचित समझेंगे या नहीं? अगर आप चाहते हैं तो इतना कर दीजिये, सारा सिस्टम ही स्ट्रीमलाइन हो जायेगा आपका।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): निश्चित रूप से आपकी जो भावना है, वह मैं स्वयं भी महसूस करता हूं। वास्तव में इसमें काफी जिले हैं। लेकिन इन छह महीनों में, जब से यह डिपार्टमेंट मेरे पास आया, मैंने कई चिट्ठियां लिखकर और विभाग के ठेठ नीचे तक के अधिकारी को इसके बारे में पाबन्द किया कि वह समय पर हमको सूचना भेजे। मुझे आज कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे इस छह महीने के प्रयास से, आपने देखा होगा कि जिनकी किश्त बाकी थी, 4 लाख 38 हजार 892 जो उपभोक्ता थे उनकी, उसमें से आज जो बाकी हैं, वे 2 लाख 90 हजार हैं। अर्थात्, मैंने 1 लाख 47 हजार 453 लोगों को उनकी सेकण्ड किश्त दिलाई। इसी तरह से, तीसरी किश्त जो बाकी थी, वह 7 लाख 21 हजार 813 लोगों की थर्ड किश्त बाकी थी, उनमें से आज भी 6 लाख 2 हजार 629 बाकी हैं, लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेरे प्रयत्न से 1 लाख 19 हजार 184 लोगों को भी थर्ड किश्त का पेमेंट हुआ है।

मैं लगातार मानिटरिंग कर रहा हूं। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि किसी भी लेवल पर, अधिक से अधिक, 90 दिन से अधिक कोई डिले होगा, तो उसका वह जिम्मेदार होगा। अगर उसके पास सर्टिफिकेट आ गया .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्रीमती अनिता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सिर्फ एक सेकण्ड।

श्री अध्यक्ष: नो, नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सिर्फ एक पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: नहीं। श्रीमती अनिता। तेरह मिनट हो चुके हैं। I can't allow. श्रीमती अनिता। आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक बहुत मुद्दे की बात है। बहुत ही मुद्दे की बात है।

श्रीमती अनीता (नगर): प्रश्न संख्या 2 ।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय। (व्यवधान) डीग से आने वाले माननीय विधायक, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): +++

श्री अध्यक्ष: आप विराजो।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): +++

एक माननीय सदस्य: कांग्रेस के मंत्रियों के दो-दो बीवियां...(भारी व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विश्वेन्द्र सिंहजी ने जो कुछ बोला है, वह एक्सपंज कर दिया जाये। (व्यवधान) अंकित करने से मना किया।

आपको कोई विषय उठाना है तो प्रक्रिया के अन्तर्गत उठाइये। बाकी आपने जो ....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भंवरलाल (सरदारशहर): ×××

श्री विश्वेन्द्र सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। आप सब अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप विराजिये।

प्रश्न काल हमारा है, इस प्रश्न काल में प्रश्नकर्ता को दो पूरक प्रश्न और तीन पूरक प्रश्न दूसरों को पूछने का अधिकार नियमों में है। इस प्रश्न काल के दौरान हर कोई इर्रेलेवेंट बात आकर बोलना चाहे, वह मैं बोलने नहीं दूंगा, अलाउ नहीं करूंगा। इसलिये आप प्रश्न काल चलने दीजिये।

श्रीमती अनिता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। श्रीमती अनिता सिंह।

सीकरी बांध में पानी लिफ्ट करने की कार्य योजना

2. श्रीमती अनीता (नगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सीकरी बांध में जी.एस.सी.चैन-36 से पानी को लिफ्ट करके सीकरी बांध पर चैन-042 पर डालने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस हेतु डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य कब व किस फर्म को दिया गया तथा इसका बजट व समयावधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डी.पी.आर. तैयार होने पर इसके मुताबिक तख्मीना स्वीकृत कराकर जी.ए.सी. के पानी को सीकरी बांध में डालकर सीकरी बांध को सुचारु रूप से जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रूपारेल नदी के पानी में भरतपुर जिले का हिस्सा है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि घाट खुटेटा के पिकअप वीअर के नवीनीकरण पर उसकी ऊंचाई अधिक करने से भरतपुर जिले को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पाता? क्या सरकार इस पिकअप वीअर को सही करवाकर भरतपुर जिले को अपने हिस्से का पानी दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि रूपारेल नदी पर कुछ वैध व कुछ अवैध एनिकट बना कर पानी को रोका गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एनिकटों को हटवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के गांव डाबक में रियासत-कालीन बांध स्थित है? यदि हां, तो बांध की भौतिक स्थिति क्या है? क्या बांध पर 1996 के बाद कोई कार्य नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बांध की स्लूस की V/S एवं D/S की WINGWALL बनाने का विचार रखती है? यदि, हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता का कल जवाब मिल गया आपको ...(व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): कामनसेंस होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): बहुत अच्छा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

एक माननीय सदस्य: ×××

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सदन में कोई हो नहीं सकती। यह आसन सर्वोपरि है, अध्यक्ष महोदय। हम नियमों और प्रक्रियाओं से चलते हैं, अध्यक्ष महोदय। आसन की व्यवस्था को चुनौती और आसन की व्यवस्था के विरुद्ध इस तरह बहिर्गमन, हम निन्दा करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता को अपनी गरिमा देखनी चाहिए थी। कल एक बार आपने तय कर दिया, उसके बाद इस तरह का उनका कृत्य है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी भावना से सहमत हूं।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समस्या यह नहीं थी। इस प्रश्न सूची में इनके एक भी सदस्य का प्रश्न लगा हुआ नहीं है। इसलिए उपयोग क्या करना चाहते हैं ये? अगर ये कुछ होशियार होते तो कम से कम एक-आध प्रश्न तो इनका भी आता ना। यहां क्वेश्चन आवर में बैठकर के उनका कोई उपयोग ही नहीं था, इसलिए हुल्लड़ कर के चले गये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। बिना मेरी अनुमति के नहीं बोल सकते।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्रीमती अनीता (नगर): प्रश्न हमारा है, आप क्यों बीच में आ रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बिना मेरी अनुमति के नहीं बोल सकते, बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मेरी अनुमति के बिना आप बोल रहे हैं। बैठ जाइये, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए आप। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मर्यादा समझिये; यह आपका अनुशासन समझिये। नये आये हैं, इसका मतलब...। बैठ जाइये, बैठ जाइये। (व्यवधान) क्या मतलब है? बैठ जाइये। अनुशासनहीनता कर रहे हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) पहाड़ी डिस्ट्रिब्यूटरी के माध्यम से सीकरी बांध में जी.एम.सी. चैन 36 से पानी को लिफ्ट कर के सीकरी बांध चैन 42 पर डालने की योजना का सर्वे कार्य एवं डी.पी.आर. बनाने हेतु राशि रुपये 26.55 लाख का कार्यादेश दिनांक 16.08.2013 को मैसर्स एक्सल कन्सलटेन्सी एण्ड प्रोजेक्ट, नटराज नगर, जयपुर को जारी किया गया है। कार्य को पूर्ण करने की अवधि तीन माह निर्धारित की गई थी। कार्य की डी.पी.आर. माह अगस्त, 2014 तक तैयार होने की सम्भावना है।

(2) डी.पी.आर. प्राप्त होने पर अध्ययन/परीक्षण पश्चात् उपादेयता की स्थिति में संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। अलवर भरतपुर जिले की बारां वीयर पर स्टेट टाइम के समझौते के अनुसार जल हिस्से का अनुपात 1: 1.234 है।

(श्री सांवर लाल)

(4) जी नहीं। घाट खुटेटा के पिकअप वीयर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण होने से रूपारेल नदी में उपलब्ध पानी के अनुसार भरतपुर जिले को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है।

(5) रूपारेल नदी पर अलवर व भरतपुर जिले में कोई वैध/अवैध एनिकट का निर्माण नहीं किया गया है।

(6) जी हां। वर्ष 1996 में आई बाढ़ से डाबक बांध के क्षतिग्रस्त हुए हिस्से को वर्ष 1998 में ठीक करा दिया गया था। स्लूस के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में विंगवाल का मरम्मत कार्य बजट की उपलब्धतानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि यह जो सीकरी बांध है, यह मेरा विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, अपितु पूरा जो जिला है, उसमें नगर, डीग-कुम्हेर, भरतपुर तक इसकी कैनाल जाती है और यह आधे जिले को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। यह सीकरी बांध हमारी लाइफलाइन है, किसानों के लिए वरदान है। लेकिन जब से, रूपारेल का जो बारां वीयर है, हमारा इसमें स्टेट टाइम से ही समझौता है, मंत्रीजी ने उत्तर में बताया भी है, 1: 1.234, लेकिन जितना हमारा हिस्सा है, वह कम से पांच, सात, दस सालों से वह हिस्सा भरतपुर को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि जो भरतपुर का हिस्सा है, उस हिस्से के पानी को आप हमें निश्चित रूप से दिलवाएं।

दूसरा पूरक प्रश्न मेरा आपसे यह है कि यह जो डी.पी.आर. की समय-सीमा तीन महीने की की गई, लेकिन तीन महीने के बजाय दस-ग्यारह महीने हो गये। मंत्री महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहती हूं, निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसकी जो समय-सीमा है, उसको फिक्स कर दें, क्योंकि तीन की जगह आज दस-ग्यारह महीने हो गये। इसमें अगर तीन-चार महीने और बढ़ा दिये और अगर साल-दो साल करता रहा तो हमारी यह जो लाइफलाइन की योजना है, यह योजना अधर में लटकी रहेगी। इसका एग्जेक्ट समय नियत करें और समय नियत करने के बाद जो यह योजना है, इसकी भी स्वीकृति करने के लिए आप निश्चित रूप से विधान सभा में हमको आश्वस्त करायें। क्योंकि हमको आप सब पर बहुत गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार

(श्रीमती अनीता)

है और किसानों की सरकार है और किसानों की सरकार में, मैं निश्चित रूप से समझती हूं कि किसानों की लाइफलाइन, उनके पेयजल और उनकी सिंचाई के लिए जो योजना है, वह स्वीकृति आपके द्वारा हमको मिले।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब दें।

श्रीमती अनीता (नगर): सर, मैं एक साथ पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: दो पूछ लिये आपने।

श्रीमती अनीता (नगर): नहीं, दो पूछ लिये, दो-तीन और हैं, बस। मैं एक साथ पूछ लेती हूं। मंत्रीजी, एक साथ जवाब दे देना।

श्री अध्यक्ष: पूछिये, पूछिये।

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि यह जो सीकरी बांध है, यह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए जो बजट है, वह पिछली बार भी, विधान सभा में बहुत कहने के बाद कोई नरेगा से इन्होंने बजट किया, वह भी बहुत छोटा सा, और नरेगा की आज की स्थिति यह है कि उसमें कोई काम नहीं हो पाता। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि नरेगा से इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य हटा कर, विभाग द्वारा करवाया जाय। इतना मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की चिंता स्वाभाविक है। पानी सबसे आवश्यक है और पानी आजकल बरसात कम होने से या अपने हिस्से का नहीं मिलने के कारण, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग परिस्थितियों की वजह से सफर करते हैं।

अब यह जो एक्सल कन्सलटेन्सी एण्ड प्रोजेक्ट, यह लिफ्ट योजना के सर्वे का काम दिया, वह पहले वाली सरकार के समय दिया गया था, अभी तक वह सर्वे की रिपोर्ट नहीं आयी है। मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्राप्त करेंगे, आप एक महीना ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिए और उसके बाद में इनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जो भी कार्यवाही नियमों के अन्दर हो सकती है। अगर इन्होंने जान-बूझकर लापरवाही की है तो निश्चित रूप से इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी काम करवाने की आवश्यकता होगी, हम प्रायोरिटी के आधार पर करवायेंगे।

(श्री सांवर लाल)

दूसरा, जो बांध की मरम्मत का सवाल है, मरम्मत के लिए नरेगा के माध्यम से जो काम चल रहा है, नरेगा से बांधों में काम होना उतना कारगर नहीं है। इसलिए माननीय सदस्या को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विभागीय व्यवस्था से यहां पर काम करवाने का हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: और है क्या आपका?

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, बस, साहब, एक है। दो-तीन पूछे थे मैंने आपसे।

मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगर के अलावा डीग का भी हिस्सा आता है, जिसमें 21-22 पंचायतें आती हैं। उसमें भी जो गुडगांव मेन कैनाल है, उसमें बहुत सिल्ट है, आप देख कर भी आये थे; जब सरकार आयी थी, तब आप वहां देखने भी गये थे और सिल्ट, क्योंकि उसको बंद कर दिया गया है, इसलिए सिल्ट ज्यादा जम गयी है। इसलिए मैं यह कहती हूं कि क्या उस सिल्ट को हटवाने के लिए विभाग कोई कार्यवाही करेगा?

दूसरा है, डीग एस्केप, डीग एस्केप है, जो हाथिया से पानी आता था हमारी कांस्टिट्यूएंसी में, नरेना पास्ता के अन्दर और वहां से गांव के पोखरों को भरते हुए वह डीग में, शहर में चला जाता था। उससे जो हमारा ग्रामीण एरिया था, वहां पर उनको पीने का पानी उपलब्ध हो जाता था। क्योंकि वहां पर खारा पानी है और मीठे पानी की एक बूंद भी नहीं है तो उसी से पीने का पानी होता था, पिछले दस-पन्द्रह वर्षों से डीग एस्केप में पानी आ नहीं रहा है और गांव की हमारी पोखरें भर नहीं पातीं, जिससे पेयजल की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी है। क्या उसको भी आप लाने का प्रयास करेंगे?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की चिंता स्वाभाविक है। मैं किसी एडिशनल चीफ से ऊपर के अधिकारी को भेज कर वहां पर सारी स्थिति की जानकारी करके, जो भी जरूरी होगा, करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री बनवारी लाल सिंघल।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: भागीरथजी, इसके बाद आपका। इसके बाद रामगढ़ वाले का। उसके बाद पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की ही सूची में सात नम्बर पर मेरा यही प्रश्न लगा हुआ है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह जो बारां वीयर है, इसमें जैसा मेरी साथी, अनीताजी को उत्तर दिया गया, वैसा ही उत्तर मुझे दिया है, 1:1.234 आनुपातिक तयशुदा पानी अलवर को बारां वीयर से मिल रहा है। जबकि वस्तु- स्थिति यह है, जैसा मैंने नगर की विधायक, अनीता सिंहजी से अभी पूछा, ना नगर को, भरतपुर को मिल रहा है, ना अलवर को मिल रहा है। तो आखिर यह पानी कहां जा रहा है? जो इस बारां वीयर पर होकर स्टेट टाइम के समझौते के अनुसार अलवर और भरतपुर को मिलना था, यह पानी बिलकुल भी ना अलवर को मिल रहा है और ना भरतपुर को मिल रहा है। तो पानी कहां जा रहा है? एक तो इसकी जांच हो और पानी अलवर को मिले। क्योंकि जयसमंद बांध, जो इस बारां वीयर से ही, पानी लाने वाली नहर से भरता था, यह पिछले पांच-सात साल से बिलकुल सूखा है। इसमें खेती हो रही है, इसमें बोरिंग लग गये। यह अलवर की पेयजल की व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए, सीपेज के माध्यम से एक बहुत बड़ा साधन था। अलवर में जो लगातार जल स्तर गिर रहा है, उसके पीछे भी यह कारण है कि जयसमंद बांध पिछले पांच-सात वर्ष से एकदम सूखा पड़ा है। तो माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करें कि यह पानी कहां जा रहा है?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि अभी पिछले दिनों अलवर की जिला परिषद की बैठक में इस बाबत जब चर्चा हुई थी तो मैंने स्वयं ने यह प्रस्ताव दिया था कि यदि सरकारी स्तर पर इस बारां वीयर की सिल्ट को हटाने का और इस नाले को खोलकर पानी को चालू करने की स्थिति नहीं हो, तो मैंने घोषणा की थी वहां कि भामाशाहों के माध्यम से इसको खुलवाने के लिए पैसा उपलब्ध करवा सकता हूं। लेकिन उस पर भी आज तक काम नहीं हुआ। अधिकारियों की घोर लापरवाही है। कम से कम 20 दिन इस बात को हो गये।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न कीजिये। सीधा प्रश्न कर लीजिये।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं यही पूछना चाहता हूं कि इन अधिकारियों से भी जवाब दिलवा दिया जाये कि उस दिन जो तय हुआ था अलवर जिला प्रशासन के बीच में, तो इन्होंने इस मामले में आज तक क्या कार्यवाही की? अगर नहीं की तो कब तक करेंगे? क्योंकि बरसात आने वाली है, फिर यह पानी डाइवर्ट होकर के कहीं और चला जायेगा। यह कब तक करवा देंगे?

श्रीमती अनीता (नगर): मंत्रीजी, मेरा प्रश्न है ...(व्यवधान) पानी अलवर को मिल जाता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी बात पर्याप्त रूप से कह दी, अब उनका जवाब आने दीजिये।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट टाइम का सिस्टम है, यह बारां वीयर, यह गेट-वेट सारे बने हुए हैं। आपका तो देखा हुआ होगा, मेरा भी देखा हुआ है। अब माननीय सदस्य का सवाल है कि पानी कहां जा रहा है? पानी तो वहीं जा रहा है, जहां जाने के लिए सिस्टम बनाया है।

अब तीसरी बात है, ये कह रहे हैं कि सिल्ट ज्यादा हो गयी है। सिल्ट ज्यादा हो गयी तो धरती के अन्दर थोड़ा-बहुत चला जाता होगा पानी। क्योंकि आजकल जहां पर सिल्ट नहीं है, वहां पर समस्या यही आ रही है। बड़ी-बड़ी नदियां हैं, सारी बजरी, वगैरह सब हटा दीं तो वहां पर रिचार्जिंग सिस्टम हो ही नहीं रहा है। अब इनकी बारां वीयर से अगर कोई थोड़ा-बहुत रिचार्ज हो रहा हो, तो अच्छी बात है।

फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही है, तो मैं किसी सीनियर आफिसर को भेजकर जांच करा लेता हूं। वहां पर जितने भी पोस्टेड अधिकारी हैं, उनको जो काम करना चाहिए इस व्यवस्था को मेनटेन करने के लिए, वह अगर नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लूंगा।

श्री अध्यक्ष: किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): दूसरा, अगर वहां सिल्ट सफाई करने की आवश्यकता होगी तो उसको साफ करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपका बाद में। रामगढ़ वाले विधायक, आपका किशनगढ़ के बाद।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदयजी से यह पूछना चाहूंगा कि मेरे किशनगढ़ शहर को 22 एम एल डी पानी स्वीकृत है और अभी 14 एम एल डी पानी दे रहे हैं और उसमें भी यह स्थिति है कि 2001 के अन्दर जो पाइपलाइन डाली हुई है, वह पाइपलाइन है ही नहीं, उस पाइपलाइन को उखाड़कर कहीं भेज दिया। 2019 की जनसंख्या के आधार पर जो पाइपलाइन 2001 में डाली, वह पाइपलाइन है ही नहीं। आज

(श्री भागीरथ चौधरी)

यह स्थिति है कि पूरे अजमेर जिले में एक किशनगढ़ ही ऐसा है, जहां स्टील की पाइपलाइन नहीं है, सीमेंट की पाइपलाइन है। जगह-जगह उसको तोड़कर अवैध कनेक्शन कर रहे हैं और पानी बिलकुल नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपने पूरक प्रश्न कर लिया है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है...

श्री अध्यक्ष: नहीं है, इसलिए मैंने उनसे भी निवेदन कर दिया कि आप विराजिये।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): फिर भी माननीय सदस्य चिंता प्रकट कर रहे हैं तो कुछ करेंगे इसके ऊपर।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं भी पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अलवर और भरतपुर का मामला है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या, नगर ने सवाल किया, बाद में श्री बनवारी लालजी सिंघल, अलवर शहर ने कहा। ये अनिताजी अलवर की बेटी हैं और भरतपुर ब्याही गयी हैं। पहले ही बहुत दहेज ले गयी हैं, अब और दहेज के रूप में हमसे पानी चाहती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता (नगर): मेरा हिस्सा तो आपको देना ही पड़ेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ससुराल ले जाना चाहती हैं सारा माल।

श्री अध्यक्ष: आप अपना प्रश्न पूछें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं, वह यह है कि यह एग्रीमेंट अलवर और भरतपुर स्टेट का 1933 का, 1938 का और 1940 का है। यह आजादी से पहले का है। इसमें अलवर में 52 डैम स्टेट टाइम के थे। वे सारे रीते पड़े हैं इस रूपारेल नदी के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कारण। मेरा खुद का क्षेत्र भी इससे प्रभावित है। रूपारेल मेरे यहां से मिलकपुर, जाड़ौली, गोविन्दपुरा, गोविन्दगढ़ होकर के और उसके बाद सीकरी, पहाड़ी इनका क्षेत्र लगता है माननीय नगर विधायक का। मेरे यहां पानी के लिए 2-3 डैम जो स्टेट टाइम के थे, वे भी टूट गये। उनको बनने नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक सवाल कीजिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हवाला दिया जा रहा है, अलवर-भरतपुर का समझौता, अलवर-भरतपुर का समझौता। अब मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समझौते को रद्द किया जाये, फिर इसका नया एग्रीमेंट किया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान) अब विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह स्टेट टाइम से पहले का है, आजादी से पहले का है, अंग्रेजों के टाइम का है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बात कह चुके।

श्रीमती अनीता (नगर): अध्यक्ष महोदय, हम इसको बिलकुल खारिज करते हैं। जो हमारा भरतपुर जिले के हिस्से का पानी है, वह हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): प्रश्न है मेरा। मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष: 33 मिनट हो चुके हैं और 2 सवाल टच हुए हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरा जो प्रश्न है, वह यह है कि मेरे यहां जो एनिकट और डैम स्टेट टाइम से और अंग्रेजों के शासन से पहले, आजादी से बने हुए थे, उनको पुनर्निर्माण करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे कि नहीं करेंगे? यह मंत्री महोदय बतायें।

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिस्टम स्टेट टाइम का है और उसमें यह परिवर्तन चाहते हैं, माननीय सदस्य, तो यह मेरे लेवल का इश्यू नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चलिये, विराजिये। जवाब आ गया है।

श्री हीरालाल।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर फोरलेन विस्तार हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

3. श्री हीरालाल (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर फोरलेन विस्तार के लिए निवाई तहसील के किस-किस ग्राम के किस-किस काश्तकार की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अवाप्त-शुदा भूमि का कितना-कितना मुआवजा किस-किस काश्तकार को दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई काश्तकारों को अभी तक भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार को अब तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं व अब कब तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) किसानों को मुआवजा राशि नहीं दिये जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री युनुस खान): (1) राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर फोरलेन का निर्माण भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा करवाया जा रहा है। भा.रा.रा.प्रा. के सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार, 'राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर फोरलाइन विस्तार में निवाई तहसील के 9 ग्रामों में 474 प्रकरणों में काश्तकारों की 54.5088 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की गयी है। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त उत्तर दिनांक 08.07.2014 की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है, जिसमें काश्तकारों से अवाप्त की गयी भूमि की ग्रामवार एवं काश्तकारवार सूची सम्मिलित है।

(2) सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि 54.5088 हेक्टेयर भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु राशि 16,32,92,770/- रुपये के अवार्ड पारित कर सम्बन्धित काश्तकारों के नाम मुआवजा भुगतान के चैक जारी किये जा चुके हैं। ग्रामवार व काश्तकारवार सूची उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(श्री युनुस खान)

(3) सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के समस्त चैक जारी किये जा चुके हैं। मुआवजा भुगतान हेतु किसी भी काश्तकार का चैक जारी किये जाने से शेष नहीं है।

(4) सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक से प्राप्त उत्तर के अनुसार अवाप्त भूमि के मुआवजे के भुगतान हेतु अवार्ड एवं चैक समय पर जारी किये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुन्सी के 11 लोग हैं...

श्री अध्यक्ष: निवाई का है, निवाई का, बस।

श्री हीरालाल (निवाई): उनको अभी तक भी मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम गुन्सी के जो 11 लोग रह गये हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाये। यदि मंत्री महोदय चाहें तो मैं 11 आदमियों के इनको नाम भी बता सकता हूं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे जहां तक मुआवजे की बात है, चैक तो सब जारी हो गये हैं। एक प्रकरण जो है, वह अभी ए डी एम कोर्ट में विचाराधीन है। चूंकि उसका चैक जारी हो चुका और उसमें 17 लोगों ने क्लेम कर रखा है। जो माननीय निवाई से आने वाले विधायक ने 11 लोगों की बात कही है, उसमें 17 लोगों ने क्लेम कर रखा है। उन 17 में से 7 लोगों ने अभी कोर्ट को लिखकर यह दिया है कि ये बाकी जो लोग हैं 10, इसमें इनका अधिकार नहीं है, हम 7 लोगों का ही है। इसलिए इस चैक की राशि को हम 7 लोगों को ही दिया जाये। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि इसमें शीघ्र सुनकर के, जिनका क्लेम बनता है, उनको वह राशि जारी कर दी जाये।

उसके अलावा भी, माननीय सदस्य इस तरह की कोई बात सरकार के नोटिस में लायेंगे तो इसको ध्यान में रखकर के निर्णय करवाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया ना पूरा।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनको कब तक भुगतान हो जायेगा?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हो जायेगा, अतिशीघ्र हो जायेगा। बहुत जल्द हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आपका निवाई से सम्बन्धित? माननीय, निवाई से सम्बन्धित है? मानिकजी से निवेदन कर रहा हूं, निवाई से सम्बन्धित पूरक प्रश्न है क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, इसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: निवाई से सम्बन्धित है? यह निवाई का है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हां, निवाई का है, मैं उसका कानूनी पक्ष पूछ रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस दिन अवाप्ति के चैक जारी किये भूमि अवाप्ति अधिकारी ने और आपने फरमाया कि चैक जारी हो गये, चैक तो प्राप्त होने चाहिए उनको। जब भूमि अवाप्ति अधिकारी ने किसी के पक्ष में निर्णय कर दिया तो वापस उनको खुद को सुनने का अधिकार नहीं है। वह सिविल कोर्ट ही रेफरेंस में इस बात को सुनेगी।

इसलिए मुद्दा यह है, आप जो कह रहे हैं कि हम सुनवाई कर रहे हैं, वह भूमि अवाप्ति अधिकारी को सुनवाई का अधिकार नहीं है। यह मैटर तो सिविल कोर्ट, जो भी सम्बन्धित है, वही सुनकर के तय कर सकती है कि कौन इसका मालिक है और कौन इसका मालिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एन एच 12 से रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें चैक जारी....इसमें विवाद बाद में पैदा हुआ है। इसलिए इस विवादित विषय में जो भी सक्षम न्यायालय होगा, वह खुद जायेगा, वह उसमें अपील करेगा, तो वह सक्षम न्यायालय अधिकारी सुनेगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

पाली जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि के नियमित वितरण की कार्य योजना

4. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में विधवाओं, वृद्धों तथा नि:शक्तजन को पेंशन प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? पात्रता की शर्तों एवं प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2013 में विधवा, वृद्धावस्था व नि:शक्तजन की पेंशन की पात्रता सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिले में वर्तमान में कुल कितनी विधवाओं, वृद्धों व नि:शक्तजन को पेंशन प्रदान की जा रही है तथा उक्त नियमों में संशोधन के पूर्व कितने पात्र थे व संशोधन के पश्चात् कितने नये पात्र व्यक्ति चयनित हुए? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिन वृद्ध, विधवा व नि:शक्तजन को पेंशन का पी पी ओ जारी कर दिया जाता है, उन्हें प्रति माह पेंशन मिलती है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रकरण हैं, जिनमें वर्ष 2013 से 2014 मार्च तक पेंशन उपलब्ध नहीं हुई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या कोष कार्यालय से जारी पेंशन राशि का वितरण डाक घरों के माध्यम से किया जाता है? क्या यह भी सही है कि गलत पते एवं अपूर्ण पतों के पेंशन-धारियों को पेंशन उपलब्ध नहीं कराई गई है? यदि हां, तो पंचायत समितिवार 2013 से 2014 मार्च तक का माहवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो, इस हेतु इस पेंशन को खाते में सीधे जमा कराने की सरल प्रक्रिया अपनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री अरूण चतुर्वेदी): (1) जी हां। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित पेंशन योजनाएं संचालित हैं :-

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना;
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना;
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना;
4. मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना;
5. मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना; एवं
6. मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना।

पाली जिले में भी उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं में निम्न दरों से पेंशन भुगतान देय है।

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रति माह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500 प्रति माह।
3. 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250 प्रति माह।

पात्रता की शर्तों एवं प्रक्रिया सम्बन्धी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। विधवा, वृद्धावस्था व विशेष योग्यजन हेतु पेंशन की पात्रता से सम्बन्धित नियमों में संशोधन/अतिष्ठित कर राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम-2013 को जारी किया गया, जो दिनांक 1.4.2013 से प्रभावी है। नियमों की प्रतियां परिशिष्ट 4 एवं 5 पर संलग्न हैं।

(3) जिला पाली में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में नये पेंशन नियमों के जारी किये जाने से पूर्व, पश्चात् एवं वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 6 पर संलग्न है।

(4) जी हां। जिन वृद्ध, विधवा व विशेष योग्यजन को पेंशन का पी पी ओ जारी कर दिया जाता है, उन्हें सामान्यत: नियमानुसार प्रति माह पेंशन मिलती है। उन प्रकरणों की संख्या जिन्हें वर्ष 2013 से 2014 मार्च तक पेंशन उपलब्ध नहीं हुई, उनका तहसीलवार/उपकोषवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है।

(5) जी हां। यह सही है कि कोष कार्यालय से जारी पेंशन राशि का वितरण डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। गलत एवं अपूर्ण पते के

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

पेंशनधारियों को पेंशन उपलब्ध नहीं करवाये गये प्रकरणों का माहवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 8 पर संलग्न है।

(6) जी हां। सरकार द्वारा सभी पात्र पेंशनधारियों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो, इस सम्बन्ध में पेंशनधारियों के बैंक/पोस्ट आफिस में खाते खुलवाये जाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को यह अवगत कराना चाहती हूं कि सरकार द्वारा पेंशन पात्रता रखने वाले नागरिकों का, अप्रैल 2014 में सरकार द्वारा आदेश दिये गये थे कि इनका भौतिक सत्यापन किया जाये और 15 जुलाई तक यह पूर्ण होना था। लेकिन आज दिन तक पेंशन धारियों का जो भौतिक सत्यापन है, वह समय रहते नहीं हो पाया। इससे आम व्यक्ति, जो पेंशन लाभार्थी हैं, उनको समय रहते सोजत विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से गांव-गांव और ढाणी में बसने वाले पेंशन-धारियों को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। क्या सरकार पेंशन-धारियों का भौतिक सत्यापन अतिशीघ्र करवाने का विचार रखती है? और अगर समय रहते इनका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है?

दूसरा प्रश्न मेरा है कि क्या सरकार तहसील स्तर की सभी ग्राम पंचायतों और नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले पेंशन लाभार्थियों को आनलाइन खाते से जोड़ने का विचार रखती है? क्योंकि गांव के अन्दर जो गरीब लोग रहते हैं, उनकी जो पेंशन है, वह पोस्ट-मैन वहां मौके पर लेकर जाता है और वहां लाभार्थी नहीं रहता है। तो ऐसे के अन्दर उस लाभार्थी को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। कहां ग्राम पंचायतों में, पंचायत समिति में और पोस्ट आफिस में हर महीने वहां पर पूरी लम्बी कतार लग जाती है और उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन्हें अतिशीघ्र आनलाइन खाते से जोड़ने का सरकार विचार रखती है, तो जवाब दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): तीसरा मेरा सवाल यह है कि सरकार द्वारा नि:शक्तजन को जो पेंशन दी जा रही है, उसमें जो लकवाग्रस्त अपाहिज

(श्रीमती संजना आगरी)

होते हैं, उन लकवाग्रस्त अपाहिजों को उस क्राइटेरिये के अन्दर नहीं लिया गया है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज होते हैं, जो लकवे से शारीरिक और मानसिक अपाहिज हो जाते हैं, उनको सरकार पेंशन नहीं देती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति जो पात्रता रखते हैं, जो लकवे से अपाहिज हुए हैं उनको सरकार क्या पेंशन देने का विचार रखती है। सोजत विधान सभा क्षेत्र में, चूंकि वह पूरा परिवार के ऊपर, लालन-पालन, भरण-पोषण, उनके परिवार पर वह आश्रित होता है, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे अपाहिज, उनके परिवार जो उनका लालन पालन करते हैं, उनको भी पेंशन स्वीकृत करवाये सरकार।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में पेंशन-धारियों का भौतिक सत्यापन आज दिन तक बाकी है और इससे कई ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति बहुत चिंतित हैं। तो समय रहते उन अधिकारियों को आप आदेशित करें, निर्देशित करें। जो भौतिक सत्यापन समय रहते पूरा होना था, आज भी उन गरीब परिवारों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है।

पांचवां मेरा प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बहुत लम्बा हो गया है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्षजी, एक और प्रश्न। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान कार्यक्रम बनाया गया है। पाली जिले और सोजत विधान सभा क्षेत्र में पूर्व तीन वर्षों के अन्दर ऐसे कितने समाज के सामूहिक विवाह हुए हैं और सोजत की तो मुझे जानकारी है कि 12 मई, 2013 को माली समाज के 64 जोड़े, जिनका विवाह सम्मलेन हुआ है, उनको आज दिन तक राशि का भुगतान नहीं मिल पाया है।

तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इसके अन्दर कई विधवाओं की पुत्रियों को भी उनकी शादी का जो पैसा मिलता है, उनको भी समय रहते नहीं मिल पाता है। ऐसे के अन्दर सारे जो लाभार्थी हैं, वे हमारे आफिसों के और हमारे घरों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई नगरपालिका जाते हैं, कई समाज कल्याण के आफिस जाते हैं और उनको यह भी जानकारी नहीं होती है कि उनको पैसा कहां से प्राप्त करना है।

तो क्यों नहीं सरकार इसके प्रोसेस और प्रक्रिया को कम करे? ताकि विधवाओं की जो पुत्रियां हैं...

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, आप सवाल कीजिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उनको जो पैसा मिलता है, वह समय रहते उनको मिल जाये। सरकार उनकी समय अवधि तय करे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सोजत से आने वाली माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि भौतिक सत्यापन का नियम हमारे इसमें है, प्रोविजन में। इसमें सामान्यत: यह 15 मार्च तक करने का था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता थी, इसलिए उसको बढ़ा दिया हमने, तीन महीने बढ़ाया था। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बाकी जो काफी काम हुआ है, दो-तीन जिले ऐसे हैं जहां थोड़ा काम कम हुआ है, उनको भी तुरन्त करने के लिए कहा है। हम चाहते हैं कि जल्दी काम पूरा हो ताकि पेंशन के जिनके पी पी ओ जारी हो चुके हैं, उनको पेंशन मिल सके। आपने जो सुझाव दिया है, इसको और देखा जायेगा। इसको भी निर्देशित करके और एक्सपेडाइट करने का काम करेंगे।

जहां तक आनलाइन अकाउंट का मामला है, यह पहले से प्रोसेस में है। इसको हमने, यह मैंने पिछली बार भी सदन में एक बात कही थी कि हम इसके कारण से जो विलम्ब होता है, अभी तक हम डाक घरों के माध्यम से करते हैं; मनी आर्डर के माध्यम से पेमेंट जाता है और मनी आर्डर के माध्यम से जो पेमेंट जाता है, उसका विलम्ब होता है। उसमें 125 करोड़ रुपये विभाग को भी पोस्ट आफिस को देने पड़ते हैं। 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ता है और 5 परसेंट उसका कमीशन विभाग को देना पड़ता है। जो आता है 125 करोड़ रुपये, उसको भी कम किया जाये; जल्दी मिले, जो भी पात्र व्यक्ति है। इसको हम कर रहे हैं, पोस्ट आफिस में और बैंकों में अकाउंट खोलने का भी। कल भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट में भामाशाह योजना की शुरुआत की बात की है, जो 15 तारीख से भामाशाह योजना शुरू होगी। इसमें विस्तृत सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद बैंक में अकाउंट खोलेंगे और आनलाइन उन सबको पेमेंट किया जाये, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात इसमें की गई है।

जहां तक आपने लकवाग्रस्त लोगों की बात की है, किसी भी तरह का कोई स्पेशल एबल्ड कोई भी है, विशेष योग्य जन कोई है, उसको जिसको 40 परसेंट से अधिक विशेष योग्यता/अयोग्यता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अनुदान देने का प्रावधान नियमों में है और सबको देने की व्यवस्था है। कहीं कोई ऐसी

(श्री अरूण चतुर्वेदी)

बात आपकी जानकारी में हो, उसे आप बतायेंगे तो उसको तुरन्त, व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, या किसी को नहीं मिला है, तो उसको दिलाने की व्यवस्था हम करेंगे।

सामूहिक विवाह में अनुदान की जहां तक बात है, इसमें विस्तृत विवरण आपने मांगा है। चूंकि यह मूल प्रश्न के साथ नहीं था, सामूहिक विवाह के लिए अनुदान देता है हमारा विभाग और समय-समय पर जिसका भी विषय आता है, उनको अनुदान देने की व्यवस्था है। मैं माननीय सदस्य महोदया को इसका विस्तृत विवरण बाद में उपलब्ध करवा दूंगा।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: सोजत से सम्बन्धित है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): 12 मई, 2013 को सोजत सिटी में सामूहिक विवाह हुआ है, लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया है और यहां तक कि उनके बच्चे भी हो गये हैं...

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): 6-6 महीनों तक पेंशन नहीं मिलती है, पूरे राजस्थान में। इसमें सुधार करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): पूरे राजस्थान में 6-6 महीने तक पेंशन नहीं मिलती है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): उनके बच्चे भी हो गये हैं। उनका एक वर्ष पूरा होने पर भी उनको, सामूहिक विवाह में जो शादियां हुई हैं, उनको अनुदान नहीं मिला है। तो आप सम्बन्धित अधिकारियों को थोड़ा पाबंद करें कि समय रहते उनको अतिशीघ्र अनुदान दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। इसके बाद, पाली से आने वाले विधायक पूरक प्रश्न करें। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) : माननीय सदस्या ने विषय की गम्भीरता पर ध्यान दिलाया है। ऐसा कोई विषय अगर लम्बे समय तक पेंडिंग है, मुझे आप बता दें, मैं अपनी तरफ से सारी जानकारी मंगाऊंगा और तुरन्त कार्यवाही करते हुए, इसका निष्पादन हो और उनको अनुदान मिले, यह सुनिश्चित करूंगा।

श्री अध्यक्ष: पाली से आने वाले माननीय विधायक। (व्यवधान) मैं आपको भी अवसर दे रहा हूं। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, आपको भी दूंगा। इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं लूंगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या हर गांव की है कि अनेक पात्र व्यक्ति, जिनकी पेंशन स्वीकृत हो गयी, लेकिन पिछले कई महीनों से उनको पेंशन इसलिए नहीं मिल रही है कि डाकिया या पोस्टमैन एक बार गया होगा, मौके पर वह मिला नहीं होगा, और एक बार आकर मौके पर मिलता नहीं है तो वह राशि वापस कोषालय में जमा कर देता है। उसके बाद में, जब तक व्यक्ति जिला कोषालय में जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र नहीं देता, तब तक उसकी दुबारा पेंशन जारी नहीं होती। इसमें मेरा मंत्री महोदय से एक आग्रह है कि मंत्री महोदय, हर वक्त कोई व्यक्ति गांव में मौजूद नहीं मिलेगा। अगर कोई पेंशन वापस लौटकर आ गई तो आप पटवारी से, ग्राम सेवक से, तहसीलदार के माध्यम से सत्यापन करवा दें, या दो बार या तीन बार जाएं। यह मेरा आग्रह है। आप कोई ऐसी व्यवस्था लागू कर सकते हैं कि अगर एक बार कोई व्यक्ति नहीं मिले तो दुबारा जाय या पटवारी, तहसीलदार के माध्यम से सत्यापन करें, ताकि उस गांव के व्यक्ति को शहर के कोषालय में अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र देकर लम्बे समय तक पेंशन से वंचित न कर पायें। यह मेरा आपसे आग्रह है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): परमानेंट ही है। आपको बहम हुआ है। यह व्यवस्था तो परमानेंट है।

श्री अध्यक्ष: पाली से आने वाले माननीय विधायक के पूरक प्रश्न का जवाब आने दीजिए। आप डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक अपना पूरक प्रश्न करेंगे, उसके बाद आप। (व्यवधान) लम्बा नहीं पूछ सकते। चार पूरक प्रश्न की व्यवस्था है, आप बैठिए। (व्यवधान) कहीं तो मुझे सीमा करनी पड़ेगी। कितना लम्बा करेंगे आप? (व्यवधान) विराजिए आप। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, प्रश्न करना चाह रहे हैं ना आप?

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था है? जैसा आपने फरमाया कि मृत्यु प्रमाण-पत्र लेना बहुत कठिन कार्य है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): गरीब आदमी के वास्ते मृत्यु प्रमाण-पत्र लेना बहुत कठिन है, बाकी नियमानुसार पेंशन मिलनी चाहिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट 6 में संशोधन से पूर्व पेंशनर्स की संख्या थी 28,162 और वापस संशोधन करने के बाद 1,40,024 हो गई। यह इतना गैप संशोधन में किस तरह से हुआ? एकदम तीन गुना, कई गुना। यह संशोधन करने के बाद कैसे हुआ है? और विधवाओं में भी इसकी संख्या एकदम बढ़ी है। विकलांगों की संख्या 4,571 थी और 7,265 हो गई। यह संख्या कैसे बढ़ी? यह संशोधन क्यों नहीं हुआ? इसके लिए कौन दोषी था? इसका जवाब दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न हो गया, बैठिए आप। (व्यवधान) आप अभी नहीं। पांचवां प्रश्न हो गया। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): एक प्रश्न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि डाकिया वापस जमा करा देता है, हमारे जिले में यह स्थिति है कि डाकिया तीन-तीन महीने पैसा जमा नहीं कराता और खुद ही डकार जाता है। वापस जमा कराना तो दूर की बात है डूंगरपुर जिले में। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से पूर्व में भी निवेदन किया था। तीन-चार महीने तक सरकार से पैसा नहीं आता है, ऐसा डाकिया बोलता है और फिर लोग घूम-घूमकर थक जाते हैं तो वह खुद ही डकार जाता है।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप। बिलकुल नहीं। बैठिए आप। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के विस्तार की कार्य योजना

5. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गयी है? यदि हां, तो कब से तथा उक्त योजना के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना केवल बी.पी.एल. वर्ग के लिए ही बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना का विस्तार करके

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

प्रदेश के सभी वर्गों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) (राज्य मंत्री, सहकारिता के स्थान पर) : (1) जी हां। भारत सरकार द्वारा लागू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना दिनांक 01.04.1999 से प्रदेश में भी लागू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बी पी एल चयनित परिवारों के लिए ही बनाई गई थी, जिसे भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 31.03.2013 से समाप्त कर दिया गया है। उक्त योजना वर्तमान में लागू नहीं है। इस योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम) योजना दिनांक 01.04.2013 से लागू कर दी गई है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): इस योजना का केवल नाम चेंज हुआ है, योजना वही है। क्या सरकार प्रदेश के सभी बेरोजगारों के लिए उक्त योजना का विस्तार करने का विचार रखती है जिससे प्रदेश के सभी वर्गों के लिए यह समान रूप से संचालित हो सके? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार प्रदेश के शहरों में भी बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केवल नाम ही परिवर्तन नहीं किया, इसके सारे ढांचे में भी नया परिवर्तन किया है। पहले जो सेल्फ ग्रुप बनते थे, उसको सरकार भी अपनी तरफ से पैसा देती थी, बैंक भी उनको पैसा देते थे और इंडिविजुअल व्यक्ति को देते थे। अब जो एन आर एल एम बनाया है, वह सेल्फ एड ग्रुप 10 महिला, 12 महिला, केवल महिलाओं के लिए है और उनकी ही वह एक कमेटी बनकर, अपने किसी काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो उसको हमने प्रारम्भ किया है।

पहले वाली योजना में जिस प्रकार से कमियां रहीं और इतने वर्ष तक प्रयत्न करने के बाद भी हम वास्तव में गरीबी को दूर नहीं कर पाये और सबका अनुभव यह हुआ कि हम जितना भी फोकट का पैसा देते हैं, लोग उसको इधर-उधर करके समाप्त कर देते हैं। इसलिए अब की बार यह है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका स्वयं का बैंक, हर सप्ताह में वह अपना मिनिमम कुछ बचाएगी, 5 रुपया, 10 रुपया। सेल्फ एड ग्रुप, महीने में चार बार उसकी बैठक होगी, बैठक होने के बाद तीन महीने तक वह सेल्फ एड ग्रुप चलेगा तो सरकार की तरफ से 15 हजार रुपये उसके खाते में डालेंगे, लेकिन वह इंडिविजुअल आदमी को नहीं होगा, सेल्फ एड ग्रुप को होगा। फिर, उसके बाद, वह छह महीने तक अपना काम करते रहेंगे तो फिर उनको 60 हजार रुपये सरकार की तरफ से एड देंगे और उसके बाद वह जब स्ट्रेंथन हो जाएगा, वह स्वयं अपने पैसे से अपना काम करेंगे तो फिर हम बैंक से उसको लोनिंग करेंगे।

इस नयी योजना का मकसद यह है कि वास्तव में उसकी गरीबी दूर होनी चाहिए। इस गरीबी दूर करने के नाम से कई एजेंसियां ऐसी आ गयीं जिन्होंने इस पैसे को इधर-उधर खुर्द-बुर्द किया और वास्तव में जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): इस योजना का लाभ सभी को मिले, एस सी, एस टी, ओ बी सी, सभी सामान्य लोगों को मिले, इसके लिए सरकार कोई प्रयत्न करेगी कि सभी लोगों को लाभ मिले?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सबको मिलेगा, जो भी सेल्फ एड ग्रुप में महिला सदस्य बनेगी। यह केवल महिलाओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। इन महिलाओं में हमने अभी तक 34 ब्लाक राजस्थान में कवर किये हैं और उनमें 23 हजार सेल्फ एड ग्रुप बने हैं। इसका सालवाइज हमने बनाया है। 2013-14 से लेकर 2024-25 तक हम, राजस्थान के 33 जिले हैं, 248 ब्लाक हैं और उनमें 40 हजार विलेजेज हैं और उसमें जो सेल्फ एड ग्रुप हैं, वे हंड्रेड परसेंट बनाएंगे और स्टेप-बाई-स्टेप देखेंगे कि वास्तव में ये ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या केवल आंकड़ों में ही इकट्ठे हो रहे हैं।

प्रयत्न यह है, वास्तव में उन समूहों को जो स्वयं अपने बूते पर कुछ करना चाहते हैं और स्वयं का भी हर सप्ताह कुछ न कुछ, 10 रुपया, 20 रुपया योगदान करके, अपना पैसा इकट्ठा करके मीटिंग करती हैं, महीने में चार बार मिलती हैं और कोई एक्टिविटी करती हैं और अपना ही पैसा अपने ही बीच में देंगी और वापस उसको वसूली करेंगी, आगे अगर चला पाएंगी तो आगे हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे। पूरा चार्ट हमने इसका वर्षवार बना रखा है और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

2013-14 से हमने शुरू किया और उसमें हम अभी तक 34 ब्लाक में पहुंचे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

अनुपस्थिति अनुमति

बी. एल. कुशवाह, श्री, को 11 से 19 जुलाई, 2014 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री बी. एल. कुशवाह, सदस्य, विधान सभा ने व्यावसायिक कारणों से दिनांक 11 जुलाई, 2014 से 19 जुलाई, 2014 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मनोज कुमार एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य की राजधानी जयपुर में विगत 4-5 दिनों से अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से खनन क्षेत्र में सिपाही भर्ती रद्द करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से राज्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण भाजपा संगठन के पदाधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर करने के राज्य सरकार के कथित निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल एवं डा. किरोड़ी लाल को अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री हनुमान बेनीवाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

खनन क्षेत्र में सिपाही भर्ती का रद्द किया जाना

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश में बढ़ते हुए अवैध खनन तथा अन्य खनिजों के संरक्षण के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने 2011-12 के बजट के अन्दर 1,000 जवानों की स्थायी भर्ती करने का निर्णय लिया था। इसको मिनरल प्रोटेक्शन फोर्स का नाम दिया गया। अध्यक्ष महोदय, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर की विज्ञप्ति 2013/4 दिनांक 20.7.2013 के माध्यम से 1,000 कांस्टेबल के पदों के लिए 15.9.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें करीब 80 हजार बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया। 14 दिन पश्चात् इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया और 5 गुणा अभ्यर्थियों को इसके अन्दर शारीरिक दक्षता के लिए पास किया गया तथा इसी परिणाम को मेरिट लिस्ट मान लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, बाद में विधान सभा चुनाव की आचार संहित लग गई और यह भर्ती प्रक्रिया अधरझूल में लटक गई। प्रदेश का बेरोजगार नौजवान, जिसने परीक्षा दी थी, वह अपनी तैयारी में लगा हुआ था। बाद में लोक सभा के चुनाव आ गये और यह भर्ती प्रक्रिया फिर आगे चली गई। अध्यक्ष महोदय, बाद में राजस्थान सरकार ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज उद्योग मैदान पर पिछले पांच दिनों से हजारों ग्रामीण छात्र सरकार की ओर टकटकी लगाये देख रहे हैं। कल का बजट भी आ गया, लेकिन जिस नाम से प्रदेश के जवानों से वोट लिये गये; जितने भी संविदाकर्मी राजस्थान में थे, उन सबको नियमित करने की बात थी, और सरकार के कई नेताओं ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान यह बात भी कही थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो किसी भी भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे और छात्रों, नौजवानों को राजस्थान में रोजगार देंगे। अभी सरकार बने सात महीने हुए हैं और एक हजार परिवारों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर की हर सड़क पर बेरोजगार नौजवान घूमता हुआ नजर आ रहा है। कल के बजट से राजस्थान के जवानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन न तो कोई विशेष बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की गई और न विद्यार्थी मित्र जो आज 20-30 हजार की संख्या में आये हैं... (व्यवधान) एक मिनट। जवानों की बात कर रहा हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान कीजिये, जिस विषय पर करना चाहते हैं, सदन का भी और मंत्रिमण्डल का भी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, सरकार ने रोजगार देने की बात की थी और यह तो पहला साल है, सरकार इस तरह राजस्थान के ग्रामीण नौजवानों का रोजगार छीनने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को आदेश दें कि इस भर्ती प्रक्रिया को पुन: बहाल किया जाए।

जो खनन नीति बन रही है, उससे पहले-पहले इन हजारों परिवारों के सामने जो रोजगार का संकट पैदा हो गया, इन परिवारों को, इन जवानों को न्याय कैसे मिले, सरकार का कोई प्रतिनिधि इन जवानों से बात करने को तैयार नहीं है। किस तरह से गांव का बेरोजगार जयपुर में एक दिन निकालता है, कम से कम एक हजार रुपये चाहिए उसको जयपुर में रहने के लिए।

श्री अध्यक्ष: आपने विषय वस्तु अच्छी तरह रख दी। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है राजस्थान की जनता को। कम से कम, हमारे विपक्ष की संख्या इस बार कम है, इसलिए हमें भी आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारे हितों का संरक्षण करेंगे। कृपया सरकार को निर्देशित करें कि सरकार का कोई मंत्री या प्रतिनिधि, इन खान विभाग के जो 1,000 पदों को खतम किया गया है, उस मामले में इन बेरोजगारों से बात करके समस्या का समाधान करायें।

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल मीणा। अब विराज जाओ आप, हो गई बात। बार-बार रिपीट नहीं करें। डा. किरोड़ी लाल मीणा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 1,000 कांस्टेबल का मामला है। पिछली सरकार उनका सलेक्शन कर गई और उनको पोस्टिंग दी जानी चाहिए थी। तो राठौड़ साहब, कुछ रेस्पोंड कर दो, दोगे या नहीं दोगे, या बेरोजगारी के गर्त में ही डालोगे? जरा बता तो दो।

श्री अध्यक्ष: आप अपने विषय पर बोलिये। स्थगन प्रस्ताव जिस विषय पर दिया है, उस पर बोलिये। (व्यवधान)

राज्य कर्मचारियों का स्थानान्तरण राजनीतिक दल व जन-प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर करने का राज्य सरकार का कथित निर्णय

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा रोचक निर्णय वसुंधरा सरकार ने अभी लिया है, वैसे तो पुरानी परम्परा है, लेकिन 'विधायकों से पूछकर लगाये जायेंगे अफसर-कर्मचारी'। अध्यक्ष महोदय, विधायकों से पूछकर लगाये जायेंगे। (व्यवधान) आपके तो फायदे का है। यह बी जे पी कार्यालय से लाया हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपने भी तो ऐसे कई ट्रांसफर किये हैं और नाम मंगवा-मंगवा कर किये हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप जब मंत्री थे, तब मेरे कहने पर आदेश किया था। आप जब मंत्री थे, तब विधायकों के कहने पर करते थे। मेरे कहने पर आपने इंस्पेक्टरों के आदेश किये थे। उस समय आप मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बल्कि आपने तो यह कहा कि आप अपनी पसंद का नाम भेजोगे तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। आपने यह भी कहा है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, हम हरेक के कहने से करते थे। मैं यही पूछ रहा हूं कि आप विधायकों के कहने से जो ट्रांसफर-पोस्टिंग करेंगे, तो क्या आप इनकी डिजायर लेंगे, जो ये इतने प्रतिपक्ष के विधायक बैठे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप आसन को संबोधित कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सारी, अध्यक्ष जी। ज्ञानदेव जी, आप थोड़ा जवाब दें। सभी विधायक या केवल भाजपा के विधायक? अध्यक्ष महोदय, यह कितना बड़ा तमाशा है कि ओ एस डी, मुख्य मंत्री ने इन सभी विधायकों को कहा है कि कौन तहसीलदार लगेगा, कौन नायब-तहसीलदार लगेगा, कौन बी.डी.ओ. लगेगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, अख़बार की न्यूज को माध्यम बनाकर यहां पढ़ना और अख़बार के माध्यम से यह कहना, ...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कोई सर्कुलर हो तो आप कोट करें। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ...सदन में कोई मामला उठाया जाए, यह उचित नहीं है। अख़बार की न्यूज के आधार पर कोई भी मामला यहां नहीं उठाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुनने में जोर आ रहा है क्या? बात सुन तो लो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सुनने के लायक कुछ है ही नहीं। सुनें क्या? (व्यवधान) कोई गम्भीर विषय लाओ। (व्यवधान) राजस्थान की जनता के हित का विषय हो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, कोई सरकारी सर्कुलर हो तो उसका तो कुछ होता है। अख़बार की कटिंग बताकर कोई नियम थोड़े ही होता है।

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) अख़बार की न्यूज के माध्यम से कोई बात नहीं उठायी जा सकती, स्थापित नियम हैं। इसलिए यह तो आप रख लो। आप में बड़ी शक्ति है, स्मरण शक्ति का तो आपका कमाल है, उसके आधार पर ही बोलो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हनुमान जी की तरह आपको आपकी शक्तियां याद नहीं आ रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत बड़ी तादाद नहीं, पूरी तादाद हैं ये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वे वकील हैं, मैं उनसे बहस नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष: आप शांत रहिये। अब आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप पांच मिनट ले चुके हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अगर ये छेड़खानी करेंगे तो मैं ज्यादा बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: आपसे, और छेड़खानी! (व्यवधान) क्या बात कर रहे हैं आप! आपकी उम्र छेड़खानी की नहीं रही है अब। न आप कर सकते हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह बताना चाहता हूं कि बेशक विधायक के कहने से आप बी डी ओ लगाओ, तहसीलदार लगाओ, मास्टर लगाओ, पर किसी भी कारण से, किसी भी कारण में आकर विधायक प्रभावित हो गया, तो क्या आप भ्रष्टाचारी को बी डी ओ लगाओगे? क्या भ्रष्टाचारी को तहसीलदार लगाओगे? क्या यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं है? क्या आप उसको, भ्रष्ट या आरोपित व्यक्ति को नायब-तहसीलदार लगाओगे? मेरा सवाल यही है कि अगर बेस्ट कंडक्ट वाला आदमी है तो डी ओ पी देखे या डिपार्टमेंट इस बात को देखे कि इसका कंडक्ट कैसा है? एम एल ए ने तो लिखकर दे दिया, जिस पर दर्जनों मामले आरोपित हैं और उसको आपने तहसीलदार लगा दिया, वह तो लूट खायेगा एम एल ए साहब से मिलकर।

इसलिए मेरा इस पर आक्षेप है, यह पूरी तरह से अफसरशाही का राजनीतिकरण है, अध्यक्षजी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा है और यह पक्षपात है कि उधर का विधायक लिखकर दे दे, उसके कहने से आप...

श्री अध्यक्ष: बस, आप अपनी बात कह चुके, स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैंने नहीं कहा। मैंने नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वह तो उधर से विधायक लिखकर दे दें, बाकी इन विधायकों के लिखने से आप नहीं करोगे।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट की जगह सात मिनट ले लिये आपने, लालसोट से आने वाले माननीय विधायक। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): डाक्टर साहब, आपके सानिध्य में अधिकारी लूटते रहे, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं थी और आज आपको परेशानी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : बस। शांत रहिये। प्रक्रिया के नियम...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर आब्जेक्शन है। आप इसमें देखिये, 'विधायक' शब्द है इसमें। क्या निर्णय लिया कि नहीं लिया? यह संसदीय कार्य मंत्रीजी मुझे बतायें कि इनकी डिजायर से...नहीं, नहीं, इसमें आप कोर्ट में जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप खुद मंत्री रहे हैं। आप तो मंत्री रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह मनमानी, दादागिरी नहीं चल सकती कि एक दल का विधायक लिखकर दे, उसके कहने से भ्रष्टाचारी अधिकारियों को लगा दिया जाये। बाकी के विधायक, विधायक नहीं हैं क्या? हमको भी जनता ने चुनकर भेजा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह नहीं चल सकता कि भ्रष्टाचारी अफसरों को, कर्मचारियों को विधायकों की डिजायर पर पोस्टिंग दी जाये। यह राजनीतिकरण है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। लालसोट से आने वाले माननीय विधायक, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जनता ने आपको भी पांच साल झेला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह लूटकर खाने का तरीका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, स्थान ग्रहण कर लो। बहुत अच्छा है। आपके जैसा बढ़िया अनुशासित विधायक नहीं है। विराजो। अब विराजो आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। एक व्यवस्था है। (व्यवधान)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग का खण्ड कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री रमेश, सदस्य की ओर से जिला करौली की उप तहसील करणपुर में दोहरी भरपुरा गांव के पास प्रस्तावित दोहरी लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अशोक, सदस्य की ओर से राज्य में भू-प्रबन्ध का कार्य समय पर पूर्ण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-115 पाली-जोधपुर फोरलेन की ऊंचाई 5-7 फीट होने से ग्रामवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर लगी कानूनी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गोतम कुमार, सदस्य की ओर से लोक जुम्बिश व शिक्षाकर्मी परियोजना से जुडे अनुदेशकों (अध्यापकों) को राज्य सेवा में समायोजित करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू उपखण्ड क्षेत्र में दिनांक 26.2.2014 को हुई ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से फसल को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बिलाड़ा शहर में ट्रोमा सेंटर खोलने के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्या की ओर से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कन्या महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती गोलमा, सदस्या की ओर से पंचायत समिति महवा के 13 गांवों की पेयजल समस्या को देखते हुए खोहरामुल्ला में सी डब्ल्यू आर अविलम्ब बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों को दृष्टिगत रखते हुए सेरेमिक टाइल्स उद्योग तथा जिंक स्मेल्टर की स्थापना करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री छोटूसिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति दी जाती है।

श्री भागीरथ चौधरी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। मैं दो मिनट बोलने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपका स्थगन प्रस्ताव था, मैं न्यायपालिका और वकीलों के बीच में आपको नहीं आने दूंगा और यहां बहस नहीं होने दूंगा। बैठिये। इसीलिए मैंने अस्वीकार किया। बैठिये। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। आप बैठिये। मैं नहीं दूंगा परमिशन।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: न्यायपालिका और वकीलों के बीच में आपको नहीं आने दूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं दूंगा मैं। नहीं दूंगा मैं। इस समय नहीं दूंगा मैं। आप बैठिये। (व्यवधान) मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान) मुझे आपको नाम लेकर पुकारना पड़ेगा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप सख्ती से पेश आयें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: यह विषय यहां पर बहस का नहीं है। (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं दूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का खण्ड कार्यालय खोला जाना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री भागीरथ चौधरी)

उपखण्ड किशनगढ़ (अजमेर) में गत 10-15 वर्षों में तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप किशनगढ़ नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। यह अजमेर जिले का एक महत्वपूर्ण उपखण्ड कार्यालय है। यहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो उपखण्ड कार्यालय किशनगढ एवं अरांई में स्थित हैं। साथ ही, उपखण्ड रूपनगढ़ स्थित कार्यालय का कार्य क्षेत्र भी आता है। इस प्रकार, उक्त तीनों उपखण्डों में डामर की सड़कों की कुल लम्बाई 725 किलोमीटर है, जो राज्य सड़क मार्ग- 46 किलोमीटर, वृहद जिला सड़क (MDR) – 59 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें (ODR) – 100 किलोमीटर एवं ग्रामीण सड़कें – 520 किलोमीटर में विभक्त हैं। इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य, रख-रखाव, रिपेयर एवं नवनिर्माण, आदि कार्य उक्त तीनों उपखण्डों के अधीनस्थ ही है।

उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ में विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं सरकारी आवासीय भवन स्थापित हैं, जिनमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, राजकीय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, सात पुलिस थाने, उप कोषागार, जिला परिवहन कार्यालय, पांच न्यायालय, आदि महत्वपूर्ण विभागीय कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों में नवीन भवन निर्माण, रिपेयर एवं रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रतिवर्ष चलते रहते हैं। उक्त सभी कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के तीनों उपखण्ड कार्यालयों को अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड कार्यालय के अधीन रहकर कार्य सम्पादन करना पड़ता है, जिससे कई विभागीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में, औद्योगिक एवं मार्बल नगरी, किशनगढ़ मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन खण्ड कार्यालय की अति आवश्यकता महसूस हो रही है। इस कार्यालय के अभाव में क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का समुचित बजट के अभाव में मरम्मत एवं रखरखाव कार्य अथवा निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं।

अत: माननीय अध्यक्षजी के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उपखण्ड मुख्यालय एवं मार्बल नगरी किशनगढ़ में तीव्र औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रवासियों की लम्बे समय से की जा रही सार्वजनिक निर्माण विभाग के खण्ड कार्यालय की स्थापना की मांग को अविलम्ब स्वीकृत कराकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करायें ताकि क्षेत्र की सड़कों के लिए

(श्री भागीरथ चौधरी)

वांछित बजट का आबंटन कराकर सुलभ आवागमन की सुविधाएं आमजन को प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश चन्द मीना।

करणपुर (करौली) उप तहसील में प्रस्तावित दोहरी लघु सिंचाई परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जाना

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्ष 2012-13 में जिला करौली की उप तहसील करणपुर में दोहरी भरपुरा गांव के पास दोहरी लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की गई, जिसकी अनुमानित लागत (बी.एस.आर. 2011 पर) 2130.00 लाख की प्रस्तावित की गई। इसकी भराव क्षमता 286.40 MCFT है। इस योजना से 25 गांव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, जिनकी कुल 1,002 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। बांध के डूब क्षेत्र में करीब 158.43 हेक्टेयर भूमि अनुमानित है।

डूब क्षेत्र के बदले 63.12 बीघा भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मुख्य अभियंता, जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर द्वारा 2130.00 लाख की जारी की जा चुकी है।

इस परियोजना का राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल (NBWL) की स्टैण्डिग कमेटी द्वारा भी अपनी 22वीं बैठक में दिनांक 25.4.2011 को अनुमोदन किया जा चुका है। तत्पश्चात् फोरेस्ट क्लीयरेंस हेतु प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत सेन्ट्रल एम्पावर्ड कमेटी, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसके द्वारा कुछ कमियां बताई गईं, जिनका उत्तर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा माह जुलाई, 2013 एवं माह अगस्त, 2013 में सी.ई.सी. चेयरमैन से वार्ता की गयी एवं उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराये गये। किन्तु आज दिनांक तक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से इस परियोजना की स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है।

यह उस क्षेत्र के लिए एक अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी परियोजना है, जिसके निर्माण के अभाव में वहां की जनता, जो वर्षों से इस परियोजना के पूरा होने की आस लगाए बैठी है, उनको निराशा ही हाथ लगी है। यदि यह परियोजना पूर्ण होती है तो इस ड्राई एरिया में आसपास के वन्य जीव क्षेत्र में

(श्री रमेश)

रहने वाले जीवों को वर्ष के उस समय जब यहां का पानी पूरी तरह सूख जाता है, तब भी पीने का पानी मिलेगा। भू-जल का स्तर सुधरेगा तो जल स्रोतों में भी पानी बना रहेगा। इससे रणथम्भौर वापस जाने के स्थान पर वन्य जीव यहीं रुकेंगे तो यह पर्यटन को भी बढ़ायेगा। पर्यटन बढ़ने से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सफल हो सकेगा। इस बांध के बनने से पानी की कमी दूर होगी और कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राज्य सरकार इस विषय में सक्षम स्तर पर त्वरित कार्यवाही करे और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा उठाये गये आब्जेक्शन और कमियों को शीघ्र दूर कर इस परियोजना को प्रारम्भ कराये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक चांदना।

भू-प्रबंध का कार्य राज्य में समय पर पूर्ण किया जाना

श्री अशोक (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों पर आधारित है, जिसको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों में से एक भू-प्रबंध सबसे प्रमुख है। समय से भू-प्रबंध नहीं होने से, पुराने नक्शे फटे-पुराने होने के कारण किसानों की भूमि का चिह्नीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे आपसी झगड़ों के कारण किसान को न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिस कारण कई बार न्यायालय द्वारा किसान को कृषि कार्य नहीं करने के आदेश के कारण सम्बन्धित किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।

पूर्व में भू-प्रबंध के बाद तथा वर्तमान स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है। खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं। काफी जगह भूमि राजकीय संस्थानों को आबंटित हो चुकी है, तो कहीं पर सड़क निर्मित हो गई है तथा वर्तमान में काफी जगह भूमि की किस्म परिवर्तन हो चुकी है, जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व हानि हो रही है तथा भूमि रूपान्तरण के प्रकरणों में भी इन नक्शों के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण विभिन्न न्यायालयों में राजस्व प्रकरणों की संख्या बढ़ी है। आपसी आम रास्तों के विवाद एवं सीमा विवाद भी बढ़ रहे हैं, जिनका निस्तारण इन पुराने नक्शों से सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(श्री अशोक)

अगर आपसी भूमि विवाद/पत्थरगढ़ी के प्रकरणों का देखा जाये, तो अकेले हिण्डौली तहसील (जिला बूंदी) में वर्ष 2011 में 68 प्रकरण दर्ज किये गये, जिनमें से 3 प्रकरण; वर्ष 2012 में 111 प्रकरणों में से 3 प्रकरण; वर्ष 2013 में 97 प्रकरणों में से 3 प्रकरण; तथा 2014 में 103 प्रकरणों में से 7 प्रकरण आज भी नक्शों के अभाव में लम्बित हैं। इस प्रकार, 4 वर्ष में कुल 379 प्रकरण तहसील में दर्ज किए गए, जिनमें से 16 प्रकरण नक्शाभाव के कारण लम्बित हैं। साथ ही, भू-प्रबंध के अभाव में चरागाह भूमियों पर भी दिनोंदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है।

अगर भू-प्रबंध समय पर नहीं किया गया तो आने वाले समय में न्यायालयों में राजस्व प्रकरण और बढ़ेंगे तथा चरागाह एवं अन्य राजकीय भूमि पर भी अतिक्रमण लगातार बढ़ता रहेगा। अगर राज्य सरकार समय पर भू-प्रबंध करवाती है तो न्यायालयों में लम्बित अधिकांश प्रकरण खतम हो जायेंगे, जो किसानों के हित में ऐतिहासिक होगा तथा राजकीय/चरागाह भूमि की वास्तविक स्थिति का भी पता रहेगा तथा भूमि रूपान्तरण होने से राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 115 पाली-जोधपुर फोर-लेन की ऊंचाई 5-7 फीट होने से ग्रामवासियों को कारित परेशानी

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 115 पाली-जोधपुर पर वर्तमान में फोरलाइन का कार्य चल रहा है। फोरलाइन के कार्य के दौरान सड़क की ऊंचाई 5-7 फीट तक बनाई जा रही है। साथ ही साथ, सड़क की चौड़ाई भी दोनों तरफ के फुटपाथों सहित बहुत ही अधिक बनाई जा रही है। इस रोड पर लाइट व हैवी ट्रैफिक भी बहुत अधिक है।

पाली से जोधपुर के मध्य और विशेषकर जोधपुर जिले की सरहद में ग्राम निम्बला, कांकाणी, मोगड़ा खुर्द, मोगड़ा कलां, कुड़ी, इत्यादि ग्राम इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आये हुए हैं। इन ग्रामवासियों की न केवल आबादी दोनों तरफ आई हुई है, बल्कि ग्रामवासियों की सुविधा के सार्वजनिक क्षेत्र के भवन यानी, सरकारी स्कूल, अस्पताल, इत्यादि भी सड़क के एक तरफ आये हुए हैं। ऐसी स्थिति में, ग्रामवासियों, छोटे-छोटे बच्चों एवं पशुधन को एक दिन में सड़क से दूसरी तरफ इस राष्ट्रीय राजमार्ग को पार करते हुए अनेकों बार आना

(श्री जोगाराम पटेल)

जाना पड़ रहा है, परन्तु इस राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊंचाई अत्यधिक बढ़ा देने, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर अण्डर-ग्राउण्ड पुल या फ्लाइओवर नहीं होने से इन ग्रामवासियों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। पशुधन व बच्चों का आना-जाना ही बंद हो रहा है।

ऐसी स्थिति में, इस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 115 पर उपरोक्त वर्णित समस्त ग्रामों में आवश्यकतानुसार अण्डर-ग्राउण्ड पुल पर्याप्त ऊंचाई व चौड़ाई के अथवा फ्लाईओवर बनाया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न होगा व जनता के साथ भारी अन्याय होगा।

अत: मेरा सदन व श्रीमान् के माध्यम से निवेदन है कि यह जन हित का अत्यन्त ज्वलंत मुद्दा है तथा ऐसी स्थिति में तुरन्त कार्यवाही कर जनता को राहत पहुंचाना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष: आपने पढ़ दिया, अलग से भाषण नहीं होगा।

श्री पूरण मल सैनी।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर लगी कानूनी रोक

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत राज एवं नगर निकायों में दो से अधिक संतान होने पर चुनाव लड़ने पर कानून बना कर रोक लगा रखी है। इससे राजस्थान के करोड़ों युवा, जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच है एवं जो राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़े हुए हैं एवं राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, सरकार द्वारा दो से अधिक संतान वाला अधिनियम लाकर उनके राजनीतिक भविष्य के साथ कुठाराघात किया गया है। जब एक व्यक्ति भारत की लोक सभा व राज्य की विधान सभा में दो से अधिक संतान होने पर भी सदस्य बन सकता है, तो फिर राजस्थान में पंचायत राज व नगर निकाय में सरपंच या पार्षद बन कर पंचायत व वार्ड का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकता है? साथ ही, इससे राज्य में भ्रूण हत्या को भी प्रोत्साहन मिला है।

अत: राज्य के करोड़ों युवाओं के राजनीतिक भविष्य को देखते हुए इस नियम को खतम किया जाय जिससे पंचायत राज व नगर निकाय में राजनीति करने वाले युवाओं को नेतृत्व करने का मौका मिल सके।

(श्री पूरणमल सैनी)

अत: सरकार से निवेदन है कि राज्य के करोड़ों युवाओं की भावनाओं को देखते हुए इस अधिनियम में संशोधन कर यह प्रतिबंध हटाने की अतिशीघ्र कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

लोक जुम्बिश व शिक्षाकर्मी परियोजना से जुडे अनुदेशकों (अध्यापकों) का राजकीय सेवा में समायोजन

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लोक जुम्बिश परियोजना व शिक्षाकर्मी परियोजना को सन् 1992 से प्रारम्भ किया था, जिसमें लोक जुम्बिश से जुड़े अनुदेशकों (अध्यापक) गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कार्य में 1992 से जून, 2004 तक अपनी सेवाएं दीं। उसके बाद यह परियोजना बंद हो गयी। लोक जुम्बिश से जुड़े कार्मिकों (कार्यकर्ता) को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर दिया गया लेकिन इस परियोजना से जुड़े अनुदेशक (अध्यापक) जिन्होंने 12 वर्षों से मात्र 400 से 1,000 रुपये मानदेय पर कार्य किया, में अब तक बेरोजगार घूम रहे हैं तथा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनमें कक्षा 12 से एम.ए. तक के अनुदेशकों ने अध्यापन का कार्य करवाया।

ये सन् 2005 में न्यायालय की शरण में गये और तीन साल बाद याचिका संख्या 333, सरस्वती देवी बनाम राजस्थान सरकार द्वारा अनुदेशकों के पक्ष में निर्णय 12.12.2008 को उन्हें बी.एस.टी.सी. करवाने का हुआ। सन् 2009 में प्रथम वर्ष बी.एस.टी.सी. हो गयी तथा द्वितीय वर्ष बी.एस.टी.सी. पत्राचार द्वारा 2012 में की, जिसमें पी.सी.पी. 14.9.2012 से 14.10.2012 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा दिनांक 17.10.2012 से 30.11.2012 तक क्रियात्मक कार्य किया। उसके पश्चात् द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर सभी अनुदेशक बेरोजगार घूम रहे हैं।

सभी अनुदेशक राजकीय सेवा के लिए आवश्यक अधिकतम आयु को प्राप्त कर चुके हैं। इस कारण से उनकी कहीं पर भी आवेदन करने की पात्रता भी समाप्त हो चुकी है। लेकिन आज दिनांक तक इन्हें कहीं भी समायोजित नहीं किया गया। किसी के भी पास रोजगार नहीं है।

अत: मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन

(श्री गोतम कुमार)

अनुदेशकों को राज्य सेवा में समायोजित किया जावे या नवीन पद सृजित कर नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

पीपलू उपखण्ड (निवाई) में अतिवृष्टि से फसलों को कारित नुकसान का मुआवजा

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई के पीपलू उपखण्ड क्षेत्र में दिनांक 26.2.2014 को ओलावृष्टि हुई थी। इस ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण सरसों, जीरा एवं गेहूं की फसलों को शत-प्रतिशत नुकसान हुआ। मैंने स्वयं भी दिनांक 1.3.2014 को पीपलू उपखण्ड के पटवारी एवं गिरदावरों के साथ नष्ट हुई फसलों का जायजा लिया, जिसमें सरसों की फसल पूर्णतया नष्ट हो चुकी थी। किन्तु ग्राम पंचायत डोडवाड़ी एवं इस पंचायत के ग्रामों एवं अतालिकापुरा के खसरा नं. 17, रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि, कुल रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा एवं सम्पूर्ण डोडवाड़ी पंचायत क्षेत्र को मुआवजे से वंचित रखा गया। पटवारी एवं गिरदावरों की जानबूझ कर की गयी लापरवाही के कारण किसानों को मुआवजे से वंचित रखा गया है। इस बाबत जिला कलक्टर, टोंक को भी अवगत कराया जा चुका है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से अनुरोध है कि इन किसानों को मुआवजा दिलाया जाय और दोषी पटवारी, गिरदावरों एवं सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

बिलाड़ा में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिलाड़ा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग-112 पर स्थित है तथा इस शहर से दो एस एच-62 व 90 तथा एक एम डी आर-90 गुजरती है

(श्री अर्जुन लाल)

तथा शहर की आबादी भी करीब 50,000 की है। नगरपालिका क्षेत्र होने के कारण 25 वार्ड, करीब 10 कालोनियां, 20 कच्ची बस्तियां, 30 ढाणियां एवं 2 गांव स्थित हैं। आये दिन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य मार्ग पर मोटर वाहनों एवं अन्य तरीके से दुर्घटनायें होने पर राजकीय मरुधर केसरी रेफरल चिकित्सालय, बिलाड़ा से प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त रोगी को जोधपुर रेफर कर दिया जाता है। ब्यावर से जोधपुर के बीच किसी प्रकार की दुर्घटना घटने पर रोगी के तुरन्त इलाज हेतु कोई ट्रोमा सेन्टर नहीं है, जिसके कारण दुर्घटना में घायल हुए लोगों की जानें चली जाती हैं। यही कारण है कि बिलाड़ा शहर में सैटेलाइट/ट्रोमा सेन्टर चिकित्सालय खोलने हेतु आम नागरिकों द्वारा मांग काफी वर्षों से की जा रही है। करीब 125 किलोमीटर, राष्ट्रीय राजमार्ग 112 बर से जोधपुर तक कोई ट्रोमा सेन्टर नहीं है।

गत सरकार ने बिलाड़ा शहर में ट्रोमा सेन्टर ना खोल कर, इसे जोधपुर शहर में सरदारपुरा विधान सभा क्षेत्र के पावटा में खोला, जबकि जोधपुर शहर में पहले से एम जी एच, एम डी एम, एम्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में कोई पहला ट्रोमा सेन्टर खोलने का प्रावधान रखें तो बिलाड़ा शहर में ही खोलें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में सरकारी कन्या महाविद्यालय खोला जाना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता के क्रम में, मैं सरकार का ध्यान सूरसागर विधान सभा क्षेत्र एवं संलग्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्तर पर उच्च शिक्षा की सुविधा के अभाव की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में 125 से अधिक कच्ची बस्तियां, आवासन मण्डल की दो बहुत बड़ी कालोनियां, जोधपुर विकास प्राधिकरण के योजना क्षेत्र और इसके द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान की अनेक निजी कालोनाइजर द्वारा विकसित कालोनियों का विशाल क्षेत्र और इसके अलावा, संलग्न एम्स रोड, जोधपुर-बाड़मेर एन एच (पाल रोड), जोधपुर-जैसलमेर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

एन.एच. (चौपासनी रोड), जोधपुर– जैसलमेर बाइपास से जुड़े समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 10 लाख की जनसंख्या के लिए वर्तमान में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है।

उक्त क्षेत्र में सरकारी और निजी स्तर पर वर्तमान में उच्च माध्यमिक स्तर के अनेक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। उच्च माध्यमिक स्तर से उत्तीर्ण होने वाले युवाओं, विशेषत: छात्राओं को वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए उक्त क्षेत्र में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। इस कारण 20 किलोमीटर दूर चैनपुरा स्थित राजकीय महाविद्यालय अथवा 15 किलोमीटर दूर विश्वविद्यालय के के.एन. हाल कैम्पस जाने की बाध्यता है। इतनी अधिक दूरी के कारण अनेक बालिकाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।

वर्तमान में महाविद्यालय में 480 एवं विश्वविद्यालय में 5,000 सीटें उपलब्ध हैं एवं इनके विरुद्ध कुल 17,000 प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सीमित सीटों के चलते क्षेत्र की युवाशक्ति के लिए उच्च शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा अभियान (RUSA) चलाया जा रहा है, जिसके तहत महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार एवं यू.जी.सी. इसके लिए विशेष योजनाएं एवं फण्ड भी उपलब्ध कराती हैं। चूंकि उक्त क्षेत्र खनन श्रमिकों, एस सी/एस टी, अल्पसंख्यक, ओ बी सी की सघन बाहुल्यता का क्षेत्र है, ऐसे में यदि समाज के इन कमजोर और वंचित वर्ग के लिए उच्च शिक्षा केन्द्र की आवश्यकता प्रतिपादित कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे, तो इस हेतु राशि का प्रावधान केन्द्र एवं राज्य की योजना से भी हो सकता है।

अत: मेरा निवेदन है कि उक्त समस्त क्षेत्र के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन परिवारों की बालिकाओं के लिए उनके निवास के अधिकतम-सम्भव निकट उच्च शिक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी कन्या महाविद्यालय खोला जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती गोलमा जी।

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप चाहें तो हम पढ़ा हुआ मान लें?

श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप मेरा यह पढ़ा हुआ मान लेना। क्षेत्र के लिए समस्या, यहां पढ़ा हुआ मान लेना। अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपका पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(श्रीमती गोलमा की पढ़ी मानी गयी नियम 295 के तहत सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं। माननीय किरोड़ीलाल जी, आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है, अपनी पैरवी खुद कर लेंगी। उनका पढ़ा हुआ मान लिया हमने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, डा. किरोड़ी लाल जी ने सदन के नियमों का उल्लघंन किया है; वे आसन के और माननीय गोलमा जी के बीच में आ गए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं आसन से भी क्षमा चाहता हूं और गोलमा जी से भी क्षमा चाहता हूं और अध्यक्ष जी, आपकी इस व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष: क्षमा मांग ली, यह है पत्नी का रौब। यह है पत्नी का रौब, मैं मान गया। एक मिनट में क्षमा मांगनी पड़ गई आपको।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपकी इस व्यवस्था के मैं खिलाफ हूं। बाकी के लोगों से तो आप पढ़वाएं..

श्री अध्यक्ष: वासुदेव जी देवनानी। बिराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, बाकी के लोगों से तो आप पढ़वाएं और गोलमा से नहीं पढ़वाए यह ठीक नहीं लग रहा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ थोडे ही मान सकते हैं साहब, आप पढ़वाये। इनको पढ़वायें। पढ़ा हुआ मान लिया।

अजमेर में खनिज उपलब्धतानुसार सेरेमिक टाइल्स उद्योग व जिंक स्मेल्टर की स्थापना

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए सेरेमिक टाइल्स उद्योग व जिंक स्मेल्टर की स्थापना किये जाने के संबंध में।

महोदय, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अजमेर आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। फाल्सपार, क्वार्टज व जिंक जैसे खनिज यहां पर प्रचुर मात्रा में

(श्री वासुदेव देवनानी)

उपलब्ध हैं, जिनका प्रचुर मात्रा में यहां खनन भी हो रहा है परन्तु इनसे सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई उद्योग यहां स्थापित नहीं होने से ना तो क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो पा रहा है और ना ही क्षेत्रवासियों को रोजगार के अपेक्षित अवसर मिल पा रहे हैं। अजमेर से फाल्सपार व क्वार्टज जैसे खनिज के सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आदि राज्यों में जाते हैं, जिनसे राजस्थान सरकार को मात्र खनिज रायल्टी ही प्राप्त होती है; जबकि वहां पर लगे उद्योग इससे करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाते हैं, जिसके कारण उन राज्यों का आर्थिक विकास होने के साथ ही वहां पर रोजगार सृजन भी हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, अजमेर में जिंक खनिज की प्रचुर उपलब्धता के कारण गत वर्षों में हिन्दुस्तान जिंक द्वारा भी यहां से जिंक खनन कर उसके शोधन हेतु अजमेर से बाहर भेजा जा रहा है। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ही हिन्दुस्तान जिंक को खनन हेतु अजमेर शहर के निकट कायड़ क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई थी। क्षेत्र से बड़े पैमाने पर जिंक खनन का कार्य प्रारम्भ होते ही क्षेत्रवासियों को यह उम्मीद जगी थी कि यहां पर जिंक स्मेल्टर की स्थापना भी होगी, परन्तु हिन्दुस्तान जिंक द्वारा अजमेर में जिंक स्मेल्टर की स्थापना की ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे यहां से बड़ी मात्रा में हो रहे जिंक खनन के बावजूद क्षेत्रवासियों को अपेक्षित रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

इस सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि अजमेर क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों को दृष्टिगत रखते हुए, यहां पर सेरेमिक टाइल्स उद्योग तथा जिंक स्मेल्टर की स्थापना कराये जाने की ओर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे, जिससे ना केवल क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा बल्कि क्षेत्रवासियों को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे, जो कि निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कल उन्होंने अपने बजट में सेरेमिक टाइल्स उद्योग की घोषणा भी कर दी है। अब कृपया जिंक स्मेल्टर की ओर गम्भीरता से विचार करें। धन्यवाद

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंहजी ।

जैसलमेर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जैसलमेर जिले में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, जैसलमेर जिला विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है, दूर-दूर तक ग्रामीण बसावट लिए हुए है। बड़े-बड़े कस्बों के मध्य भी कम से कम 70 से

(श्री छोटू सिंह)

100 किलोमीटर की दूरी है। जिले का एक छोर से दूसरे छोर के मध्य गांव की दूरी 300 किमी. से भी अधिक है। परन्तु चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर जिले का एक मात्र बड़ा कहा जाने वाला जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर शहर में स्थित है जहां की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है। पी एच सी केन्द्रों में चिकित्सक नहीं है। यहां तक कि आधे से अधिक ए एन एम के पद रिक्त हैं तथा सभी पंचायत मुख्यालयों पर भी ए एन एम की व्यवस्था नहीं है। पूरा जिला जवाहर चिकित्सालय के भरोसे है, परन्तु खेद है कि इस चिकित्सालय में भी स्थिति दयनीय है।

आजकल सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है परन्तु सामान्य सी दुर्घटना में मरीज को जोधपुर अथवा गुजरात रेफर होना पड़ता है। जिले का एक मात्र ट्रोमा सेन्टर बंद पड़ा है।

चिकित्सा अधिकारियों के 70 प्रतिशत से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। अस्थि रोग विशेषज्ञ का पद लम्बे समय से खाली पड़ा है। स्त्री व शिशु रोगों में जबरदस्त वृद्धि के बावजूद नाम मात्र के चिकित्सक उपलब्ध हैं। इस कारण महिलाओं व बच्चों की माकूल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। आपातकालीन शल्य चिकित्सा का भी कार्य नहीं हो पाता है। चिकित्सालय में दो शल्य चिकित्सा अधिकारी थे, जिनमें से एक रिटायर हो गये है और एक के पास पी एम ओ का चार्ज होने से वे पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं। इस कारण दुर्घटना के समय चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति भी समय पर निश्चित नहीं हो पाती है। फिजिशियन के पद भी रिक्त पड़े हैं। नाम मात्र फिजिशियन के भरोसे चिकित्सालय चल रहा है। ऐसी विकट परिस्थितियों में चिकित्सालय के हालात पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं जिससे मरीजों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय में टेक्नीशियानों के भी पद रिक्त पड़े हैं; मोर्चरी स्वीपर का पद भी रिक्त है; नर्सिंग कर्मियों के पद पहले से ही रिक्त चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में मरीजों को हर छोटी-मोटी समस्या के लिए जोधपुर या अहमदाबाद की राह पकड़नी पड़ रही है।

अत: सदन के माध्यम से मेरा चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध है कि प्राथमिक व्यवस्था के तौर पर जवाहर चिकित्सालय में स्त्री रोग, शल्य चिकित्सक, अस्थि रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की तुरन्त व्यवस्था करते हुए टैक्नीशियनों व नर्सिंग के पद भरे जाएं एवं शीघ्रातिशीघ्र ट्रोमा सेंटर तुरन्त चालू करवाया जावे तथा द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य-कर्मी एवं स्वास्थ्य उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से वक्तव्य देने हेतु मैं आमंत्रित कर रहा हूं, श्री मनोज कुमार। विद्यार्थी मित्रों को नियुक्ति से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

विद्यार्थी मित्रों को सेवाच्युत किया जाना

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2007-08 में माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की थी और इसी सरकार ने विद्यार्थी मित्रों का, जब पिछली सरकार के समय में उन्होंने अपना आंदोलन किया तो वर्तमान में माननीय वन मंत्री विराजमान हैं, इन्हीं मंत्रियों ने उन्हें आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको, संविदा कर्मचारियों को, विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर देंगे, उनका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन इस सरकार ने आने के तुरन्त बाद 24,163 विद्यार्थी मित्रों को सेवा से मुक्त कर दिया।

वे विद्यार्थी मित्र आज राजस्थान में जयपुर की विधान सभा के बाहर हजारों की तादाद में, इस सरकार के पास यह कहने के लिए आए हैं कि विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की, तो आज उन संविदा कर्मचारियों में कौनसी कमी आ गई और किस कारण से इस सरकार को उनको मजबूरन हटाने का काम करना पड़ा? सरकार ने जवाब भी दिया कि हमने उप-समिति का गठन कर रखा है, उस पर हम विचार कर रहे हैं।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब 7-8 में आप लोगों ने उनकी नियुक्ति की, विद्यार्थी मित्रों को लगाया उस समय आपकी समिति और सरकार ने कोई सोच समझकर निर्णय किया कि नहीं किया? और सरकार ने सोच समझकर निर्णय किया तो उप-समिति गठित हो गई, सत्र शुरू हो गया और विद्यार्थी मित्र आज सड़कों पर भटक रहे हैं। क्या सरकार का निर्णय, उप-समिति कितने दिन में करना चाह रही है? सरकार इस बात का जवाब दे। आपकी उप-समिति गठित किये हुए कितना समय हो गया। और विद्यार्थी मित्रों को आज तक संतोष-पूर्ण आप जवाब नहीं दे पायें, उनके बारे में विचार नहीं कर पायें कि उन विद्यार्थी मित्रों का क्या होगा।

राजस्थान में 1,113 ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में सिवाय विद्यार्थी मित्र के कोई अध्यापक नहीं है और वे विद्यालय आज बिना टीचर के, बिना

(श्री मनोज कुमार)

अध्यापक के बंद पड़े हैं और एक मानवता के नाते, एक छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्यार्थी मित्र बिना मानदेय आज भी उन विद्यालयों में अध्ययन करवा रहे हैं।

इस समस्या का सरकार से जवाब जानना चाहता हूं, सरकार इस बात के लिए यह निर्णय कर बताये कि उप-समिति आपका निर्णय कब तक कर देगी और कब तक हमारे इन विद्यार्थी मित्रों का, जो इनके साथ घोर अन्याय हो रहा है, जो जयपुर की सड़कों पर आज हजारों की संख्या में आए हुए हैं, उन लोगों के बारे में निर्णय कब तक सरकार करेगी? उस समिति के बारे में मैं जवाब जानना चाहता हूं, जवाब मिले कि इन विद्यार्थी मित्रों को, जो आज बाहर सड़क पर लाठियां खाने के लिए बैठे हैं, सरकार जवाब दे कि उप-समिति उनका निर्णय कब तक कर देगी?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण इश्यू है। दो मिनट जवाब दे दें माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह जो मामला है, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, वह बड़ा गम्भीर है। 20-22 हजार लोगों से सम्बन्धित है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: रेस्पांड कर रहे हैं? माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप खुद बोल रहे थे पिछली सरकार के समय। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने भी वेल में नारे लगाये थे पिछली बार। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): लाठी बरसा रहे हैं। यह आपने खुद ने कहा था, आज आप बदल गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विद्यार्थी मित्रों को नियमित करो, यह कहा था आपने। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने खुद ने कहा था। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह कौनसा तरीका हुआ?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप स्थिति स्पष्ट करें। 20 हजार विद्यार्थी मित्र रोड पर खड़े हैं, दो दिन से जयपुर में बैठे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंत्रीजी गुस्से से बैठ गये। मंत्रीजी नाराज मत हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया मंत्रीजी को बोलने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 20 हजार बेरोजगार विद्यार्थी बैठे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं जवाब दे रहा हूं, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं क्षमा चाहता हूं, एक तीसरी पर्ची है, गोविन्द सिंहजी डोटासरा की है। उन्होंने भी इसी विषय पर बोलने के लिए पर्ची दी है। मैं चाहूंगा कि आप अपना विचार भी रख दें तो दोनों का जवाब एक साथ ही मंत्रीजी दे देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा विषय चल रहा है, विद्यार्थी मित्र योजना इन्होंने चालू की, 24 हजार से 25 हजार के बीच में विद्यार्थी मित्र काम कर रहे थे, हमारी इस सरकार ने, गहलोत सरकार ने इनका भत्ता भी बढ़ाया, मानदेय भी बढ़ाया। आज यही सरकार न तो थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की, नौ महीनों से परीक्षा जो हुई है, उनका रिजल्ट निकाल रही है, न सेकण्ड ग्रेड का रिजल्ट निकाल रही है और इन विद्यार्थी मित्रों को, 01 जुलाई से जब विद्यालय खुल गए हैं, तो ये स्कूलों के बाहर बेरोजगार भटक रहे हैं।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इसी विधान सभा के सत्र में, पिछले विधान सभा काल में माननीय श्री गुलाब चन्द जी कटारिया साहब, जो आज पंचायती राज मंत्री हैं, इन्होंने इन्हीं विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बात कही थी कि ''मैं केवल भाषण के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपनी अन्त: पीड़ा से बोल रहा हूं। चार-चार हजार रुपए की नौकरी करके क्या कोई विद्यार्थी मित्र अपने बच्चों को दूध पिला सकता है? उसके पीछे की पीड़ा को आप समझते हों? वह एक किराये के मकान में कैसे रहता है? कैसे जीवन गुजारता है? शादी हो गई, बाल-बच्चे होंगे। आप सलेक्शन करते नहीं। शिक्षकों के 80 हजार पद खाली हैं।'' यह तो माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया साहब ने कहा और जो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने 27 मार्च, 2012 को इसी हाउस में, 27.3.2012 को ...(व्यवधान) यह कोई बात नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं पर्ची पर बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन ये थोड़े ही डिक्टेट करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 269 की ओर दिलाना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि ''ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेगा जिसका सदन की कार्यवाही से सम्बन्ध नहीं हो....''(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष: आपका औचित्य प्रश्न स्वीकार। वे अब अख़बार से नहीं देंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अख़बार से नहीं पढ़ रहा हूं, सर, मैं। यह जो राजस्थान विधान सभा की प्रोसीडिंग्स हैं, उस प्रोसीडिंग्स को पढ़ रहा हूं कि वर्तमान मंत्री, कालीचरण जी सराफ ने ...(व्यवधान) 27 मार्च, 2012 को यह बोला था कि ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): प्रोसीडिंग्स नहीं हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। आप टेबल करवा लें। आप टेबल करवा लें, माननीय अध्यक्ष महोदय। आप टेबल करवा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन है ...(व्यवधान)... आसन को गुमराह नहीं करें। (व्यवधान) हमारी मांग है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसको टेबल करवाएं। मेरी मांग है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको टेबल करवाएं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कालीचरण जी सराफ ने बोला था, वही बोल रहा हूं मैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वरना यह परम्परा बन जाएगी, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरी प्रार्थना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टेबल करवाओ। सदन की कार्यवाही पढ़ रहे हैं तो टेबल तो करवाओ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे कान भी हैं, मेरे आंख भी हैं, मैं सुन सकता भी हूं। इनसे कम उम्र में हूं। यह डिस्र्टब नहीं करें, वरना हम भी नहीं बोलने देंगे आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): टेबल करवाओ न। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह कहा था कि विद्यार्थी मित्रों पर लाठियां बरसाना सरकार की संवेदनहीनता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इन्होंने जो सरासर नियमों का उल्लंघन किया था, आज वे ही मंत्री महोदय, जब वे सदस्य की हैसियत से इधर बैठते थे, सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन करते थे। आज नियमों की दुहाई दे रहे हैं यहां पर बैठकर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विद्यार्थी मित्रों पर लाठियां बरसना सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे विद्यार्थी मित्रों पर आधी रात को लाठियां बरसा कर इस सरकार ने अन्याय किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां पर ही बोले थे, साहब। हाउस में ही बोले थे। सरकार उनकी मांगों को, जायज मांगों को नहीं मानकर उनके साथ अन्याय कर रही है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पंचायती राज मंत्रीजी ने कल बोला था, इन्होंने कहा कि कमेटी में है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं, विद्यार्थी मित्रों की मांग जायज है। यह मंत्रीजी कह दें कि मैंने नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, रेस्पांड कीजिए। अब विराजिए, हो गया, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक मिनट में मेरी बात तो समाप्त करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरा विषय आ गया। बैठो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बात तो समाप्त करूं? इसलिए इन...

श्री अध्यक्ष: पूरा विषय आ गया। सचेतक महोदय, क्या बात है? पूरा विषय आ गया। इस पर उत्तर दे रहे हैं वे। सारी स्थिति साफ हो जाएगी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वर्ष 2005-06 से विद्यार्थी मित्र योजना हमारे शासन काल में हमने लागू की। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2009, 15.05.2009 एवं खंडपीठ के निर्णय दिनांक 07.12.2010 में विद्यार्थी मित्रों के लिए यह निर्णय दिया गया था कि उन्हें शिक्षकों के रिक्त पदों पर आर.पी.एस.सी. या डी.पी.सी. से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक रखें और यदि उन्हें हटाया जाता है तो लास्ट-कम-फर्स्ट-गो के सिद्धांत के आधार पर उनको हटाया जाए।

विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण सत्र 2013-14 तक विद्यार्थी मित्र कार्यरत थे। विद्यार्थी मित्रों द्वारा, सरकार द्वारा नहीं, विद्यार्थी मित्रों द्वारा माननीय हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई कि उन्हें प्रत्येक सत्र के अंत में नहीं हटाकर, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक लगातार रखा जाए। दिनांक 21.10.2013 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय पारित कर विद्यार्थी मित्र योजना को अवैध एव असंवैधानिक घोषित कर दिया, हाई कोर्ट ने, एवं राज्य सरकार को विद्यार्थी मित्रों को आगे नहीं रखने के निर्देश दिए।

परन्तु, क्योंकि यह सरकार संवेदनशील है। इनकी जैसे संवेदनहीन नहीं

(श्री कालीचरण सराफ)

है, इसलिए ...(व्यवधान) सुनो-सुनो, बात सुन लो पूरी। माननीय उच्च न्यायालय के भिन्न-भिन्न जो अभिमत आये हैं, पहले तो निर्णय 2010 में क्या दिया और फिर 2013 में क्या दिया, उसकी विधि विभाग और महाधिवक्ता से राय ली जा रही है। उनकी राय आने के बाद, कि इस निर्णय के बाद भी हम क्या इन विद्यार्थी मित्रों को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते; जो भी निर्णय वे देंगे, जो भी राय देंगे, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नौ महीने में राय नहीं ली क्या इन्होंने? ला सैक्रेटरी और इनसे राय नहीं ली क्या?

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब आज क्या कर रहे हो, वह बताओ न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह बताओ कि क्या सरकार एस.एल.पी. में जाएगी?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): चुनाव रथ यात्रा में विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की बात बी.जे.पी. के नेता ने की थी, कई जगह पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बात आ गई। नहीं, अब और नहीं। इसमें सवाल-जवाब नहीं होते हैं। इसमें सवाल-जवाब नहीं होते हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): और जहां तक यह कह रहे हैं कि साहब, रिक्त पद हैं, इनका क्या करोगे? तो आपको मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि आज कई विद्यालय तो ऐसे हैं कि जहां पर शिक्षक हैं पर छात्र नहीं हैं और कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं हैं। यह जो पांच साल में शैक्षणिक अराजकता का वातावरण ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्या किया? आप तो दिसम्बर में ही आ गये थे। उसके बाद में क्या किया? (व्यवधान) आप नौ महीनों में क्या कर रहे थे? यही-यही गाते रहोगे क्या कि पांच साल यह कर दिया, पांच साल यह कर दिया? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आप बोले तब मैं बोला क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कर क्या रहे हैं, वह बताओ। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हो क्या रहा है, साहब, यह?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अपनी बात बताओ। ऐसे घूमा-घूमाकर बात मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बताना पड़ेगा, नौ महीने हो गये सरकार बने। इन्होंने विद्यार्थी मित्रों का क्या किया और नौकरियों का क्या किया? बताना पड़ेगा आपको।

(13.00 बजे)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इन्होंने जो शैक्षणिक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में पांच साल में निर्मित किया, उसको ठीक करने के लिये कम से कम एक साल लगेगा। हम समानीकरण, शिक्षक और छात्र का अनुपात निर्धारित कर रहे हैं। उसके आधार पर जहां शिक्षक नहीं हैं, वहां शिक्षक भी लगायेंगे और जहां छात्र नहीं हैं....(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह पूछ ही नहीं रहे हैं, हम समानीकरण की पूछ ही नहीं रहे हैं, हम विद्यार्थी मित्रों की पूछ रहे हैं। हम समानीकरण की बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर बहस नहीं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पांच साल में अराजकता का वातावरण निर्मित किया है, उसको ठीक करने के लिये एक साल लगेगा, लगेगा, लगेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिना परमिशन के बोलें, उनका अंकित नहीं होगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बोल चुके, इसमें बार-बार बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने इजाजत नहीं दी है। बार-बार आप पंचायत मत कीजिये। लालसोट से आने वाले माननीय विधायक, बार-बार आप पंचायत मत कीजिये, वरना आपकी भावना महत्वहीन हों जायेगी। आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय मानिक जी, आप वरिष्ठ है, इसमें बहस की इजाजत नहीं देता मैं। पर्ची के माध्यम से उठाने वाला व्यक्ति अपना वक्तव्य देगा। यदि किसी ने रेस्पांड किया है...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप मेरा निवेदन तो सुनें। हम 295 पर बहस नहीं कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है, जो आवश्यक नहीं था, फिर भी उन्होंने वक्तव्य दिया है, मैं उससे सम्बन्धित बात मंत्रीजी को कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप बिराजिये। आप विस्तार से बोलिये, कल आपको बोलने का पूरा मौका देंगे। विराजिये आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कल बोलूंगा ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो परसों बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिये। हां, परसों बोलना, परसों मौका देंगे आपको।

श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित, आप बोलिये।

राज्य में गो-वंश की तस्करी की रोकथाम

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गो-वंश की तस्करी, यह इस प्रदेश के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो हमारी सरकार को और हमारी मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे सिंधिया जी को यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में यह पहली सरकार है जिसने गायों की संरक्षण व्यवस्था के लिए एक गोपालन मंत्रालय की योजना बनाई है और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं, इसके लिये तो धन्यवाद। पर इसके बाद गो-वंश की तस्करी, यह हमारे राज्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी गो-वंश का संरक्षण रहा है, या उसको कहीं न कहीं कृषि कार्य की सुविधा में लिया है, तो उस इलाके का उद्धार हुआ है। गायें इस देश की भावनाओं से जुड़ी हैं, इस देश की संस्कृति और सभ्यता से जुडी हैं। युगों-युगों से, महाभारत के अन्दर कृष्ण गौ-सेवा करते थे, गौ-पालन उस समय हुआ करता था और उस समय देश का नौनिहाल चित्र हुआ करता था, विश्व का जगत गुरु हुआ करता था।

आज यह दुर्भाग्यपूर्ण जो स्थिति बनी है, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि गो-वंश की तस्करी पर बार-बार आन्दोलन होते हैं और गो-भक्त कहीं न कहीं आन्दोलन के लिये भिड़ते हैं, पुलिस और गो-भक्त आमने-सामने होते हैं। यह स्थिति पैदा न हो, इसके लिये, इस तस्करी के अन्दर जो कुछ भी काम होता है, कठोर नियम बनें। इसके लिये आज मैंने यह निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो गो-वंश की तस्करी में उपयोग में आने वाला जो वाहन है, जो ट्रक है, मैंने 2003 में यह कहा था कि मंडार थाने के अन्दर एक ही ट्रक, गोवंश की तस्करी में उपयोग में आने वाला ट्रक है, एक ही ट्रक एक महीने में तीन बार पकड़ा गया और वह जमानत पर छूट

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

गया। अब वह जमानत लेकर, पैसे ले-देकर छोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चीज को रोकने के लिये कोई न कोई कठोर कानून बनाना पड़ेगा। आबकारी नियमों में, मादक पदार्थों की तस्करी में, शराब की तस्करी में जो वाहन उपयोग में आते हैं, उन वाहनों को, वाहन के मालिक को 54 (ए) के अन्दर आबकारी नियम में गिरफ्तार किया जाता है और 69 के अन्दर वाहन को जब्त किया जाता है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह नियम, जो आबकारी के अन्दर मालिक को गिरफ्तार किया जाता है और आबकारी नियम के तहत उस वाहन को जब्त किया जाता है, इससे वाहन को जब्त होने में एक भय बन जायेगा और गो-वंश की तस्करी में कहीं न कहीं रोकथाम आयेगी। इसलिये उस वाहन को भी जब्त किया जाये।

यह एक नियम बनाया जाये, तो इस नियम में और हमारे हिन्दुस्तान में यह पहला राज्य होगा, अगर यह नियम बनाया जायेगा। गोवंश की तस्करी, आज अन्तरराज्यीय जो भी हमारी सीमाएं हैं, गुजरात के माध्यम से बाहर जाता है, मुम्बई की तरफ जाता है और कत्लखानों में जाता है। रोज हजारों-हजारों गोवंश कत्लखानों में जाता है। अब उसको रोकने के लिये, एक तो अन्तरराज्यीय सीमाओं पर जो भी पुलिस बोर्डर हैं, उनमें अच्छे अधिकारी लगाये जायें और यह नियम इतना कठोर बनाया जाये। मैं आज आपको यह दावे के साथ कहता हूं, राजस्थान हिन्दुस्तान में पहला राज्य होगा, अगर यह कदम लिया जायेगा; आबकारी नियमों की तर्ज पर उस वाहन को जब्त करने का यह पहला राज्य होगा, जो गोवंश की तस्करी में रोका जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आखिर इस चीज को रोकने के लिये कोई न कोई पंचायत स्तर पर भी कठम उठाना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, आपके माध्यम से, पंचायत राज मंत्रीजी बहुत ही भावुक हैं और वह हमेशा दिल से बोलते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हम भी एक ऐसा नियम, और प्रभुलालजी, माननीय कृषि मंत्री, दोनों इस विषय को देखें कि कहीं न कहीं पंचायतों में निराश्रित गोवंश, अनाश्रित गोवंश, जो कत्लखाने को जाता है, गोचर की भूमि में गौशालाओं के लिये एक जमीन आरक्षित की जाये। अनेक सामाजिक संस्थाएं वहां पर गौशालाएं चला सकती हैं। तो गांवों में पंचायत

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

लेवल पर एक गौशाला के लिये भी हमें जमीन आरक्षित करने की संभावना बनानी चाहिये और रखना चाहिये। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कैलाश चन्द भंसाली।

आप कुछ बोलेंगे? माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा विषय है। मेरे सांचौर में दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है, 50 हजार गऊ हैं। पिछली सरकार ने अप्रैल, मई और जून, तीन महीनों का अनुदान देने की बात कही थी। इस साल अनुदान नहीं मिला है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, इनके साथ अनुदान की घोषणा करें ताकि उन बेसहारा पशुओं को चारा मिल सके।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो गो-वंश के बारे में सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने पीड़ा जाहिर की, इस पार्टी के पिछले चुनाव के घोषणा पत्र में ही हमने इन दोनों विषयों को समाहित किया था कि हम इसका अलग से मंत्रालय बनायेंगे, जो हमने घोषणा कर दी। इसके साथ ही कहा कि जो आज की तारीख में कानून है, इस कानून के प्रारूप में जहां आवश्यक समझेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे। वह प्रक्रिया भी है। जब वह फाइनल स्टेज पर आयेगा, तब आपके सामने उसका प्रारूप आयेगा। लेकिन निश्चित रूप से सरकार इस बारे में चिन्तित है कि इसको किस तरह से रोका जा सके और किस तरह से इसको कम किया जा सके।

माननीय सदस्य ने बीच में ही कहा, अनुदान के बारे में; एकदम में, तुरन्त आपको किसी विषय के बारे में बताने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं, सदन की मेज पर रखे जाने वाली। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

क्षमा करें, क्षमा करें। मैंने कैलाश जी भंसाली का नाम पुकारा था, फिर वह थोड़ा मंत्रीजी आ गये। कैलाश जी भंसाली हैं? आप अपनी बात पर्ची के माध्यम से उठाइये।

जोधपुर शहर की सड़कों की बदतर स्थिति

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): मान्यवर अध्यक्ष जी, जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र से आ रहा हूं। पिछले 6 महीनों में जितनी सड़कों की दुर्गति हुई है, कांग्रेस सरकार ने साढ़े 800 करोड़ के ऋण जे डी ए पर कर दिये, परन्तु काम सब बकाया हैं। सी.बी.एस.पी. से इन्क्वायरी हो रही है। मेरी मांग है कि अपने भारतीय संस्थान के द्वारा इसकी इन्क्वायरी करवाई जाये और दोषी व्यक्तियों को दंड दिया जाये। सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं और अभी यू.डी.एच. सेक्रेटरी जब वहां पधारे थे तो उन्होंने भी कहा था।

जोधपुर की खस्ता हाल सड़कें तथा सीवर लाइन के लिए की गई खुदाई में 6-6 इंच और 12-12 इंच के खड्डे हो गये हैं। एक प्रसूता महिला की आटोरिक्शा में डिलीवरी हो गयी। ऐसी शर्मनाक बात हुई।

मेरा निवेदन है कि जोधपुर की 20 सड़कें, जो मुख्य सड़कें हैं, जो जे.डी.ए. या नगर निगम द्वारा कार्य अधूरा पड़ा है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए क्योंकि आम आदमी बहुत परेशान है। स्कूटर पर चलना मुश्किल हो रहा है। आटो-रिक्शा और कार वाले यह कहते हैं कि हमारे टायर इतने घिस गये हैं, खड्डे के कारण। तो इसको तुरन्त संभाला जाए, नहीं तो बड़ा असंतोष है। रोज चक्का जाम, सड़क रोकना, आम बात हो गयी है और जनता में बहुत अधिक असंतोष फैल रहा है।

हमने सुराज संकल्प यात्रा में यह वचन दिया था कि जोधपुर शहर का पूरा विकास किया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक आम सभा में हमें कहा था कि जो इतनी बढ़िया सड़कें थीं, जोधपुर का गौरव पथ राजस्थान में प्रसिद्ध हुआ था, वह आज किस हालत में आ गया है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जे.डी.ए. को कम से कम 500 करोड़ रुपये तथा नगर निगमों को 200 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान देकर इस समस्या का समाधान सम्भावित है। आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा मंत्री, वित्त विभाग की अधिसूचनाएं रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपकी अनुमति से मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न 82 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-82 दिनांक 3.1.2014, जिसके द्वारा धारा-90-ए के अन्तर्गत नियमितीकरण के पश्चात् जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है;

2. अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-83 दिनांक 3.1.2014, जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा जारी लीज डीड का समयावधि में पंजीयन नहीं होने की स्थिति में स्थानीय निकायों से पुन: वैध व पुन: निष्पादित करवाकर प्रस्तुत करने पर स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है;

3. अधिसूचना संख्या : एफ.2(60)वित्त/कर/12-84 दिनांक 3.1.2014, जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा आबंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति पर निष्पादित विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गई है;

4. अधिसूचना संख्या : एफ.2(70)वित्त/कर/12-85 दिनांक 3.1.2014, जिसके द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा या नियमितीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

5. अधिसूचना संख्या : एफ.2(19)वित्त/कर/2007-86 दिनांक 3.1.2014, जिसके द्वारा अमुद्रांकित, अपंजीकृत इंटरमिडीयरी दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी सशर्त निर्धारित की गई है;

6. अधिसूचना संख्या : एफ.12(101)वित्त/कर/2011-87 दिनांक 9.1.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(101)वित्त/कर/2011-59 दिनांक 13.8.2013 में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 1.10.2013 से प्रभावी होगी;

7. अधिसूचना संख्या : एफ.2(88)वित्त/कर/2010-88 दिनांक 22.1.2014, जिसके द्वारा मैसर्स हाइटेक प्रसीसन ग्लास लिमिटेड का मैसर्स राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में अमलगमेशन आदेश पर देय स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है;

8. अधिसूचना संख्या: एफ.2(17)वित्त/कर/2010-89 दिनांक 11.2.2014,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-73 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-90 दिनांक 11.2.2014, जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या : एफ.2(75)वित्त/कर/12/91 दिनांक 31.3.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.2(75)वित्त/कर/12-79 दिनांक 21.11.2012 को विखण्डित किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या : एफ.12(161)वित्त/कर/09-1 दिनांक 2.6.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक : एफ.12(18)वित्त/कर/07-45 दिनांक 18.8.2008 को अतिष्ठित किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-2 दिनांक 2.6.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-24 दिनांक 29.5.2013 एवं अधिसूचना क्रमांक: एफ.2(17)वित्त/कर/10-73 दिनांक 4.10.2013 के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या : एफ.2(17)वित्त/कर/10-3 दिनांक 2.6.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-25 दिनांक 29.5.2013 एवं अधिसूचना क्रमांक : एफ.2(17)वित्त/कर/2010-74 दिनांक 4.10.2013 के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या : एफ.12(94)वित्त/कर/2007-4 दिनांक 13.6.2014, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या : एफ.12(34)वित्त/कर/2010-05 दिनांक 13.6.2014, जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8 की उप धारा-3 के अन्तर्गत बिटुमिन इमल्सन एवं माडिफाइड बिटुमन के विक्रय पर 5 प्रतिशत से अधिक कर को दिनांक 1.4.2014 से 31.7.2014 तक छूट प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या : एफ.12(72)वित्त/कर/2012-06 दिनांक 20.6.2014,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसके द्वारा मैसर्स रामको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा राज्य में प्लाण्ट स्थापित करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

17. अधिसूचना संख्या : एफ.12(52)वित्त/कर/2012-07 दिनांक 20.6.2014, जिसके द्वारा मैसर्स बाश लिमिटेड द्वारा विद्यमान प्लाण्ट के विस्तारीकरण हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

18. अधिसूचना संख्या : एफ.12(26)वित्त/कर/2012-08 दिनांक 24.6.2014, जिसके द्वारा मैसर्स जे.सी.बी. इण्डिया लिमिटेड द्वारा राज्य में प्लाण्ट स्थापित करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

19. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-9 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट नियम, 2006 में कतिपय संशोधन किये गये हैं;

20. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-10 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

21. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-11 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

22. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-12 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा एवियेशन टरबाइन ईंधन पर संदेय कर पर निर्धारित शर्तों पर छूट प्रदान की गई है;

23. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-13 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

24. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-14 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-V का प्रतिस्थापन किया गया है;

25. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-15 दिनांक 14.7.2014,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

26. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-16 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-37 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या : एफ. 4(15)वित्त/कर/2014-17 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-39 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

28. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा कुछ श्रेणी के व्यवहारियों द्वारा कर की एवज में एकमुश्त भुगतान करने के सम्बन्ध में धारा-5, सहपठित नियम-5 के तहत अधिसूचना जारी की गई है;

29. अधिसूचना संख्या : एफ. 4(15)वित्त/कर/2014-19 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 5 के अन्तर्गत पूर्व में जारी 06 अधिसूचनाओं को वापस लिया गया है;

30. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-20 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-46 दिनांक 30.7.2009 को विखण्डित किया गया है;

31. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-21 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत मार्बल ग्रेनाईट पर कर दर निर्धारित की गई है;

32. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-22 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या : एफ.12(22)एफडी/टैक्स/2010-87 दिनांक 9.3.2010 को विखण्डित किया गया है;

33. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-23 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्तर्गत कर की एवज में शुल्क जमा कराने पर ठेकेदारों को कर छूट प्रदान की गई है;

34. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-24 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)एफडी/टैक्स/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

35. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-25 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा 51-ए के अन्तर्गत आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वेवर के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है;

36. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-26 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा-55-ए अन्तर्गत ब्याज दर निर्धारित की गई है;

37. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-27 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-78 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है;

38. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-28 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

39. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-29 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(99)एफडी/टैक्स/07-66 दिनांक 14.2.2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

40. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-30 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-79 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है;

41. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-31 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;

42. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-32 दिनांक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-3(1) के अन्तर्गत कर दर निर्धारित की गई है;

43. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-33 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत वैट के भुगतान किये जाने पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है;

44. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-34 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(14)एफडी/टैक्स/2006-136 दिनांक 8.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

45. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-35 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पवन चक्कियों के निर्माताओं को कर छूट प्रदान की गई है;

46. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-36 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-81 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है;

47. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-37 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान विलासिता कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है;

48. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-38 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)एफडी/टैक्स/2009-29 दिनांक 8.7.2009 को अतिष्ठित कर होटलों के कर की दर निर्धारित की गई है;

49. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-39 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा हैरिटेज होटल, पर्यटन विभाग से अधिस्वीकृत पेईंग गेस्ट हाउस को कर से छूट प्रदान की गई है;

50. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-40 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा माउन्ट आबू में आफ-सीजन के लिये होटल वालों को विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

51. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-41 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.10(14)एफडी/टैक्स/97 पार्ट-134 दिनांक 4.12.2004 को अतिष्ठित कर माउन्ट आबू क्षेत्र को छोड़ आफ-सीजन के लिये होटलों को विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है;

52. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-42 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(27)एफडी/टैक्स/2013-80 दिनांक 31.12.2013 विखण्डित की गई है;

53. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-43 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

54. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-44 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-149 दिनांक 9.3.2011 विखण्डित की गई है;

55. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-45 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/12-121 दिनांक 26.3.2012 में संशोधन किया गया है;

56. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-46 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)एफडी/टैक्स/2008-88 दिनांक 25.2.2008 को अतिष्ठित कर सिनेमा हाल या मल्टीप्लेक्स, विडियो गेम पार्लर की कर दर अधिसूचित की गई है;

57. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-47 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा डी टी एच सेवाओं के लिये कर दर निर्धारित की गई है;

58. अधिसूचना संख्या : एफ.12(59)वित्त/कर/2014-48 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत कर में छूट प्रदान की गई है;

59. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-49 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

धारा-9(1) के अन्तर्गत डवलपर एग्रीमेन्ट पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

60. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-50 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

61. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-51 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत कम्पनियों के अमलगमेशन/डीमर्जर/पुनर्गठन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है;

62. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-52 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत खनन लीजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों में संशोधन किया गया है;

63. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-53 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत मध्यवर्ती, अमुद्रांकित एवं अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

64. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-54 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की भूमि के सम्बन्ध में जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

65. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-55 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के नियमन के पश्चात् जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

66. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-56 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत 10 वर्ष तक के किरायेनामे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

67. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-57 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत बहुमंजिला भवनों में 3 वर्ष की अवधि में फ्लैट्स के पुन: विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

68. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-58 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत महिलाओं के पक्ष में निष्पादित कन्वेंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

69. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-59 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत नि:शक्तजनों के पक्ष में निष्पादित कन्वेंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

70. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-60 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अन्तर्गत आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में संशोधन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

71. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-61 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

72. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-62 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (4) के तहत भूमि की दरें पुन: अवधारित की गई हैं;

73. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-63 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (4) के तहत विभिन्न श्रेणी की भूमियों की बाजार दर पुनर्निर्धारित की गई है;

74. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-64 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (1) के खण्ड (सी) के तहत निर्मित भाग की बाजार दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

75. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-65 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (1) के खण्ड (डी) के तहत बहुमंजिला भवनों के तहत भूमि के मूल्यांकन के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

76. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-66 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा-78 की उपधारा (2) के तहत अचल सम्पत्ति के बेचान का अधिकार देने वाली बिना प्रतिफल की पावर आफ अटार्नी पर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत व अधिकतम 50 हजार रुपये से घटाकर 1 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किया गया है;

77. अधिसूचना संख्या : एफ.4(15)वित्त/कर/2014-67 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 (भाग प्रथम) में संशोधन किया गया है;

78. अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./95/13आर दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा दो पहिया यानों और चार पहिया यानों के लिये देय एक बारीय कर की दर निर्धारित की गई है;

79. अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./95/22सी दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा हल्के माल यान (7.5 टन सकल यान भार तक), मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के लिये देय एकमुश्त कर की दरों में संशोधन किया गया है;

80. अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./09/24सी दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा डीजल चालित कारों के लिये देय ग्रीन टैक्स की दरों का निर्धारण किया गया है;

81. अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./95-1 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है; एवं

82. अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/मु./95-2 दिनांक 14.7.2014, जिसके द्वारा हल्के माल यान, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के लिये देय एकमुश्त कर जमा कराना अनिवार्य किया गया है।

श्री अध्यक्ष: आबकारी विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

आबकारी विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सूची में उल्लेख की गयी आबकारी विभाग की निम्न सात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (क्लोजर आफ कन्ट्री लीकर शाप बाई लोकल आप्शन) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.4(62)एफडी/एक्सा/96 दिनांक 31.3.1997 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा-71 की उपधारा-2 के अन्तर्गत देशी मदिरा समूह के अनुज्ञाधारियों को मासिक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज रकम की किश्त की पूर्ति में प्रति उठाई जाने वाली देशी मदिरा की मात्रा में 110 प्रतिशत से आधिक्य में जारी की गई देशी मदिरा की मात्रा पर आबकारी शुल्क के 10 प्रतिशत संदाय से छूट प्रदान की गई है;

4- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014, जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 1.4.2014, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (ग्रांट आफ रेस्टोरेन्ट, बार लाइसेंसेज) नियम, 2004, में संशोधन किया गया है; एवं

7- अधिसूचना संख्या : प.4(1)वित्त/आब/2014 पार्ट-II दिनांक 16.5.2014, जिसके द्वारा राजस्थान एक्साइज (क्लोजर आफ कन्ट्री लीकर शाप बाई लोकल आप्शन) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचन्द कटारिया।

पंचायती राज विभाग

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या : एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पंरावि/2014/510 दिनांक 2.6.2014, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-9, 10 एवं 101 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर्स एवं सम्भागीय आयुक्तों को कतिपय शक्तियां प्रदान की गई हैं एवं कार्य निष्पादन हेतु उन्हें अधिकृत किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री जोगाराम पटेल।

याचिका

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, अनुसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित तीन याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

लूणी व जोधपुर में अनियमित विद्युत आपूर्ति व ढाणियों में विद्युत सम्बन्ध

(1) जोधपुर जिले में विशेषकर विधान सभा क्षेत्र लूणी में बिजली सप्लाई में भारी अनियमितता, ट्रिप होने व ढाणियों में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में;

लूणी के कतिपय शहरी व ग्रामीण पंचायती क्षेत्रों में सुचारू पेयजल व्यवस्था

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी के शहरी क्षेत्र नान्दड़ा कलां, झालामण्ड, सांगरिया पाल, बोरानाड़ा एवं चौखा, इत्यादि ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर के शहरी खण्ड के साथ जोड़कर पेयजल व्यवस्था सुव्यवस्थित करने बाबत्; व

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु भू-आबंटन व ग्राम पंचायतों के निकट पट्टा जारी करने के अधिकार की ग्राम पंचायतों को प्रदायगी

(3) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि आबंटन करने व ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से 500 मीटर की परिधि में ग्राम पंचायतों को पट्टा, इत्यादि जारी करने का अधिकार देने बाबत।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी। श्री युनुस खान।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

यातायात विभाग

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, अधिसूचना संख्या : एफ.6(96)परि/कर/मु./10/46997-700 दिनांक 28.4.2014, जिसके द्वारा अजमेर आने-जाने वाली अन्य राज्यों की बसों को दिनांक 29.4.2014 से 12.05.2014 तक देय कर की 3,500/- रुपये से अधिक कर राशि में छूट प्रदान की गई है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ जी, आप याचिका उपस्थापित कीजिए।

याचिका

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

जिला उद्योग उपकेन्द्र, किशनगढ़ (अजमेर) का क्रमोन्नयन

(1) जिला उद्योग उपकेन्द्र, किशनगढ़ (अजमेर) को क्रमोन्नत कर जिला केन्द्र बनाने बाबत, व

राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) में बड़े डीप फ्रीजर एवं सुविधायुक्त चीरघर

(2) राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय, किशनगढ़ (अजमेर) में बड़े डीप फ्रीजर एवं सुविधायुक्त चीरघर हेतु आवश्यक बजट का आबंटन करने बाबत।

घोषणा

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक गण, अब हम प्रारम्भ करेंगे परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 पर वाद-विवाद।

इसमें मैं आपके सामने जो विभिन्न पार्टियों को समय दिया गया है,

(श्री अध्यक्ष)

उसकी आपके सामने घोषणा करता हूं और इसलिए घोषणा करता हूं कि हमको आज हो गया 15; 16 और 17; ये दिन तो पूरे हैं, फिर 18 को जवाब होगा। तो सभी माननीय विधायकों से मेरा निवेदन है कि अपना वक्तव्य सीमित समय में दें। 18 तारीख का जो हमारा दिन है, उस दिन विशेष तौर से सरकार का जवाब आयेगा।

तो जो समय है, वह इस प्रकार है:-

भारतीय जनता पार्टी	12 घंटे 57 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	01 घंटा 43 मिनट
नेशनल पीपुल्स पार्टी	20 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	15 मिनट
नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	10 मिनट
निर्दलीय	33 मिनट

कुल आबंटित समय है 16 घंटे।

तो मैं जो हमारी ये छोटी-छोटी पार्टियां हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपने बोलने वालों के नाम दें। निर्दलीय जो विधायक हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी अपना नाम हमको दे दें और यथा-सम्भव हम उन सबको बोलने का समय देंगे, समय सीमा के रहते हुए।

अब हम अपना बजट पर वाद-विवाद चालू करते हैं। श्री गोविंद सिंह डोटासरा आज की बहस का प्रारम्भ करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लगता है, समय-सीमा का कठोरता से पालन करोगे, आपकी भाव-भंगिमा। ऐसा लगता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको चिंता क्यों हो रही है, माननीय मंत्री महोदय?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह पहली बार ही होगा, अध्यक्ष महोदय। समय जो निर्धारित है...

श्री अध्यक्ष: कठोरता हम सबको पालन करनी चाहिए। ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक घंटा 43 मिनट हमारा है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: हां, लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता के बोलने का समय भी रह जाए, उस सीमा में रह कर आप बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल, साहब।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता प्रतिपक्ष): वो तो इससे अलग है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसी में है। इसी में है।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन मिनट तो मेरे राठौड़ साहब ने खा लिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार बनने से पहले पालिटिकल पार्टी अपना घोषणा पत्र रखती है, अपना एजेंडा रख कर के जनता के बीच में जाती है कि हम आपके लिए यह काम करेंगे और इस प्रकार से हमारी गुड गवर्नेंस होगी, इस प्रकार के काम हम करेंगे। हमारी सदन की नेता, जो उस वक्त प्रतिपक्ष की नेता थीं, गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में गयीं, लोगों को कहा, जो बेरोजगार हैं, उन युवाओं को हम रोजगार देंगे; जो महंगाई कांग्रेस के शासन ने और यू.पी.ए. शासन ने बढ़ायी है, उस महंगाई को हम कम करने का काम करेंगे; हम किसान के हित की बात करेंगे; हम गांव में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और शहरी क्षेत्र के लोगों को पेयजल उपलब्ध करायेंगे, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेंगे; और हमारी योजनाओं को, जो नि:शुल्क दवा योजना, गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी मदद करने के लिए थीं, चाहे एक रुपये किलो गेहूं देने की योजना हो, चाहे पशुओं के लिए नि:शुल्क दवा योजना हो, इन सब योजनाओं को यह कह-कह कर के कि इन दवाओं में जहर है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया और मैं 15 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगी; इस प्रकार के वादे किये। हमारी राजस्थान की जनता जो इन्होंने सब्जबाग दिखाये, जिस प्रकार के लच्छेदार भाषण इन्होंने दिये और अच्छे दिन लाने का जो वादा किया, उन भाषणों में जनता आ गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और आने के बाद में इनको सत्ता दी, और सत्ता भी इस प्रकार से दी कि 163 की संख्या भारतीय जनता पार्टी को दी।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज स्थिति क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 163 की संख्या देने के बाद भी पूरा मंत्रिमण्डल का गठन नहीं हुआ और जनता के बीच में, यहां बैठ कर के, सेक्रेटेरिएट में, सरकार काम नहीं कर रही है। कभी भरतपुर में जाती है, पूरे मंत्रिमण्डल को लेकर के, पूरे प्रशासनिक अमले को लेकर के; कभी बीकानेर संभाग में जाती है, और एप्लीकेशन लेते हैं, आखिरी में घोषणा करते हैं और घोषणा करने के बाद में वापस जयपुर आकर के यह विधान सभा का सत्र आहूत किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बजट को हम पढ़ रहे थे, जो माननीय सदन की नेता ने 14 जुलाई को पेश किया है, हमारे भरतपुर संभाग में जो घोषणा की, उसमें से केवल एक शब्द; जो बीकानेर में घोषणा की, उसमें से केवल एक शब्द; इसके अलावा, कहीं भी इन्होंने कोई घोषणा नहीं की है।

यह बजट, पूरा का पूरा बजट पढ़ने के बाद में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस हमारी सरकार ने डेढ़ लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने के लिए जो वेकेंसीज निकाली थीं, जिनमें आधी की परीक्षाएं हो गयी थीं, कुछ की परीक्षा होनी थीं, उनमें से केवल मात्र एक चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन की घोषणा के अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लाख में से एक भी बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने की बात इन्होंने नहीं की है। यह बेरोजगार युवकों के साथ छलावा है।

विद्यार्थी मित्र की बात हम कर ही रहे हैं। इन्होंने उस वक्त कहा कि 'डूबकर मर जाना चाहिए सरकार को'; आज जो मंत्री बने बैठे हैं, इन्हीं के शब्द हैं कि सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए'। विद्यार्थी मित्र बाहर खड़े हैं, विधान सभा के बाहर धरना दे रहे हैं और आप इनको सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हो। हमने फैसला किया था और शिक्षा सहयोगी के नाम से बजट में प्रावधान रखा लेकिन कोर्ट के कारण से नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में जो आज मंत्री हैं, वे कहते थे कि सरकार जान-बूझकर के कोर्टों में जा रही है; बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहती है, मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि 8 दिसम्बर को आपने चुनाव जीता, 13 दिसम्बर को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली, 20 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन हुआ, आज तक आपने एक भी एग्जाम का कोई रिजल्ट निकाला हो तो बता दीजिये।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अध्यक्ष महोदय, चाहे एल डी सी की भर्ती हो, वह निरस्त कर दी; दूसरे दिन वापस कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, अभी निरस्त नहीं कर रहे हैं। दो महीने से थर्ड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती की बात है, आज तक फैसला नहीं कर रहे हैं। आर पी एस सी का पेपर इनका आउट हो रहा है, इनका पी एम टी का पेपर आउट हो रहा है, दुबारा पी एम टी। शर्म की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार परीक्षाएं नहीं करा सकती बेरोजगारों के लिए, वह क्या गुड गवर्नेंस की बात करेगी। 15 लाख लोगों को 5 साल में नौकरी देने का क्या मतलब है? इनको 10 महीने हो गये, एक को नहीं दी। खान विभाग में तो 1 हजार परीक्षार्थियों का रिजल्ट आउट हो गया, उसके बावजूद भी आज उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ये महंगाई को कम करने का वादा लेकर आये थे कि हम सरकार में आ जायेंगे तो महंगाई कम कर देंगे। यह जो बजट है, इसमें गरीब का सब कुछ महंगा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज गरीब का दूध महंगा, सब्जी महंगी, मसाला महंगा, कपड़ा महंगा और गरीब को छत देने की बात तो हुई ही नहीं है। जो हमने 'मुख्यमंत्री सबके लिए आवास योजना' दी थी, उसकी तो कहीं बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, हमने जो ढाणियों में लोग, किसान रहते थे, उनके लिए घरेलू बिजली देने की बात की थी, उसका कहीं नाम ही नहीं है। हम कनेक्शन दे देंगे; कैसे दे दोगे? किसको दे दोगे? हमने पहले जो 1 लाख 65 हजार फार्म भराये थे, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां मौजूद नहीं हैं, मेरे सीकर में गये थे, इन्होंने मीटिंग ली थी, हमने कहा कि साहब, इन ढाणियों वाले किसानों को कनेक्शन कब दोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, कि आपकी सरकार ने ले लिये थे लास्ट में जाते-जाते, अब आप ही जानो, कब दोगे। इसका मतलब क्या हुआ? इनकी जवाबदारी है। हमने लिये थे तो क्या हमारे लिये लिये थे? किसान के फायदे के लिए लिये थे।

अध्यक्ष महोदय, किसान की तो इनको चिंता ही नहीं है। यह जो पूरा बजट है, इसमें किसान का जिक्र चार दफा आया है, केवल चार दफा पूरे बजट में। चार दफा कहां-कहां आया है? एक दफे तो यहां आया है कि डार्क जोन में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शन देंगे, और वह कृषि कनेक्शन कैसे देंगे? ''कनेक्शन पूर्ण पूंजीगत लागत और विद्युत नियामक

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आयोग द्वारा कृषि हेतु स्वीकृत पूरी दर का भुगतान करने पर हम उनको आन डिमांड कनेक्शन देंगे।'' 4 लाख रुपये, यानी आज जो हम कनेक्शन दे रहे थे, हमारी सरकार, उससे 10 गुना ज्यादा ये किसान से पैसा लेंगे कनेक्शन देने के लिये। यह किसान का नाम आया है। दूसरा, किसान को हम लोन देंगे 4 परसेंट पर। हमारी सरकार, माननीय गहलोत साहब की सरकार, डेढ़ लाख रुपये किसान को ऋण देती थी बिना ब्याज के; पूरा का पूरा जो ब्याज का पैसा था, वह हमारी सरकार देती थी। इन्होंने उस किसान के साथ में भी छलावा करने का काम किया है। पैसे कितने दिये? अनुदान के लिये सरकारी और सहकारी बैंकों को 50 करोड़ रुपये, किसान के लिये इनके खाते में केवल 50 करोड़ रुपये हैं।

अध्यक्ष महोदय, कानून-व्यवस्था की क्या बात रही? कानून-व्यवस्था देखी? एस एम एस की जो काटेज है, उसमें महिला के साथ में बलात्कार हो रहा है; चलती बस में महिला के साथ बलात्कार हो रहा है; एक ग्राम सेवक को पीट-पीटकर मारा जा रहा है; झालावाड़ में मुख्य मंत्री को राजी करने के लिए निर्दोष लोगों को बलात्कार जैसे मुकदमों में फंसाने की साजिश की जा रही है। यह कानून-व्यवस्था है? महिलाओं की चेनें लूटी जा रही हैं; धौलपुर में, जो माननीय सदन की नेता का खुद का गृह जिला है, वहां पर व्यापारियों से बदमाश सरे-आम आकर के 25-25 लाख रुपये लूट रहे हैं। आज कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, परसों क्या हुआ, 16-16 जाटव परिवारों को आग में झोंक दिया गया। कहां गयी सरकार? यह संवेदनशील सरकार बता रहे हैं। इनकी जो कानून-व्यवस्था है, वह बिलकुल लचर है। आज जेल में से, हमारे जिले के फतेहपुर में जयपुर की जेल में से बदमाश ने वहां गोली मरवाकर हत्या करवा दी। आज इनकी कस्टडी में से सालासर-चूरू में एक बदमाश सरकारी रिवाल्वर, सरकारी बंदूक लेकर के इनके कब्जे से फरार हो गया। यह इनकी कानून-व्यवस्था है?

अध्यक्ष महोदय, महिला सुरक्षा की बात। महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी महिला के लिए इस बजट में डेढ़ लाइन से ज्यादा नहीं है। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोतरी की थी; हमने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं दी थीं जिनकी कोई सीमा नहीं, और इन्होंने क्या दिया; एक लाइन दी है इस बजट में कि हम गुजरात माडल पर महिलाओं को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

स्वावलंबी बनाने के लिए ट्रेनिंग करायेंगे। गुजरात माडल क्या है? गुजरात में महिला की जासूसी सरकार कराती है। यह माडल है गुजरात में। पता नहीं, क्या हो गया इन दिनों में, गुजरात से थोड़ी नफरत भी हो गयी प्रदेश की सरकार को। मुखिया को पता नहीं, क्या हो गया, इसमें केवल एक शब्द लिखा और उसमें भी गुजरात की आलोचना कर दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, महिला सुरक्षा में कुछ नहीं; कानून-व्यवस्था में फेल हैं; किसान के लिए कुछ भी नहीं है। हमने गेहूं में 150 रुपये अनुदान दिया था किसान को, कहां गया वह किसान?

आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ले लीजिये, माननीय राठौड़ साहब मंत्री हैं, नि:शुल्क दवा का इस बजट में, जो गरीब के लिये थी; बेसहारा, गरीब यह सोचकर के हास्पिटल में चला जाता था कि माननीय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने एक व्यवस्था की है कि मैं हास्पिटल में पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद में अगर मेरे साथ कोई नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नि:शुल्क दवा मिलेगी, मेरा इलाज हो जायेगा; आज एक शब्द नहीं बोला। यह कहते थे, अपने भाषणों में, स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान, कि दवाओं में जहर मिलाया गया है; अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कितनी दवाइयों में जहर पाया गया और कितने लोग मरे? आपने कितनी दवाइयां बंद कीं?

आपने किया एक काम, हमारे सीकर का हक था मेडिकल कालेज, वह आप चूरू ले गये, जहां पर फीजिबल नहीं था। केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिए ले गये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर चूरू से जीतने वाला कोई मुख्य मंत्री बन जाये, तो चूरू क्या राजधानी ले जायेगा राजस्थान की? जयपुर ही रहेगी वह राजधानी तो। सीकर सबसे ज्यादा फीजिबल था।

अध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा में क्या हो रहा है, साढ़े 3 हजार डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं, 50 हजार पैरा-मेडिकल स्टाफ की कमी है। अभी जो मेडिकल कालेजों की यह बात कर रहे हैं, यू पी ए गवर्नमेंट ने जो इनको 5 मेडिकल कालेज दिये हैं, उनमें 2,100 प्रोफेसर्स की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने बजट में किया है क्या प्रावधान? एक शब्द बता दें कि हम इतने पैरा-मेडिकल स्टाफ इस प्रकार से लगायेंगे। केवल मात्र हमने जो पी एच सी, सी एच सी, सब-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सेन्टर्स खोले थे और जो यू पी ए गवर्नमेंट ने आपको पैसा दे दिया था, जो वित्तीय स्वीकृति भवनों के निर्माण की हो गयी थी, उनको इस बजट में आपने केवल अंकन किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट पी पी पी मोड है। रोडवेज को प्राइवेट में देने की बात कर रहे हैं, ये विद्युत विभाग को प्राइवेट में देने की बात कर रहे हैं, ये सड़क पर टोल लगाकर के धन्ना सेठों को लाभ देने की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पशुपालन में भी जो हमारी सरकार ने नि:शुल्क दवा योजना पशुओं के लिये की थी, किसान को मजबूत करने के लिए, इन्होंने नाम तक नहीं लिया है इस बजट के अन्दर। ना तो किसान का लिया, ना पशु का नाम लिया है, आज क्या स्थिति बनी हुई है कि एक स्किल यूनिवर्सिटी पी पी पी मोड पर, सब धन्ना सेठों को लाभ देने के लिए। पावर आफ अटार्नी पर रेट घटा दो, उस पर घटा दो, यह सारा का सारा काम भू-माफियों को संरक्षण देने के लिये सरकार कर रही है। यह गरीब के हित में सरकार काम नहीं कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, आज डाक्टरों को लगाने की जरूरत है; अध्यापकों को स्कूल में लगाने की जरूरत है। 25 हजार अध्यापक कम हैं। एक तरफ से अध्यापकों को धमकी दे रहे हैं कि हम एकीकरण कर रहे हैं, हम आपको बाहर निकाल देंगे, हम आपको घर भेज देंगे। यह तानाशाही नहीं चलेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को हम घेर कर रखेंगे। जो टीचर्स हैं, उनकी जल्दी से जल्दी नियुक्ति हो, इस बात की व्यवस्था भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को करनी पड़ेगी।

ग्रामीण विकास में इन्होंने कहा कि हम आई टी सेंटर खोलेंगे, कौनसे आई टी सेंटर खोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछें तो सही आप। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि हमने राजीव गांधी भवन बनायें, हमने वहां बाबू लगायें, हमने वहां कम्प्यूटर दिये, हमने वहां बिजली लगाई, सोलर से, उसको आई टी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। वे तो हैं ही आई टी सेंटर। आप क्या बनायेंगे? आप कोई नया बना रहे हैं तो बताओ।

शहरों को माडल सिटी, स्मार्ट सिटी बनायेंगे, किस शहर को बनायेंगे? इसमें भी एक चाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जगह, सब जगह अवैध

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जमीनें खरीदी जायेंगी, इसको बना रहे हैं। फिर जमीनों के भाव बढ़ जायेंगे, फिर बेच देंगे, फिर वापस उसको नहीं करेंगे। यह पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हाउसिंग बोर्ड में स्कीमें चलाई, यह जमीन एक्वायर कर रहे हैं, यहां महंगी हो जायेगी फिर उसको वापस ले लिया। (व्यवधान) आप बैठ जाओ। बैठ जाओ। वह घपला आप ही ने किया था। इसलिए आप बोलो मत।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिफाइनरी की बात ले लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी में इतना बड़ा घालमेल, इतना बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। रिफाइनरी हमारे प्रदेश का ड्रीम था, सपना था। माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत लेकर आये थे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, रिफाइनरी में क्या-क्या घोटाला हुआ, वह बताइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बैठ जाइये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): रिफाइनरी में अब तक क्या-क्या घोटाला हुआ, वह तो बता दो न आप। आप कह रहे हो कि घोटाला हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप नींद ले लो ना। आप बजट में नींद ले रहे थे। काहे के लिए जगे हो आप?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हम तो कुछ भी ले रहे हैं, आप तो घोटालों का बताओ। कौन-कौनसा घोटाला हुआ? एक बार घोटाला तो बताओ।

(13.31 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रिफाइनरी में, माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी में इन्होंने कहा है कि हम दुबारा नेगोशिएशन करेंगे; किससे करेंगे, आपको बजट में खुलासा करना पड़ेगा। आप अडानी से करेंगे, अम्बानी से करेंगे, और कोई मोदीजी से करोगे, किससे करोगे? यह बजट में बताना पड़ेगा कि आप नेगोशिएशन किससे करेंगे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हम तो डोटासराजी से करेंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उद्योगपति हैं मोदी जी।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, आपसे ही किया जायेगा। नेगोशिएशन वापस दुबारा किया जायेगा, यह समझौता आपसे किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे लक्ष्मणगढ़ के मोदीजी बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनसे करोगे क्या?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पेयजल की बात करते हैं, पेयजल की बात पहले जब पूरा ...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, कृपा करके आप उसका नाम नहीं लेंगे और यदि ऐसा कोई नाम लिया गया है तो उसको आप डिलीट कर दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह इस बजट में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों और आसन की अनुमति से बोल रहे हों, तो किसी दूसरे सदस्य को उनके साथ टोकाटोकी करने की इजाजत नहीं दी जायेगी और अगर ऐसा कोई होगा तो वह अंकित नहीं होगा और सदस्य को उनके नाम से पुकारा जायेगा। (व्यवधान) विराज जायें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे, फ्लोराइड के लिए पांच साल में केवल पांच हजार आर ओ, वह भी आठ सौ की आबादी के ऊपर के यहां, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हमारी जो करीब दो सौ योजनाएं हमारे शासन काल में शुरू की गई, पेयजल के लिए, उनको बजट नहीं दिया। केवल मात्र चुन-चुन कर, चुन-चुन कर, जो भारतीय जनता पार्टी के जन-प्रतिनिधि जीते हुए हैं, केवल उनके यहां बजट देने का काम किया है।

हमारे शासन में दो हजार करोड़ से ज्यादा का सीवरेज प्रोजेक्ट मंजूर किया, केन्द्र सरकार की मंजूरी हुई, शहरों में गंदा पानी नहीं रहे, सफाई रहे; माननीय सभापति महोदय, उसके बारे में एक शब्द, सिंगल वर्ड भी बजट में नहीं कहा गया है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अगर पेयजल के लिए कोई बात की गई है तो वह यह है कि पानी का पैसा बढ़ाने का समय काफी हो गया है, हम पानी का, पेयजल का पैसा बढ़ायेंगे। हम बिजली का पैसा बढ़ायेंगे; हम रोडवेज का किराया बढ़ा चुके हैं; हम हाउसिंग बोर्ड के, जो गरीब को छत मिलने वाली बात थी, उसके 45 प्रतिशत तक पैसे बढ़ायेंगे। यह बजट, बजट से पहले बढ़ा लिया, कुछ बजट में बढ़ा दिया। इसके अलावा, आम जनता के राहत के लिए कुछ भी नहीं।

कर्मचारियों को इतना दिया था गहलोत सरकार ने लेकिन इन्होंने आते ही क्या किया, पूरे कर्मचारियों का 250 रुपये जो स्टेशनरी के नाम से मिलता था, आज वह पैसा नहीं मिल रहा है।

आज गरीब को, वृद्ध मां को, विधवा बहन को जो पेंशन मिलती थी, कहते थे, जब सुराज संकल्प यात्रा थी कि हम इसमें सुधार करके और अच्छा करेंगे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं, इसमें पेंशन शब्द का नाम भी पूरे बजट में नहीं लिया। आप बढ़ाते पेंशन। कौन मना कर रहा था? आप नि:शुल्क दवा योजना को और ज्यादा बढ़िया बनाते, और ज्यादा दवाइयां देते। आपको कौन मना कर रहा था?

इस बजट में हमारे नेता, जो पूर्व मुख्य मंत्री, गहलोत साहब के ऊपर इन्डाइरेक्ट में कटाक्ष किए गए हैं। आप व्यक्तिगत किसी की आलोचना क्यों करते हैं? आपने कहा, वह कोई योजना अच्छी नहीं थी, मेट्रो भी अच्छी नहीं थी, रिफाइनरी भी अच्छी नहीं थी, नि:शुल्क दवा भी नहीं थी, पेंशन भी बहुत वोटों के लिए फायदा कर दिया, आप बंद करते न एक को भी। आप उसका गुणगान भी उलटा किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा ही, सब कुछ ही, मेट्रो भी गड़बड़ था तो फिर मेट्रो के लिए पैसे क्यों दिये? दुबारा फिर क्यों चालू रख रहे हो? जनता गांवों में नहीं घुसने दे इनको। यह जो संभागवार दौरा कर रहे हैं ना, यह दौरा इसलिए कर रहे हैं कि करने को कुछ है नहीं, विजन कुछ है नहीं और जबरदस्ती 300 करोड़ रुपये का बोझ इस राजस्थान की जनता के ऊपर लादने का काम इस बजट के माध्यम से किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में एकीकरण, क्या है एकीकरण? दो हजार स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, और दो हजार स्कूलों को बंद करने का मतलब, एक भी वैकेंसी थर्ड

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

ग्रेड के टीचर की नहीं होगी, एक भी सेकण्ड ग्रेड की नहीं होगी और व्याख्याताओं के लिए भी इन्होंने एकीकरण के नाम से, जो पद मांग रखे हैं, आर पी एस सी को एग्जाम के लिए दे रखे हैं, उनको भी वापस लेने का काम ये कर रहे हैं। आज शिक्षक आंदोलनरत हैं, वे कह रहे हैं कि आप हमारा पैसा काट रहे हैं, हमें स्कूलों से बाहर कर रहे हो, हमें एकीकरण के नाम से हटाने का काम कर रहे हों।

आप ही कह रहे थे, जब सम्भागों का दौरा किया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और माननीय मंत्रियों ने, सरकार ने, तो कहा, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, हास्पिटलों में डाक्टर नहीं हैं, पीने का पानी गांवों में नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है। आप मुझे यह बता दीजिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने नौ महीने में एक किलोमीटर सड़क बनाई क्या, कोई गौरव पथ या किसी के नाम से? आपने एक टीचर को लगाया क्या? कोई नई नियुक्ति, अनुकम्पा नियुक्ति भी की क्या? और नियुक्तियां तो बहुत बड़ी बात है। नौ महीने से आज थर्ड ग्रेड का टीचर रिजल्ट के लिए इन्तजार कर रहा है।

अभी कह रहे हैं कि हम टैट खतम करेंगे और हमने हमारा संकल्प पूरा कर दिया। आपने संकल्प पूरा नहीं किया है। टैट खतम केन्द्र सरकार करेगी, आपसे नहीं होगी। आपने युवाओं को, बेरोजगार शिक्षकों को, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको बरगलाने का काम किया है। हम आपके चार स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं इसी हाउस में, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा था कि हम इसको थोड़ा गुजरात पैटर्न पर, कुछ परसेंटेज दसवीं, बारहवीं, बी ए, ऐसा करने की सोच रहे हैं, कहां गया वह परसेंटेजवाइज? इसमें तो नहीं आई यह बात। आपने कहा, हम टैट को खतम कर देंगे, कहां गई टैट? आई तो नहीं, खतम तो नहीं हुई। जिन लोगों ने टेट दे रखी है, 2012 से, जिन्होंने थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा दे रखी है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला।

माननीय सभापति महोदय, यह उसका क्या करने जा रहे हैं? उन लोगों को आज मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके घर पर आज मातम छाया हुआ है कि हमारा एग्जाम निरस्त करेंगे। 60 परसेंट से नीचे को नहीं लेंगे। विधवा महिलाएं, एकल महिलाएं, जो 55 परसेंट था, उसको 60 परसेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, हम जो हाई कोर्ट या सरकार ने एस एल पी कर दी सुप्रीम कोर्ट में, उस एस एल पी को हम वापस ले लेंगे। पहले सत्र में कहा था, पहले भी कहा था और आज कहीं भी, एक शब्द भी इस बजट में भी नहीं है और बिना बजट भी नहीं है कि यह एस एल पी वापस लेंगे। ग्रामीण पंचायती

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राज के हमने जो आई टी सेंटर बनाकर, राजीव गांधी भवनों में जो बाबू लगाये थे, उनको हटाने की बात ये कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने भारत सरकार, एन डी ए गवर्नमेंट के ऊपर कहा है, हम सबने सुना है, माननीय सभापति महोदय, कि अगर सरकार हमारे काम में, न्यायपालिका के काम में दखल देगी तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। इससे बड़ी शर्म की बात किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज यहां का डी आई जी एक सर्कुलर भेजे कि आपको कोबरा टीम नहीं बनानी है, इसको यह नहीं बनाना है और एक एस पी उसकी बात को नहीं माने। फिर यहां की मुख्य मंत्री, प्रदेश की मुख्य मंत्री यह कहें कि नहीं, एस पी सही है, डी आई जी गलत है। तो हटाओ उस डी आई जी को। किस बात के लिए डी आई जी को रख रखा है? उसके परिपत्र का क्या होगा? या तो आप डी जी पी से निकलवाओ दूसरा परिपत्र, उससे उच्च अधिकारी से, वरना उस एस पी को निलम्बित करना चाहिए जो डी आई जी के, अपने से ऊपर के अधिकारी को नहीं मानता है। अगर इस प्रकार का पुलिस में यह हो जायेगा, तो मैं समझता हूं कि आगे चल कर कुछ भी नहीं होने वाला है, कानून-व्यवस्था बिलकुल ढीली हो जायेगी।

एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डार्क जोन में जो कुएं खुदे हुए हैं उनके अन्दर, सीकर में भी हैं, हो सकता है, और जगह भी होगा, उनमें ट्यूबवैल में कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। पटवारी और तहसीलदार कह रहे हैं, हम प्रमाण-पत्र नहीं देंगे; हमारे पास रेवेन्यू बोर्ड का आदेश है कि आप प्रमाण-पत्र नहीं देंगे। बिजली वाले कहते हैं कि जब तक आप सर्वे सूची में नाम नहीं ला देंगे कि यह 2011 से पहले का खोदा हुआ है तो हम कनेक्शन नहीं देंगे। आज किसान लूटा जा रहा है। किसान ने चार साल पहले, तीन साल पहले, पांच साल पहले, तीन-तीन लाख रुपये का ट्यूबवेल खोद लिया, पहले प्रस्तावित के नाम से फाइलें जमा होती थीं, बिजली के लिए फाइलें जमा कर लीं और आज उससे घूस के, रिश्वत के पैसे लेकर कनेक्शन दिये जा रहे हैं, और सर्वे नाम की कोई चीज नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा सरकार का कोई सर्कुलर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं है, लेकिन हमारे सीकर में सर्वे के नाम से किसानों को, ट्यूबवेल जो तीन साल, चार साल पहले खोदे हुए हैं, उनको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ में क्रूर मजाक किया जा रहा है।

यह सरकार न किसान की है, न गरीब की है। गरीब को गणेश मानकर चलने वाली यह सरकार, लेकिन गरीब शब्द ही इस पूरे बजट में नहीं है। हमारी सरकार ने 2013-14 के बजट में यह कहा था कि हम एक रुपये किलो गेहूं देंगे, अब कहां गया वह? गरीब को गणेश मानने वाली सरकार को देना चाहिए, नहीं दिया। केवल मात्र खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में हम इसकी दुबारा एक जांच कर लेंगे।

भामाशाह योजना। क्या है भामाशाह योजना? हमारी सरकार ने जब साइकिलों के पैसे दिये कि बिचौलिये पैसे नहीं खाये, खराब साइकिल न दे, उसको पूरा पैसा मिले, तो कहने लगे कि इन्होंने पैसे दे दिये। वह काम नहीं आये तो हम साइकिल देंगे। जब हमने बच्चों को कंप्यूटर दिये तो आज जो सरकार में हैं, इन्होंने कहा कि कम्प्यूटर में कमीशन खा गये, घपला कर गये। तो क्या आप साइकिलों में घपला नहीं करोगे? पैसे नकद दे दिये तो कहां गड़बड़ दे दिये? सामान दे दिया तो कहां गड़बड़ दे दिया?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह भामाशाह योजना, ये दो-दो हजार रुपये देने की बात कह रहे हैं, महिलाओं के नाम से खाता खोलकर, तो यह क्या चुनावों के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं? हम जब दे रहे थे तो इनके तकलीफ हो रही थी और आज, वह भी दो हजार, क्या दे रहे हैं। जिन लोगों को, जिन बी पी एल परिवारों को किसी को कोई लाभ किसी योजना में नहीं मिलेगा तो हम उसका दो हजार रुपये का खाता खोलेंगे और वह भी किश्तों में पैसे देंगे। क्या दे रहे हैं?

भामाशाह, भामाशाह। हमारा आधा घण्टा तो भामाशाह में चला गया; पौन घण्टा हमारा पी पी पी मोड सुनने में चला गया; और बाकी बचा घण्टा, जो एक घण्टा, पौन घण्टा था, वह टैक्स लगाने में चला गया, जो प्रोपर्टी का धंधा करते हैं उनको रियायतें देने में। पावर आफ अटार्नी, पावर आफ अटार्नी किसके काम आती है? पावर आफ अटार्नी किसी किसान के काम आती है? किसी गरीब के काम में आती है? उसका एक परसेंट या 50 हजार से 10 हजार कर दिया कि उसके 10 हजार से ऊपर नहीं लगे। एक बिल्डर एक दफा बेचे तो कोई बात नहीं, लेकिन बार-बार बेचे तो उसको लाभ मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा लाभ?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने न बेरोजगारों की सुध ली है, न इन्होंने स्कूलों में दशा सुधारने का काम किया है, न इन्होंने किसान के भले के लिए काम किया है। आज मानसून आया नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है किसान के लिए। किसान आज सुबह उठता है तो बरसात देखता है, रात को सोता है तो बरसात को देखकर सोता है, लेकिन मानसून आ नहीं रहा है। आज अकाल की स्थिति आ गयी है। इस सरकार ने इस बजट में, 110-11 पेज का बजट हम पढ़ रहे थे, मानसून नहीं आएगा तो हम किस प्रकार से किसान को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, किस प्रकार से उसका पशुधन बचाएंगे, एक शब्द उसमें नहीं दिया, एक रुपये का बजट इस सरकार ने उसमें नहीं रखा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अगर कोई गरीब थोड़ा सा दो रुपया कमा ले, अगर उसने पुरानी कार खरीद ली तो उसके भी टैक्स लगा दिया; अगर वह कैबल से आपके समाचार देख ले, सुबह-शाम के, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया; अगर वह कपड़ा खरीद ले तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। एक तरफ पी पी पी मोड, एक तरफ टैक्स, और कह रहे हैं कि आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, हमने किसान को बिना ब्याज ऋण देने का काम किया, क्या हमने गड़बड़ किया? हमने सड़कें अच्छी बनाने का काम किया, आप जयपुर से सीकर जाइये, जो अच्छी सड़क बनायी है, तो हमने कोई गड़बड़ काम कर दिया? आप क्या सही काम करोगे? आप पी पी पी मोड पर उन धन्ना सेठों को लाभ देने के लिए, इन सड़कों का ठेका देने के लिए, आज हम बार-बार सुन रहे हैं और इस बजट में भी आया है, मैं सवाल उठाना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि संभाग स्तर पर एक ठेकेदार होगा, ये 6-7 संभाग हैं, केवल सरकार को 6-7 ठेकेदारों से बात करनी पड़ेगी। 8 साल का माडल बना रहे हैं, 8 साल का हम ठेका दे देंगे। 5 साल की सरकार होती है, एक साल चला गया, चार-सवा चार साल हैं, आप 8 साल का किस प्रकार से देंगे? यह मैं पूछना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, बोलने को बहुत कुछ है, हमारे यहां एस एफ सी, टी एफ सी का ग्रामीण क्षेत्र में सरपंचों को पैसा मिलता था, उसका, सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया? पेयजल की व्यवस्था करोगे, बिजली का बिल चुकाओगे, ट्यूबवेल खोदोगे, हैण्डपम्प खोदोगे? सरकार की ड्यूटी है कि जनता को पानी पिलाये, सस्ता पानी पिलाये, फ्लोराइडमुक्त पानी पिलाये, लेकिन इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। ये तो केवल मात्र पी पी पी मोड; पी पी पी मोड;

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपने गड़बड़ कर दी, आपके मुखिया ने गड़बड़ कर दी। मैं निंदा करना चाहता हूं, बजट में हमारे मुखिया के लिए, हमारे मुखिया के लिए इनडाइरेक्ट में जिस तरह की बात की गयी, वह निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात कीजिए, आपको अधिकार है। आप क्या-क्या योजनाएं ला रहे हैं, हम आराम से सुन रहे थे। इस +++ सरकार होने के बावजूद, जनता के हित को देखते हुए; आज मानसून नहीं आया, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है उसके बावजूद हम जनता की आवाज रखने के लिए हम बैठे रहे, अपमान का घूंट पीकर भी बैठे रहे। हमें बोलने तक नहीं दिया, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया। लेकिन यह अपमान का घूंट इस जनता की भलाई के लिए, आप निरंकुश न हो जाओ, आप चाहे जैसे फैसले नहीं करने लग जाओ, आप जनता की अनदेखी करके केवल व्यापारियों की, केवल भूमाफियाओं की सरकार न बन जाओ, इसके लिए हमने फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, इनका कोई विजन नहीं है। पशु चिकित्सालयों में शराब पार्टी हो रही है, स्कूलों में शराब पार्टी हो रही है। निश्चित रूप से सरकार बिलकुल संवेदनहीन है और कोई किसी तरह का अपराध कंट्रोल में नहीं है, न कोई मानने वाला है। मैं तो यह कहता हूं, हमें तो 9 महीने हो गये, सेक्रेटेरिएट में मंत्रियों के दर्शन किये 9 महीने हो गये। अब और सुन रहे हैं कि सरकार अब उदयपुर संभाग में जाएगी। ये जो ब्यूरोक्रेट, अधिकारी हैं, ये कहते हैं कि पता नहीं, क्या करेंगे। हमारा तो रहना-खाना ही छूट गया। हमारे बच्चे परेशान, हमारी बीवी परेशान। कभी सरकार इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। जो चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, वे वैसे परेशान हैं कि हमें मंत्री बना नहीं रहे हैं और बजट में और लिख दिया कि हम छोटा मंत्रिमण्डल रखेंगे और गुड गवर्नेंस देंगे। बात समझ नहीं आयी कि छोटा मंत्रिमण्डल रखकर गुड गवर्नेंस कैसे देंगे? लेकिन यह इनका काम है।

तीन इंजीनियरिंग कालेज खोलने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज मैं सैकड़ों इंजीनियरिंग कालेज बता दूं, जिनमें बच्चे 10 परसेंट भी नहीं जा रहे हैं। उनको आप किस प्रकार की व्यवस्था देने की बात कर रहे हों?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सोलर मिशन के तहत 86 परसेंट की सब्सिडी थी, उसको बजट में घटाकर 60 परसेंट कर दिया। बूंद-बूंद सिंचाई सिस्टम में अभी 90 परसेंट सब्सिडी है, जिसके लिए भी सरकार ने कोई बात नहीं की है। रोडवेज को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। बिजली कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहे हैं, बिजली का पैसा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, इसका भी हम विरोध करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गरीब के लिए 200-300 गज का जो मकान होता था, उसमें भी इन्होंने टैक्स लगाने की बात की है, हम उसका भी विरोध करते हैं।

आज जिस प्रकार से ढाणियों में कनेक्शन के लिए किसान परेशान है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, उनके लिए भी इन्होंने कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की है। जो किसान के 1 लाख 65 हजार 5-5 समूह में ढाणियों के लिए कनेक्शन देने की बात थी, हम तो आशा कर रहे थे कि पता नहीं, अच्छे दिन आ गये, इसलिए प्रत्येक किसान को, अगर मांगेगा तो घरेलू कनेक्शन बच्चों को पढ़ाने के लिए और पीने का पानी निकालने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अफसोस है कि यहां तो 5-5 के समूह में जो हमने चालू किये थे, हमने दिये भी थे, उन कनेक्शनों को आगे चालू करने का कोई बजट में प्रावधान नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अवैध खनन का व्यापार चलने की तैयारी हो रही है; कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है; जो मौसम, जो मानसून की, इन्द्र देवता की हमारे ऊपर कुदृष्टि है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। किसान को लाभ देने की कोई बात नहीं है, गरीब को लाभ देने की कोई बात नहीं है, उसके लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गई है। सब चीजों में महंगाई कर दी है, चाहे दूध हो, या और कुछ भी हो।

सभापति महोदय, इन्होंने एक काम किया है और वह क्या किया है, कि बीकानेर गये, 12 दिन रहे; हम तो हिन्दू संस्कृति में 12 का नाम ही अच्छा नहीं मानते, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी चले गये तो 12वें दिन 12 दिन होते हैं; इन्होंने वहां काम क्या किया, ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा दे दिया। उस ऊंट पर लोग चढ़े हुए घूम रहे हैं, उस ऊंट के नाक फोड़ रहे हैं लोग, उस ऊंट के लट्ठ मार रहे हैं लोग और उस ऊंट को काट-काट कर उसका मांस लोग खा रहे हैं। आपने व्यवस्था क्या की है? बजट में तो आपने यह कुछ दिया ही नहीं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जो भरतपुर और बीकानेर सम्भाग में बातें कहीं, उनमें से 100-100 बातें, माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब, संसदीय कार्य मंत्रीजी की जो प्रेस कांफ्रेंस हुई थी, उसमें आई थीं, उनमें से एक या दो बातों को छोड़कर कुछ भी इसमें नहीं किया है। ऐसा ही उदयपुर संभाग में होने वाला है, ऐसा ही बेरोजगारों के साथ में होने वाला है।

ठेका प्रथा जारी करने की बात इस सरकार ने की है कि हम संविदा पर, ठेका प्रथा पर, एन जी ओ के माध्यम से लेने की तैयारी करेंगे। एन.जी.ओ., जो लूट का धंधा है, उस एन.जी.ओ. के पैसे भी बढ़ाने की बात की है। यह सरकार केवल एन.जी.ओ., पी.पी.पी. मोड, धन्ना सेठ, प्रोपर्टी व्यवसायी, व्यापारी, इनकी है और गरीब के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय काफी हो गया, हमारे बाकी लोग भी बोलेंगे, इसलिए मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। इस बजट में किसी किसान के लिए, किसी बेरोजगार के लिए, किसी महिला के लिए, किसी गरीब के लिए, आंसू पोंछने का कोई काम नहीं किया गया है। यह बजट बिलकुल झूठ का पुलिंदा है; व्यापारियों को, धन्ना सेठों को और प्रोपर्टी व्यावसायियों को लाभ देने वाला है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कल, असल में, पहला बजट पेश किया है।

सुराज संकल्प यात्रा के समय से ही, जिस प्रकार से, चाहे सुराज संकल्प यात्रा का मामला हो, चाहे सुराज संकल्प यात्रा के बाद विधान सभा का चुनाव हो, चाहे लोक सभा का चुनाव हो, जिस प्रकार का स्नेह राजस्थान की मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजे को जनता से मिला, उससे साफ नजर आता है कि जनता को अगर एक आशा की किरण राजस्थान में कोई नजर आती है, किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई स्वर्णिम भविष्य की झलक कहीं नजर आती है, कहीं प्रतिबिम्ब नजर आता है, तो माननीय वसुंधरा राजे में नजर आता है। इसी का परिणाम था कि राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम आये, हिन्दुस्तान में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ऐतिहासिक परिणाम आये। लेकिन जब इन ऐतिहासिक परिणामों के बाद सरकार बनी, तो फिर एक और ऐतिहासिक चीज से हमारा सामना हुआ। जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की जीत थी, वह अभूतपूर्व थी। ऐसी ही अभूतपूर्व स्थिति का सामना हमें सरकार बनाने के बाद करना पड़ा और वह अभूतपूर्व स्थिति थी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से पैदा हुई राजस्थान की बैंकरप्सी। इतना कुप्रबंधन हमने पहले कभी देखा नहीं था। उस राजकोषीय कुप्रबंधन को जनता भुगत रही थी।

माननीय सभापति महोदय, आज के पांच साल पहले इस पांच साल के वित्तीय कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जब हमने 2008 में राज सौंपा था, तब प्रदेश 8 से 9 प्रतिशत के बीच की विकास दर के साथ में बढ़ रहा था; प्रदेश राजस्व घाटे से पूरी तरह से मुक्त हो गया था, रेवेन्यू सरप्लस में था, 1,653 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था; राजकोषीय घाटा जी एस डी पी का केवल 1.75 प्रतिशत रह गया था। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्थान के अन्दर खास तौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा-सीधा मतलब है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, उतना कर्जा है; जितना राजकोषीय घाटा है, वह ही कर्जा है उस साल का। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर उस साल के लिये हुए कर्ज का 109 प्रतिशत ज्यादा था, यानी जी एस डी पी का 3.4 प्रतिशत। कैपिटल आउट-ले 36.31, माननीय सभापति महोदय, कैपिटल आउट-ले कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोडक्टिव इन्फ्यूजन पैदा करता है इकोनोमी में। कैपिटल आउट-ले बढ़ रहा था 36.31 प्रतिशत की दर से, यानी जी एस डी पी का इस रफ्तार से। कुल व्यय, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल वाल्यूम आफ एक्सपेंडिचर है, उसका कैपिटल आउट-ले था, 17.34 प्रतिशत।

राजस्थान तेजी से विकसित राज्यों में शुमार था ही था, राजस्थान एक समृद्धशाली राजस्थान बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, राजस्थान को जो यह ग्लोरियस अपोर्च्युनिटी मिली, उसको पांच साल पहले आपकी सरकार में, आपके मुख्य मंत्री ने इस ग्लोरियस फिस्कल अपोर्च्युनिटी को ग्लूमी फिस्कल ट्रेजडी में बदल दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे पांच साल तक ढपोल शंख की घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया। बढ़ा -चढ़ाकर बातें की गईं, बजट का वाल्यूम इतना बड़ा बना दिया, प्लान का बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया। (व्यवधान) घोषणा नहीं हुई, किया। बजट बढ़ा दिया, बजट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

का वाल्यूम बढ़ा दिया। यह भी सही है कि प्लान का साइज बढ़ा दिया। पैसा भी खूब आया, इन पांच साल में, कृपा से। 13वें वित्त आयोग ने दिया, पांच साल में 1 लाख 12 हजार करोड़ तो दिल्ली से ट्रांसफर होकर आया, 13वें वित्त आयोग का; 16 हजार करोड़ रुपये किस्मत से मिल गये पेट्रोलियम के; 55 हजार करोड़ की हमने बजटरी बोरोइंग्स कर लीं, कर्जा ले लिया; 69 हजार करोड़ का बजट से बाहर बोरोइंग्स कर लीं। यह जो बजट का डाक्यूमेंट है। उसमें बोरोइंग नहीं लिखा, आउटसाइड बजट बोरोइंग की, गारंटी लोन के नाम पर बोरोइंग की। इस प्रकार से, 1 लाख 50 हजार करोड़ से ज्यादा, 1 लाख 50 हजार करोड़ का इन्होंने प्लान एक्सपेंडिचर किया, साढ़े तीन लाख का बजट एक्सपेंडिचर किया, खूब पैसा आया, लेकिन गया कहां? यह पैसा कहां गया?

पांच साल में तीन लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित हुई। डोटासराजी चले गये, इनको किसानों की बड़ी चिंता है। पूरे पांच साल में साढ़े तीन लाख बजटरी एक्सपेंडिचर करने के बाद, डेढ़ लाख करोड़ का प्लान एक्सपेंडिचर करने के बाद, राजस्थान में पिछले पांच साल में केवल तीन लाख हैक्टेयर जमीन ही सिंचित हुई जबकि उसके पहले के हमारे पांच साल में 20 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई।

खाद्यान्न सुरक्षा की बातें करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो आपके राज में 35 प्रतिशत से घटकर साढ़े सात प्रतिशत ग्रोथ रेट क्यों रह गई खाद्यान्न की? पिछली साल की बात करें, तो जहां आप राज से गुजरे हैं, पधारे हैं, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आ गई। 35 प्रतिशत से साढ़े 17 प्रतिशत और साढ़े 17 प्रतिशत से, इनके जाते ही खाद्यान्न में नेगेटिव। फिर खाद्यान्न सुरक्षा की बात, किसान की बात करते हैं। बड़ी बढ़-बढ़ कर बातें कर रहे थे कि किसान का कितनी बार नाम आया है, किसान तो बेचारा आपके राज में नाम लेने लायक नहीं रहा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके राज में, हमारे राज में जो सड़कें बनी थीं, उनकी चौथाई ही बनीं। आपकी विकास दर 8 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत पर ही टिक गई। फिस्कल डेफिसिट की मैं चर्चा कर रहा हूं, 1.75 प्रतिशत पर हमने फिस्कल डेफिसिट जी एस डी पी का छोड़ा था, वह राज जाते ही तीन प्रतिशत को पार कर गया। आपने फिस्कल कंट्रोल खो दिया। आपको फिस्कल कंट्रोल, फिस्कल मैनेजमेंट आता ही नहीं। फिस्कल कंट्रोल खो दिया और हालत यह हो गई कि आपकी क्रेडिबिलिटी खतम हो गई।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

क्रेडिबिलिटी खतम हो गई, कि लगातार आज जो कटोरा लेकर के बिजली कम्पनियों के लिए भीख मांगते फिर रहे थे, गारंटी लोन के नाम पर, उसके लिए बैंकों ने हाथ खड़े कर दिये। 60 हजार करोड़ का तो अकेला आपने बिजली की कम्पनियों के नाम पर गारंटी लोन लिया और इस हद तक लिया कि बैंक आपसे डरने लग गये कि यह सरकार पैसा नहीं मांग लें, बिजली कम्पनियां पैसा नहीं मांग लें। आपकी क्रेडिबिलिटी, राजस्थान की सरकार की क्रेडिबिलिटी इससे कम राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। आपने सब लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया।

आपने बड़ी-बड़ी बातें कीं और जाते-जाते आपने एक काम और कर दिया, बजट में जो प्रोविजन्स किये, उससे एडिशनल 14 हजार करोड़ का आथोराइजेशन कर गये आप। फौज जब डरती है, भागती है पिटी हुई फौज, तो जाते-जाते अपनी जमीन में ही पुल तोड़ जाती है, अपने ही कुएं में जहर घोल जाती है, और यही काम आपने किया है। आपको पता है कि जा रहे हैं, इसलिए जाते-जाते, बजट प्रोविजन्स से बियोंड जाकर, 14 हजार करोड़ से ज्यादा का आथोराइजेशन किया। यही कारण था कि पूरे पांच साल यह सुनते-सुनते कान पक गये, गहलोत साहब के भाषण में, कि रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू

(14.00 बजे)

सरप्लस में ले आये। कौन ले आया? रेवेन्यू सरप्लस में तो आप आ गये फाइनेंस कमीशन की कृपा से। लेकिन गई बार, जब गई दफा जो आप छोड़कर गये थे, तो आपका फाइनेंस में रेवेन्यू सरप्लस कहां चला गया? 2,505 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट छोड़कर गये हैं आप और पूरे पांच साल तक गाना गाते रहे, रेवेन्यू एकाउंट में सरप्लस है; रेवेन्यू एकाउंट में सरप्लस है; रेवेन्यू एकाउंट में सरप्लस है; तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं; कैपिटल एकाउंट का पूरा पैसा यूज कर रहे हैं। यह 2,505 करोड़ रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट आ कहां से गया?

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने सब लुटाया है, आप लुटाते चले गये। फ्लैगशिप योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाओं में इसलिए, अभी आप कह रहे थे कि आप भामाशाह योजना में अब 2,000 रुपये क्यों दे रहे हो? दे रहे हैं, जरूरत है उसकी। वोटों को खरीदने के लिए 2,000 रुपये नहीं दे रहे हैं, चुनाव से पहले 2,000 रुपये नहीं दे रहे हैं। आपकी सारी की सारी फ्लैगशिप योजनाएं फ्लैगशिप के नाम पर जनता के सामने धोखा था; वोटों को सरकारी पैसों से खरीदने की साजिश थी और यह आपने लुटाया है। इसीलिए यह

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इकोनोमी बरबाद हुई है। इन पांच सालों के अन्दर, इसीलिए आप यह पांच साल के अन्दर, इतना पैसा खर्च करने के बाद में आपके पांच साल के प्लान का कोई फिजिकल टार्गेट पूरा नहीं हुआ; एक भी फिजिकल टार्गेट जेन्यूइनली आपके प्लान साइज का पूरा नहीं हुआ।

इस फ्लैगशिप के चक्कर में आपने एक काम कर दिया, इकोनोमी की ऐसी-तैसी कर ली। इकोनोमी की ग्रोथ करने में, इकोनोमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल के बिना इकोनोमी ग्रो नहीं कर सकती और राजस्थान जैसी इकोनोमी, जो बैकवर्ड इकोनोमी में तब्दील हो गई थी आपके राज में, उस बैकवर्ड इकोनोमी के अन्दर तो थ्रस्ट पैदा करने के लिए, उसके अन्दर बूस्ट पैदा करने के लिए जबरदस्त कैपिटल इन्फ्यूजन चाहिए था, जबरदस्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जबरदस्त कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए था, लेकिन पैसा बचा नहीं। फ्लैगशिप खा गया आपका। इसलिए आपका राजस्व व्यय तो बढ़ता चला गया और पूंजीगत व्यय घटता चला गया। जो हम छोड़कर गये थे 3.4 प्रतिशत जी एस डी पी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वह घटते-घटते आ गया, 2.9 प्रतिशत।

आपके पांच साल के पीरियड में आपके तीन साल ऐसे थे, जहां कैपिटल एक्सपेंडिचर नेगेटिव था। कर्जा बढ़ गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, कैपिटल आउट-ले नहीं बढ़ा। मैं निवेदन कर रहा हूं, 53,500 करोड़ की नेट बचत बोरोइंग थीं और 70,000 करोड़ की बोरोइंग थीं बजट से बाहर, प्लान फंडिंग के नाम से। कुल मिलाकर, पांच साल तो आपने कर्जा लिया, 1,22,000 करोड़ रुपये का कर्जा अकेले पांच साल के अन्दर आपने पी लिया। लोग कहते हैं, हम बड़ी चर्चा सुनते थे, लोग कहते हैं कि साहब, कर्जा लेकर घी पीते हैं; कर्जा लेकर घी पीना बहुत बुरी बात है; यहां कर्जा लेकर घी ही नहीं पीया, घी पीने के बाद कर्जे से नहा लिये, पूरा का पूरा नहा लिया। इस प्रकार से, राजस्थान की जनता को कर्जे में डुबोने का इतिहास किसी ने बनाया है तो कांग्रेस की सरकार ने बनाया है।

आप कर्जा लेते, हमें कोई तकलीफ नहीं थी, आप कर्जा लेते, 24 घंटे बिजली देते। आप कर्जा लेते, गुजरात की तरह, झारखण्ड की तरह, बिहार की तरह ग्रोथ रेट देते; 13 परसेंट, 14 परसेंट, 15 परसेंट की ग्रोथ रेट देते। आप किसान की बड़ी चर्चा करते थे, कर्जा लेते, कर्जा लेने के बाद में गुजरात की तरह 16 पर्सेंट, 17 परसेंट, 18 परसेंट की ग्रोथ रेट लेकर आते। हमें कोई आपत्ति नहीं थी, आपके कर्जा लेने से, मानव सूचकांक बढ़ता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): I do not want to interrupt you. गुजरात की 16-17-18 परसेंट की आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, यह फिगर मेरी समझ में सही नहीं है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं निवेदन कर रहा हूं, I am talking in terms of the agricultural growth rate of the last year. I am not talking about the growth rates of the economy. So, well, it was the growth rate of the agricultural sector.

डोटासरा साहब किसानों की बड़ी चिंता कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि कर्जा लेओ; वे कह रहे थे, हम कर्जा ले रहे थे, किसके लिए, गरीब के लिए ले रहे थे; कर्जा ले रहे थे, किसके लिए, किसान के लिए कर्जा ले रहे थे; कर्जा ले रहे थे, किसके लिए, गांव के लिए ले रहे थे; कर्जा ले रहे थे, साड़ी बांटने के लिए ले रहे थे; कर्जा ले रहे थे, एक रुपये किलो अनाज देने के लिए ले रहे थे। तो मैं कहना चाहता था, जिस किसान की चर्चा करते-करते इतने साल तक आप राजस्थान में और हिन्दुस्तान में राज करते चले गये, उस किसान के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट को 16 परसेंट, 17 परसेंट, 18 परसेंट लेकर आते आप, तो 1,22,000 करोड़ का कर्जे की बजाय, 1,22,000 करोड़ के ऊपर भी आप कर्जा लेते, तो हमें कर्जा लेने में कोई तकलीफ नहीं थी। आपकी खुद की मेम्बर है, प्लानिंग कमीशन की, सईदा हमीद, वे आपके यहां कह गईं कि कर्जे का केवल 30 परसेंट प्रोडक्ट ही यूज हो रहा है आपके यहां। Total 30% of the total borrowings! 30 परसेंट। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपकी पार्टी से प्लानिंग कमीशन में अपाइंटेड मेम्बर हैं, उसने कहा कि 30 परसेंट है।

मानव सूचकांक में वृद्धि भी नहीं हुई। कर्जा लेकर अगर, मान लिया, किसान के अलावा बाकी मानव सूचकांक में वृद्धि होती, बेरोजगारों को रोजगार देते। ये कह रहे हैं कि वैकेंसीज निकालीं, आपने अपाइंटमेंट तो नहीं दिये। पांच साल लग गये वेकेंसीज निकालने में ही! पूरे पांच साल वैकेंसीज निकालने में, उसको एडवर्टाइज करने में लग गये सरकार को, रोजगार देते, हुजूर। हमने दिये थे लाख-लाख रोजगार, गये राज में, मास्टरों को; अब फिर इस राज में देंगे, लेकिन आपने तो पूरे पांच साल में रोजगार के नाम पर लालीपोप लटका दी कि रोजगार देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। अंतिम साल आया, आपने एडवर्टाइजमेंट कर दिया। फिर कोर्ट बीच में आ गया, कोर्ट में अन्दर आप मौनी बाबा बनकर बैठ गये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जब राज छोड़ा था, तब

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान की जनता पर पर-कैपिटा टैक्स बर्डन था, 3,369 रुपये; जब आपने राज छोड़ा है अभी, तब पर-कैपिटा टैक्स बर्डन है आम राजस्थानी के ऊपर 7,400 रुपये से ज्यादा। यानी, डबल से ज्यादा। यह पैसा कहां गया? आपने गांव को डुबो दिया, जाते-जाते किसान की कमर तोड़ दी आपने। गरीब को डुबो दिया, किसान को डुबो दिया।

एग्रीकल्चर में जी एस डी पी का शेयर आपके राज में कितना रह गया, 19 परसेंट। टोटल जी एस डी पी का केवल 19 परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है आपके राज में और कितने परसेंट लोग रहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर जिंदा, 52 परसेंट। राजस्थान के अन्दर 52 परसेंट जनता किसी रोजगार के ऊपर अगर जिंदा है, उसके जीवन यापन का कोई साधन है, तो केवल एग्रीकल्चर है। 52 परसेंट राजस्थान के लोग और राजस्थान की आय में केवल 19 परसेंट का हिस्सा। इन पांच सालों में प्रति व्यक्ति आय घटते-घटते 13,957 रुपये रह गई, हुजूर, किसान की। अगर इसको मैं यूं फलाऊं कि जी एस डी पी का 19 परसेंट और 19 परसेंट जी एस डी पी का 52 परसेंट मैं बांट दूं, तो उस किसान की जी एस डी पी निकलेगी, पर-कैपिटा इन्कम निकलेगी, वह 13,957 रुपये; मतलब, 38 रुपये रोज। अभी आपने कौनसी कमेटी बनाई थी, उसके हिसाब से गरीब नहीं है, तेन्दुलकर कमेटी। तेन्दुलकर कमेटी के हिसाब से तो गरीबी से बाहर निकला। 38 रुपये रोज में किसान जीता रहा, आपके पांच साल के राज में और पूरे 66 साल के अन्दर, अधिकतर टाइम में, किसान के नाम पर राज करने की साजिश करते रहे आप।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार नहीं थे, आप राजस्थान के लिए मिस-फोर्च्युन थे। आप राजस्थान का दुर्भाग्य थे, किसान का दुर्भाग्य थे, गरीब का दुर्भाग्य थे, गांव का दुर्भाग्य थे और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्य थे। आपके राज में प्रति व्यक्ति आय, पूरे राजस्थान की बात कर लें, किसानों से अलग हटकर पूरे राजस्थान की बात कर लें, उसमें महणोत साहब की आय भी जोड़ लें, तो आपके राज में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या रही, 2.9 परसेंट। गई बार जाते-जाते, 2.9 परसेंट। 2.9 परसेंट आपकी ग्रोथ रेट रही है, पर-केपिटा इनकम की! इन्वेस्टमेंट में राजस्थान का स्थान था, जब आपका राज आया था, हिन्दुस्तान के अन्दर छठे स्थान पर। छठे स्थान पर राजस्थान का नम्बर था, इन्वेस्टमेंट में। आपका राज छोड़ते-छोड़ते, छठे स्थान से गरीब उतरता-उतरता 15वें स्थान पर आ गये। इन्फ्रास्ट्रक्चर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

ग्रोथ में सातवें स्थान पर था, जब आप राज में पधारे थे, वह घटते-घटते 11वें स्थान तक आ गये आप। राजस्थान के अन्दर मीडियम और स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, जितने रेशो से, 25 प्रतिशत इण्डस्ट्रीज आपके पांच साल के राज के अन्दर बंद हो गईं, या तो रुग्ण हो गईं, या बंद हो गईं। 2009-2010 के अन्दर, देश के अन्दर जितनी फैक्टरीज हैं, उन फैक्टरीज में राजस्थान का हिस्सा था, 4.2 परसेंट; आप जब पधारने लगे तो 4.2 परसेंट जो हिस्सा था हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान की फैक्टरीज का, वह 3 परसेंट पर आकर टिक गया, हुजूर।

आपने स्माल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज के लोगों को बेरोजगार करके, दो लाख लोगों को बेरोजगार करने का काम आपने जरूर किया है। रोजगार का झांसा देकर, पूरे पांच साल के बाद में आपने वैकेंसीज निकालीं, लेकिन असल में दो लाख लोग, जो गरीब कामगार लोग, गरीब मजदूर लोग, जो स्माल और मीडियम स्केल की इण्डस्ट्रीज में काम करते थे, आपके पांच साल के अन्दर दो लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया।

ऐसी स्थिति में, मजे की बात क्या, कोढ़ में खाज का काम।

आप बड़ी बात कर रहे थे, मेट्रो की बात कर रहे थे, रिफाइनरी की बात कर रहे थे। जब रिफाइनरी आपने लगाई, मैंने तब भी विधान सभा में कहा था; जब मेट्रो लाये थे, तब भी मैंने कहा था; वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी, मैंने तब भी निवेदन किया था कि राज में काकाजी का पैसा नहीं है, यह राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है, एक-एक पैसे का उपयोग इस राजस्थान और राजस्थान की जनता को बढ़ाने में आपको करना होगा। आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। आपके ड्रीम्स, आपके सनक, आपका नासमझीपन, यह राजस्थान की जनता भोगने को तैयार नहीं होगी।

आप मेट्रो लाये, 3,400 करोड़ रुपये की मेट्रो के पहले फेज की योजना। सुराणा साहब तो पूरा जानते हैं, जब मैं 1990 में पहली बार विधायक बना था, तो इसी सदन के फ्लोर पर मैंने कहा था कि राजस्थान में जयपुर में मेट्रो होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब को, जिन्होंने 1992 के अन्दर, राजस्थान की जो कम्पनी, हिन्दुस्तान की बेस्ट कंसल्टेंट कम्पनी है रेलवेज की, जो आपकी इस मेट्रो की भी कंसल्टेंट है, उस 'राइट्स' से सर्वे कराया। 1992 के सर्वे में कहा, 'राइट्स' ने कहा, जो

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आपका कंसल्टेंट था, उसने कहा, 2025 तक कोई पासिबिलिटी नहीं है, वायबिलिटी की, जयपुर के अन्दर, मेट्रो की। कोई वायबिलिटी नहीं है। आज वही राजस्थान की कंसल्टेंट हैं।

पैसा देते हो आप। आप 3 हजार 400 करोड़ रुपये को बट्टे खाते में लगा रहे हों। चलेगी है नहीं ढंग से यह। यह रोज का कोढ़ का खाज है।

दिल्ली में मेट्रो आई, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जा रही है, अंबानीजी ने बनाई है, वह बंद हो गई। भाग गए अंबानीजी। मुम्बई मेट्रो, वहां भी अंबानीजी ने बनाई। पहले कहा, उन्होंने हम तीन रुपए, चार रुपए, पांच रुपये किराया रखेंगे, अब किराया रखा है दस रुपये से चालीस रुपये तक। मेट्रो रेल ज्यादा लम्बी है हमारी से, पहले ही दिन मुम्बई के अन्दर 2.4 लाख, यानी ढाई लाख लोगों ने मेट्रो के अन्दर ट्रेवल किया। उनका खुद कंपनी का एस्टिमेट है कि साल का अंत होते-होते 7 लाख पैसेंजर पर-डे इस मेट्रो में ट्रैवल करेंगे और जब सात लाख लोग मेट्रो में प्रतिदिन ट्रैवल करेंगे तब भी कम्पनी कहती है हम घाटे में जाएंगे। तो राजस्थान में उससे छोटे ट्रैक के ऊपर आपकी वाएबिलिटी कैसे पैदा होगी? और वाएबिलिटी गैप भी अगर आप देना चाहते हो तो वाएबिलिटी गैप देने का भी फार्मूला है। रिफाइनरी की तरह वाएबिलिटी गैप नहीं देते।

बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कहा, 60-70 करोड़ रुपये का हर साल में खर्चा होगा, मैं यह कह रहा हूं कि 60-70 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आएगा। जैसा कि बजट में आपने सुना, मेट्रो शुरू होगी 2018 में, फेज-टू की। 80 करोड़ तो मुख्य मंत्रीजी ने ही कहा है। मेट्रो रेल का फेज-1 का बी पार्ट 2018 में शुरू होगा, रेल खरीद ली पहले ही, बजट में कहा है, 100 करोड़ रुपये की और साढ़े तीन साल बाद रेल चलेगी; चलेगी तो।

तो आपको चिंता हो रही थी, राजस्थान के किसान की। 100 करोड़ रुपया साढ़े तीन साल पहले इस्तेमाल कर लिया। मतलब, साढ़े तीन साल का 100 करोड़ का ब्याज बता दो, 42 करोड़ रुपया। रुपये-सैकड़ा का ब्याज तो साहूकारी है, 42 करोड़ रुपया तो उस 100 करोड़ रुपये पर। आपने ट्रेन पहले खरीद ली, साढ़े तीन साल पहले। पड़ी-पड़ी ट्रेन का हम इंटरेस्ट पे करेंगे 42 करोड़ रुपया और जब चलेगी, वारंटी पीरियड खतम हो जाएगा, मेंटीनेंस पीरियड खतम हो जाएगा उस डब्बे का और जब 2018 में वह डब्बा चलेगा तो मुम्बई की मेट्रो में जैसे डब्बों में पानी भर गया था, यहां तो पानी भरकर के नीचे छेद से निकल भी जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसे आपने इस मुम्बई मेट्रो की तरह राजस्थान की मेट्रो के नाम पर राजस्थान की जनता से मजाक किया है, राजस्थान के गरीब का मजाक किया है। राजस्थान की जनता पर कर्जे का भार अकारण लादा है। यह पाप है।

और दूसरा पाप करने की तैयारी यहां रिफाइनरी में कर बैठे। आपने एम ओ यू साइन किया। मैंने तब भी कहा था, इसी सदन में मैंने कहा था कि यह कौनसी इकोनोमिक्स है, हमें समझाया जाए। आपकी सरकार में बड़े-बड़े मंत्री थे, हम से उम्र में बड़े थे, हम सोचते थे, उनकी इकोनोमिक्स तो बेहतर होगी, हमें समझा सकते हैं, सीखा सकते हैं। हमने पूछा, 56 हजार करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, 15 साल में, इस बजट के लिए, जबकि यह बजट पूरा 37 हजार करोड़ का है। जब बजट ही पूरा 37 हजार करोड़ का है, उसमें 15 साल में कर्जमुक्त ऋण देगा, वह 15 साल में 56 हजार करोड़। उसमें पेट्रो काम्प्लेक्स वह भी है। वे कहते हैं, हम इतना रोजगार देंगे; रोजगार रिफाइनरी से नहीं मिलेगा, पेट्रो काम्प्लेक्स से मिलेगा। पेट्रो काम्प्लेक्स अलग से है। वह दे रहा है, 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वह भी 15 साल के लिए दे रहा है। 6 हजार करोड़ रुपये यह ले रहा है। 56 और 6, कुल 62 हजार करोड़। 62 हजार करोड़ रुपये, राजस्थान की गरीब जनता से, 15 साल के लिए कर्जमुक्त! (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कम्पनी का प्रोडक्शन जब शुरू हो जाए...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं उस पर आ रहा हूं। I am coming to this.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Can we return this money?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): I am coming. Yes. I will be talking about the capital output ratio also. If you want that the profitability is generated afterwards, that is also needed to be from the capital output ratio point of view. And I believe that there is a poor, extremely poor seeing, that a long period of 15 years or above...

श्री सभापतिः Hon'ble Members, the Chair may not be very photogenic, but I will request you to deliberate your expression directly to the Chair.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): I believe that the Chair is so much photogenic, but I have seen so much of it.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसी बात नहीं है, बहुत फोटोजनिक फेस है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इतना सब होने के बाद भी 26 परसेंट का शेयर, आपने एम ओ यू साइन कर लिया। सरकारी मजबूरी होगी, रिजुवनेट करके सरकार जितना बचा पाएगी, राजस्थान की गरीब जनता के हितों को बचाने की कोशिश करेगी, आपकी मिसडीड्स को ठीक करने की कोशिश करेगी। इस तरह, आपकी दोनों तरह की मिसडीड्स हैं, आपकी मेट्रो में है, यहां मिसडीइस है। यह पाप है। It's an economic sin. It's a fiscal sin. इस फिस्कल-सिन को करेक्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपके इन नासमझी भरे कदमों से और आपकी वित्तीय अकुशलता के कारण जो अराजकता पैदा हुई है, यह केवल अकुशलता ही नहीं थी, आपका मायोपिक एटिट्यूड, दिखता नहीं दूर, पास का दिखता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये कहीं-कहीं पर दृष्टिहीन भी हो जाते हैं। इसलिए ये पूरे पांच साल में संभल नहीं पायें कि राजस्थान की आर्थिक समस्याएं क्या हैं, उनका निदान क्या हो सकता है और राजस्थान की जनता की आकांक्षा क्या है। वह परम्परागत बजटीय सोच, बजटीय शैली; गत बार कितना खर्चा हुआ, दौ सौ रुपये; कर दो, भाई, दौ सौ पांच रुपया; किस पर कर दो, जिसमें मर्जी आये, उसमें लिखा हुआ है, उसके आगे कर दो।

I am not talking about the refinery now. I am talking about the economics of Rajasthan now. I am finished on refinery.

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह राजस्थान की ग्रोथ रेट 8 से घटकर 4 आ गई और यहां लाखों की संख्या में परिवार हैं, जहां शौचालय नहीं हैं; लाखों की संख्या में परिवार हैं, जहां पेयजल नहीं पहुंचा। इस राजस्थान की इकोनोमी को अगर ...(व्यवधान) तो एक फोर्स मल्टीप्लायर की जरूरत है, एक ऐसे विजन की, ऐसी पालिसी की जरूरत है जो गेम-चेंजर हो। जब तक गेम चेंजर इकोनोमिक्स नहीं आएगी, जब तक फोर्स मल्टीप्लायर इकोनोमिक्स नहीं आएगी, जब तक सीवियर इन्फ्यूजन आफ इकोनोमिक फैक्टर्स, सीवियर इन्फ्यूजन आफ कैपिटल नहीं आएगा, तब तक, राजस्थान 66 साल तक लंगड़ाते-लंगड़ाते चलता रहा, वैसा ही लंगड़ाते-लंगड़ाते आगे चलेगा। आपके राज में आपने हालात और खराब कर दिये।

राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाना है, राजस्थान को सशक्त, मजबूत और समृद्धशाली राजस्थान के रूप में अगर पैदा करना है तो आपकी जो कंटेम्परेरी इकोनोमिक्स है, आपकी जो कंवेशनल इकोनोमिक्स है, उसके लिए चाहिए विजन-फोर-विजडम। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की यह विजन-फोर-विजडम की जरूरत थी, जिस तरह की राजस्थान की इकोनोमी में चेंज की जरूरत थी, जिस प्रकार की कैटेलिस्ट एक्टिविटी की जरूरत थी इकोनोमी के अन्दर, जिस प्रकार की बूस्ट और थ्रस्ट की जरूरत थी राजस्थान की इकोनोमी के अन्दर, इस बार की मुख्य मंत्री ने इस प्रकार का बजट पेश किया है कि राजस्थान के आर्थिक इतिहास में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं। यह वह बजट है जो इन्क्रीमेंटल बजट नहीं, यह ट्रांसफोर्म करने वाला बजट है। यह ट्रांसफोर्म करेगा राजस्थान की इकोनोमी को। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी ने मैसिव रिफार्म्स किये हैं, सब्स्टेंशियल रिफार्म्स, आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं कई नीतियों के अन्दर और उसका परिणाम आप देखेंगे आने वाले समय में, जब राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अन्दर सीवियर पावरफुल इन्वेस्टमेंट का बूस्ट पैदा होगा, जो ग्रोथ के रूप में दिखेगा, एम्प्लायमेंट के रूप में दिखेगा। आप जहां-जहां जाएंगे हर आयाम में नजर आएगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो इकोनोमी स्टेगनेंट हो गई है, माननीय सभापति महोदय, गये पांच साल, इसमें जो इर्नेशिया पैदा हो गया इकोनोमी के अन्दर, इस इकोनोमी में अगर मूमेम्टम पैदा करना है, गतिशीलता पैदा करनी है, अगर पैदा करनी है, तो मल्टी-डाइमेंशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन की जरूरत है। अब यह मल्टी-डाइमेंशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन कैसे आएगा? आज किसी भी इकोनोमिस्ट से बात कर लीजिए, उन लोगों से भी बात कर लीजिए, जो दिल्ली के अन्दर राज में रहे हैं, आपकी पार्टी के राज में। सब बात करते हैं डिस्इन्वेस्टमेंट की, सब बात करते हैं पी पी पी मोडल की, सब बात कर रहे हैं कि रिफार्म्स कैसे लाया जाए, रिजुवनेट करने के लिए पालिसीज क्या लाई जाएं? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी इकोनोमिक आइडियाज लेटेस्ट टाइम पर इस वक्त इकोनोमीक को बूस्ट करने के लिए हैं, चाहे वह मर्जर हो, चाहे वह इन्वेस्टमेंट को तेज करने का वातावरण बनाने की बात हो, इन सारी चीजों को देखेंगे तो इस राजस्थान के अकेले बजट के अन्दर सभी प्रकार के डाइमेंशन, जो राजस्थान की इकोनोमी को बूस्ट पैदा करने के लिए हो सकते हैं, राजस्थान की जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए हो सकते हैं, जो राजस्थान की 4 परसेंट की ग्रोथ रेट को 12 परसेंट की ग्रोथ रेट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पर ले जा सकते हैं जो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय को 2.9 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक ले जा सकता है, वे सारे इनके इस बजट में मिलेंगे।

इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डोटासराजी को, वे आधा घंटा बोले, लेकिन बजट के बारे में कुछ खिलाफ नहीं बोले। आधा घंटे बोले, किसान की चर्चा जरूर करते रहे, मानसून की चिन्ता उनको है, हमको भी है, लेकिन बजट की किसी भी चीज के बारे में उन्होंने नहीं कहा।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को अगर समृद्ध राज्यों की श्रेणी में लाना है तो इस इन्वेस्टमेंट का इन्फ्यूजन बहुत जरूरी है और आप जानते हों, सभापति महोदय, इकोनोमिकल सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकोनोमी के लिए कितना जरूरी है। किसी भी इकोनोमी को वाइब्रेंट इकोनोमी बनाने के लिए, फ्लोटिंग इकोनोमी बनाने के लिए, इस तरह के सोशल और इकोनोमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट बहुत ऊंची है। वह इकोनोमी में बूस्ट तो पैदा करता है लेकिन खुद बहुत कास्टली अफेयर है, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव अफेयर है और राजस्थान की जिस प्रकार की आर्थिक हालत इन पांच साल में हुई, वह किसी सरकार के वश में नहीं है कि राजस्थान में इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड का इकोनोमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बूते पर खड़ा कर सके।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सड़कें जो बनाना चाहते हैं, बीस हजार किलोमीटर सड़कें पांच साल में, ये सड़कें केवल परिवहन की सड़कें नहीं हैं; सड़कें केवल परिवहन का रास्ता नहीं हुआ करती हैं, यह विकास का रास्ता है, यह आर्थिक गतिविधियों का रास्ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिए मुख्य मंत्रीजी ने बीस हजार किलोमीटर की सड़कें, जिनमें 70 हजार करोड़ का निवेश होगा। 70 हजार करोड़ का निवेश होगा। आप अंदाजा लगाइये, बीस हजार करोड़ रुपये के आसपास राजस्थान की सरकार का लगे और बीस हजार करोड़ राजस्थान की सरकार का पैसा कैटेलिस्ट की तरह काम करे और पचास हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अट्रेक्ट करके ले आए। इससे बड़ा आर्थिक सफलता का कोई खाका बन नहीं सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यों 70 हजार करोड़ रुपये इकोनोमी में पंप हों और इस प्रकार की जितनी भी और योजनाएं, जो बातें आप कर रहे थे, उनमें सालों में जो एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, प्राइवेट सेक्टर से आएगा, यहीं इसी इकोनोमी में लगेगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि ये सड़कें जो हम बीस हजार

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

किलोमीटर की बना रहे हैं, ये केवल सड़कें नहीं होंगी; मैं आज ही आपको निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के भाग्य की लकीरें सिद्ध होंगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, पावर। एनर्जी इकोनोमी का पावर हाउस है। इसके बिना माडर्न इकोनोमी की कल्पना की नहीं जा सकती। लेकिन गये पांच साल में इस पावर हाउस ने तो 75 हजार करोड़ का कर्जा ले लिया, इस पावर हाउस से तो बैंक डरने लग गये। अब इतना कमजोर, इतना फीबल पावर हाउस राजस्थान की इकोनोमी में थ्रस्ट कैसे पैदा कर सकता है? सबसे बड़ी जरूरत है कि यह जो 75 हजार करोड़ रुपये का कर्जा इन कंपनियों को हो गया है, जिससे यह पावर हाउस अपनी पावर को खो चुका है, इस पावर हाउस को राजस्थान की इकोनोमी का इंजन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि मल्टीडाइमेंशनल प्लान करके, इस पूरे के पूरे सिस्टम को रेजुवनेट किया जाए। जब तक इसको हम रिजुवनेट नहीं करेंगे, उसको मजबूत नहीं बनायेंगे, तो कोई भी इकोनोमी, बिना-एनर्जी-डेफिसिट इकोनोमी जब लगातार एनर्जी डेफिसिट होती जाए और एनर्जी डेफिसिट के साथ-साथ इकोनोमिक डेफिसिट को पैदा करती जाए, वह सस्टेनेबल नहीं हो सकती। वह सस्टेनेबल इकोनोमी नहीं हो सकती और वह जनता के लिए भी शुभ नहीं होती।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने कई तरह के कोर्सेज लिये हैं, इसको ठीक करने के लिए, रेजुवनेट करने के लिए। 36 हजार करोड़ का जो शार्ट टर्म लोन है, उसको लोंग टर्म में बदलने की कोशिश की है, लोंग टर्म में बदला है। 18 हजार करोड़ रुपये का कर्जा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। इस 36 हजार को लोंग टर्म में कन्वर्ट करने के बाद और 18 हजार करोड़ के कर्जे को अपने पर लेने के बाद भी, बिजली कंपनियों को दस हजार करोड़ रुपये का ब्याज हर साल देना पड़ता है। दस हजार करोड़ का मतलब, जब नींद हमारी खुलती है तो नींद खुलने के साथ ही 28 करोड़ रुपये का ब्याज तो बिजली कंपनियों को देना पड़ता है, अपने कर्जे का; 28 करोड़ रुपये रोज का!

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बीमार है, यह बीमार अर्थव्यवस्था को बीमार कर देगा और अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सबसे जरूरी है कि इस पावर हाउस को किस प्रकार से करेक्ट किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह का रेजुवनेट करने का प्लान

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इनिशियल लेवल पर राजस्थान की सरकार ने एंविसेज किया है, विजुएलाइज किया है, जिस तरह से रिओर्गेनाइज करना चाहते हैं उनके लोन्स को और सारे लोन्स को किस प्रकार से लोंग टर्म में तब्दील किया जा सके, दिल्ली की सरकार के साथ उसकी चर्चा करेंगे और पी पी पी माडल पर वितरण कम्पनियों का काम चलाकर देखने की कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिब्यूशन की कम्पनीज पर पी पी पी माडल कितना कारगर हो सकता है, और अगर यह माडल कारगर हो गया तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरे डायमेंशंस को बदलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी उत्पादन व प्रसारण कम्पनियों का डेट इक्विटी रेश्यो है 80:20, यानी 80 कर्जा और 20 प्रतिशत इक्विटी। इसमें भी करेक्शन की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने इस डैट-इक्विटी रेश्यो का करेक्शन करने की कोशिश की है। अब 70:30 रहेगा, 70 परसेंट डैट और 30 परसेंट इक्विटी। इक्विटी के अन्दर भी क्या होगा, इक्विटी पर लाभ देने का निर्णय किया है। इक्विटी पर लाभ देने के निर्णय से, इक्विटी पर अगर आप लाभ देने लगेंगे तो उससे बाजार से आप इक्विटी कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं और इक्विटी कैपिटलाइजेशन करने का मतलब हुआ कि बहुत सस्ती दर का कर्ज, सस्ती दर का पैसा आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चा हम पिछले दस-बीस साल से सुन रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान में डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है और डिसइन्वेस्टमेंट के चलते रिसोर्स को मोबिलाइज किया गया है, अगर हमने विद्युत कम्पनी के इस 30 परसेंट शेयर में से 10 परसेंट शेयर को प्रोपरली इंवेस्ट किया, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना तेज होगा, प्रद्युम्न सिंहजी साहब, कि दस परसेंट इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने के बाद भी जो वर्थ है बचे हुए बीस परसेंट की, वह वर्थ भी उस तीस परसेंट के बराबर होगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी के बारे में राजस्थान जिस प्रकार से काम कर सकता है, उसके बारे में आप सबको अंदाजा है। सरकार ने पहली बार इसके पोटेंशल को समझा है और पोटेंशल को समझने के साथ, सवा लाख करोड़ का विनियोजन किस प्रकार से इस सोलर सेक्टर में हो जाए, इसकी चिन्ता सरकार ने की है। अगर हम पच्चीस हजार मेगावाट का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं पांच साल में और सवा लाख करोड़ का विनियोजन, जिसमें राजस्थान की सरकार की 26 परसेंट इक्विटी, जमीन के साथ; अगर इसको हम बहुत ढंग से पूरा कर सकते हैं और सदन के पूरे लोगों

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

के समर्थन के साथ पूरा कर सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान को सबसे तेज विकसित होते हुए राज्य के रूप में हम फैला देंगे। इसमें कोई चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

तीसरी चीज, अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर। अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने देखा होगा कि पचास-साठ साल में धीरे-धीरे कई एजेंसीज कई कंपनियां डवलप हो गईं। मोटे तौर पर एक ही काम करती हैं, एक जैसा ही काम करती हैं। आर एफ सी, रीको, अब रीको जमीन बेचने लग गया, आर यू आई डी पी वह ही काम करती है। बाकी कई कंपनियां हो गईं जो इंफास्ट्रक्चर का काम करती हैं। ये मल्टीप्लिसिटी आफ कंपनीज जिनमें आब्जेक्टिविटी मोटे तौर पर एक ही हो, उसके अन्दर टास्क अलग करने से उसकी कास्टिंग बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी घटती है। इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से, आज अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार का नया इन तीन, आर यू आई डी पी को, आर यू आई एफ डी सी और आवास विकास एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तीनों को मर्ज करके जो राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन बनाया है, मैं सोचता हूं कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन की जरूरत और भी कई जगह हैं। पब्लिक सेक्टर में कई एंटरप्राइजेज ऐसे काम कर रहे हैं जिनको रिव्यू करने की जरूरत है और रिव्यू करने के बाद कई एंटरप्राइजेज ऐसे हो सकते हैं जिनके मर्जर के बाद में वे वाएबल हो जाएंगे, उनके मर्जर के बाद वे स्ट्रेंथन हो जाएंगे।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस निवेश की, हम बार-बार पी पी पी की चर्चा करते हैं और जो मल्टीडाइमेंशनल इन्वेस्टमेंट राजस्थान में हम इस बजट के द्वारा लाना चाहते हैं और जो ग्रोथ पैदा करना चाहते हैं, किसके लिए, एम्प्लोयमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए और हम डवलपमेंट कैसा चाहते हैं, इंक्लूजिव। हमारे डवलपमेंट से ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंक्लूजिव डवलपमेंट करना और इंक्लूजिव डवलपमेंट की चर्चा में कहा कि राजस्थान के किसान की कीमत तो केवल 13 हजार रुपये रह गयी है, 13 हजार रुपये प्रति साल रह गयी है। तो अगर ग्रोथ हमारी 20 परसेंट चली भी जाए, 25 चली जाए और उस गरीब लादूराम का अगर विकास नहीं होता है तो उस विकास का कोई मतलब नहीं है। रैपिड डवलपमेंट पहला इश्यू है और रैपिड डवलपमेंट, दूसरा सस्टेनेबल डवलपमेंट और इन दोनों चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंक्लूजिव ग्रोथ। इक्विटेबिलिटी सोसायटी में रह रही है या नहीं, सोसाइटी में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जस्टिस को डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है कि नहीं, इकोनोमिक जस्टिस को डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है कि नहीं, सोसायटी में क्वालिटी आफ लाइफ को प्रोपरली डिस्ट्रिब्यूट कर रही है या नहीं, यह इकोनोमी और सोसाइटी में हैप्पीनेस के इंडेक्स को फुल्ली डिस्ट्रिब्यूट कर रहा है या नहीं।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के निवेश के प्रोत्साहन की नीति राजस्थान की सरकार लाना चाहती है, जिस प्रकार के निवेश के माध्यम से कस्टमाइज्ड पालिसीज लाकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहती है और डिफेंस सेक्टर के अन्दर एफ डी आई और प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेट कराने की जो नीति लगातार बनाना चाहती है, वह निश्चित रूप से सफल होंगी। खास तौर से, आपने देखा होगा, इन नौ महीनों के अन्दर फैक्टरीज एक्ट के अन्दर, कांट्रेक्ट लेबर एक्ट के अन्दर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्दर, बायलर एक्ट के अन्दर, जिस प्रकार का बदलाव करने का मन इस सरकार ने बनाया है, आप देख रहे हैं, आप खुद जानते हैं, आज से बीस-तीस साल पहले आप लोग छोटी-छोटी फैक्टरियों में जाते थे तो वहां लाल झंडा यूनियन होती थी। पांच लेबर, लाल झंडा यूनियन और जाकर देखें तो फैक्टरी बंद। जहां-जहां हमने पांच-दस लेबर देखे, वह कोई भी झंडा यूनियन, लाल झंडा, पीला झंडा, हरा झंडा, कोई सा भी झंडा लग गया, झण्डा लग गया, झण्डा लग गया, मतलब, ताला लग गया। इंडस्ट्रियलिस्ट हाथ जोड़ने लग गया, भागने लग गया। कोई भी अपना पैसा खतरे में नहीं डालना चाहता। लेकिन जिस दिन से लेबर रिफोर्म्स राजस्थान की सरकार ने करने का मन बनाया है, अगर यह लेबर रिफोर्म्स को हमने पूरे ढंग से कर लिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेबर रिफोर्म्स अगर पूरे ढंग से कर लिया, तो मल्टी-डाइमेंशन के इन्वेस्टमेंट जो हम लाना चाहते हैं नई निवेश नीति के द्वारा, इंडास्ट्रायलाइजेशन के द्वारा, डिफेंस इलाके में, निश्चित रूप से इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, जितना हमारा बजटी इन्वेस्टमेंट, प्लान का इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं हो पाता, सरकारी, उससे तीन-चार गुणा इन्वेस्टमेंट राजस्थान की इकोनोमी में आने वाला है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी कह रहे थे, किसानों की बात नहीं है; दूध का उत्पादन तिगुना करेंगे, दुगना करेंगे और चिलिंग प्लांट की कैपेसिटी को तिगुना करेंगे, किसके पास होता है दूध? हमने साथ में यह भी

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कहा है, हमारा विजन डाक्यूमेंट कहता है कि एग्रीकल्चर प्राडेक्टिविटी, राजस्थान की एग्रीकल्चर प्राडेक्टिविटी कम है, उस एग्रीकल्चर प्राडेक्टिविटी को हम हरियाणा के बराबर करना चाहते हैं, पंजाब के बराबर करना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सम्पूर्ण तरह से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होकर, एम्प्लायमेंट किस प्रकार से जनरेट हो जाए, जिससे गरीब का भला हो सके, किसान का भला हो सके। मजदूर का भला हो सके, नौजवान का भला हो सके और राजस्थान उसके स्किल डवलपमेंट के माध्यम से आने वाले समय के अन्दर एक मजबूत राजस्थान के रूप में हिन्दुस्तान के नक्शे में खड़ा हो सके, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिनरल पालिसी मीट किया है।

सभापतिजी, एक चीज और मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में, हम सब जानते हैं, राजस्थान में पानी नहीं है, कम है। एनर्जी में जितने रिफोर्म्स हम करना चाहते हैं, अगर रिफोर्म्स ढंग से कर लिया, तो, हो सकता है, एनर्जी के मामले में हम सेल्फ-रिलाइंट हो जाएं, पर फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। जब पानी ही नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं बढ़ सकता, एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता। (व्यवधान) अब आप जैसे लोगों की दुराशीष से यह भी कभी-कभी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की इकोनोमी में दो-तीन इलाके ऐसे हैं, जहां पर ढंग से काम किया जाए तो न ज्यादा पानी की जरूरत है, न ज्यादा बिजली की जरूरत है।

आप देखें, दिल्ली के आसपास नोर्थन इंडिया में जितना भी लोजेस्टिक्स अशोकजी परनामी ज्यादा जानते हैं, दिल्ली के आसपास गोडाउंस लोजेस्टिक्स पूरा, बड़ी-बड़ी कम्पनियां, दिल्ली की जमीनों के भाव बहुत ऊंचे हैं, हमारे पास बिजली ज्यादा नहीं है, हमारे पास पानी ज्यादा नहीं है, लेकिन जमीन हमारे पास औरों से ज्यादा है। इसलिए जमीन का हम लोजेस्टिक्स इसमें शिफ्ट करने में इस्तेमाल करें तो नोर्थ इंडिया के अन्दर लोजेस्टिक्स का हब दिल्ली के बजाए राजस्थान का कोई कस्बा बन सकता है।

डी एम आई सी, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर पर राजस्थान की सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। डी एम आई सी कोरिडोर को, जहां पूरे के पूरे इलाके, बहुत बड़ा इलाका राजस्थान से होकर गुजर रहा है, डी एम आई सी के प्लान के हिसाब से 150 किलोमीटर एक तरफ और 150 किलोमीटर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एक तरफ इसका इंफ्लुएंस जोन, माननीय सभापति महोदय, इस इंफ्लुएंस जोन को जोड़ने में, राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा इस डी एम आई सी की इंफ्लुएंस जोन में आता है। जापान के इस मैसिव इन्वेस्टमेंट के अन्दर, हमारे लोगों को प्रमोट करके इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके, इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा करके, इसका हम अनुकूलतम उपयोग कर लें, उपयुक्त उपयोग कर लें, राजस्थान को हम हिन्दुस्तान की सबसे बडी इकोनोमी में तब्दील कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस बजट में डी एम आई सी में कहा गया, हम एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूं, डी एम आई सी के बारे में और ज्यादा ढंग से, और ज्यादा काम्प्रीहेंसिवली इसके डवलपमेंट के बारे में, इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में चिंता करनी चाहिए और इसकी चिंता अगर हमने ढंग से की, तो डी एम आई सी राजस्थान के फोर्च्युन को बदलने वाला सिद्ध हो सकता है।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का राजस्थान की मुख्य मंत्री ने बजट पेश किया है, यह एनर्जी के लिए, एम्प्लायमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, एक्सीलेंस के लिए, इकोनोमिक ग्रोथ के लिए, स्किल डवपलमेंट के लिए, जैसा पहले भी निवेदन किया, यह बजट गेम चेंजेर बजट होगा। यह सुराज के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का बजट है, जो राजस्थान को 12 परसेंट विकास दर देगा। जो स्थिति पहले हमारी थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्थिति पहले थी, उसी प्रकार के कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, उससे भी ज्यादा तेज गति देकर, राजस्थान का विकास करके, राजस्थान को हिन्दुस्तान के समृद्ध राज्यों के बीच खड़े करने वाला यह बजट सिद्ध होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा विजनरी डाक्यूमेंट पेश किया है और इतने ज्यादा आयामों को समाहित करते हुए, राजस्थान का बजट राजस्थान की जनता को समर्पित किया है। मैं सोचता हूं, इस बजट का सही उपयोग अगर राजस्थान की सरकार ने किया, राजस्थान की जनता ने किया, तो मैं समझता हूं, आने वाला टाइम, निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान की जनता के लिए पासा पलटने वाला बजट होगा और विकास के लिए यह गोल्डन गेटवे सिद्ध होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

आपने मुझे समय दिया, जिसमें इस बजट के बारे में कुछ चर्चा कर पाया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, इस बजट को लेकर प्रदेश की जनता में बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी प्रदेश में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा किए, बहुत सरकारी नौकरियां दीं, विकास का एक महाअभियान उनके कार्यकाल में हुआ। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थीं, सरकार के माध्यम से हमको एक के बाद एक लगातार मिलती रहीं और हमारी अपनी कई समस्याएं, जिनको राजस्थान की जनता वर्षों से भोग रही थी, उन समस्याओं से मुक्ति उस काल में मिली।

चुनाव के पहले जो विश्वास जनता के मन में था, कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मात्र लोक-लुभावनी कुछ योजनाएं सत्ता प्राप्ति के लिए लागू कीं, उनके मन में न तो प्रदेश के विकास का कोई ठोस प्रारूप था, या रोजगार के नये अवसर पैदा करने की कोई ऐसी बड़ी योजनाएं थीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसके बावजूद भी एक विश्वास का मत जो प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसको पूरा करने का संकल्प इस बजट में स्पष्ट दिखता है।

बजट के बारे में जिससे भी बात करो, तो हर व्यक्ति इसकी तारीफ करता नजर आ रहा है। कहीं आलोचना की कोई गुंजाइश ही इस बजट में किसी व्यक्ति को नजर नहीं आती। कोई छोटे-मोटे टैक्स लगाएं, तो जनता ने सहर्ष स्वीकार किया कि नहीं, यह आवश्यकता है आज की; लगाए होंगे, सरकार को पैसा चाहिए। किसी ने कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की।

एक ऐसा बजट जो इन पांच सालों में राजस्थान की नई तस्वीर राजस्थान की जनता के सामने पेश करेगा, यह ऐसा बजट है। 20 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें, जैसा मेरे से पूर्व सदस्य ने कहा था कि ये तकदीर की लकीरें हैं, वाकई में ये तकदीर बनाने वाली सड़कें हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के पहले कार्यकाल में भी सड़कों का जाल राजस्थान के गांव-गांव तक बिछा था और अब इस कार्यकाल में तो जो उन्होंने खाका पेश किया है, उससे बहुत सुखद अहसास मन को होता है कि हम बहुत जल्दी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे।

जहां ज्यादा जनादेश होता है, अपेक्षाएं भी ज्यादा होती हैं; उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं और इस बजट के साथ जनता की अपेक्षाएं, उम्मीदें कल पूरी हुईं। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आपने वाकई में करिश्मा किया है कि इतनी लचर अर्थव्यवस्था के बाद भी आपने ऐसा शानदार बजट इस प्रदेश की जनता को समर्पित किया, जिसको लेकर प्रदेश की जनता अपने उस निर्णय पर बहुत खुश है कि हमने इस पार्टी को बहुत बड़ा जनादेश दिया है।

माननीय सभापति महोदय, चुनाव से पहले जनता के मन में सबसे बड़ी बात थी कि हमें आने वाली सरकार से रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। किसी ने सहायता की बात नहीं की ज्यादा। सहायता तो कांग्रेस की सरकार ने काफी सारी दी होगी, पर राजस्थान का स्वाभिमानी मतदाता सहायता नहीं चाहता था, एक शक्ति चाहता था, जो सरकार के माध्यम से मिले और उसके बूते वह खुद अपने लिए कुछ न कुछ पैदा करे।

ग्रामीण क्षेत्रों में तो, विशेष तौर से जो पानी का प्रबंधन है, कि यह जो हमारा पानी व्यर्थ चला जाता है, उसका बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जाए, इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को जनता के सामने पेश कर दिया कि हम पानी के बहुत बेहतर प्रबंधन के लिए बहुत गम्भीर हैं और बहुत जल्दी जो नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना है, या तालाब को भी इसमें सम्मिलित करने की योजना है, उसकी शुरुआत भी हो गई।

राजस्थान की जनता जो बेरोजगारी को लेकर त्रस्त थी, उसमें भी इस बजट में काफी सम्भावनाएं हैं। अनेक सारी योजनाएं, जिनके माध्यम से वह हुनर प्राप्त करे, कौशल प्राप्त करे और उस हुनर और उस कौशल के माध्यम से वह अपने लिए रोजगार प्राप्त करे, अपने परिवार की आय को बढ़ाये। इसकी इतनी सारी सम्भावनाएं। राजस्थान का बेरोजगार युवक यदि इन योजनाओं का लाभ उठा ले तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां पर बेरोजगारी की है, उसमें बहुत तेजी से कमी आएगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पिछली सरकार की एक बहुत महती योजना थी, 'भामाशाह' योजना। हमारी मुख्य मंत्रीजी का सपना भी था कि इस योजना के माध्यम से जो गरीब व्यक्ति हैं, विशेष तौर से जो महिला हैं, उनको भी मैं कुछ दूं। कांग्रेस की सरकार ने इस महती योजना को बंद कर दिया। हमारी सरकार ने इस योजना को वापस आते ही, पहले साल लागू करने के साथ-साथ, इसमें राशि की बढ़ोतरी भी की और इतना ही नहीं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनको इससे जोड़ दिया गया।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बात चली थी आज शून्य काल के दौरान कि पेंशन आनी चाहिए पर आती नहीं, कहीं मिली नहीं वह, और ऐसे लाखों लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। जब यह 'भामाशाह' योजना लागू हो जाएगी तो इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। सरकार की और भी योजनाएं हैं, जिनमें व्यक्तिगत लाभ मिलता है, पर लाभ से पात्र व्यक्ति वंचित रह जाता है। जिस दिन से यह 'भामाशाह' योजना हो गई, सारी की सारी योजनाएं उसमें सम्मिलित हो जाएंगी और हर व्यक्ति को जो लाभ मिलना है, वह इस योजना के माध्यम से मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस खराब स्थिति में यह बजट पेश किया, बहुत खराब स्थिति थी। अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब थी। कइयों के मन में शंकाएं हैं कि अकाल पड़ा है, बहुत सारी समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, रोजगार की समस्या है, पिछली सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, इन सबको समाहित करते हुए किस प्रकार वे आगे की और बढ़ेंगी, क्योंकि सदन के सभी माननीय सदस्यों को पता है कि पिछली सरकार ने जाते-जाते, बिना सोचे-समझे, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लागू कर दीं, जिनमें आने वाली सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा, इसकी चिंता नहीं की, पर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उन एक भी योजना को बिना बंद किए, अफवाहें बहुत फैलाईं कांग्रेस वालों ने कि यह भाजपा वाले आपकी पेंशन बंद कर देंगे, किसी की बंद नहीं की। पालनहार योजना में जो नए प्रावधान किए, वे बंद कर देंगे; महानरेगा, वह बंद कर देंगे; नि:शुल्क चिकित्सा योजना, वह बंद कर देंगे, पिछली सरकार की सारी की सारी योजनाओं को जारी रखते हुए, आगे की ओर बढ़ना और वह भी बहुत तेज गति से, वह इस बजट में स्पष्ट नजर आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जहां से आता हूं, टैक्सटाइल का बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पर और हमारी सरकार ने इस बजट में अनाउंस किया है कि हम राजस्थान में नई टैक्सटाइल पालिसी लाएंगे और इस टैक्सटाइल पालिसी के माध्यम से हम यहां के औद्योगिक विकास में, सरकार की ओर से बहुत योगदान देंगे। राजस्थान में टैक्सटाइल में इतनी ज्यादा सम्भावनाएं हैं कि अगर सरकार टैक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कुछ योगदान दे दे तो लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है इस टैक्सटाइल उद्योग में। हमारी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सरकार ने इसकी शुरुआत कर दी। एक महीने के अन्दर-अन्दर नई टैक्सटाइल पालिसी लाकर इसको बढ़ावा देने का एक प्रयास, एक इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने बता दी। मैं पाली के बारे में कह सकता हूं कि पाली में अभी जितनी टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और जितने लोग वहां टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लगभग 35 हजार के करीब, अब तक तो विपरीत परिस्थितियां थीं तो भी इतनी तेजी से यह उद्योग पनपा; कई तरह की सरकारी अड़चनें थीं, अड़ंगे थे, तो भी उद्यमी ने अपनी हिम्मत के साथ इस उद्योग को जिंदा रखा और हजारों लोगों को रोजगार दिया, ऐसे में यदि सरकार इस टैक्सटाइल पालिसी के जरिए उद्योगों को बढ़ावा देगी तो जितनी यूनिट आज लगी हुई हैं, उनसे भी बड़ी संख्या में यूनिट लगने को तैयार पड़ी हैं। लोग तैयार बैठे हैं। सरकार की मदद चाहते हैं, सरकार से सहयोग चाहते हैं। अगर इतनी यूनिट लग गई तो आज तो 35 हजार लोग इससे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और हजारों लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हो जाएगा।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार तक यह बात भी पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे पाली में एक साल पहले पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों द्वारा नया गांव औद्योगिक क्षेत्र का उद्‌घाटन किया गया था, एक-डेढ़ साल पहले लेकिन अब तक वहां पर कोई भूखण्ड का आबंटन नहीं हुआ। उद्यमी तैयार बैठे हैं, भूखण्ड लेने के लिए, नया उद्योग लगाने के लिए। मैं सदन के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि जो भूखण्ड वहां पर तैयार पड़े हैं, जिनमें सड़कें बन गईं, पाइप लाइन्स बिछ गईं, नाले बन गए, बिजली के पोल लग गए, ट्रांसफार्मर्स लग गए, सब कुछ हो गया, सिर्फ आपको पैसा लेना है उनसे और जो राशि आप चाहेंगे, वे देने को तैयार हैं, जल्दी इनके आबंटन की प्रक्रिया चालू करें ताकि नए उद्योग लगाने वालों को एक मौका मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह भी चाहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार है, हम अपनों से मांगने में कोई हिचक नहीं करते और मुझे पता है कि हमारी मुख्य मंत्री इतनी दयालु हैं कि जो चाहती हैं, वह देती हैं, कभी मना नहीं करतीं, पिछली बार भी बहुत दिया, इस बार बजट में भी बहुत दिया, पर देने के बाद भी कहीं न कहीं इच्छा रहती है कि यह भी मिल जाये, वह भी मिल जाये। सब कुछ मिलने की एक मन में इच्छा रहती है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ-साथ पोल्यूशन की समस्या खड़ी रहती है हमेशा। जहां उद्योग होंगे, वहां प्रदूषण होगा और जब प्रदूषण होता है तो उद्यमी और

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

किसान में टकराव पैदा होता है। दोनों आमने-सामने खड़े हो जाते हैं और जब टकराव होता है तो औद्योगिक विकास में बाधा पैदा होती है। ऐसा नहीं कि प्रदूषण का कोई समाधान नहीं है। सरकार और उद्यमी दोनों मिल जायें तो प्रदूषण का समाधान है। हमने पिछले छह महीने के कार्यकाल में प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक ठीक किया, उसको दुरुस्त किया। लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रदूषण से निपटने के लिये, उसमें काफी राशि की जरूरत पड़ती है। उद्यमी अपनी ओर से योगदान देता है, बहुत बड़ी राशि वह देता भी है उसको चलाने के लिये, नया बनाने के लिये, पर यदि इसका समूल निदान करना है तो सरकार की ओर उद्यमी देख रहा है। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा, आप इस समस्या के समाधान के प्रति पहले गम्भीर हैं, मुझे पता है, पहले उन्होंने बहुत चिन्ता भी जाहिर की है, सुराज यात्रा के दौरान, लोक सभा चुनाव के दौरान उन्होंने वहां कहा भी था कि सरकार इसमें मदद करेगी; मैं सदन के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से मदद चाहूंगा कि उद्योगों को तेजी से बढ़ाने के लिये और इस समस्या के समाधान के लिये, प्रदूषण निवारण हेतु कुछ न कुछ सहयोग सरकार की ओर मिल जाये ताकि इस समस्या से हमको मुक्ति मिल जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो वैसे भी मुख्य मंत्रीजी का बहुत ज्यादा आभारी हूं, कल बजट में मुझे जो दिया, पाली में मेडिकल कालेज खुलेगा; सुबह से बधाई के फोन आ रहे थे, बहुत बड़ा काम हो गया पाली के लिये, और बजट में राशि का प्रावधान भी कर दिया। हमने जमीन की पहले से व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी, हमारी सरकार हमें यह देगी। परन्तु वर्तमान में कुछ डाक्टरों के पद रिक्त हैं। मेडिकल कालेज खुलने में दो-तीन साल लग जायेंगे, पर वर्तमान में जो पद रिक्त हैं, हम उसके लिये भी, चिकित्सा मंत्रीजी यहां हैं नहीं, उनसे आग्रह रहेगा कि बहुत बड़ा तोहफा आपने दे दिया, अब छोटी-छोटी सौगातें हैं, वे भी हमको मिल जायें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पाली को पानी के मामले में भी बहुत कुछ दिया सरकार ने, पाली शहर के पानी प्रबन्धन के लिये 350 करोड़ की मंजूरी। मैं सदन के माध्यम से पाली की जनता की ओर से हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार तो प्रकट करूंगा, लेकिन साथ में यह भी आग्रह करूंगा कि पाली शहर के अलावा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है रोहट, वहां भी पानी की समस्या रहती है। एक बड़ी सौगात आपने वहां

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

दे दी, वरना वहां यह झगड़ा चालू हो जायेगा कि शहर को तो आपने बहुत कुछ दिला दिया, गांव को आपने पीछे छोड़ दिया। मेरा सदन के माध्यम से उनसे आग्रह रहेगा कि रोहट तो हमेशा पेयजल संकट से त्रस्त रहता है, जितनी बड़ी सौगात आपने शहर के लिये दी, वैसी सौगात वहां आप दे दो। आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जायेगी वहां के क्षेत्र के लिये।

माननीय सभापति महोदय, अब सबको पता है कि राजस्थान अकाल की मार बार-बार झेलता है और राजस्थान की जनता के मन में जो हमारे पशु हैं, उनके प्रति भी बहुत अच्छी भावना है और इसी कारण से राजस्थान में गौवंश बचा हुआ है। राजस्थान में हजारों-हजारों गौशालाएं होंगी, जो सूनी गायों को अपने खर्चे से पाल रही हैं। लेकिन जब अकाल होता है तो जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं, उनके सामने भी आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। बरसात में तो चारा पैदा हो जाता है, चारा खाने को मिल जाता है, थोड़ी-बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है पर अकाल के दिनों में जब चारा बिलकुल नहीं मिलता तो चारा महंगा भी हो जाता है। पिछले कई सालों से देखा है मैंने कि गौशालाओं के लिये सरकार की ओर से योगदान मिलता है और हमारी अपनी पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उसमें हमने इस बात का संकल्प लिया था कि हम गौशालाओं को मदद करेंगे, माननीय राहत मंत्रीजी यहां बैठे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि हम गौवंश को बचाने के लिये गौशालाओं को अधिक से अधिक सहयोग दें। हम जब इतना कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, तो यह छोटी-छोटी चीजें जो वंचित रह गयीं, उनको भी इसमें जोड़ें।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने फसल बीमा बंद करके मौसम आधारित बीमा शुरू किया था और पांच साल के आंकड़े उठाकर देख लो, जब से यह मौसम आधारित बीमा चालू हुआ है, उससे कम्पनियों को तो लाभ हुआ, पर किसान को कुछ नहीं मिला। अब तो केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकारों को छूट दे दी कि वह चाहे तो फसल बीमा योजना लागू करे, वह चाहे तो मौसम आधारित बीमा योजना लागू करे। यह फसल बीमा योजना भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने पिछले कार्यकाल में दी थी। मेरा सदन के माध्यम से आग्रह रहेगा, यह मौसम आधारित बीमा छलावा है, इससे किसान को कभी लाभ नहीं मिला, न मिलने वाला है, कम्पनी लाभ में रहेगी। यह फसल बीमा योजना को वापस लागू करें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, पाली शहर में बहुत बड़ी आबादी कृषि भूमि पर बसी हुई है। पिछली सरकार ने रोक लगा दी थी कि ऐसी बस्तियां जो कृषि भूमि पर बसी हुई हैं और वहां यदि आधे से अधिक मकान बने हुए नहीं हैं तो उन बस्तियों में नये लोगों को विद्युत सम्बन्ध नहीं दिये जा रहे हैं। पाली में ऐसे हजारों परिवार हैं, जो मजबूरीवश, सस्ते भूखण्ड लेकर कृषि भूमि में उन्होंने अपना मकान बना लिया परन्तु पिछली सरकार द्वारा लगाई गई रोक आज उनको विद्युत सम्बन्ध लेने में रुकावट पैदा कर रही है। इसी प्रकार, गांव में जो ढाणियां हैं, वहां भी पिछली सरकार ने विद्युत सम्बन्ध पर रोक लगाई थी। मेरा सरकार से यह आग्रह रहेगा और हमने संकल्प पत्र में यह वायदा भी किया कि हम ढाणियों का विद्युतीकरण सरकारी खर्च पर करेंगे, यह शुरुआत हो जाये। जो ढाणियां विद्युतीकरण से वंचित हैं, उनको कनेक्शन देना जारी कर दें और शहर में वे बस्तियां जो कृषि भूमि पर बस गयीं, वहां भी विद्युत विभाग, जो खर्चा आता है, उनसे वसूल करके, देने को तैयार हैं, जितना खर्चा है वह देने को तैयार हैं, अगर तीन पोल लगते हैं तो तीन पोल का खर्चा देने को तैयार हैं, मात्र छूट देने की जरूरत है। उससे विभाग के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा पर हजारों घरों में रोशनी आ जायेगी।

माननीय सभापति महोदय, जब से सरकार ने छूट जारी की है, प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में जो पत्रावलियां लम्बित पड़ी हैं, पुरानी, उनके निस्तारण की छूट दी है दो महीने की; पाली में भी यह अभियान चल रहा है, क्योंकि हजारों पत्रावलियां हैं जिनको पट्टे समय पर, पत्रावली जमा कराने के बाद भी मिल नहीं पाये थे, पट्टे बनाने की छूट दे दी, पर प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के दौरान जो पट्टे बन रहे हैं, उनके पंजीयन शुल्क में भी छूट थी,

(15.00 बजे)

उस छूट के आदेश मिले नहीं हैं। पट्टे बनाने की छूट मिल गयी, पर पंजीयन शुल्क में जो रियायत दी थी, वह रियायत यदि वापस दे दी जाए, तो सरकारी अधिकारियों की कमी के चलते जो पट्टे समय पर पूरे नहीं हुए हैं, उनको उस छूट का फायदा मिल सके।

साथ ही, इसमें कृषि भूमि नियमन के जो पट्टे दिये जा रहे हैं, उसमें जो पंजीयन शुल्क लगता है, उसमें उस इलाके की जो उस पूरी जमीन की डी.एल.सी. दर है, उसका ले रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह सरकार

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

की जानकारी में लाना चाहूंगा, कृषि भूमि नियमन में भूमि उसकी खुद की है, उसने मात्र रूपान्तरण शुल्क भरा है और एक लीज राशि दी है, तो ऐसे में भूमि पर कोई प्रकार का पैसा लिया जाना, यह उचित प्रतीत नहीं होता। जो आपका रूपान्तरण शुल्क बनता है, जो आपकी लीज राशि बनती है, उसके ऊपर चार्ज ले रहे हों आप। आपने काम तो उतने ही किये हैं, जमीन तो आपकी है नहीं। तो मैं सरकार से यह भी चाहूंगा। वरना जितने का भूखण्ड है न, उससे ज्यादा उसका पंजीयन शुल्क लग रहा है। तो सरकार से यह भी आग्रह रहेगा कि उसमें आप भूमि का पैसा नहीं जोड़ें; मात्र रूपान्तरण शुल्क और लीज राशि के ऊपर जो आपकी स्टाम्प ड्यूटी बनती है, वह आप लें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं, चाहे वे विद्युत के क्षेत्र में हैं और चाहे वे पेयजल के क्षेत्र में हैं, योजनाएं बहुत सारी लागू हो गयीं, पर एक दिक्कत जो महसूस हो रही है, कि उनका संचालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो तकनीकी कर्मचारी होने चाहिए, वे नहीं हैं। उसके कारण उन योजनाओं का जितना लाभ मिलना चाहिए, वह मिल नहीं पा रहा।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

दो मिनट की बात और है।

पाली शहर में जलदाय विभाग के पास मात्र एक जे.ईएन. है, मात्र एक जे.ईएन.। दो लाख 30 हजार की आबादी को पानी पिलाने के लिए, काम करने के लिए मात्र एक जे.ईएन. काम कर रहा है। यही स्थिति, ग्रामीण क्षेत्र में रोहिट में है, तीन के विरुद्ध मात्र एक जे.ईएन. काम कर रहा है। नीचे के जो कर्मचारी हैं, हेल्पर है, लाइनमेन हैं, मिस्त्री हैं, अगर लाइन फूट जाए तो मरम्मत में बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि लाइन मरम्मत करने वाला नहीं है। तो ये जो तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सिस्टम को चलाने में अपनी बहुत महती भूमिका निभाते हैं, उनके रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए, वरना इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा और पानी और बिजली, दोनों बेकार जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी अंतिम बात है। सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनका जिक्र आज चाहे प्रश्न काल में हुआ, चाहे शून्य काल में हुआ, सरकारी सिस्टम में कमी की वजह से पात्र व्यक्ति को वह लाभ मिल

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

नहीं पाता। यदि वाकई में हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिल पाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिस्टम को ठीक करें; एक जवाबदेही तय करें हम कि जिसके कंधे पर, जिसके जिम्मे जो काम है, वह निश्चित अवधि में वह काम करेगा। अगर हमने जवाबदेही तय कर दी और सही समय में सही व्यक्ति तक लाभ पहुंचा दिया, तो जनता जो आज हम पर बहुत खुश है, उससे ज्यादा खुश हो जायेगी। वरना जनता योजना को सुन कर खुश तो होती है, लेकिन लाभ नहीं मिलता है तो थोड़ी निराश भी होती है। तो सरकारी सिस्टम को दुरुस्त कराने का भी आग्रह सरकार से रहेगा।

आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-15 का बजट प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी ने रखा है। पिछले पांच साल में भी सरकार रही, उन्होंने भी प्रति वर्ष अपना बजट सदन में प्रस्तुत किया। मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने वसुन्धरा जी का पहला कार्यकाल भी देखा और कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा।

अभी जब प्रतिपक्ष की ओर से माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उन्होंने तीन चीजों का विशेष उल्लेख किया कि इसमें किसान के लिए शब्द का उल्लेख नहीं, महिला के लिए शब्द का उल्लेख नहीं है, नौकरियों के लिए शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वे बजट की समीक्षा करते हैं। बजट में शब्द आ जाए, वही बजट पूरा हो जाता है, यह तो उनकी समीक्षा है।

पिछले पांच साल जो माननीय वसुन्धराजी के रहे, उसके पहले के पांच साल, माननीय अशोक गहलोतजी जिसमें मुख्य मंत्री थे, वे रहे, उनकी कुछ तुलनात्मक स्थिति के बारे में आपके सामने निवेदन करना चाहूंगी।

वर्ष 2003-04 जब माननीय अशोक गहलोतजी सरकार छोड़ कर गये थे, तब उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति कहां लाकर के छोड़ी थी, तीन-चार आंकड़ों में पूरी तरह से यह बात स्पष्ट होती है। वर्ष 2003-04 में जब उन्होंने सरकार छोड़ी और माननीय वसुन्धराजी ने पदभार ग्रहण किया, तब राज्य को 3,424 करोड़ रुपये राजस्व घाटा वे छोड़ कर गये थे; 3,424 करोड़। 2007-08 में जब हम आपको सरकार देकर गये, माननीय वसुन्धराजी आपको छोड़ कर

(श्रीमती अनिता भदेल)

गयीं तो वे क्या छोड़ कर गयीं, शायद उस तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, 1,653 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य का बजट, सरप्लस, 2007-08 में वे आपको छोड़ कर गयी थीं। अभी आप जब छोड़ कर गये हैं तो वापस क्या स्थिति देकर गये हैं, वापस आपने स्थिति दी है, सरप्लस को मेन्टेन नहीं रखा, उसमें बढ़ोतरी नहीं की, आपने उसको माइनस कर के, कैसे इस राजस्थान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए, वह काम आपने पांच साल में बहुत अच्छे से किया है। 2,500 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा आप छोड़ कर के गये हैं।

हर वर्ष जब हम बजट सुनते थे तो माननीय अशोकजी कहते थे कि हमने योजना का आकार इतना बढ़ा दिया, योजना का आकार इतना बढ़ा दिया और जब हम बजट की बात करते हैं तो हम पिछले बजट के बारे में कभी चर्चा नहीं करते, कभी उसकी समीक्षा ही नहीं करते। हमने खूब सारी घोषणाएं कीं, मीडिया भी उन सारी घोषणाओं को बहुत बढ़-चढ़ कर छापता है लेकिन कभी यह समीक्षा करने की उसने कोशिश की क्या कि पांच साल पहले जो सरकार ने, इस सरकार ने बजट दिया था, उसकी कितनी घोषणाओं को पूरा किया, उसके बजट की योजना को कितना पूरा किया? आम आदमी तक आपको जो सुविधाएं पहुंचानी थीं, जो पैसा पहुंचाना था, वह सही तरीके से, गुड गवर्नेन्स के साथ में कितना प्रतिशत नीचे पहुंचा, इसकी समीक्षा करने का काम कोई नहीं करता। सिर्फ नयी-नयी घोषणाएं कर के, हम कैसे राजस्थान की जनता को उल्लू बना सकते हैं, वह काम बखूबी से करने की कोशिश पिछली पांच साल की इस सरकार ने की।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी, तब फिस्कल डेफिसिट 6 प्रतिशत से अधिक था; हमारी सरकार ने जब सरकार छोड़ी, पिछले पांच साल जो वसुन्धराजी के थे, हमने इसको घटाया और घटा कर के इसको छोड़ा, 1.75 प्रतिशत पर; और फिर आपने इनको पांच साल में वापस बढ़ाने का काम किया और 1.75 से आप इसको 3 प्रतिशत पर लेकर के गये हैं।

इसी प्रकार से, राजस्थान के कर्जे की बात करूं, राजस्थान का कर्जा आपने कितना बढ़ाया, 53 हजार 502 करोड़ रुपये उस समय आपने छोड़ा था। अकाल की स्थिति का बहाना बनाकर छोड़ा था। माननीय भैरोंसिहजी पर पूरे आरोप लगाये थे और यह कहा था कि इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए

(श्रीमती अनिता भदेल)

हमने बहुत सारा कर्जा लिया, इस कारण से 53 हजार का कर्जा बढ़ा। जब माननीय वसुन्धराजी ने कार्यभार ग्रहण किया तो निश्चित रूप से कर्जा बढ़ा, 53 हजार से 77 हजार करोड़ रुपये कर्जा हुआ; लेकिन वह हमारी परिसंपत्तियों के निर्माण में लगा, ताकि वे कोई उत्पादन दे सकें, कोई आउटपुट दे सकें, यहां के लोगों को सुविधाएं दे सकें। इसके बदले में हमने 109 प्रतिशत परिसंपत्तियों का निर्माण किया; पूंजीगत खर्चा इसमें किया, पूंजीगत व्यय किया, जो जी एस डी पी का 3.5 परसेंट था।

लेकिन, सभापति महोदय, आपने सिर्फ 5 साल की सरकार में 1 लाख 30 हजार 400 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ा है। जस्ट डबल, 77 से जस्ट डबल। लेकिन परिसंपत्तियों के निर्माण को, जो हमने 109 प्रतिशत किया था, आपने उसको घटाकर, बिलकुल घटा दिया और 2.9 परसेंट। शेम। कहां गया इतना पैसा? कर्जे का पैसा गया कहां? अभी राजपाल सिंहजी कह रहे थे कि कर्जा लेकर के घी पीने का काम नहीं किया, नहाने का काम किया। वास्तव में, वे 200 प्रतिशत सही कह रहे थे कि कर्जा लेकर हमने घी से नहाने का काम किया। कुछ ऐसी योजनाएं, जो ठोस नहीं थीं, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली नहीं थीं, जो लोगों में आर्थिक सम्पन्नता लाने वाली नहीं थीं, ऐसी योजनाओं को वोट के लालच में, वोट के कारण से प्रभावित करने के लिए आपने आनन-फानन में शुरू किया।

सभापति महोदय, वोट के लालच की सबसे बड़ी योजना के दुष्प्रभाव कितने घातक निकले हैं, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। जो योजना 2014 में शुरू होने वाली थी, खाद्य सुरक्षा योजना, उसको आपने आनन-फानन में 2 अक्टूबर, 2013 में लागू कर दिया। आपने शर्म भी नहीं की। महात्मा गांधीजी के जन्म दिन के अवसर पर जिस योजना को हम प्रारम्भ करने वाले हैं, उनके नाम से प्रारम्भ करने वाले हैं, कम से कम उसको तो ठीक-ठाक ढंग से लागू करें। उसको तो वोटों की राजनीति में नहीं फंसायें। लेकिन आपने इसकी चिंता किये बगैर इस खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया। जिसकी सूचियों में इतनी अधिक अनियमितताएं हैं कि हम बयां नहीं कर सकते। जो एक आम ए पी एल व्यक्ति, महिला 10 किलो आटा लेकर अपना गुजर-बसर करती थी, वह भी उससे वंचित हो गयी। हमने पूरे टारगेट को अचीव किया लेकिन उसको जिला आधार नहीं मानकर के, उसको राज्य का आधार माना। जिसमें आपके विधायक अधिक जीतकर आये थे, वहां पर आपने टारगेट से

(श्रीमती अनिता भदेल)

छेड़छाड़ की; जहां आपके विधायक नहीं थे, वहां सूचियों को कम से कम बनाने का आपने काम किया। पूरे कानून को तोड़ने-मरोड़ने का आपने काम किया। ईश्वर और गरीब की आत्मा से, मुख से निकली हुई जो बद्दुआ होती है, वह किसी को नहीं छोड़ती है; उसकी बद्दुआ निकली और उसका परिणाम आपके सामने है। इसलिए आइंदा ऐसे काम करने की कोशिश मत करियेगा। मौका तो नहीं मिलेगा, फिर भी एक हिदायत के तौर पर मैं कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय, इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहती हूं कि बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस पूरी योजना की सूचियों को पुन: बनाने की बात कही है, एक बात और कही है कि हम इस पूरे सिस्टम को आनलाइन करने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में मेरा एक सुझाव है, क्योंकि पी डी एस सिस्टम में जितना भ्रष्टाचार है, उसके कारण से आम आदमी तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए, वे नहीं पहुंच पाती हैं। यदि हम इसको गुड गवर्नेंस करते हुए इस पूरे पी डी एस सिस्टम को छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर, कम्प्यूटराइज्ड करके, यदि हम उन लोगों को सुविधाएं देंगे, उन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करायेंगे तो निश्चित रूप से जो वंचित तबका है, उस तक इन सुविधाओं को पहुंचाने में सफल होंगे और बीच में जो करप्शन की कड़ी है, उसको भी कम कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि इसमें बहुत अधिक निरीक्षण की आवश्यकता है। दुकानों की संख्या इतनी अधिक है और निरीक्षक इतने कम हैं, या पोस्ट हैं लेकिन खाली पड़ी हैं, उनके निरीक्षण के अभाव में भी यह करप्शन बढ़ रहा है। इस सिस्टम को या तो इस प्रकार किया जाये कि हम दुकानों की संख्या को कम करें, ताकि हमारी समुचित निरीक्षण की व्यवस्था हो सके। यदि हम दुकानों की संख्या को कम नहीं कर सकते, राशन कार्ड के आधार पर हम दुकानों को निश्चित करना चाहते हैं तो ए पी एल भी राशन कार्डधारी है, बी पी एल भी है, आस्था भी है और अन्य प्रकार की योजनाओं के कार्ड भी हैं लेकिन बेनिफिशरी उसमें कितने हैं? क्योंकि ए पी एल तो खाद्यान्न की श्रेणी में नहीं आयेगा, क्योंकि उसके तो सील नहीं लगी है। जो बेनिफिशरी हैं, पात्रता रखने वाले परिवार हैं, उसके आधार पर इसकी गणना होनी चाहिए। प्रति दुकान पर एक समान संख्या में पात्रता रखने वाले लोगों के अनुसार उसको जोड़ना चाहिए, ताकि राशन की दुकानों वाले जो डीलर हैं, उनको भी भ्रष्टाचार नहीं करना पड़े। क्योंकि उसमें कमीशन इतना कम मिलता है कि

(श्रीमती अनिता भदेल)

वे भी प्रेरित होते हैं। भ्रष्टाचार के कारण से वह भी सिस्टम में एक गड़बड़ होता है। समान बेनिफिशरी के आधार पर हम कार्डों का डिस्ट्रिब्यूशन करें और सब राशन डीलरों को समान कमीशन के आधार पर पैसा दिया जाये। यह इस पूरी योजना के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाह रही थी।

सभापति महोदय, महिला की बात कर रहे थे कि महिला के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से महिला सशक्तिकरण की भामाशाह योजना लम्बित पड़ी थी, जिसके ना तो पैसे का सदुपयोग हुआ, ना महिला को उसका लाभ मिला, अब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उसको शुरू करने की घोषणा इस बजट में की है। मैं महिला होने के नाते भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, क्योंकि कई चीजें सिम्बोलिक होती हैं, उनके आधार पर आप उसके नैतिक स्तर को, उसके सामाजिक स्तर को, उसके आर्थिक स्तर को बढ़ाने की बात कर सकते हैं।

सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अच्छा काम करने वाली सहयोगिनों और कार्यकर्ताओं को यशोदा पुरस्कार से सम्मानित करने की बात कही है, निश्चित रूप से यह योजना भी बहुत ही अच्छी योजना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सरकार की जितनी योजनाओं को हम नीचे तक ले जा सकते हैं, या लाभ दिला सकते हैं, उससे बड़ा नेटवर्क राजस्थान में और कहीं नहीं है। यह उन महिलाओं को संबल प्रदान करेगा और उनको उत्साहजनक स्थिति में काम करने के लिए प्रेरित करेगा।

सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में रेवेन्यू रिकार्ड के अपडेशन और नक्शों का कार्य कम्प्यूटर से कराने की बात कही है। चूंकि पूरे प्रदेश में जमीनों के दाम बहुत तेजी से बढ़े हैं, जमीनों की खरीद-फरोख्त के कारण से बहुत सारे मुकदमे न्यायालयों में जाते हैं, पुलिस थानों में जाते हैं, कब्जे के कारण से, भू-माफियाओं के कारण से। ऐसी स्थिति में, यदि हम आनलाइन नक्शों को डाल देंगे, जमाबंदी आनलाइन डाल देंगे, तो जो सिस्टम में गड़बड़ी होने की आशंका रहती है, उससे हमें निजात मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहती हूं,

(श्रीमती अनिता भदेल)

विशेषकर अजमेर के बारे में, कि वहां का राजस्व रिकार्ड प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित नहीं होने के कारण से, आज भी हम यदि कोई जमाबंदी के लिये आवेदन करते हैं तो पटवारी और तहसीलदार जमाबंदी तो उपलब्ध कराते हैं लेकिन उसके साथ यह लिखकर देते हैं कि यह अप्रमाणित है। अब जब आप ही लिखकर दे रहे हैं कि यह अप्रमाणित है, तो कैसे उसको प्रमाणित माना जाये? अजमेर का रेवेन्यू रिकार्ड, जो इतना खराब है, वहां कोई तहसीलदार नहीं जाना चाहता, कोई एस डी ओ नहीं जाना चाहता। रेवेन्यू रिकार्ड में गड़बड़ी के कारण से मुकदमे चलते हैं और आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं। इस कारण से, अजमेर के रेवेन्यू रिकार्ड को भी प्रमाणित करने का काम भी यदि होगा तो निश्चित रूप से अजमेर के लोग भी फायदा उठायेंगे।

सभापति महोदय, पटवारियों को लैपटाप देने की बात कही है। हम काम में कैसे प्रगति ला सकते हैं, कैसे आउटपुट दे सकते हैं लोगों को, इसके लिए यह भी एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सीधे हम उनको कैसे डिलिवरी दे सकते हैं, सही व्यक्ति तक वह डिलिवरी पहुंच जाये, सही समय पर पहुंच जाये, उसके लिए उसको कोई सुविधा शुल्क नहीं देना पड़े, कोई अन्य राशि नहीं देनी पड़े, क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत सारे कानून बनाये थे इस प्रकार के कि यदि पेंशन के लिए आवेदन किया और इतने दिनों में निस्तारण नहीं होगा तो अधिकारी पर यह जुर्माना लगेगा, वह जुर्माना लगेगा, लेकिन वह कानून कोई प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन यह जो आपने सुशासन के लिए राजकीय सेवाओं में ठीक डिलिवरी हो जाये, उसके लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, कम्प्यूटराइजेशन और आनलाइन की जो बात कही है, मैं बहुत-बहुत उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस सिस्टम से हम मैक्सिमम करप्शन को रोक पायेंगे। यदि हम अच्छे से लोगों को सुविधाएं दे पायें और उनके काम समय पर हो जायें और बिना सुविधा शुल्क के हो जायें, तो यही राहत एक बहुत बड़ी राहत होती है। यदि किसी व्यक्ति ने नक्शा पास कराने के लिए नगरपालिका, नगर निगम में आवेदन किया है और बिना सुविधा शुल्क के उसका नक्शा पास होकर आता है, उसका लैण्ड यूज चेंज होता है, उसका भूमि रूपान्तरण होता है, उसको आवासीय पट्टा मिलता है, तो

(श्रीमती अनिता भदेल)

निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी राहत उसके लिए होगी, जिसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मैं अजमेर के लिए विशेषकर उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं क्योंकि अजमेर में इण्डस्ट्रीज नहीं हैं और इण्डस्ट्रीज नहीं होने के कारण से अजमेर का बालक रोजगार के लिए बाहर जाता है, लेकिन इस बजट में, जो अजमेर की बहुत लम्बे समय से मांग थी, सेरेमिक उद्योग, क्योंकि सेरेमिक बहुत प्रचुर मात्रा में अजमेर में है, सेरेमिक उद्योग को बढ़ाने के लिए अजमेर के लिए जो बात कही गई है; संकाय अनुसार महाविद्यालय खोलने की बात कही है; बूढ़ा पुष्कर के लिए उन्होंने कहा; महिला बंदी सुधार गृह के लिए उन्होंने निर्माण की बात कही है; इसी अनुसार, नगर परिषद, नगरपालिकाओं को 628 करोड़ रुपये चतुर्थ फाइनेंस कमीशन के माध्यम से देने की जो बात उन्होंने कही है उसके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन करती हूं, बहुत-बहुत उनका स्वागत करती हूं और साथ ही निवेदन भी करती हूं क्योंकि अजमेर के काकड़दा में हिन्दुस्तान जिंक को जिंक के विपुल भण्डार मिले हैं, उसको खनन का पट्टा दिया गया है, उसमें वेदान्ता ग्रुप से टाइ-अप करके खनन का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, लेकिन उस खनन से अजमेर के लोगों को कोई फायदा नहीं है। खनन को वे डम्प करके उदयपुर ले जाते हैं और वहां उसका प्रोसेस होता है। हम चाहते हैं कि उस खनन की प्रोसेसिंग का जितना भी काम हो, वह अजमेर में ही हो; हिन्दुस्तान जिंक अजमेर में ही जिंक का स्मेल्टर वहां लगा दे, ताकि वहां के युवाओं को रोजगार मिले और एक आपका आने-जाने में जो पैसा व्यर्थ होता है, उससे भी आप बच सकें। (व्यवधान)

मैं पिछले दो वर्ष के माननीय अशोकजी गहलोत, पूर्व मुख्य मंत्री के बजट भाषण के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। वर्ष 2011-12 और 2012-13 में उन्होंने एक बजट भाषण में तो लगभग तीस-बत्तीस आर ओ बी बनाने की बात कही थी और दूसरे बजट भाषण में उन्होंने बारह आर ओ बी बनाने की बात कही थी। बड़े शर्म की बात है, दो साल निकल गये लेकिन एक की भी, मुश्किल से, दो-तीन आर ओ बी को छोड़ दीजिये, जिनमें एक अजमेर का, हमारे शिक्षा मंत्रीजी थीं, उनके लिए रखा था, इसलिए उनकी उन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी की और एक भी आर ओ बी का निर्माण उन्होंने पुख्ता तरीके से नहीं कराया। तो यह बजट की वास्तविकता मैं बताना चाहती हूं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसलिए मैं वसुन्धराजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बजट में वही बातें की हैं जिनको पूरा किया जा सके, जिनसे हम वापस रिटर्न प्राप्त कर सकें, सिर्फ बजट घोषणा मात्र बनकर नहीं रह जायें।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान में गुजरात की भांति स्टाक एक्सचेंज से जो तीन कम्पनियों का टाइ-अप करने की उन्होंने बात कही है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा, कारगर होगा क्योंकि इससे लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ेगी और जब लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ती है तो निश्चित रूप से इसके आर्थिक ढांचे में बढ़ोत्तरी होगी और आर्थिक ढांचे में बढ़ोत्तरी होने से उसका उपयोग हम जन-सुविधाओं के विस्तार के लिए कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से, प्रदेश की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, पांच स्मार्ट सिटी राजस्थान में बनाये जाने की जो घोषणा उन्होंने की है, उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। स्मार्ट सिटी की कितनी नितांत आवश्यकता है, आजकल जमाना आनलाइन और इन्टरनेट का है। ऐसी स्थिति में, यदि हम समय के अनुकूल, समय के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत पिछड़ जायेंगे। उन्होंने जो पांच स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही है, उनके लिए भी मैं उनका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छह बालक छात्रावासों के निर्माण की बात कही है। (व्यवधान) अजमेर तो नहीं है। मेडिकल कालेज यदि बनेगा और मेडिकल कालेज में सात सौ सीटें हैं तो अजमेर के बच्चे को भी एडमिशन का फायदा मिलेगा। इसलिए आप इसको तुलनात्मक मत कीजिये, एरियावाइज मत बांटिये इसको। (व्यवधान) पांच स्मार्ट सिटी की मैं बात कर रही हूं। (व्यवधान) बताऊंगी, अभी पूरा थोड़े हुआ है।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, आपसे पुन: निवेदन किया जा रहा है कि एक तो आप सदन की गरिमा को बनाये रखें। आसन को बाध्य न करें। सम्माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो ध्यान से सुनें, एकाग्रता से सुनें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाहती हूं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विषय में। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने धौलपुर, बारां सहित तीन अभियांत्रिकी महाविद्यालयों

(श्रीमती अनिता भदेल)

के निर्माण की घोषणा की है, उन्होंने स्वीकृति जारी की है और इस कार्य को उन्होंने स्व-वित्त पोषित आधार पर करने की बात कही है। पूर्व में भी हमारे राजस्थान में आठ महाविद्यालय ऐसे हैं जो स्व-वित्त पोषित योजना के तहत संचालित हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके नाते मैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जो आठ हमारे महाविद्यालय हैं, उनमें एक भी महाविद्यालय में प्राचार्य का पद जो है, वह प्रोपर व्यक्ति उस पर काबिज नहीं है। सात महाविद्यालय तो ऐसे हैं, जहां पर प्राचार्य का पद ही नहीं है; मतलब, प्राचार्य की पोस्ट पर कोई व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है। एक महाविद्यालय है, उसमें भी प्राचार्य के पद पर जो व्यक्ति प्रोपर न्यूनतम योग्यता रखता है, उसे नहीं बिठाकर किसी अन्य व्यक्ति को बिठाया गया है। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, यदि हम हायर एजुकेशन में गुणात्मक सुधार चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे हों और उनकी उत्पादकता राज्य के कहीं न कहीं काम आयें, राज्य के हित में हो, इसलिए यदि प्राचार्य न्यूनतम योग्यता वाला व्यक्ति भी नहीं होगा तो उससे प्रदेश और उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी को नुकसान होगा।

इसके अतिरिक्त, यह स्व-वित्त पोषित आधार पर होने के कारण से, महिला इंजीनियरिंग कालेज की जितनी भी छात्राएं एडमिशन लेती हैं, वे छात्राएं एडमिशन इस बहाने से लेती हैं कि सरकारी कालेज है, फीस कम होगी, लेकिन पूरी फीस उनको भरनी पड़ती है। इसके बावजूद वहां बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, कई लोग डेप्यूटेशन लेकर प्रदेश के अन्य पदों पर बैठे हैं तो ऐसे लोगों का डेप्यूटेशन समाप्त कर, उन पदों पर भर्ती की जाएं, उन पदों पर प्रमोशन किया जाये और उन महाविद्यालयों को ठीक ढंग से चलाने की कोशिश हम करें, ताकि हम गुणात्मक शिक्षा उनको दे पायें और गुणात्मक बच्चों का निर्माण हम कर पायें।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आवासीय सुविधा हेतु 35 शारदे बालिका छात्रावासों के निर्माण की बात कही है। मेडिकल कालेज में सुपर-स्पेशलिटी के अस्पतालों की स्थापना हेतु पांच वर्ष तक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने की बात कही गई है। निश्चित रूप से इसमें उदयपुर, बीकानेर और कोटा की बारी इस वर्ष आई है, मेरे अजमेर शहर की बारी भी अगले वर्ष आयेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

हमने नए विश्वविद्यालय बनाने की बात कही है। प्रदेश में शिक्षा का विस्तार समान रूप से हो, इसके लिए जरूरी है कि हम स्थानीय बालकों को वहीं शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायें, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि हम उसके लिए सारे संसाधन दें। हमारे जो विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, मैं अजमेर के विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहूंगी, उसमें 75 प्रतिशत पद खाली हैं। कैसे बच्चों को पढ़ायेंगे? कौन एडमीशन लेगा? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें रिक्रूटमेंट करके उन पदों पर भर्ती की जाये, ताकि हम बच्चों को शिक्षक उपलब्ध करा पायें।

नये महाविद्यालय बनाने की बात की है। जिन महाविद्यालयों में संख्या 5 हजार से अधिक है, उन महाविद्यालयों में संकायवार पुनर्गठन करके नये महाविद्यालय प्रारम्भ करेंगे।

मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगी, पिछली बार, 10-15 वर्ष पूर्व बार काउंसिल आफ इण्डिया ने हमारे महाविद्यालय में संकाय के रूप में ला कालेज व ला विषय चलता था, उसको मान्यता नहीं दी। वह केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपको कहा कि आप यह संकाय के रूप में ला नहीं पढ़ा सकते। उसके कारण से, आनन-फानन में सरकार पर प्रेशर था, प्रेशर के कारण से सरकार ने उन महाविद्यालयों को अलग कर दिया; एक आर्डर निकाला कि अब ये विधि महाविद्यालय अलग से संचालित होंगे। 10-12 साल हो गये उन विधि महाविद्यालयों को अलग से संचालित होते हुए, न तो उनके लिए जमीन आरक्षित हुई, न उनके लिए भवन बना, न उनके लिए अध्यापक लगे और आज भी वे विधि महाविद्यालय ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि हर साल अस्थायी मान्यता उनको दिलायी जाती है। बार काउंसिल आफ इण्डिया उनको स्थायी मान्यता नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये महाविद्यालय यदि हमारे यहां खुलें तो हम इनमें सारे संसाधन मुहैया कराएं, उसके बाद में हम इनको खोलें, ताकि उसका लाभ विद्यार्थियों और प्रदेश की जनता को मिल सके।

अभी विधि महाविद्यालय, अजमेर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। बच्चों को कालेज ने एडमिशन दे दिया, लेकिन मान्यता नहीं मिलने के कारण से वे परीक्षा नहीं दे पायें। एल एल एम की क्लासेज बंद हो गयीं। तो मेरा निवेदन है, विधि महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार है, जमीन भी आबंटित

(श्रीमती अनिता भदेल)

हो गई, सिर्फ फर्नीचर और चारदीवारी की आवश्यकता है। यदि हम इस बजट में ही उस अजमेर विधि महाविद्यालय के लिए फर्नीचर और चारदीवारी की व्यवस्था कर देते हैं तो वह विधि महाविद्यालय सही तरीके से, स्थायी मान्यता के साथ, वहां प्रारम्भ हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन था, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगी अपार्टमेंट बिल के लिए। बहुत लम्बे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बिल्डर्स भी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो फ्लैट खरीदते हैं वे भी इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और बड़ी प्रतीक्षा के बाद यह बिल लेकर आये, राजस्थान के पहले बजट में आपने इस बात को कहा है, मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

(15.32 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

इसी प्रकार से, हेरिटेज की हमारी जितनी प्रोपर्टीज हैं, पूरे प्रदेश भर की, राजस्थान की इकोनोमी को हमें मूवमेंट देनी है, यदि उसे उठाना है तो हमें निवेश के साथ-साथ पर्यटन की ओर भी समुचित ध्यान देना पड़ेगा। पिछले 5 साल में हमारे पर्यटक जितने घटे हैं, वह आश्चर्य की बात है कि 5 साल पहले पर्यटकों की संख्या जस्ट दुगनी थी और 5 साल बाद जस्ट आधी कैसे हो गई? बड़े आश्चर्य का विषय है। लेकिन सरकार की नीतियों के कारण से, सरकार के निवेश के कारण से ऐसा हुआ है। हमारी इकोनोमी हंड्रेड परसेंट, कृषि के बाद में यदि किसी पर निर्भर कर सकते हैं तो वह है हमारा पर्यटन। हमारी हेरिटेज प्रोपर्टीज हैं, वे प्रोपर्टीज देखरेख के अभाव में, सुरक्षा के अभाव में, अतिक्रमणों का शिकार हुई हैं और आज वे जीण-शीर्ण अवस्था में हैं। हमारी इतनी सुंदर-सुंदर बावड़ियां हैं, जिनको आज का कोई टेक्निकल व्यक्ति भी नहीं बना सकता, लेकिन वे सुरक्षा के अभाव में, निगरानी के अभाव में, मेंटीनेंस के अभाव में, आज बहुत बदतर हालात में हैं। ऐसी हेरिटेज प्रोपर्टीज को भी आपने संरक्षित करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन बिल लाने की बात कही है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। मेट्रो की अभी बात कही, आपने देखा कि मेट्रो के बारे में पिछली सरकार का यह अविवेकपूर्ण निर्णय हमारी जनता पर भारी पड़ा।

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजस्थान प्रदेश कला, संस्कृति, साहित्य और धरोहरों का प्रदेश है। बहुत लम्बे समय से, इस सदन में भी सबकी सहमति से, सबकी स्वीकृति से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार के पास भेजा था कि हम राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे। अब मेरे ख्याल से वह दिन आ गया है, क्योंकि केन्द्र में भी हमारी सरकार है। इसलिए मैं इस भाषण के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि हजारों, लाखों साहित्यकार, करोड़ों-करोड़ राजस्थानी बोलने वाले उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिस दिन इस भाषा को आठवीं अनुसूची में स्थान मिलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब हमें इस दिशा में भी काम प्रारम्भ करना चाहिए, इस दिशा में भी हमें अपने कदम बढ़ाने चाहिए।

मैं सड़क के बारे में जब बात करती हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम जब किसी के बारे में समीक्षा करते हैं, किसी के काम के बारे में समीक्षा करते हैं तो उसके पिछले काम को देखा जाता है। जब नई पदोन्नति करते हैं, तो पहले कहां काम करके आया, उसके बारे में पूछते हैं कि कैसा था, कैसा नहीं था। पिछले 5 साल जब माननीया वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, 12 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती थी और वास्तव में उन्होंने सही कहा, अशोकजी के कार्यकाल में पहले यह स्थिति थी कि मध्य प्रदेश से तुलना होती थी, बाद में यह स्थिति आयी कि गुजरात से तुलना होने लगी। इन्होंने 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने की जो बात की है, 70 हजार करोड़ रुपये का उसमें निवेश होगा और 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था राज्य के विनियोजन मद से की जाएगी, पी पी पी माडल पर होगा; विलेज सड़कें, ओ डी आर सड़कें, माइनर सड़कों का भी निर्माण होगा। निश्चित रूप से यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक कारगर साबित होगा।

एक बात इन्होंने बिजली के बारे में कही। मैं निवेदन करना चाहूंगी, आज बिजली सबकी आवश्यकता है; हर गांव, ढाणी तक, उसकी झोंपड़ी में बल्ब जले, यह बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े बजट और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। हमारी सरकार ने पहले भी यह कोशिश की थी, हम सौर ऊर्जा के माध्यम से, सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाते हुए, हम बिजली की व्यवस्था लोगों के लिए कर पायें। उन्होंने सोलर पम्प सेट की बात इस बजट में कही है, उन्होंने गांव-ढाणियों में सोलर स्टैण्ड की बात कही है। निश्चित रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूं और मैं हमारे प्रतिपक्ष

(श्रीमती अनिता भदेल)

के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि उन्होंने, इस सोलर नीति के बारे में जो रिजर्वेशन है, जो कंपनियों को जमीन आबंटन होनी थी, उन कंपनियों में किसने दलाली खायी थी, आपको याद है? उसका कितना हंगामा मचा था। इसलिए जब सरकार की मंशा ठीक होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, सरकार की नीति ठीक होती है तो योजना को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। (व्यवधान)

मैं मेरी कुछ मांगें हैं, जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सम-अप करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं दो-तीन मिनट में सम-अप कर रही हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, अजमेर में एक एस्केप चैनल है, आनासागर एस्केप चैनल, वह एस्केप चैनल पूरे अजमेर के लोगों के लिए नरक बन गई है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि इन पांच सालों में उस एस्केप चैनल का पक्का निर्माण कराकर, यदि हम गंदगी, दुर्गंध, बीमारी, मक्खी-मच्छर से लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस एस्केप चैनल की सफाई और उसका पुनर्निर्माण बहुत अधिक आवश्यक है। इसलिए हम उसके ऊपर काम करें।

दूसरा, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 50 लाख रुपया देकर झंकारी बाई के स्मारक का निर्माण अजमेर में कराया था और आज बहुत खूबसूरत स्मारक बनकर वह तैयार है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उसके पैनोरमा के निर्माण के लिए और अन्य सुख-सुविधाओं के निर्माण के लिए भी, यदि हम कला-संस्कृति बोर्ड के माध्यम से या कला-संस्कृति, पर्यटन विभाग के माध्यम से इसमें कुछ काम कराते हैं तो निश्चित रूप से हम अजमेर में पर्यटकों को आकर्षित कर पाएंगे।

इसके अतिरिक्त, अजमेर की इण्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए अजमेर में पानी की नितान्त आवश्यकता है। पेयजल उपलब्ध है, लेकिन इण्डस्ट्रीज के लिए पानी नहीं है। इण्डस्ट्रीज के विस्तार के लिए जगह नहीं है। इसलिए रीको के माध्यम से या किसी अन्य सरकारी संस्था के माध्यम से यदि हम उसके इण्डस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, उस इण्डस्ट्रियल एरिया के विस्तार की नितान्त आवश्यकता है। इससे हम लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा पाएंगे, हमारे बालकों को काम करने के लिए वहीं, लोकल, अजमेर में

(श्रीमती अनिता भदेल)

उसको सुविधा दे पाएंगे। इसके साथ ही, हम उनके भविष्य की नींव भी रख पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री गिर्राज।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने जो कल बजट पेश किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल हमारे साथी, 162 लोग मेज ठोकने और ताली बजाते चले गये, जैसे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई राजस्थान का बजट नहीं, अमरीका का बजट पेश किया है।

ऐसे तरीके से, इन्होंने तमाम तरह की घोषणाएं कीं। उन घोषणाओं में, जो इनकी सरकार सम्भागों में गई, जो भरतपुर सम्भाग में गई या बीकानेर सम्भाग में गई और वहां जाकर इन्होंने जो घोषणाएं कीं कि हम सोने के बुर्जे के पुल को बनायेंगे, मण्डरायल के पुल को बनायेंगे, उनका इसमें एक बार भी जिक्र नहीं है। इसमें न तो सोने के बुर्जे के पुल को बनाने की घोषणा की और न ही मण्डरायल का कोई नाम आया। जगह-जगह जाकर, सम्भाग पर जाकर, सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ले जाते हैं, जिससे पूरे राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। कहीं पर, एक जगह भी, सम्भाग में घोषणा की, वह इस बजट में कहीं भी नहीं है। सोने के बुर्जे वाला पुल और मण्डरायल का पुल इस बजट में कहीं नहीं हैं। क्या उनको भूल गये? कैबिनेट की मीटिंग में पास हो गया, तो फिर कहां चला गया? इस बजट में कहीं नहीं आया।

भरतपुर सम्भाग में सरकार रही, मालूम ही नहीं कि कहां पर रही। कोई काम नहीं हो रहे हैं। 10-10, 11-11 दिन गांवों में जाकर, कहीं इस मंत्री के पीछे 20 गाड़ियां दौड़ रही हैं, कहीं उस मंत्री के पीछे 50 गाड़ियां दौड़ रही हैं, और काम के नाम पर जीरो। वहां पर कर्मचारियों को डराने और धमकाने का काम इन्होंने जरूर किया है, इतना मुझे मालूम है और इसके अलावा कुछ काम नहीं हुआ है।

बजट की बात है, तो बजट में न तो किसी रोड का जिक्र है, न कुछ और है। सिर्फ घोषणा ही घोषणा है, कि सरकार वहां पर गई, सरकार वहां पर गई। सरकार वहां खुद देखकर नहीं आई कि धौलपुर जिले में कौन-कौन सी रोड की कैसी-कैसी हालत हो रही है। एक भी रोड पर, कहीं पर पेचवर्क का काम नहीं किया गया है, न कहीं पर रोड बनी है।

(श्री गिर्राज सिंह)

सुराज संकल्प यात्रा जब इन्होंने निकाली, तब बड़े-बड़े नारे दिये थे... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कोई टोका-टाकी नहीं करें। वे बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिये। जब आपकी बारी आयेगी, तब आप भी बोलियेगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप बोलोगे, तब हम भी खड़े हो जायेंगे। कोई चिंता मत करो। हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपसे ज्यादा मेरी आवाज भारी है।

इस बजट में किसी को कुछ मिला नहीं, किसानों को कुछ मिला नहीं, बेरोजगारों को कुछ मिला नहीं। इसमें महंगाई के बारे में कुछ नहीं दिया कि महंगाई हम कैसे कम करेंगे, कैसे रोकेंगे; भ्रष्टाचार हम कैसे रोकेंगे।

धौलपुर जिले में आये-दिन लूटमार हो रही है। तमाम तरह के, ट्रांसपोर्ट विभाग वाले, 50-50, 60-60 लाख रुपये की रोजाना की लूटमार हो रही है और वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए बजट में इसके बारे में कोई न कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है। हालांकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे मुख्य मंत्रीजी की नजर में यह आया नहीं होगा, वह भी मैं कह रहा हूं कि पहले हमारे झालवाड़ सांसद, दुष्यंत सिंहजी की नजर में आया था, तो उन्होंने जो लूटमार हो रही थी धौलपुर जिले में, उसको रुकवाया था, परन्तु अब वापस उन्होंने चालू कर दिया है। जो वहां पर सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उन्होंने वापस दुबारा से चालू कर दिया है। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यही निवेदन करते हुए, आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि यह धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार और लूटमार हो रही है, तमाम तरह के डकैत घूम रहे हैं, मर्डर करके लोग घूम रहे हैं और आज तक मर्डर किये हुए लोगों को पुलिस नहीं पकड़ रही है। इतने-इतने पैसे वाले लोग हैं जो मर्डर करके वहां पर घूम रहे हैं, ताकतवर लोग हैं, उनका पुलिस कुछ नहीं कर रही है और किसी से कुछ छोटा झगड़ा हो जाए, तो पुलिस उसको एक मिनट में उठाकर ले आयेगी और उसको बन्द कर देगी। उसमें कोई धारा नहीं, कोई दफा नहीं और जो इच्छा होगी, उसमें उसको बन्द कर देते हैं और जो भी इच्छा होती है, वह धारा लगा देते हैं।

इसलिए इस बजट में ऐसी कोई ठोस बात नहीं है जिस पर हम ताली

(श्री गिर्राज सिंह)

बजायें या टेबल ठोकें। इससे कुछ नहीं होना है। गरीबों का भला तो तब जाकर होगा, जब किसान के लिए हम काम करेंगे।

चम्बल हमारे धौलपुर के बगल में से बह रही है, चम्बल के लिए, चम्बल लिफ्ट योजना की कोई प्रक्रिया इसमें नहीं दी गई है। राजाखेड़ा में लोग पिछले दो सालों से आंदोलन कर रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी ने पहले जाकर, बुलवाकर प्रतिनिधि मण्डल से बात भी की और कहा कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। जब सरकार गई तो सरकार ने भी, कैसे इसका समाधान होगा, उस समाधान के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ और बजट में एक भी धौलपुर का जिक्र नहीं है। सिर्फ एक-दो घोषणाएं की हैं मंदिरों की, जिनसे कोई भला नहीं होगा। कोई मन्दिर बन जाएगा तो वहां जाकर एक पुजारीजी का भला हो जाएगा, जनता का उससे भला नहीं होगा। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि इस बजट में धौलपुर का ध्यान रखा जाए।

सरकार ने जो भरतपुर सम्भाग में जाकर घोषणा की कि हम सोने के बुर्जे के पुल को बनायेंगे, मण्डरायल वाले पुल को बनायेंगे, उसका एक भी जगह कहीं नाम नहीं है। तो या तो सरकार उसको भूल गई, जो सम्भाग में जाकर करके आई है, या घोषणाएं अधूरी रह गईं। मैं जानता हूं कि ये अख़बार में छपाने के लिए पहले घोषणा कर देते हैं और जब बजट का नम्बर आता है, तो बजट में कहीं पर भी नाम नहीं है कि हम धौलपुर के सोने के बुर्जे वाले पुल को बनायेंगे, और एक भी पैसा उसके लिए नहीं दिया। उसका नाम भी नहीं दिया कि उसको बनायेंगे, या अधूरा रखेंगे, या क्या करेंगे। इससे यही समझ में नहीं आता है कि फिर ये घोषणा ही क्यों करते हैं?

घोषणा जब कर दी तो वह पूरी तो होनी ही चाहिए। या तो आप घोषणा ही मत करो और जब घोषणा कर रहे हो तो उसकी पूर्ति करो।

जो चम्बल लिफ्ट योजना की बात है और जो धौलपुर जिले में हमारे काफी बड़े-बड़े अच्छे तालाब बने हुए हैं, अकाल की स्थिति है, तो उनके रखरखाव के लिए, उनकी मरम्मत के लिए पैसा दिया जाए। तब तो उन तालाबों में काम होगा और अकाल की स्थिति से लोग निपट सकेंगे।

सभापति महोदया, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि धौलपुर जिले का विशेष ध्यान रखा जाए। वहां पर पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की है कालेज के लिए, शिक्षा मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं, आप उन पर ध्यान दो, इसमें राजनीति

(श्री गिर्राज सिंह)

मत करो। हमारे 80-90 किलोमीटर दूर धौलपुर में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक वहां कालेज है, जिससे कुछ नहीं होता है। आप किसी भी जिले का देख लो कि किसी जिले में 5 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 10 कॉलेज बने हुए हैं। इसलिए, शिक्षा मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, बाड़ी में जो कालेज की घोषणा हुई है, उस कालेज पर आप ध्यान दें और उस कालेज को आप जल्दी से जल्दी चालू करावें। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ये बढ़िया बोले, इसीलिए बाड़ी में कालेज बन रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो राजस्थान का बजट पेश किया है, वह एक विजन के साथ में, 21वीं सदी का विजन, एडमिनिस्ट्रेशन का विजन और उसी के साथ-साथ राजस्थान को आगे बढ़ाने का विजन, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का विजन और कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से इस राज्य को 'बीमारू' राज्य बना दिया, उसको वापस विकसित राजस्थान बनाने का जो एक विजन प्रस्तुत किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा।

कांग्रेस सरकार ने पिछले पांच साल राज तो किया लेकिन चार साल राज करने में बिता दिये, कुछ नहीं किया। इनके जो अध्यक्ष हैं, वे भी कहते रहे कि जाओगे, कुछ नहीं कर रहे हो; जाओगे, कुछ नहीं कर रहे हो। उन्होंने इनको चेताया, हमने भी चेताया कि कुछ करो; जनता से आपने कुछ वायदे किये थे उनके लिए कुछ तो करो; आधारभूत संरचना का निर्माण करो; सड़कें बनाओ; बिजली लगाओ; पानी की व्यवस्था करो; बेराजगारों को रोजगार दो; मगर इनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। इनके कहने के बावजूद भी जूं नहीं रेंगी और पांचवें साल केवल ये सोच रहे थे कि वोटों को खरीद लेंगे और वोटों को खरीदने के नाम पर, इन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लुटाने का प्रयास कर दिया। जहां भी जाते, वहां पूछते कि अब क्या करूं? साड़ी दे दी, कम्बल दे दिया, कम्प्यूटर दे दिया, साइकिल दे दी, अन्न सुरक्षा दे दी, यह दे दिया, वह दे दिया, आर.टी.ई. दे दी, आर.टी.आई. दे दी, नकद पैसे दे दिये और अब क्या दूं जिससे मुझे वोट दे दो? लेकिन वाह री जनता, वाह री जनता; जनता ने कहा कि हम बिकने वाले नहीं हैं, हम इस देश के स्वाभिमानी नागरिक हैं और इस नाते 163

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

का भारी बहुमत वसुन्धराजी को प्रदान किया, बी जे पी को प्रदान किया। लोग बिके नहीं हैं, लोग लालच में नहीं आये।

और उसके बाद फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? अभी तो 40 हो, पार्लियामेंट में तो एक भी नहीं है। ठन ठन पाल, मदन गोपाल। सोनियाजी पूछती हैं, राहुलजी पूछते हैं कि भई, क्या हुआ, राजस्थान में यह क्या हुआ? राहुलजी पूछते हैं, क्या हुआ? तो हमने कहा, मेसेज दे दिया। उनका जो मेसेज था, जनता को दे दिया। हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी पहले यही कहते थे, मेसेज देना, मेसेज देना है। मेसेज दे दिया। जनता ने रिसीव कर लिया, उनको वापस एस एम एस कर दिया।

यह क्या सोच थी, जिसके आधार पर उन्होंने राज किया? आधारभूत संरचना का जो निर्माण करना चाहिए था, उस पर कुछ किया नहीं। 1,30,640 करोड़ रुपये का कर्जा सौंप दिया। पूंजीगत ढांचे का निर्माण नहीं करवाया।

हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता कहते थे कि साहब, आप मेट्रो ले आये, आप रिफाइनरी ले आये, आपने ये ओवरब्रिज बने दिये। एक मीटिंग में मिले थे, हमारे कांग्रेस के बड़े वोकल, जो हमारी बी जे पी से ही गये थे। वे बड़ी चमचागीरी के साथ कहते थे कि आपने ये कर दिया, आपने वह कर दिया। एक मीटिंग में गये थे, हमारा भी नम्बर आया, मैंने कहा, साहब, आपने यह तो कर दिया, वह भी कर दिया, मेट्रो भी ला दी, रिफाइनरी भी ला दी, लेकिन जयपुर की सड़कों पर सफाई की व्यवस्था आपने नहीं की, छोटे-छोटे काम नहीं किये। जयपुर की सड़कों पर जब आदमी गुजरता है, मैंने पिछली बार विधान सभा में भी कहा था, सामने गड्ढे नजर आते हैं, ऊपर बंदर नजर आते हैं, पीछे कुत्ते भौंकते हैं और चारों तरफ सूअर हैं; यह साम्राज्य है कांग्रेस राज का। यह कहा था मैंने। आप कहते हो, जयपुर शहर को आप वर्ल्ड क्लास सिटी बना देंगे, क्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया है। सूअर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गड्ढों का शहर इसको बना दिया। आप इस प्रकार से मेट्रो लाना चाहते हैं!

और बड़ी बातें करते थे, मैडम ने भ्रष्टाचार कर दिया। हमारे लिए कहते थे, हमारी मैडम के बारे में कहते थे। मैं कहना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार सिद्ध किया उन्होंने? माथुर आयोग बैठा दिया। हमारी मैडम पाक-साफ निकली हैं। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं हुआ। बार-बार कहते थे, आने दो,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

देखने दो, देखो, जल्दी आयेगा माथुर आयोग। क्या आ गया माथुर आयोग? क्या कर लिया? कोई भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर सके और हम सिद्ध कर रहे हैं, 100 करोड़ रुपये की जो मेट्रो की खरीददारी की है ना, कैसे आ गई वह? अभी तो तीन साल बाद चलेगी वह मेट्रो। इंजन पहले, डिब्बे बाद में।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): जेल भेज दोगे क्या? जेल भेजने का काम करते हो ना। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आ जायेंगे। सुनो, आखिरी इतना पैसा लगाने के बाद में रिफाइनरी में अपना परसेंटेज कम क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्या जल्दबाजी थी इसके पीछे? क्या परेशानी थी? क्यों नहीं, राजस्थान के हितों का ध्यान रखा गया? राजस्थान के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। कहीं न कहीं इसमें क्वेश्चन मार्क है। ढोल में पोल है।

माननीय सभापति महोदया, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने एक विजन दिया है, एक लक्ष्य दिया है। फ्लैगशिप योजनाएं हमने चालू रखी हैं, उनको बंद नहीं किया है, लेकिन उसके साथ-साथ, सामाजिक कल्याण की योजनाओं के साथ-साथ, आधारभूत ढांचे को विकसित करने का जो लक्ष्य है, वह जब तक आप आधारभूत ढांचे को विकसित नहीं करोगे, जब तक यहां सड़कें नहीं होंगी, किसान अपनी खेती का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता, उद्योग-धंधे नहीं बढ़ सकते। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सड़कें पहुंचानी होंगी ताकि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो किसान पैदा कर रहा है, अपनी पैदावार, उसकी पैदावार को बेचने के लिए वह बाहर शहर में भी जा सके और उसकी पैदावार का बाई-प्रोडक्ट वहां पैदा हो। उद्योग-धंधे गांव में लगें, सिंचाई गांव में हो, चिकित्सा सुविधा गांव में हो और उसके आधार पर उद्योगपति वहां पर जायें। अचार-मुरब्बे और बहुत सारे एग्रीकल्चर के बाई-प्रोडक्ट वहां बनें और फिर वे बिकने शहर में जायें। यह आधारभूत ढांचा खड़ा होगा तो किसान का विकास होगा। श्रीमान्, जो हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, किसान का क्या होगा? किसान का यह होगा, सड़कें बनेंगी, आधारभूत ढांचा खड़ा होगा; आधारभूत ढांचा खड़े होने के आधार पर उद्योग-धंधे लगेंगे और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उद्योगों को भी वह अपनी चीजें बेच सकेगा। भण्डारण के साधन मिलेंगे। आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए रेलवे सुविधा जरूरी है, सिंचाई की सुविधा जरूरी है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आधारभूत ढांचे के साथ हमने विकास दर का एक लक्ष्य रखा है। माननीय सदस्यगण, मैं बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया को बताना चाहूंगा कि 12 परसेंट प्रतिवर्ष हमने दर का लक्ष्य रखा है कि हमारी विकास की दर 12 परसेंट प्रतिवर्ष होगी, यह लक्ष्य रखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, जो अन्य राज्यों में कम है। यदि हमने 12 परसेंट विकास की दर का लक्ष्य एचीव कर लिया और जिसे एचीव करने के लिए माननीय वसुन्धराजी ने पूरी योजनाएं प्रस्तुत की हैं, तो रेलवे में भी, उद्योग-धंधों में भी, कृषि में भी, व्यापार में भी, अस्पतालों में भी, स्कूल में भी, पशुपालन में भी, ट्यूरिज्म में भी, नदियों को जोड़ने में भी, बैंकों में भी, स्वास्थ्य एवं सेवा क्षेत्र में भी पूरी तरह से विकास होगा। यह 12 परसेंट विकास की दर केवल कोई कोरी कल्पना नहीं है। यह आ जायेगा आंकड़ा कि इस बार विकास दर क्या थी, अगली बार 12 परसेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जी डी पी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कृषि का उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उद्योगों का उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, सिंचाई में ज्यादा भूमि हैक्टेयर काम आई कि नहीं आई? स्कूल, कालेज, अस्पताल बढ़े कि नहीं बढ़े, लोगों को शिक्षा प्राप्त हुई कि नहीं हुई। यह 12 परसेंट दर विकास की द्योतक है। अगले बजट में फिर मिलेंगे और फिर बतायेंगे कि हमने 12 परसेंट विकास दर हासिल कर ली है और राजस्थान का औद्योगिक विकास हमने चालू कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। 12 परसेंट विकास दर हम हासिल कर लेंगे तो पांच साल के बाद में 60 परसेंट का जो टारगेट है, वह हम पूरा करेंगे और राजस्थान को जिस प्रकार से हम चाहते हैं, आस्ट्रेलिया जैसा, जापान जैसा, दुबई जैसा और भारत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ राज्य हमारी वसुन्धराजी का बनाने का जो सपना है, वह निश्चित रूप से हम पूरा कर सकेंगे।

एक बात और कही है, 12 परसेंट विकास दर के साथ-साथ दूसरी बात है, 10 परसेंट प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। यह 12 परसेंट विकास दर और 10 परसेंट प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी हमारे राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 66,000 रुपया है। जब विकास दर बढ़ेगी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, रेल यातायात के साधन बढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं, कालेज खुलेंगे, तो निश्चित रूप से प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो व्यक्ति खरीदेगा भी, उसकी समृद्धि भी बढ़ेगी। वह भिखारी नहीं बनेगा। उसको आवश्यकता नहीं होगी, कैश

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सब्सिडी की; उसको आवश्यकता नहीं होगी, साइकिल, स्कूटर, कम्प्यूटर, साड़ी-कम्बल की। बाथरूम के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, हाउसिंग के लिए पैसा, यह पैसा, वह पैसा देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह अपने आप, अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर खड़ा होगा, स्वावलम्बी बनेगा और राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाना, यह हमारी वसुन्धराजी का लक्ष्य है। हम इस लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

आज 66,000 रुपये की हमारी प्रति-व्यक्ति-आय है। इस प्रति-व्यक्ति-आय को, जब पांच साल बाद हम चुनाव में जायेंगे, एक लाख रुपया प्रति-व्यक्ति-आय करने का हमारा लक्ष्य है, एक लाख रुपया। उधर 60 परसेंट की दर

(16.00 बजे)

औद्योगिक विकास की और इधर 1 लाख रुपये प्रति-व्यक्ति-आय, दोनों मिलाकर के जिस प्रकार से राजस्थान बनेगा, माननीय सभापतिजी, मैं इनको सुनाना चाहता हूं कि पांच साल बाद चुनावों में जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और जिस प्रकार से इस बार लोक सभा में जीरो मिला है, तो आगे आने वाले विधान सभा चुनावों में डबल जीरो आपको प्राप्त होगा।

माननीय सभापति महोदया, हमने जो मुख्य मंत्रीजी का बजट भाषण सुना है, उसमें जो एक विजन दिया है आधारभूत ढांचे को विकसित करने का, उसको हम सब लोगों को मिलकर के पूरा करना है। केवल अकेले मुख्य मंत्रीजी नहीं कर सकतीं। नरेन्द्र मोदीजी ने कहा है, भारत का प्रत्येक व्यक्ति विकास से जुड़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान से जुड़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति अच्छे आने वाले दिनों से जुड़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत के स्वाभिमान के लिए जुड़े, देश के स्वाभिमान के लिए जुड़े और वसुंधराजी ने भी आप सब लोगों से आह्वान किया है कि बजट में सारे विधायक, सारे सांसद, सारे एन जी ओज, सारे राजस्थान के लोग मिलकर के हम नया राजस्थान बनाएंगे, इस बात का संकल्प देने का प्रयास किया है। अकेला कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, वह विजन दे सकता है। हम सबको साथ लेकर इस विजन को पूरा करेंगे। यह महती जिम्मेदारी है हम सब लोगों की भी और उसके नेता के रूप में वसुंधराजी हैं और इनकी टीम के घोड़े भी हैं।

राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ हैं, यह जो चिकित्सा का जो काम है, यह बहुत

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

महत्वपूर्ण काम है, इसको इनको पूरा करना है। गांवों में डाक्टर नहीं हैं, गांवों में कांग्रेस सरकार ने डाक्टर नहीं पहुंचायें, तो डाक्टरों की कमी को पूरा करना है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि गांवों में डाक्टरों की कमी को पूरा करें।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा का जो लक्ष्य माननीय वसुंधराजी ने दिया है, ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए आपके पास बहुत लोग आते होंगे, समय बहुत खराब होता है, लेकिन आपका लक्ष्य केवल यह होना चाहिए कि राजस्थान का प्रत्येक बच्चा पढ़कर के अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके, उसका एक विजन हो सके, 21वीं सदी का बच्चा हो सके; सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाना है, इस तरफ ध्यान दीजिए। सरकारी स्कूलों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। हम चाहते हैं, हमारे यहां स्कूल खुल जाएं। स्कूल खुलने की जगह, स्कूल किस प्रकार से अच्छे चलें, बढ़िया स्कूल किस प्रकार से चलें, उनमें अच्छे बच्चे और अच्छी शिक्षा किस प्रकार से हो, अच्छे शिक्षक किस प्रकार से हों, इस बात की हम सब विधायकों को यहां चिंता करनी चाहिए।

इस नाते से ट्रांसफर-पोस्टिंग, उस पर हम सब लोग कम ध्यान देकर, अपने क्षेत्र का अस्पताल, अपने क्षेत्र का स्कूल, अपने क्षेत्र का खिलाड़ी, अपने क्षेत्र की सड़कें, अपने क्षेत्र का अस्पताल, इन सब चीजों पर ध्यान देंगे, तो सम्पूर्ण राजस्थान का अपने आप विकास होगा। पैसे की कोई कमी नहीं है, लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। हम सब लोगों को जोड़ें और दिल से जोड़ें। केवल मात्र अपनी डिजायर लिखकर के और कामों की इतिश्री नहीं करें। एक बहुत बड़ा बहुमत और बहुत बड़ा विश्वास जनता ने हम पर पैदा किया है और उसी पर हमको निश्चित रूप से खरा उतरना चाहिए। यह बजट प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विधायक के पास आएगा। उसके यहां भी स्कूल में खर्च होगा, उसके यहां भी कालेज में खर्च होगा, उसके यहां भी आंगनबाड़ियों में खर्च होगा, उसके यहां भी सड़कों में खर्च होगा। यह पूरे राजस्थान का बजट है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल राजस्थान में कहां खर्च होगा? क्षेत्र में खर्च होगा, वार्डों में खर्च होगा, लोकल इकाई के लोगों को हम जागरूक करके इस बजट के लक्ष्यों को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। अभी हमारे लिए बहुत चैलेंजेज हैं।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

राजस्थान भारत वर्ष के इस औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कहां पर खड़ा है, उसका भी चिंतन करें, मनन करें, तो हमारी जनसंख्या का घनत्व राजस्थान में 200 है और आल इण्डिया में 382 है। मतलब, प्रति वर्ग किलोमीटर 200 लोग यहां निवास करते हैं। कृषि योग्य बहुत क्षेत्र है। तो खाली भूमि का उपयोग करें, जोत को बढ़ायें, ड्रिप्स सिंचाई करें और सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार को खतम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। हमारे यहां औसत कृषि जोत 3.7 हैक्टेयर है और भारत वर्ष में 1.15 है। बोये गए क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर खाद का उपयोग 62.50 किलो है, जबकि आल इण्डिया औसत 144 किलो है। यदि खाद का उपयोग प्रोपर ढंग से हो जाए, आर्गेनिक खेती हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा कृषि उत्पादन कहां पहुंचेगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।

जब मैं कृषि क्षेत्र में आकड़े देख रहा था, तो कांग्रेस सरकार के इस पूरे रिजिम में प्रति हैक्टेयर बुआई कम हुई है, सिंचाई कम हुई है, कृषि का उत्पादन भी कम हुआ है। ये सब आंकड़े इस प्रकार के हैं कि जो किसानों की बात करने वाले लोग थे, आंकड़ों को डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस के राज में किसानों का क्या हुआ था।

उद्योगों से प्रति-व्यक्ति-मूल्य-संवर्द्धन, हमारे यहां उद्योग हैं कितना मूल्य संवर्द्धन हो रहा है, राजस्थान में 2,587 रुपया है और आल इण्डिया एवरेज है, 4,557 है। अन्य राज्यों में छह हजार है, सात हजार है, आठ हजार है। हमारे उद्योग-धंधों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उनको इन्क्रीज करने की जरूरत है और उसके माध्यम से हम हमारा मूल्य संवर्द्धन करें तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा राजस्थान मिनरल में पीछे है, माइंस में पीछे हैं।

रेगिस्तान हमारी एक बहुत बड़ी असेट है। रेगिस्तान दुबई में भी है, जहां पानी ही नहीं है, लेकिन फिर भी दुबई विश्व का राजा बना हुआ है। तेल हमारे यहां भी है, वह तेल के कारण बना हुआ है। वहां सारी चीजें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इम्पोर्ट होते हैं। हमारा राजस्थान रेगिस्तान है, लेकिन रेगिस्तान हमारी असेट है, हमारी सम्पत्ति है। यहां टूरिस्ट आ सकता है, यहां मिनरल होंगे, माइंस होंगी, यहां तेल होगा तो राजस्थान एक समृद्ध राज्य बन सकता है, भारत वर्ष

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बन सकता है। रेगिस्तान हमारी लायबिलिटी नहीं है। रेगिस्तान की इस अपोर्चुनिटी को ग्रेब करना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निश्चित रूप से इस अपोर्चुनिटी को ग्रेब करते हुए, राजस्थान को आगे बढ़ाने में जो विजन दिया है, जो बजट दिया है, उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे।

साक्षरता की दर अभी हमारे यहां 66 परसेंट है और आल इण्डिया एवरेज 73 परसेंट है। साक्षरता दर को बढ़ाना है। हमारा व्यक्ति पढ़े-लिखे, आगे बढ़े। कम्प्यूटर में आगे बढ़े।

हमारे यहां के जो लोग बाहर जाते हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारीगर हैं, उनके सर्टिफिकेट कोर्स होने चाहिए। एक बहुत बड़ी फोर्स, हमारे यदि उनको कौशल नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट दे दिए जाएं, तो उनको बहुत बड़ी सम्भावनाएं हैं विदेशों में नौकरी मिलने की और यहां पर भी नौकरी मिलने की काफी सम्भावनाएं हैं। हमने 15 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। बेरोजगार लोगों को हम सर्टिफाई करें, उनको कौशल सिखायें, बहुत सारे लोग यहां हैण्डीक्राफ्ट का काम करते हैं, ज्वैलरी का काम करते हैं, कारपेट का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं और पशुपालन का काम करते हैं, इन सब लोगों को यदि सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएं कि हां, आपने सर्टिफिकेट में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो उनको रोजगार की सम्भावना ज्यादा होती है। हमारे यहां अभी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं हैं। केवल कुटुम्बकीय व्यवस्था है, बाप ने सीखा, बेटे को बता दिया; कुटुम्ब में सीखा, कुटुम्ब में ही चला गया। इसलिए आवश्यकता है कि आई टी आईज, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की। यह सब करके हम साक्षरता दर को बढ़ायें और कौशल प्रबंधन पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा।

हमारे यहां सड़कों की...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब थोड़ा सम-अप करें आप, जल्दी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारे यहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में सड़कों की लंबाई 72 किलोमीटर है और आल-ओवर इण्डिया में 120 किलोमीटर है।

प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक 7.8 है और आल इण्डिया एवरेज 9.1 का है। क्यों नहीं, हमारे यहां बैंक बढ़ सकते हैं? बैंक में प्रति व्यक्ति जमा 26 हजार 576 हैं राजस्थान का एवरेज, आल इंडिया का एवरेज 60,542, और कई

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

राज्यों में एक-एक लाख रुपये है, कई राज्यों में डेढ़-डेढ़ लाख रुपये। जब बचत बैंकों में जाएगी तो निश्चित रूप से विकास होगा। व्यक्ति भी विकास करेगा, समाज भी विकास करेगा, परिवार भी विकास करेगा और देश भी विकास करेगा। बैंकों की संख्या हमें बढ़ानी है।

लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बच्चा जन्मता है, हमारे यहां पहले कहावत थी कि सौ वर्ष तक जीयेगा, लेकिन सौ वर्ष तक नहीं, यह भी 66 वर्ष तक ही जीने का लक्ष्य रखा है, अभी जो आंकड़े आये हैं, उसके हिसाब से। मैं कहना चाहूंगा, इस लक्ष्य को भी, शतायु हमारा व्यक्ति जीये, दीर्घायु जीये और वह व्यक्ति स्वस्थ रह करके जीये, इस प्रकार का राजस्थान हमें बनाना है।

मैं समझता हूं कि जो हमने यह बात कही है, सुशासन की, विकसित राजस्थान की, लैस-गवर्नमेंट-मोर-गवर्नेंस, इस पर ज्यादा ध्यान देते हुए आज हमने बात की है।

वसुन्धराजी ने बहुत बड़ा, अच्छा कदम उठाया है कि जो नेशनलाइज्ड सड़कें थीं, उनको डी-नेशनलाइज्ड कर दिया। वहां पहले इल्लीगली बसें चलती थीं, कारें चलती थीं, जीपें चलती थीं और हमारी रोडवेज की बसें भी चलती थीं। अब यह अच्छी बात की है उन्होंने। अब कंपीटिशन होगा पब्लिक प्राइवेट का, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जीप में जाओ, कार में जाओ, बस में जाओ, ए.सी. बस में जाओ और वहां अच्छी सुविधा मिलेगी। रोडवेज का कम्पीटिशन बढ़ा दिया।

तो निश्चित रूप से पब्लिक पार्टिसिपेशन, अभी कह रहे थे विपक्ष के माननीय सदस्य कि पी पी पी माडल, पी पी पी माडल जरूरी है। एक जमाना था, जब राष्ट्रीयकरण होता था, हर चीज का राष्ट्रीयकरण कर लो। रेस्टोरेंट का भी कर लो, सरकार रेस्टोरेंट भी चलायेगी, सरकार व्यापार भी करेगी, सरकार रेल भी चलायेगी, सरकार कोई उद्योग-धन्धा भी खोलेगी, सरकार होटल भी चलायेगी, सारे काम सरकार के जिम्मे। अब सरकार के जिम्मे नहीं, सरकार गवर्नेंस करेगी और पी पी पी माडल पर हम लोगों को आमंत्रित करेंगे कि वे आयें, सरकार के साथ सहयोग करें और राजस्थान के विकास में सहभागी बनें। इसी तरह से राजस्थान का विकास होगा।

इन सभी शुभकामनाओं के साथ में, मैं माननीय वसुन्धराजी को बहुत-बहुत, हृदय से धन्यवाद देता हुआ, अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शुभकरणजी चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदया, कल राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में 3,424 करोड़ रुपये के घाटे को पांच साल में 2,500 करोड़ रुपये से भी अधिक का सरप्लस कर दिया और कांग्रेस की सरकार ने पांच साल अपना राज चलाते हुए ढाई हजार करोड़ रुपये घाटे में इस प्रदेश को ला दिया। इस प्रकार की परिस्थितियों में भी, उन्होंने कल जो बजट प्रस्तुत किया है, पूरे प्रदेश को जो एक सकारात्मक सोच के साथ विकास का जो बजट प्रस्तुत किया है, जो विकास का सपना दिखाया है, मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार एक सरकार जितने बहुमत के साथ आयी है उसी बहुमत के साथ, उसी सोच के साथ, मैं नहीं समझता कि एक भी कोई कोना, एक भी कोई व्यक्ति, एक भी कोई इण्डस्ट्री, कोई शिक्षा, कोई चिकित्सा, कोई स्वास्थ्य, कोई कृषि का मामला उनसे छूटा हो, कोई अछूता रहा हो। ऐसा कोई अंश नजर आता नहीं है। इस प्रकार के बजट के बाद भी, माननीय विपक्ष के सदस्य जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, इस बात का सोच भी उन्होंने पैदा नहीं किया कि पांच साल में आपने राजस्थान को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया। आपने यह भी नहीं सोचा, आप यह भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि राजस्थान की जनता ने इतना परिवर्तन क्यों किया है।

सभापति महोदया, मैं अपनी बातों को आगे प्रस्तुत करूं, इससे पहले एक छोटा-सा निवेदन दो लाइन का आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक दिन एक चित्रकार ने एक बहुत बढ़िया तस्वीर बनाई और वह तस्वीर बना कर किसी समझदार आदमी के पास गया और कहा कि मैंने बहुत सुन्दर तस्वीर बनाई है, यह कहां लगाऊं? उस पढ़े-लिखे व्यक्ति ने कहा कि गांव के चौक में लगा दो; तस्वीर बड़ी सुन्दर है; लोग कोई कमी होगी तो बता देंगे; आप की प्रशंसा भी करेंगे। गांव के चौक में तस्वीर लगा दी। नीचे गलती से लिख दिया मैंने इतनी सुन्दर तस्वीर बना कर गांव के चौक में लगाई है, इसमें कोई कमी हो तो बताना। माफ करना, सभापति महोदया, उस गांव में कांग्रेसी लोग ज्यादा रहते थे, एक-एक व्यक्ति गया और जेब से पैन निकाला और चूंकि उसने कहा था कि कोई कमी हो तो लाइन खींच देना, तो जिसका भी नम्बर आया, जो भी गया, वह लाइन खींच गया। दूसरे दिन सुबह दस बजे जाकर जब देखा

(श्री शुभकरण चौधरी)

तो पूरी तस्वीर पर लाइनें ही लाइनें थी। तस्वीर का पता ही नहीं चला, मैंने किसकी तस्वीर बनाई थी और क्या लगाया था। वह बेचारा बड़ा धीर-गम्भीर होकर गया। मान्यवर, आपको समझदार आदमी समझ कर मैंने पूछा था तस्वीर कहां लगाऊं? मैंने तस्वीर लगा दी। उसने पूछा कि बता तो सही कांग्रेसियों का काम था उसमें लिखा क्या था। तो वो बोला कि मैंने मात्र इतना लिखा था कि कोई कमी हो तो लाइन खींच देना; लोग ऐसे आयें कि पूरी तस्वीर का कलर ही बदल गया। बहुत बड़ी गलती कर दी, उस गांव में आपको ऐसा नहीं करना था। फिर क्या करना चाहिए था? बोला, आपको यह लिखना चाहिए था कि मेरी तस्वीर में कोई कमी हो तो अपने विचारों से अवगत करायें, मैं इसको ठीक कैसे करूं? सभापति महोदय, दूसरे दिन तस्वीर दुबारा लगाई गई और तीन दिन बाद जब वह वापस गया, उस तस्वीर पर कुछ भी नहीं लिखा था। वैसी की वैसी साफ-सुथरी पड़ी थी। एक भी शब्द नहीं लिखा गया।

आलोचना करना इन लोगों का धर्म है, इन लोगों का कर्म है। ये लाइनें खींच कर किसी की तस्वीरें खराब कर सकते हैं, जिस प्रकार राजस्थान की तस्वीर खराब कर दी इन्होंने। ये किसी की तस्वीर सुधार नहीं सकते। ये हमको कोई सुझाव नहीं दे सकते कि क्या किया जा सकता है।

इसलिए, सभापति महोदया, राजस्थान की जनता ने सुझाव दिया है कि हमने आपको 163 की संख्या में चुनकर भेजा है, इनको बीस में समेट दिया, अब तो राजस्थान का विकास करना। इसलिए हमारा जिम्मा है और इस जिम्मे को बखूबी सम्भालने के लिए हम लोग आये हैं। इसलिए मैं अपने बजट की और सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा तो करूंगा ही करूंगा, इसके साथ-साथ जितनी भी मुझमें समझ है, दो-चार सुझाव भी देने की कोशिश करूंगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार है, हमारा जिम्मा है और उस जिम्मे को पूरा निर्वहन करने के लिए, एकाध बातें, जो भी सामने आयी हैं और जो मैंने इंगित की हैं, मैं उन्हें भी निवेदन करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदया, स्वास्थ्य मंत्री महोदय शायद चले गये, पूर्ववर्ती सरकार, जिसने लोगों की तस्वीरें पैन की लाइनें खींच कर खराब की हैं, इन्होंने एक अनुबंध किया 108 एम्बुलेंस का। मुझे बड़ा दुख है कि मुझसे पहले किसी माननीय सदस्य ने इस बात पर चर्चा नहीं की। यह बहुत धीर और गम्भीर

(श्री शुभकरण चौधरी)

विषय है। 108 के अनुबन्ध में, सभापति महोदया, लिखा हुआ है कि जो चालक और ई एम पी का सदस्य हमारे यहां नौकरी करना चाहता है, उस प्राइवेट संस्था ने लिखा कि जब तक दो केस लेकर नहीं आओगे, हमारे यहां नौकरी नहीं कर पाओगे। यानी, मौतों का सौदा किया गया है। एक्सिडेंट करवाओ, इंसानों को मारो और दो केस लाओ और हमारे पास आओ, वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। यह कैसा अनुबंध इन्होंने किया, मैं इनसे जानना चाहता हूं। इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। एक तरफ तो आप लोगों को जीवनदान देना चाहते हैं, लोगों के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, 108 के माध्यम से उनको अस्पतालों में पहुंचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि आपका कोई एक्सिडेंट हो, न हो; कोई इंसान मरे, न मरे; हमको तो दो केस चाहिए। बताओ, कहां से लेकर आएं? इसलिए व कर्मचारी फर्जी लाग-बुक भरते हैं।

मेरे जिले का वाकया है, जब 108 के लोगों ने आंदोलन किया तो एक कर्मचारी ने पूरी रात एक एम्बुलेस वाले को फोन किया, विरोल में आ जा बीमार पडा है; बसावा में आ जा, एक्सिडेंट हो गया है; उदयपुरवाटी में चला आ यहां लोग भिड़ गये हैं, आपस में गाड़ी के नीचे आ गये हैं। पूरी रात वह गाड़ी वाला घूमता रहा। सुबह जब किसी ने नहीं सुनी 108 का उसका जो इंचार्ज था, उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता है? तेरे बाप का क्या बिगड़ गया। डेढ़ सौ रुपये किलोमीटर के मिलते हैं, तू ला इधर, लाग-बुक में साइन करता हूं और पैसे मिल जाएंगे। पर मुझसे जब वह व्यक्ति मिला तो मैंने इस बात को दिल में पैदा किया, धारणा तय की कि जिस दिन भी हाउस में जाऊंगा, इस बात की चर्चा करूंगा।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के अनुबंध को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाए। जो कुछ भी करना पड़े, कम्पनियां अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर हमें उन्हें पैसा देने से पहले इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि एक फर्जी लाग-बुक भर के और दो केस लाकर, तनख्वाह देने वाले अनुबंध को बंद किया जाय।

अगर कोई मेरी राय सुनना चाहे तो मैं बताना चाहूंगा कि करना यह चाहिए, जैसे ही बेस सेन्टर से, जहां वह एम्बुलेंस खड़ी रहती है वहां से शुरू होते वक्त, वहां के अस्पताल के अधिकारी से साइन करा कर जाए और जहां

(श्री शुभकरण चौधरी)

कहीं वह मरीज को लेकर गया है, वहां वाले अधिकारी से साइन कराकर लाए कि यहां एक्सिडेंट के बाद एक आदमी को लेकर आया था और उसकी स्थिति यह है, इतने बजे यहां पहुंचा था, वहां से इतने किलोमीटर चलकर आया है; आपके पास वापस पहुंचे तो पावती प्राप्त कर लेना।

करोड़ों रुपये का घपला इस मामले में हो रहा है। इस बात को अगर रोका नहीं गया, तो लोगों को चिकित्सा की सुविधा कम मिलेगी और सरकार के करोड़ों-अरबों रुपये 108 के माध्यम से ही चले जाएंगे। जो कांग्रेस की सरकार ने गलत अनुबंध किया, उसको ठीक किया जाना चाहिए।

एक और गम्भीर विषय है, क्योंकि सरकार ने बजट तो इतना सुंदर और इतना अच्छा प्रस्तुत किया है, हम सब लोग उसी की तारीफ करते आ रहे हैं, उसकी तारीफ पूरी रात करता रहूं फिर भी थकूंगा नहीं, पूरा राजस्थान उसकी तारीफ सुनना भी चाहता है, पर, सभापति महोदया, इन लोगों ने जो गलतियां कीं, उसके बारे में क्या-क्या सुधार किया जाना चाहिए, वह भी, मैं समझता हूं, मुझे बताना चाहिए।

पिछली बार हमारे यहां से, जिस जिले से मैं आता हूं, वहां विद्युत मंत्री थे। जब मैं खेतड़ी में से गुजरता हूं तो, सभापति महोदया, एक-एक घर के सामने एक टंकी, बड़ी सारी, दो हजार लीटर की और एक ट्यूबवैल बना हुआ मिलता है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के किसी और क्षेत्र में ऐसा हुआ होगा। विडम्बना तो यह है कि इतना करने के बाद भी, वहां की जनता ने उनको ठेंगा ही दिखाया, वोट नहीं दिए। पर मैं समझता हूं कि जनता ने शायद सोचा होगा, इन्होंने चाहे जो किया है, वोटों के लिए और वोटों के लिए इन्होंने क्या-क्या किया, सारे लोगों ने बताया ही है, खूब रेवड़ियां बांटीं, फिर भी कुछ नहीं मिला। वहां के यह हालात जब मैं देखता हूं, वहां का मंजर जब मेरे सामने आता है किसी घर वाले ने बिल जमा नहीं कराया, बिल का कनेक्शन कट गया; किसी के लोअरिंग पूरी नहीं हुई, किसी ने खुदाई पूरी नहीं की।

मेरा इसमें, पी एच ई डी के मिनिस्टर साहब भी नहीं हैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि यह जो सिंगल पाइंट राजस्थान में, समस्त राजस्थान में बनाए जा रहे हैं, जहां बिजली के कनेक्शन करने की बात होती है, कभी सरपंच लिखकर नहीं देता, कभी लोअरिंग पूरी नहीं होती, कभी समय पर काम नहीं होता। मेरा इसमें एक छोटा-सा सुझाव है,

(श्री शुभकरण चौधरी)

अगर पहले वाली सरकार ने इसमें थोड़ा-सा सोच पैदा किया होता और हमारी सरकार भी अगर इस बात को मान ले, तो जो सौर ऊर्जा की बात हम लोग कर रहे हैं, सिंगल पाइंट का दो-ढाई लाख रुपये खर्चा आता है, तीन लाख रुपये भी कई बार आ जाता है जब बिजली का कनेक्शन दूर से लाना हो तो। मेरा उसमें सब्मिशन यह है कि मात्र 70 हजार, 75 हजार, 80 हजार रुपये में एक सौर ऊर्जा का प्लांट, सिंगल पाइंट की टंकी बनती है, उसकी तीन मीटर ऊंची बनाई जाए और उस टंकी के तीन मीटर ऊपर अगर सौर ऊर्जा का प्लांट लगा दिया जाए, न बिजली की जरूरत पड़ेगी, न कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी न किसी किसान को बिल देने की जरूरत पड़ेगी। चार लाख रुपये में ऐसा सिंगल पाइंट बन जाएगा, लोग आराम से जिंदगी भर उसका लाभ उठाएंगे। ये ऐसी चीजें हैं, जिनको सोचकर, हम अगर उसके अनुसार काम करें तो हमारे पैसे का, सरकार की राशि का सदुपयोग हो जाएगा, राजस्थान की जनता के पैसे का सदुपयोग हो जाएगा।

सभापति महोदया, खूब कालेजों की चर्चा हुई है, विश्वविद्यालयों की चर्चा हुई है, पर मुझे थोड़ी सी ठेस इस बात की लगी कि मैं जिस जिले से आ रहा हूं, वहां स्पोर्टस यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव रखा गया था, जमीन आबंटित कर दी गई, मुख्य मंत्री महोदया शायद भूल गईं। झुन्झुनूं जिले ने बहुत ऐतिहासिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जिस जगह से मैं आया हूं, पहली बार वहां से जीतकर आया हूं। कई जगह ऐसा हुआ है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां जीता है। उस जिले में एक स्पोटर्स यूनिवर्सिटी, जो पूरे हिन्दुस्तान में सैनिकों में अग्रणी है, नौजवान, युवा बेरोजगार वहां के बहुत ज्यादा हैं; आप लोग जानते हैं, पूरे राजस्थान में वहां के लोग सर्विस कर रहे हैं; पर उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम, पता नहीं, क्यूं, हमारी बदकिस्मती है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री उसका नाम भूल गईं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्पोटर्स यूनिवर्सिटी को खोलकर, बजट में शामिल करके, पूरे झुन्झुनूं जिले को अनुग्रहित करें और झुन्झुनूं जिले को इसका लाभ पहुंचाएं।

पिछले सात-आठ साल से, हमारी सरकार के जाते-जाते, राजस्थान के नवलगढ़ विधान सभा में कुछ किसान जिनके बारे में रोजाना आप लोग पढ़ते हैं, 500 दिन से ऊपर उनको वहां आंदोलन करते हो गए, कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि यहां की जमीन खराब है, इस जमीन में पैदावर नहीं होती, इसलिए इसको अधिग्रहित कर लिया जाए, इसमें सीमेंट प्लांट लगा दिया जाए।

(श्री शुभकरण चौधरी)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, उन लोगों ने किया, जो किया, पर हमारी सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां 70 हजार बीघा जमीन में कम से कम आठ-साढ़े आठ हजार किसान रहते हैं; वहां 15-16 सीनियर सेकण्डरी स्कूल हैं, वहां दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं; 12-13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उन 12 हजार लोगों की 70 हजार बीघा जमीन में बहुत सी इमारतें बनी हुई हैं। बहुत अच्छी कृषि भूमि है, पशुपालन का काम वहां बहुत अच्छा है। 576 दिन से वे लोग धरने पर बैठे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरी संवेदनशील सरकार से इस बात का निवेदन करूंगा कि उन लोगों की जमीन को यदि अधिग्रहण से बचा लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वे किसान शांति से रह पाएंगे और उनको उनका ठोर-ठिकाना छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको रहने के लिए कोई आशियाना नहीं ढूंढना पड़ेगा। हमें जिस मिनरल की तलाश है, वह तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र में और भी मिल जाएगा। सीमेंट फैक्टरी को जिस तरह का लाइमस्टोन चाहिए उस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी क्षेत्र हैं जिनमें वह उपलब्ध है, पर इन किसानों को ऐसी जमीन कहीं और उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग, हमारी सरकार इस बारे में थोड़ा सा चिंतन करें, पूर्ववर्ती सरकार ने तो इस बात की चिंता नहीं की क्योंकि उनको तो मात्र लाइनें खींचनी थीं, पर मैं समझता हूं कि हम इस बात को सोचेंगे तो हमारी उस क्षेत्र की 70 हजार बीघा जमीन अधिग्रहण से बच जाएगी और हमारा किसान अपने घर को छोड़ने पर मजबूर नहीं होगा।

सभापति महोदया, पिछले दो साल से झुन्झुनूं जिले में पोलिटेक्निक कालेज बनकर तैयार पड़ा है, वहां भवन बना हुआ है। इनको तो घोषणा करने से ही समय नहीं मिला, साइकिल देंगे, मोटरसाइकिल देंगे, लैपटाप देंगे, कम्बल देंगे, स्पोर्टस यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सैनिक स्कूल खोलेंगे। झुन्झुनूं जिले को बहुत तोहफे दिये इन्होंने। वहां की जनता ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। देश आजाद हुआ तब से लगातार कांग्रेस को वोट देते रहे, सांसद बनाते रहे, केन्द्र में मंत्री बनाते रहे। इनके लोक-लुभावने वादों को सुनते रहे, कभी नहर लाएंगे, कभी कुछ लाएंगे। अब की बार, सभापति महोदया, उस जनता ने हम लोगों पर विश्वास किया है। इन लोगों की घोषणाओं के बाद भी इन पर विश्वास नहीं किया और जनादेश हमारे पक्ष में दिया कि जाओ, आप तो कुछ काम करो। मैं मेरी सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री महोदया एक सुंदर-सा

(श्री शुभकरण चौधरी)

पत्थर बनाकर हम तैयार बैठे हैं; वह पोलीटेक्निक कालेज, जिसका भवन बन गया, 4-5 करोड़ रुपये लग गए, उसके सारे विद्यार्थी सीकर में पढ़ रहे हैं। वहीं के अध्यापक हैं, वहीं के लेक्चरर लगे हुए हैं। उस पोलीटेक्निकल कालेज का हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री उद्‌घाटन करके, अगर झुन्झुनूं जिले में शुरुआत करा देंगी तो मैं, बहुत-बहुत धन्यवाद तो इसलिए भी देना चाहता हूं कि वह खुली पड़ी है, पर उसको शुरू किया जाए, इस बात के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, उनको सुझाव देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप थोड़ा जल्दी से समाप्त करें। और भी...

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सभापति महोदया, पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रुप स्कीम कनेक्शन शुरू किये थे। वह सारी की सारी सेल्फ-फाइनेंस स्कीम थी, किसान को पैसा देना था। उसके बाद भी कोई ढाणियों का जिक्र हुआ था, हालांकि इन्होंने किया तो कुछ नहीं; 20 हजार कनेक्शन थे, उसमें से 5 हजार हमने किये, 15 हजार इन्होंने किए थे, पर उसके अन्दर सैकण्ड फेज जो था, उस सैकण्ड फेज की कोई चर्चा हमारे बजट में नहीं हुई। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे।

हमने बिजली की बहुत बड़ी बातें की हैं, कहा भी है, सच्चाई भी है और एक बहुत बड़ा काम भी हमने किया है, पांच वर्षों में सोलर ऊर्जा के 25 हजार मेगावाट का हमने वादा किया, यह बहुत ऐतिहासिक काम किया है। इसी के भरोसे मैंने सिंगल पाइंट पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने की चर्चा भी आपके सामने की है। यह सारा हो जाएगा, वहां ग्रुप स्कीम कनेक्शन को भी आगे चलाएंगे, तो कम से कम मेरे शेखावाटी जिले का तो बहुत ही बड़ा फायदा हो जाएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जो किसानों की पैरवी करने की बात कर रहे हैं, इनको इस बात का पता नहीं, पिछली बार, मैं शेखावाटी के तीन-चार जिलों का जिक्र कर सकता हूं, पूरे राजस्थान का अनुभव तो नहीं रखता, लेकिन जो बीज इन्होंने बाजरे का बांटा था, यह किसानों की पैरवी करने वाले लोगों ने जो बीज बांटा, वह बीज जमीन में पैदा होना तो आगे की बात, सिट्टा निकलना तो आगे की बात, उगा ही नहीं। हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है, जो उन्होंने बीज नीति बनाई और बीज नीति बनाकर, अब की बार लोकल बीज को तैयार करके, किसान को उसका मूल्य देने की बात की। मैं

(श्री शुभकरण चौधरी)

धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार को, जिन्होंने इतने अच्छे काम की शुरूआत की है और इन लोगों को भी इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में, कभी गलती से मौका मिल जाए, वैसे तो चांस है नहीं 10-15 साल मिलने का, मिल जाए, तो भगवान की दया से ऐसा बीज मत बांट देना कि किसान बरबाद हो जाए और उसका बीज उगे ही नहीं।

सभापति महोदया, मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने बहुत ही अच्छा ट्यूरिज्म का प्लान बनाकर पूरे राजस्थान को एक तोहफा दिया है। गो-पालन का मंत्रालय बनाकर बहुत बड़ा तोहफा दिया है, आप धन्यवाद की पात्र हैं। इस सरकार से इस प्रकार की जनता को आशा भी थी। मेरे क्षेत्र में हजारों गायें आवारा घुमती हैं, उनको रहने का आशियाना मिलेगा, किसानों की फसलें बचेंगी।

ट्यूरिज्म के माध्यम से, हमारी सरकार ने हमारी शाकम्भरी माता को उसमें शामिल किया है। सभापति महोदया, पी एच ई डी के मिनिस्टर साहब नहीं हैं, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि शाकम्भरी माता के पास एक कोर्ट बांध है, उस शेखावाटी इलाके में सबसे बड़ा व अच्छा बांध वह ही है, उसकी ऊंचाई अगर दो मीटर और बढ़ा दी जाए और जिस प्रकार अनिताजी अभी अपना निवेदन कर रही थीं, उसकी भी सिल्ट अगर दो मीटर नीचे से खोद दी जाए और दो मीटर उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाए, तो मैं समझ सकता हूं कि पूरे झुंझुनूं जिले में और उसका पानी चूरू तक, सीकर में भी जा सकता है और किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ सकता है और पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।

अंतिम बात मैं कहूंगा। माननीय सभापति महोदया, मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी ही तरफ ध्यान इंगित कर रही हैं, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, पर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने बहुत से तोहफे दिए हैं, झुंझुनूं जिले का एशियन बैंक के माध्यम से भी बहुत जिक्र किया है पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह योजना, जो पूर्ववर्ती सरकार ने बंदर-बांट की, रेवड़ियां बांट लीं और नवलगढ़ और खेतड़ी, जहां से उनके मिनिस्टर्स थे, वहां उस कुम्भाराम लिफ्ट योजना को चालू करने का कार्यक्रम बना लिया; हमारी सरकार में हमारे सारे जिला अधिकारियों ने, सब अधिकारियों ने, पी.एच.ई.डी. के अधिकारियों ने सारे एस्टिमेट्स बनाये हैं, एक कुम्भाराम लिफ्ट

(श्री शुभकरण चौधरी)

परियोजना के माध्यम से पीने के पानी की चर्चा थी, माननीय सभापति महोदया, वह पानी हमारे लिए इतना जरूरी है। जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आया हूं, उदयपुरवाटी और सूरजगढ़, दोनों बहुत डार्क जोन में हैं। पानी के कुएं हम वहां पर खोद नहीं सकते। पीने के पानी की बहुत गहरी किल्लत है। अगर वह कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना का विस्तार करके और उसका एक्सटेंशन करके उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ को भी हमारी सरकार, पानी पिलाने के लिए थोड़ा सा एस्टिमेट बनाकर, इस बजट में शामिल कर ले, तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता, धन्यवाद तो उन्होंने पहले दिया ही है हमको कि जीता कर आपके बीच में भेजा है, इतना सा अगर हो जाए तो वहां की जनता बहुत लाभान्वित होगी और हमें भी वहां पर जनता को, क्योंकि चुनावों से पहले हमने उनसे वादा भी किया था। आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना को स्वीकृत करके, खेतड़ी, सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी में भी अगर पानी पहुंचाने का काम करेंगे, तो जनता बहुत धन्यवाद देगी।

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सरकार की मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया, एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है और एक ऐसा चुनौतीपूर्ण बजट प्रस्तुत किया है जिसके बारे में हमारे साथी सोच भी नहीं सकते थे। एक-एक क्षेत्र को, एक-एक जगह को उन्होंने चुना है, छुआ है। चाहे किसान हो, चाहे कृषि हो, चाहे इण्डस्ट्री हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे सड़क हो, सब चीजों को उन्होंने टच करके, एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करके, राजस्थान का विकास करने की कोशिश की है। एक ऐसा बजट, जिसमें उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि यह केवल मात्र बोलने का बजट नहीं है, यह एग्जीक्यूटिव डाक्यूमेंट है, जिसे हम एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे और हम सब लोग, 163 मिलकर उसमें सहयोग करेंगे और राजस्थान को यशस्वी बनाएंगे, राजस्थान को विकास के रास्ते पर लेकर जाने का काम करेंगे।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री केसारामजी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदया, कल 14 तारीख को राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो दस्तावेज इस

(श्री केसाराम चौधरी)

सदन के पटल पर रखा, वह राजस्थान के विकास के प्रतिबिम्ब के रूप में साबित होगा। यह जब सुराज संकल्प यात्रा राजस्थान में शुरू हुई थी, उस समय माननीया वसुन्धराजी ने पूरे राजस्थान का सर्वे किया और पूरे राजस्थान की समस्याओं से अवगत हुई। जनता के दिल में पीड़ा थी कि जो राजस्थान विकास की दृष्टि से गति पर आगे बढ़ रहा था, उस विकास की गति के अन्दर, वापस यह पांच साल जो गहलोत साहब के निकले उस विकासशील राजस्थान को वापस 'बीमारू' प्रदेश की तरफ धकेल दिया। उस 'बीमारू' प्रदेश के लिए अगर कोई इंजेक्शन का काम करेगा तो यह माननीया वसुन्धराजी के द्वारा रखा हुआ कल का बजट का दस्तावेज एक दवा के रूप में अब काम करेगा और यह राजस्थान विकास की गति पर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान का सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई हुआ है तो इस पंचायती राज का पांच साल में जिस तरह से कबाड़-खाना कर दिया है और एक ऐसी जो विकास की गति थी, पंचायतें एक विकास की कड़ी के रूप में उभर कर आयी थीं, उसको इन्होंने बिलकुल तहस-नहस कर दिया और पंचायती राज को ठेकेदारों के भरोसे सुपुर्द कर दिया। आज की तारीख में कोई भी कार्य करना हो, तो पहले ठेकेदार से टेंडर करो। कभी ठेकेदार रेती का अलग हो जाता था; कभी रोड़ी का अलग हो जाता था; कभी ठेकेदार समय पर मैटेरियल नहीं डालता था। तो आहिस्ता-आहिस्ता उन ठेकेदारों ने पूरा काम करना ही पंचायतों में शुरू कर दिया। सरपंच और वह जो चयनित बाडी थी, वह गौण होकर, आज प्रदेश में पूरे पंचायती राज का भट्ठा अगर किसी ने बैठाया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने बैठाया है।

इसके अलावा, देश के अन्दर अगर सबसे अधिक कोई देश का अहित किया है तो केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने। यह राइट-टू-एजुकेशन देकर, पूरे देश में जो शिक्षा की, जो पिछड़ा हुआ देश था, वह शिक्षा की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा था। अमरीका जैसा देश सोचने लग गया था और वहां का राष्ट्रपति कहता था कि अमरीकावासियों जाग जाओ, नहीं तो भारतीय आ जाएंगे। जो इस तरह की शिक्षा की गति को देखा गया और उस शिक्षा की गति को देखते हुए, जो प्रदेश गति पर आगे बढ़ रहा था, आज की तारीख में सबसे अगर कोई ज्यादा ध्यान देने की बात है और इस पर विशेष, अगर इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है और राज्य को मजबूत बनाना है, तो वसुन्धराजी ने आते ही यह सर्वे

(श्री केसाराम चौधरी)

करवाया कि स्कूलों की स्थिति क्या है और उन स्कूलों की शिक्षा की जो गुणवत्ता है, उसके बारे में जांच करवाई, तो पाया गया कि आठवीं तक के बच्चों को गणित का प्रश्न नहीं आता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं जब चुनाव के वक्त में गया था और पनोता गांव के अन्दर, एक चौपाल में बैठे हुए एक आठवीं क्लास के बच्चे को पूछा, मैंने कहा कि 8 और 7 कितना होता है, तो बोला 16; और 7 और 8 कितना होता है, तो बोला-14 । मतलब, वे गांव वाले, मैंने कहा कि गांव वालों, अगर आपके साथ सबसे बड़ा धोखा है तो यह शिक्षा जगत ने किया है। इस तरह से शिक्षा में आज जो गुणवत्ता की कमी आई है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है और यहां पर केवल एक मंत्रीजी बैठे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है। एक बैठे हैं और वे भी बातें कर रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप उसकी चिंता न करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कम से कम बुलाओ तो सही। इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है, बुलाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। जो मंत्रीजी बैठे हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दें; आप तो माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको सुनें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप उसकी चिंता न करें। हमारे मंत्री सजग हैं और वे ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): चार-चार मंत्री बैठे हैं। इनको दिखता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बैठिये। उनको दिख रहा है, उनको सिर्फ टोकना था। माननीय सदस्य, आप कंटिन्यू करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य को अपनी बात बोलने दीजिए। वे अपनी बात कह रहे हैं, सुनिये, बीच में डिस्टर्ब मत करिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदया, ये अपनी बुराई को छुपाने के लिए बीच में इंटरप्ट करते हैं।

शिक्षा की अगर गुणवत्ता की यह जांच करने निकल जाएं तो इनको पता लग जाएगा कि पांच साल में हमने जो फसल बोई है, वह दस साल के

(श्री केसाराम चौधरी)

बाद में ये बच्चे जो दसवीं में आएंगे तो वे दसवीं पास नहीं कर पाएंगे। बोर्ड की परीक्षा किसी सूरत में पास नहीं कर पाएंगे। यह मेरे प्रदेश के साथ सबसे बड़ा धोखा है। माननीय वसुन्धराजी ने जो टैट की परीक्षा और इसकी तरफ जो कदम बढ़ाया है ...(व्यवधान) वह राइट-टू-एजुकेशन उसको रोकता है। इसलिए केन्द्र में भी अपनी सरकार है। इसके लिए, इसको कुछ न कुछ करके, शिक्षा जगत को अगर ठीक नहीं किया गया तो राजस्थान एक अशिक्षित प्रदेश की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाएगा। यह मैं इस बात को मानता हूं।

रसद विभाग। रसद विभाग के अन्दर गेहूं तो बांटे जाते ही थे, मगर इन्होंने तो आटा बांटना शुरू कर दिया और आटा कौन मांगता है? मेरे तो समझ में ही नहीं आता। इन्होंने आटा मांगा। वह आटा भी अगर कोई जांच करवा लें, आटा भी बंटा नहीं, निश्चित रूप से आटा वापस मिलों को गया और फर्जी, ये जो राशन बांटने वाले हैं, उनकी फर्जी एंट्रियां करके, इन लोगों ने पूरे राशन का गेहूं और आटा खाकर...। इस व्यवस्था को अगर ठीक नहीं किया गया, यह रसद की जो व्यवस्था है, बिलकुल गांवों में लचर-पचर हो गयी है, इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इसमें निश्चित रूप से सुधार करेंगे। आप चिंता नहीं करें। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): सात महीने तो हो गये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सात महीने तो, आपने चुनाव देखा न ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप चेयर की ओर देखकर ही अपनी बात कहें। यहीं देखकर कहें, उधर नहीं। बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदया, अगर इन्होंने ठीक ढंग से काम किया होता, तो इनकी जो दशा हुई है, वह जनता पूरे राजस्थान की इस बात को ताइद कर चुकी है कि इन्होंने जो कारनामे किए, उनकी सज़ा इनको मिली है। अगर दूसरी बार भी...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री गिर्राजजी, बैठें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आप मुगालते में नहीं रहें। आपको यह घमण्ड है, आप यह दिमाग में से निकाल दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 156 आये थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री केसारामजी, आप चेयर की तरफ एड्रेस कीजिये और कोई भी माननीय सदस्य डिस्टर्ब नहीं करे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): घमण्ड तो आपने किया था। इसकी सज़ा आपको मिली है। आप उस सज़ा को भुगत रहे हैं और आने वाले समय में भी अगर इसी तरह से आपके दिमाग में घमण्ड रहा, तो आपको यह सजा और भुगतनी पड़ेगी।

श्री सभापति: आप अपनी बात को कन्टिन्यू करिये, आप किसी से डिस्टर्ब मत होइये। मैं सभी दूसरे माननीय सदस्यों को भी यह रिक्वेस्ट करती हूं कि जो सदस्य बोल रहा है, उसको बीच में डिस्टर्ब ना करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदया, मेरे मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में, देश आजाद हुआ, तब से 14 बार चुनाव हुए और 14 बार चुनावों में 10 बार गैर-कांगेसी, मतलब, 10 बार हमेशा कांग्रेस के विरोध में वोट देकर काम किया है। मेरे क्षेत्र की जनता की अपेक्षा इस कांग्रेस सरकार ने आज दिन तक नहीं की है, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने पहली बार इस राजस्थान की विधान सभा में मारवाड़ जंक्शन का नाम लेकर के जो घोषणा की है, उसके लिये मैं तहे दिल से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, कल मारवाड़ जंक्शन के लिये 199.44 करोड़ रुपये पेयजल के लिये देकर दूसरे फेज का जो काम किया है, जिससे मेरे 113 गांवों को पानी मिलेगा, इसके लिये मेरे क्षेत्र की जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेगी।

इसके साथ ही, मारवाड़ जंक्शन से मावली जंक्शन मीटरगेज जो लाइन है, उसको हेरिटेज में कन्वर्ट करके, वहां पर हेरिटेज की उपलब्धता की जायेगी। यह भी घोषणा बजट के अन्दर की है। मैं उनका इसके लिये भी आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं।

इसके साथ, पाली जिले में मेडिकल कालेज जो दिया है, उसके लिये भी हम यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मगर इसके साथ में मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो भी हास्पिटल थे, डाक्टरों के बिना खाली पड़े थे और आज की तारीख में मेरे क्षेत्र में करीब-करीब सब जगह डाक्टर लग चुके हैं। आप आकर ताइद कर लेना। यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है।

आज आपने जिस तरह से शिक्षा जगत में ढाई-ढाई मास्टर और साढ़े

(श्री केसाराम चौधरी)

तीन मास्टरों के भरोसे दसवीं और बारहवीं की स्कूलें चलाई हैं, वैसा कार्य हमारी सरकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से मास्टरों की भर्ती करेगी और भर्ती करके यह व्यवस्था जो शिक्षा जगत में आपने बिगाड़ी है, उस व्यवस्था को ठीक करने में पूरी सरकार कटिबद्ध है और यह इस क्षेत्र में, शिक्षा में जो गुणवत्ता का स्तर आपने घटाया है, पूरे पांच साल में, उसको ठीक करने का, वापस पटरी पर लाने का प्रयास किया है। इसके लिये भी हम आपके बहुत आभारी हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सड़कों की ऐसी दुर्दशा है कि कहीं भी सड़क, कोई भी सड़क, क्योंकि विपक्ष का वहां पर हमेशा एम एल ए रहा है, तो इस कांग्रेस सरकार ने द्वेष की भावना से काम करते हुए उन सड़कों की आज दिन तक कोई मरम्मत करने का नहीं सोचा है। 25-25 साल से जो सड़क बनी है, उस पर आज दिन तक वापस मरम्मत कार्य नहीं किया गया। मालूम नहीं पड़ता है, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। ऐसी दुर्दशा आज दिन तक नहीं देखी गयी। मगर अभी वसुन्धराजी ने कल बजट में जो घोषणाएं की हैं, उनसे यह साफ लगता है कि पी पी पी मोड पर स्टेट हाइवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिनकी बजट में घोषणा हो चुकी है, 200 करोड़ रुपये स्टेट हाइवे 61 के लिये तथा 135 करोड़ रुपये स्टेट हाइवे 62 नम्बर के लिये सैंक्शन हुए हैं, समयबद्ध उन सड़कों को अगर ठीक किया जाये, मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वे सड़कें ठीक होंगी।

6 मार्गों का ईस्ट और वेस्ट कोरिडोर बनाने की जो घोषणा की है, उसमें मैं मांग करना चाह रहा हूं कि कोटा से लेकर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से देवगढ़, देवगढ़ से मारवाड़ जंक्शन, सरदारसमंद, फलौदी होते हुए, यह रूट इस कोरिडोर में लेना चाहिये ताकि सीधा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्ट सीधी सड़क होगी। और काली घाटी को ठीक करके दुरुस्त किया जाये। यह मेरा निवेदन है।

इसके साथ ही, राज्य की 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में वसुन्धराजी ने हर गांव को देखा और गांव में जाकर कीचड़ और गंदगी को देखकर उनके दिमाग में इस बात की कसक की थी कि इन गांवों को कैसे सुधारा जाये। उसके लिये आधा किलोमीटर से दो किलोमीटर तक सी सी सड़क बनाकर, उस गांव का नक्शा चेंज करने की, जो ग्रामीण गौरव पथ की घोषणा की है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इससे गांवों का विकास होगा और गांवों में जो गंदगी फैली हुई है, उसका सुधार होगा।

(श्री केसाराम चौधरी)

अन्त में, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में दो एस डी एम हैडक्वार्टर हैं और दोनों, पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है। ऐसी सूरत में, इस बजट के अन्दर मारवाड़ जंक्शन के अन्दर महिला महाविद्यालय और रानी के अन्दर महाविद्यालय खोलने की मैं मांग करता हूं। इस बजट में इस मांग को सम्मिलित किया जाये, ताकि मेरा क्षेत्र, जो पिछड़ा रहा है, उसका विकास हो सके।

इसके अलावा, इस बजट 2014-15 में ऊर्जा के क्षेत्र में डार्क जोन में कृषि कनेक्शन के लिये जो इस बजट में प्रावधान किया है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि उसकी पूर्ण पूंजीगत लागत उस किसान से वसूल करने का शब्द हटाया जाये, ताकि काश्तकार अपना कनेक्शन ले सके। कुओं पर कनेक्शन के लिये इस सरकार ने रोक लगा दी, कुओं पर जो घरेलू कनेक्शन होते हैं, उस पर पूर्ववर्ती सरकार ने रोक लगा दी थी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): कुओं पर कनेक्शन लेने के लिये मैं अभी कह रहा था, उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने जो काश्तकार, 20-20, 25-25 घर एक कुएं पर बन गये हैं और वहां रहते हैं, मगर उनको घरेलू कनेक्शन नहीं मिलता है। इस कुएं पर लगी हुई पम्प सेट की मोटरें और कनेक्शन तो हैं, मगर वह बिजली के बिना रह नहीं सकता और वह एग्रीकल्चर की बिजली उस कुएं पर चलाते हैं। तो इस रोक को हटाया जाये ताकि किसानों को घरों की बिजली का कनेक्शन मिल सके।

अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी यह बात थी कि किसानों की फसल का जो नुकसान होता है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जरा जल्दी से समाप्त करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह मतलब की बात बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आप बैठें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदया, किसानों के लिये बजट में घोषणा की थी कि फसल की जंगली जानवरों और आवारा गायों से सुरक्षा के लिये अगर किसान अपने खेत पर बाड़ लगाता है, कांटेदार तार की, तो उसमें अनुदान देने की बात की थी। तो इसको भी इस बजट में शामिल किया जाये तो किसानों के हित में रहेगा।

ऐसी मांग करते हुए, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंहजी भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो कल बजट पेश किया, वह अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जिससे राजस्थान का चहुंमुखी विकास होगा। जिस तरह से माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने हर क्षेत्र का ध्यान रखा, खासकर के किसानों के हितों की जो बात की और बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि सिंचाई क्षेत्र के अन्दर, नहरी क्षेत्र के अन्दर। जिस तरह की घोषणाएं माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कीं, निश्चित रूप से वे किसान हित की सोच का एक विषय है और माननीया मुख्य मंत्रीजी का एक सराहनीय कदम है।

जिस तरह से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्दर, जिस तरह से भाखड़ा के अन्दर या गंग कैनाल के अन्दर पिछले पांच साल के अन्दर एक बट्ठल मिट्टी नहीं निकलवायी गयी, किसी तरह का सिल्ट, आदि निकलवाने का काम नहीं किया, लेकिन माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने एक इतनी बड़ी घोषणा कर के, और घोषणा ही नहीं की, अभी प्रतिपक्ष के लोग कह रहे थे कि बीकानेर सम्भाग के दौरे के अन्दर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से घोषणा कर के उस कार्य को क्रियान्वित कराया गया, जिस तरह से नहरों की सफाई का काम शुरु करने पर तुरन्त प्रभाव से चर्चा शुरू हुई, तुरन्त प्रभाव से कार्य शुरू करने के आदेश दिये गये, निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी का यह कदम बहुत ही सराहनीय है और यह किसान हित में है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

क्योंकि जब नहरों की पूरी सफाई होगी, सिल्ट पूरी निकल जायेगी, तो किसान को टेल तक पूरा पानी मिलेगा और जो किसान पूरी तरह से बरबाद होता था, उसको इस बात का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ, भाखड़ा की नहरें जो पिछले 60-65 सालों से, जब से भाखड़ा कैनाल आयी है, काफी हद तक कच्ची थीं, उनका पक्का निर्माण नहीं हुआ था, यह एक ऐतिहासिक कदम है कि उन नहरों का पक्का निर्माण कराने की घोषणा भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है। उन्होंने स्वयं ने भाखड़ा की नहरों को देखा है। एक-एक जगह घूम कर उन्होंने भाखड़ा की नहरों को पक्का करने का जो आदेश दिया है, निश्चित रूप से वह स्वागत-योग्य कदम है।

(16.51 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा, पिछले 40 साल के अन्दर जो सेम की समस्या मुंह बाये खड़ी थी और खास कर के 1975-76 के बाद में तो हनुमानगढ़ जिले में, चाहे वह पीलीबंगा-रावतसर का क्षेत्र हो या सूरतगढ़ के अन्दर हमारे संगीता या भोपालपुरा के गांव हों, वहां एक सेर अनाज पैदा नहीं होता। पूर्ववर्ती सरकार ने किसी तरह का कोई काम सेम से सम्बन्धित नहीं किया। लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कल के अपने बजट में उसके लिए कमेटी का गठन करने के साथ-साथ बजट का आबंटन किया है, यह एक बहुत स्वागत-योग्य कदम है और इस सेम से किसानों को राहत मिलेगी। ऐसा मेरा मानना है। इसमें कहीं कोई अब देरी वाला काम होने वाला नहीं है।

शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से एकीकरण की बात कही गयी है और खास कर के अध्यापकों की भर्ती के लिए टैट को खतम कर के जो सरलीकरण किया है, वह एक बहुत ही स्वागत-योग्य कदम है। इससे हमारे शिक्षकों को, जो नये हमारे शिक्षक हैं, उनको भर्ती में सुविधा रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन जो अध्यापकों की कमी है, पिछली सरकार के अन्दर एक-एक स्कूल में, चाहे वह सीनियर सेकण्डरी स्कूल हो या सेकण्डरी स्कूल हो, दो या तीन से ज्यादा अध्यापक नहीं हैं, बल्कि कोई न कोई स्कूल तो सिर्फ एक पी.टी.आई. के भरोसे चल रहा है। इस तरह की जो पिछली सरकार की व्यवस्था थी, उसको खतम करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कदम उठाया है। निश्चित रूप से हम उनकी इस बात के लिए सराहना करते हैं।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

इसके अलावा, जो जलप्रदाय योजनाएं हैं, जो पी.एच.ई.डी. के काम हैं, जिस तरह का आज पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, पांच साल में पूरी की पूरी सारी योजनाएं तहस-नहस हो चुकी हैं। किसी भी पी.एच.ई.डी. में आप आज भी जाकर स्वयं इस बात को देखिये, कितनी गंदी वहां डिग्गियां बनी हुई हैं, फिल्टर प्लांट सारे के सारे बंद पड़े हैं। इतनी कोशिश करने के बावजूद, पिछले पांच-छह महीनों के अन्दर भी हम उसको ठीक ढंग से नहीं सुधार पा रहे हैं। हमारे इन्जीनियर्स बखूबी लगे हुए हैं, सरकार के दिशा-निर्देश हैं, उसके बावजूद, अभी थोड़े-बहुत पी.एच.ई.डी. के विभाग ऐसे हैं, जलप्रदाय योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें फिल्टरों का काम ठीक ढंग से हुआ है; बाकी सारे काम अभी बीच में पेंडिंग पड़े हैं। इसके अन्दर जो आर.ओ. लगाने का एक फैसला लिया गया है, वह एक बहुत बड़ा, स्वागत-योग्य कदम है। जब आर.ओ. लगेंगे, वहां सफाई होगी, तो उससे लोगों को शुद्ध जल मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है।

इसके साथ-साथ, मैं एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि आर.ओ. के साथ जो जलप्रदाय योजना है, हमारे आई.जी.एन.पी. के अन्दर जो गंदा पानी आ रहा है, जो पंजाब सरकार द्वारा नहरों के अन्दर गंदे नाले मिलाये जा रहे हैं और जिस तरह के रासायनिक पदार्थ से युक्त पानी हमारी नहरों में डाला जाता है, तो वह सरकार के करने की बात है। हमारी सरकार इस बारे में विचार करे, पंजाब सरकार से बात करे, ताकि इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्दर जो गंदा पानी पीने के लिए मिल रहा है, उस पानी को बंद करने के लिए, पंजाब सरकार से तुरन्त बात कर के उस पानी को बंद कराया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के अन्दर, खास कर के गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के अन्दर जो कैंसर फैल रही है, बुरी तरह से, बल्कि हमारे गंगानगर से, सूरतगढ़ से, भटिंडा से जो ट्रेन जाती है बीकानेर के लिए, उस ट्रेन का नाम भी कैंसर ट्रेन रख रखा है, क्योंकि उस ओर ज्यादातर रोगी कैंसर के होते हैं और बीकानेर इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो मेरी यह सरकार से दरख्वास्त रहेगी, विनती रहेगी कि इस तरह का जो गंदा पानी हमारे क्षेत्र में आ रहा है उस पानी को निश्चित रूप से बंद कराने का सरकार प्रयास करे।

इसके अलावा राजस्थान कैनाल, आई.जी.एन.पी. के अन्दर, इन्दिरा गांधी नहर के अन्दर, जो हरिके से लेकर मसितावाली हैड तक जो नहर का मुख्य है, जिसे हम फीडर कहते हैं, इन्दिरा गांधी नहर फीडर है, जो बहुत बुरी दयनीय स्थिति में है, उस फीडर का भी दोबारा निर्माण के लिए निवेदन है।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

हालांकि पिछली बार जब माननीया वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने एक घोषणा की थी, नहरी यात्रा के दौरान उन्होंने उसके नव-निर्माण के लिए कहा था, लेकिन सरकार जाने के बाद में और पिछली सरकार ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उस वक्त उन्होंने 900 करोड़ से ज्यादा की एक योजना भी मन्जूर की थी, उसको बनाने के लिए, लेकिन वह अभी अधरझूल में है और उससे किसानों को सिंचाई का पानी और पीने के पानी की, दोनों की दिक्कत रहती है। तो मेरा उसमें यह निवेदन रहेगा कि कृपया उस पर विचार कर के सरकार उसका पुनर्निर्माण कराये।

इन सभी योजनाओं के साथ-साथ, बिजली के सम्बन्ध में, जो अभी 40 हजार कनेक्शनों की घोषणा की है, उससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और जिस तरह से दिसम्बर, 2013 की प्रायोरिटी क्लीयर होने के साथ ही, बूंद-बूंद सिंचाई से जो किसान सिंचाई करना चाहें, कनेक्शन लेना चाहें, उनको भी इससे राहत मिलेगी।

लेकिन इसके साथ में एक निवेदन और करना चाहूंगा, सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें, जैसे हमारे सूरतगढ़ के अन्दर एक बहुत बड़ा थर्मल पावर स्टेशन लगा हुआ है और अभी सातवीं-आठवीं यूनिट का, जैसे माननीया वसुन्धराजी ने कल अपने बजट में बताया था, निर्माण कार्य उसका शुरू हो चुका है, प्रगति पर है, इससे वहां बहुत प्रदूषण फैलने की सम्भावना है। तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां बिजली के जो कनेक्शन हैं, आस-पास के क्षेत्र में, कम से कम आठ-दस किलोमीटर के जो किसान हैं, उनको बिजली के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जाएं, ताकि उस क्षेत्र में हरियाली हो सके। क्योंकि अभी तो वहां 50-50, 100-100 फीट ऊंचे टीबे हैं, उन टीबों में हरियाली करने के लिए अगर ट्यूबवेल के कनेक्शन मिल जाएं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के किसानों को राहत मिलेगी और उस क्षेत्र के अन्दर हरियाली भी होगी।

अभी हमारे विपक्ष के, पिछली सरकार के जो लोग हैं, पूर्ववर्ती सरकार थी, जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से वे बता रहे थे कि पिछली सरकार ने किसानों को बगैर ब्याज के डेढ़ लाख रुपये का ऋण देने की बात की। लेकिन मैं आपको यह दावे से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपये की बात है, मैं कम से कम गंगानगर जिले की बात कर

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

सकता हूं, गंगानगर जिले में मुश्किल से 120-125 आदमियों को, जो अपने चहेते थे, उनको बगैर ब्याज के डेढ़ लाख रुपये दिये, बाकी किसी को बगैर ब्याज के डेढ़ लाख रुपया नसीब नहीं हुआ। आज भी यह स्थिति बनी हुई है कि किसी भी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से किसी को ऋण नहीं मिला है। वह इनकी गलत नीतियों के कारण ऐसा एक निर्णय हो गया कि आज भी हमारे किसान ऋण के लिए तरस रहे हैं। कल जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, निश्चित रूप से उससे किसानों को राहत मिलेगी।

खाद्य सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से पिछली सरकार ने लिस्टें बनायीं, आनन-फानन के अन्दर जिस तरह से वोट की राजनीति करने के लिए जो निर्णय किये, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। कितने लोगों को राशन मिल रहा है? अपने चहेतों की राशन की लिस्ट बनी हुई है। आप कहीं भी चले जाइये, जो-जो लोग, जिसके लिए योग्य नहीं थे, फिर भी लिस्ट बना कर जो खाद्य सुरक्षा के नाम पर उनको बंदरबांट की गयी, आज की तारीख में भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्दर उनको दिये जा रहे हैं। खाद्य गारंटी योजना के अन्दर जो उनको अनाज दिया जा रहा है, वह भी एक जो कल निर्णय हुआ है, इसकी दोबारा जांच कर के और नयी लिस्ट बनेगी। निश्चित रूप से इससे किसानों को बहुत राहत मिलने वाली है। ऐसा मेरा मानना है।

इसके अलावा, 20 हजार किलोमीटर की जो सड़कों की घोषणा की है, 20 हजार किलोमीटर की सड़कों की घोषणा से राजस्थान प्रदेश पूरी तरक्की करेगा, विकास करेगा। निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे एक विषय की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(17.00 बजे)

बीकानेर से लेकर के गंगानगर, वाया सूरतगढ़ होते हुए, 245 किलोमीटर लम्बा रास्ता नेशनल हाइवे नम्बर 62 है, पहले वह 15 था, वह एक ऐसा रास्ता बन गया, जो पूरी तरह से टूटा-फूटा पड़ा है। उसके अन्दर, हमारे घग्घर के 15 नम्बर कट के ऊपर एक पुल पूरी तरह से टूट चुका है। इसके अलावा, सूरतगढ़ से आगे निकलते ही, मानेसर के पास में, घग्घर बहाव क्षेत्र पर बना हुआ पुल भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उस पुल को ठीक कराने के लिए, और उसके आगे दो छोटी-छोटी पुलियाएं बनी हैं, उनमें भी रोज, आये-दिन एक्सिडेंट होते रहते हैं, उस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

लिए मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के उपक्रम से बात करके उसका निर्माण वहां कराया जाये।

सभापति महोदय, इसके अलावा, हमारे जिले के अन्दर, खासकर सूरतगढ़ से लेकर अनूपगढ़ तक, बोर्डर रोड की जो हमारी सड़कें हैं, जो बोर्डर रोड को दे रखी हैं, वे सड़कें, शायद आज के दिन राजस्थान में सबसे बुरी हालत में अगर कोई सड़क है तो वह सूरतगढ़ से लेकर के अनूपगढ़ की रोड है। उसके अन्दर 5-5 फीट के खड्डे हैं। सारी पुलियाएं टूट चुकी हैं और वह मोटरेबल भी नहीं है। वहां बड़ी मुश्किल से लोग अपनी गाड़ियां लेकर जाते हैं। जबकि सामरिक दृष्टि से आप चाहे घड़साना माने, अनूपगढ़ माने, विजयनगर, जैतसर, सूरतगढ़, सारी इतनी बड़ी मंडियां हैं, जहां बहुत बड़ी संख्या में किसान अनाज लेकर जाते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उस सड़क को पी डब्ल्यू डी को हस्तान्तरण करके, पुनर्निर्माण कराकर, उस क्षेत्र के किसानों को राहत दी जाये।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, राजेन्द्रजी।

श्रीमती शिमला बावरी। श्रीमती शिमला बावरी।

(अनुपस्थित)

सुश्री कीर्ति कुमारी। सुश्री कीर्ति कुमारीजी।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंहजी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जिन्होंने एक ऐतिहासिक बजट सदन में रखा, उसके लिए उनको कोटि-कोटि बधाई देता हूं। यह बजट एक ऐतिहासिक बजट तो है ही, लेकिन जिन परिस्थितियों में यह बजट बना है, यह एक साहसपूर्ण निर्णय है। जिस तरह सरकार के खजाने की हालत पिछली सरकार ने बिगाड़ी थी और ऐसी परिस्थिति में, इतना अच्छा बजट प्रस्तुत करना, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने एक साहसपूर्ण निर्णय लेते हुए, पिछले वर्ष के 46 हजार करोड़ के बजट को बढ़ाकर 69 हजार करोड़ किया, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

बहुत सी ऐतिहासिक बातें, 7 मेडिकल कालेज खोलना, इंजीनियरिंग कालेज खोलना, बी.एड कालेज खोलना, हर पंचायत पर उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना, माडल स्कूल खोलना, स्मार्ट सिटी, स्किल्ड वर्क में यूनिवर्सिटी, ये सब आने वाले समय में राजस्थान के विकास के लिए मील के पत्थर साबित होंगे और आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा मिलेगा। 67 प्रतिशत नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़कर प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था करना, भामाशाह, गुरु गोलवलकर योजना को पुन: चालू करना, यह निश्चित रूप से अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे उठाने का साहसपूर्ण निर्णय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लिया है।

सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर गांवों में पेयजल का संकट एक बहुत बड़ी समस्या है और दूर ढाणियों में 5 हजार गांवों तक आर.ओ. प्लांट लगाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, यह उस गांव, ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति की बहुत बड़ी सेवा होगी। शुद्ध और स्वच्छ जल पीने से उन ढाणियों में बैठे हुए नागरिकों का स्वास्थ्य भी ठीक हो सकेगा।

सभापति महोदय, सुबह, जब से इस बजट पर वाद-विवाद चल रहा है तो मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर पर सबसे कम यहां चर्चा हुई, जबकि 70 प्रतिशत लोग सीधे खेती-बाड़ी से जुडे हुए हैं।

श्री सभापति: खेती की डिमांड आयेगी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): चर्चा हुई, लेकिन उतनी नहीं, जितनी हमारी संख्या है। उस हिसाब से जितनी चर्चा सदन में खेती-बाड़ी पर होगी, उतना ही ध्यान सरकारों का इस तरफ जायेगा।

श्री सभापति: वह कसर आप पूरी करो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): जी हां। रेलवे जैसा विभाग, जिसका अलग बजट है, लेकिन एग्रीकल्चर, जो इतना इम्पोर्टेंट और इतने लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा वर्ग है, उसके लिए जो चर्चा होनी चाहिए, उतनी चर्चा सदन में, ना लोक सभा में, ना विधान सभा में हो पाती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में कुछ अपने विचार यहां सदन में रखना चाहूंगा। हमारा जो राजस्थान है, वह भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। भू-भाग की दृष्टि से 10.5 परसेंट जमीन हमारे पास है, लेकिन मात्र 1.10, यह पानी, जो पूरे देश के संसाधन हैं उनमें से हमारा हिस्सा है।

श्री सभापति: यह पानी तो बहुत पहले था, इतना, अब तो और कम हो गया होगा।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): जो है, वह 1 परसेंट ही है। लेकिन इतने कम पानी में राजस्थान में किसान की आय बढ़ाना, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के पास जमीन है, वह अलग-अलग है। मरु जमीन के अन्दर बहुत बड़ा भूभाग है। बहुत सारा एरिया, लगभग 3 लाख 42 हजार हैक्टेयर एरिया ऐसा है जो अभी भी बंजर भूमि है। इस भूमि में उत्पादन लेना सम्भव नहीं है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि जो बंजर भूमि राजस्थान में है, इस भूमि को कैसे उपयोगी बनाया जाये और इसके लिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा इस भूमि की सोइल हैल्थ की तरफ ध्यान दिया जाये।

सभापति महोदय, गुजरात हमारा पड़ोसी है, वहां 10 परसेंट से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां के हर किसान को सोइल हैल्थ कार्ड गुजरात सरकार ने उपलब्ध कराये हैं। पिछली सरकार जब वसुंधराजी की थी तो हमने 28 लाख लोगों को सोइल हैल्थ कार्ड दिये थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पिछली सरकार ने, जो सोइल हैल्थ कार्ड पर किसान को प्रेरित करके और उसकी जमीन के अन्दर जो कमियां हैं, या उनका जो उपयोग होना चाहिए था, वह सरकार नहीं कर पायी। इसलिए किसी की जमीन में किस मिनरल की कमी है, किसी में जिप्सम की कमी है, किसी के अन्दर यूरिया की कमी है, यह किसान को जब पता नहीं लग पाता है तो उसका उत्पादन प्रभावित होता है, उसकी क्वालिटी प्रभावित होती है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में बंजर भूमि में से 180 लाख हैक्टेयर भूमि को इस बार प्रोग्राम में लिया है। इसमें बजट भी 1 हजार 392 करोड़ रुपया खर्च करके 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर जमीन को सुधारने का लक्ष्य रखा है। मैं समझता हूं कि यह अच्छा प्रयास है।

इसी तरह से, राजस्थान के किसान के पास भी सोइल हैल्थ कार्ड होना चाहिए। जिस दिन सोइल हैल्थ कार्ड हर किसान के पास हो गया और उसकी अपनी जमीन में क्या कमी है, उसका पता लग गया, तो निश्चित रूप से उसको दूर करके वह उत्पादन भी बढ़ा सकता है और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन भी पैदा कर सकता है। मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

सभापति महोदय, इसी प्रकार से, अभी टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी जो हमने खोली थी, यह सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है। आज रोग-रहित पौधे कैसे पैदा किये जायें? गुजरात का उदाहरण मैं देता हूं, वहां का गन्ना, टिश्यू कल्चर से जो बीज तैयार हुआ, उसमें शुगर कंटेन्ट 14 से 16 परसेंट आता है और हमारे यहां गन्ने का जो बीज चल रहा है और वर्षों पुराना है, उसमें शुगर कंटेन्ट 8 से 10 परसेंट आता है। इसलिए एक तो हमारी शुगर मिलों को घाटा होता है और जो हमारे किसान हैं, उनको भी घाटा होता है। टिश्यू कल्चर के माध्यम से नये-नये जो बीज और नये-नये जो पौधे हैं, चाहे वे बागवानी के लिए हों, चाहे वे फूलों के लिए हों, यह टिश्यू कल्चर ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसी जीन थेरेपी से आप अच्छे से अच्छा रोग-रहित पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि दो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी झालावाड़ और गंगानगर में बनाई थीं, उनमें वैज्ञानिक नहीं होने के कारण, पौधे भी तैयार हो गये थे, लेकिन वे सारे के सारे बरबाद हो गये।

श्री सभापति: दोनों दो किनारों पर बना दीं आपने। बीच में बना देते तो कुछ काम होता।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): ठीक है। मैं तो यह चाहता हूं कि हर जिले में लैब होनी चाहिए। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि हर जिले में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी हो और जिस जिले में जो फसल पैदा होती है, उसके रोग-रहित पौधे उस टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के माध्यम से तैयार किए जाएं, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान भी एग्रीकल्चर ग्रोथ में 10 परसेंट से आगे निकल सकता है। राजस्थान में कोई कमी नहीं। आज भी हम मसालों में, आज भी हम जीरे के अन्दर, सरसों के अन्दर, हर तरह से राजस्थान सक्षम है, लेकिन जरूरत है, थोड़ा बजट और एग्रीकल्चर को दिया जाये, ताकि जो आज मोडर्न खेती के लिए आवश्यकताएं हैं, चाहे वह जीन थेरेपी है, टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है, चाहे हाईब्रिड बीज है, चाहे बीटी बीज है, आज किसान का अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे-अच्छे बीज देने चाहिये।

मुझे राजस्थान के सदन को यह कहते हुए शर्म भी आती है कि राजस्थान में एक किलो भी हम बीटी बीज तैयार नहीं कर सकते। राजस्थान के अन्दर हमारे पास एक किलो भी हाइब्रिड बीज नहीं है। आज मक्का का

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

सारा बीज हम बाहर से लाते हैं, बाजरे का बीज हम सारा बाहर से लाते हैं, बीटी बीज हम सारा बाहर से लाते हैं। जिन परिस्थितियों में, जहां वह बीज पैदा होता है, वहां का एग्रीकल्चर सोइल सिस्टम हमारे यहां से अलग है, वहां का एग्रो-क्लाइमेट हमारे से अलग है, इसलिए वहां पैदा हुआ बीज यहां आकर कामयाब भी होता है। वही बीज हमारे यहां एग्रीकल्चर लैण्ड में तैयार हो, यहां से वातावरण में तैयार हो, तो आप देखें कि राजस्थान के किसान का काया पलट हो जायेगा। इसलिए जरूरत है, हाईब्रिड बीज हमारे यहां तैयार हों, बीटी बीज हमारे यहां तैयार हों, टिश्यू कल्चर के माध्यम से तैयार हों, जीन थेरेपी के माध्यम से तैयार हों। इस लैटेस्ट थ्योरी से आज इजराइल दुनिया में सबसे आगे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि वहां के वैज्ञानिक सक्षम हैं। वहां के वैज्ञानिक आज नए-नए जो आविष्कार कर रहे हैं, उसके कारण से पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। जरूरत है कि राजस्थान में भी ऐसे प्रयोग हम करें और किसान की आमदनी को बढ़ाने में, आगे आने वाले समय में, सहायक हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह, एग्रीकल्चर के साथ-साथ राजस्थान में पशु धन की अपार सम्भावनाएं हैं। हमारा राजस्थान के जी एस डी पी में पशु धन का 14 परसेंट है। इतना पशु धन कहीं नहीं है, बकरी पालन में हमारा राजस्थान सबसे आगे है लेकिन अभी हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। जितने अस्पताल होने चाहिए, आम तौर पर हरियाणा, पंजाब में चार हजार के ऊपर एक पशु चिकित्सालय है और हमारे यहां पर 15 हजार पर एक पशु चिकित्सालय तक भी नहीं है। अब पशु चिकित्सालय नहीं होंगे तो जो भी हमारे जींस हैं, जो हमारे, जो भी हमने आगे नस्ल तैयार करनी हैं, तो उसके अन्दर हमारे सीमन बैंक नहीं होंगे तो नस्ल सुधार कैसे होगा? आज गांव में हमारे गरीब आदमी हैं, एक गाय को बराबर उतना चारा देता है, उतना सम्भालता है, लेकिन दूध वह दो किलो देती है। जरूरत है, आज उसको लोनिंग की जाए और उसके साथ-साथ अच्छी किस्म की गायें दी जाएं। जहां हरा चारा होता है, वहां हमारी अमेरिकन गायें वह रख सकता है, वहां वह जर्सी गायें रख सकता है और जहां गर्मी ज्यादा है, हरा चारा कम है, तो वह देशी नस्ल की हमारी गिर गाय है या दूसरी नस्लें हैं, वह राज्य सरकार उसको उपलब्ध करायें। जब तक पशु सुधार के अन्दर नस्ल सुधार नहीं करेंगे और उस नस्ल सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय नहीं खोलेंगे, तब तक, मैं समझता हूं, राजस्थान के पशुपालकों का भला नहीं हो सकता।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

इसलिए जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा, इस बजट के अन्दर दो मोबाइल हमारी जो यूनिट खोली गई हैं, मैं समझता हूं कि हर पंचायत समिति पर एक मोबाइल यूनिट जरूरी है। क्योंकि आदमी यदि बीमार होता है तो 108 उसको फोन करते हैं और उसको ले जाते हैं, लेकिन पशु को तो हम ले जा नहीं सकते। पशु को तो अगर मोबाइल यूनिट होगी, मोबाइल करेंगे, तो साधन से वेटेरिनरी डाक्टर उसके घर पर पहुंच जायेगा। तो निश्चित तौर पर पशु भी अगर कोई रखता है, मान लो, कोई घोड़ा रखता है या घोड़ा पालन करता है, तो दो-दो लाख से लेकर दस-दस लाख तक के घोड़े होते हैं। इसी तरह, गाय भी आज लाख रुपये से कम नहीं है। मुर्रा किस्म की अगर भैंस रख लो, डेढ़-दो लाख रुपये से कम नहीं है। इसलिए इतनी कीमती गायें, इतने कीमती पशु, अगर उसके लिए हम अच्छी चिकित्सा व्यवस्था नहीं दे सकेंगे तो निश्चित तौर पर किसान को जब उसका पशु मर जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूनिट खोली जाएं। उसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा पशु चिकित्सालय हमारे यहां हर पंचायत पर खोलें। इसके लिए भी अभी थोड़ी हमारे राजस्थान में काम करने की जरूरत है।

इसी तरह से, प्रोसेसिंग के अन्दर। हमारा किसान, कभी टमाटर उसका एक रुपये किलो बिकता है, जो किसान पैदा करता है। प्रोसेसिंग नहीं होने से, व्यवस्था नहीं होने से उसकी कीमत उसको नहीं मिल पाती। हमारा किसान किन्नू पैदा करता है, उसको आठ रुपये किलो मिलता है, लेकिन उसी किन्नू को प्रोसेसिंग करके, वेक्सिनेशन करके, पैकिंग करके व्यापारी बेचता है तो चालीस रुपये किलो कमाता है। एक साल में किन्नू पैदा करने वाला किसान, उसको दस रुपये मिलते हैं और उसको खरीद कर दस दिन में बेचने वाले को तीस रुपये मिलते हैं और वह सारा मालामाल हो जाता है। तो जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रीकल्चर के अन्दर जो माल पैदा होता है, उस माल को कैसे प्रोसेस किया जाये, कैसे किसान को उसकी कीमत ज्यादा मिले, इसकी जरूरत है।

अब मैं गंगानगर का उदाहरण देना चाहता हूं। गंगानगर में 25 लाख क्विंटल जौ हुआ है और 1 किलो की खपत भी नहीं है वहां। अब कैटल फीड मंगवाते हैं तो वह पंजाब से लेकर आते हैं; बीकानेर जाता है जौ, वहां से कैटल फीड बनकर वापस आता है। बीयर के लिए भोपाल जाता है, सहारा वाला हमारे यहां कान्ट्रेक्ट करता है। हमारे यहां हम जौ पैदा करते हैं और महाराष्ट्र में जाकर वह बीयर बनाता है।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

जरूरत है, अगर हमारे किसान को आपको कीमत देनी है तो यहां भी इस आधारित उद्योग धंधे वहां लग जायें, जरूरत इस तरह से काम करने की है ताकि एग्रीकल्चर में हम किसान, उसका जो भी माल पैदा हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत हम उसको दिला सकें, ज्यादा से ज्यादा।

सब्जी उत्पादक आज सबसे ज्यादा दु:खी हैं क्योंकि शेल्फ लाइफ के अन्दर, जो भी बीज हम पैदा करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ हमारे नहीं है। आज किसान जो पैदा करता है टमाटर, तीसरे दिन अगर वह बिकता नहीं है तो खतम हो जाता है। लेकिन इजराइल ने नई तकनीक से, जींस थेरेपी से ऐसी-ऐसी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी कि उनका टमाटर दो महीने तक खुले में पड़ा रहे तो खराब नहीं होता; उनका सेव तीन महीने तक वह पड़ा रहे, उसके अन्दर बिलकुल कोई चेंज नहीं आता। जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक इस काम के अन्दर लगें और एग्रीकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाये और ज्यादा से ज्यादा बजट रिसर्च के ऊपर लगाया जाये ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ाकर हम अपने किसानों को उसकी कीमत पूरी दे सकें और उसका माल सड़कों पर लुटे नहीं।

पिछली बार हमने बड़ी कोशिश की, हमने विशेष मण्डियां बनाईं लेकिन दुर्भाग्य रहा कि माननीय गहलोतजी की सरकार ने एक रुपया साठ पैसे जो उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया था, उस पैसे से, जो मण्डी शुल्क का था, उससे हमें उनका विकास करना था, लेकिन उन्होंने सब्जी मण्डियों में एक पैसा कर दिया, उसका टैक्स, और पैसा नहीं हुआ और इस पैसे के कारण, जो पैसे ना होने के कारण, सारी की सारी विशेष मण्डियों में एक परसेंट भी काम नहीं हो पाया और वे विशेष मण्डियां केवल नाम मात्र रह गयीं।

इसलिए उन विशेष मण्डियों में भी जब तक बजट नहीं आयेगा, उनके अन्दर, जैसे सोजत की मेहन्दी विश्व प्रख्यात है लेकिन वहां उसको पीसने की जब तक मशीनें अच्छी नहीं आयेंगी, पैकिंग करने की मशीनें नहीं आयेंगी, उनकी एडवर्टाइजमेंट की व्यवस्था नहीं होगी तो किसान को उसकी कीमत नहीं मिल पायेगी। अगर यही व्यवस्था विशेष मण्डियों में बजट के माध्यम से कर दी जाती और पिछली सरकार इसमें कुछ कर पाती तो मैं समझता हूं कि मेहन्दी पैदा करने वाला किसान दुनिया के अन्दर नाम कमा जाता। लेकिन बजट की कमी के कारण और इस तरफ ध्यान नहीं होने के कारण आज

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

किसान जो पैदा करता है अपने खून पसीने से, उसको वह सड़क पर फेंक कर आ जाता है और उसको उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरत है, इस तरफ सरकार अपना ध्यान दे और इसका आने वाला जो समय है, पांच साल में हम किसान की इस तरफ सेवा कर सकें।

अब इसी प्रकार से पिछली सरकार ने, हमने बहुत सी सुविधाएं बनाईं, हमने किसान भवन बनायें, किसान आयेगा जयपुर में, वहां अपना सस्ते दर पर वह ठहर सकेगा, सस्ता खाना उसको अच्छा मिल सकेगा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सरकार ने सारे के सारे होटल और ढाबे बना दिये उसके। आज आप जाकर देखो हाल जयपुर के किसान भवन का, जोधपुर के किसान भवन का, गंगानगर के किसान भवन का, इतना बुरा हाल है कि वहां एक ढाबे से ज्यादा उसकी स्थिति नहीं है। जरूरत है, किसान तभी आता है, बड़ी मुश्किल से; जयपुर के अन्दर आये तो उसको किसान भवन मिले और वहां उसको अच्छा भोजन मिले, उसका सत्कार हो तो उसको भी लगे...

श्री सभापति: ज्यादातर किसान तो यहां विधान सभा में बैठे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): लेकिन पिछली सरकार ने जो कुछ किया है, उसमें तो आप जाकर देख लो, किसान भवन ढाबे बनकर रह गये हैं। निश्चित तौर पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, जाना कहां है? आपकी सरकार है, आठ महीने से आपको यही नहीं लग रहा है कि आपकी सरकार है। आप कर दो न ठीक इसको। इन ढाबों को फाइव स्टार होटल बना दो। कौन मना कर रहा है? आप करते तो कुछ हो नहीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराज जाओ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): आपने 5 साल में किसान का भट्ठा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बना दिये ढाबे। यह आपकी मेहरबानी रही। जो मण्डियां बनायीं उसके अन्दर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने फसली ऋण पर, जो क्रोप लोन है, वह 4 परसेंट पर देने के लिए 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है। अगर सस्ते ब्याज पर किसान को कर्जा

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

मिलेगा तो निश्चित तौर पर, अपनी खेती-बाड़ी में अच्छे साधन उपलब्ध कराकर, उसका आगे विकास होगा। इसी तरह, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, पहले उन पर 14 परसेंट ब्याज लगता था, लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने वह 5 परसेंट करके 50 करोड़ की सब्सिडी किसानों को दी है। इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा।

लेकिन एक छोटी सी बात, जो मुझे लगी कि सुधार होना चाहिए, जो हमारे सोलर प्लांट थे, उनमें 30 परसेंट सब्सिडी हमारे किसानों को डिग्गियों पर केन्द्र से मिलती थी और 58 परसेंट हम देते थे। कुल मिलाकर, जो सब्सिडी थी, वह 86 या 84 परसेंट थी। लेकिन अब वह 60 परसेंट रह गयी। अब किसान उस 5 या 3 हार्स पावर की मोटर पहले लगाता था तो उसको 70 हजार देने होते थे, अब उसे दो लाख रुपया देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए। इतना पैसा देना किसान के बस का नहीं है। इसलिए सब्सिडी थोड़ी बढ़ा दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा सोलर मोटर लगाने के लिए किसान तैयार हो जाएगा।

एक सबसे बड़ी बात मैं सदन को हमारे जिले की तरफ से बताना चाहूंगा। हमारा गंगानगर जिला एग्रीकल्चर में हमेशा आगे रहा है। जब साधनों की कमी थी तो केवल गंगानगर जिला व हनुमानगढ़ जिला, संयुक्त थे, पूरे राजस्थान के लिए अनाज पैदा करते थे, लेकिन तब से लेकर आज तक हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हमारे गंगानगर जिले में एक भी एग्रीकल्चर महाविद्यालय सरकारी नहीं है, एक भी के वी के नहीं है और छोटे-छोटे जिले, जहां पर एग्रीकल्चर का काम नहीं है, वहां तीन-तीन सरकारी महाविद्यालय हैं। हमारे एक भी एग्रीकल्चर महाविद्यालय नहीं है, एक भी के वी के नहीं है, कई जगह दो-दो के वी के हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से विनती करना चाहूंगा कि इस बार केन्द्र सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की घोषणा की है और सबसे उपयुक्त अगर उसका उपयोग हो सकता है तो वह गंगानगर जिले में हो सकता है। गंगानगर जिला होर्टीकल्चर में, गंगानगर जिला शुगर के अन्दर, गंगानगर जिला धान पैदा करने में, गंगानगर जिला गेहूं पैदा करने में, सरसों पैदा करने में, और वहां का किसान शिक्षित है, हंड्रेड परसेंट जमीन वहां की उपजाऊ है और किसान नई-नई टेक्निक अपना सकता है, साधन-सम्पन्न है। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो केन्द्र सरकार ने राजस्थान को दी है, गंगानगर जिले का हक बनता है और गंगानगर

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

जिले को केन्द्र द्वारा घोषित यूनिवर्सिटी दे दी जाय तो मैं समझता हूं कि जहां राजस्थान का भला होगा, वहां गंगानगर जिले का किसान जो वर्षों से प्रदेश की सेवा करता आया है, उसको भी यह लगेगा कि राजस्थान सरकार में हमारी कोई सुनवाई हुई है और हमें भी इसका हकदार माना गया है।

एक और बात है। मान्यवर, कृषि उपज मण्डियों में सबसे ज्यादा हमारे गंगानगर जिले में कलेक्शन होती है, लेकिन 2010 में हमारा जो सड़कों का पैसा था, एग्रीकल्चर से हम टैक्स कलेक्ट करते थे, वह टैक्स कलेक्ट करने के बाद, जो लगभग 60 से 70 करोड़ होता है, उसमें 40 परसेंट मण्डियों पर लगता था और 60 परसेंट ग्रामीण सड़कों पर, उन सड़कों पर जो किसी योजना में नहीं आतीं, उन पर खर्च होता था; पिछली गहलोत सरकार ने वह पैसा पी डब्ल्यू डी को सुपुर्द कर दिया। हम अब एक इंच भी सड़क पर, अपनी इच्छा से किसी ग्रामीण सड़क पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि जो पैसा किसान कृषि उपज मण्डी में अपनी उपज बेचकर टैक्स के रूप में देता है, उस पैसे पर, जो ग्रामीण सड़कें वह बनाता था, उस पर उसका एकाधिकार होना चाहिए। बोर्ड जो प्रस्ताव दे, उसी पर वह खर्चा लगे। गांव की जो छोटी-छोटी सड़कें हैं, अब कई गांव ऐसे हैं, उसके उत्तर दिशा से कोई सड़क निकली, उसको आधा किलोमीटर तोड़ दिया और गांव जुड़ गया, लेकिन मण्डी पर जाने के लिए उसको 5 किलोमीटर सड़क चाहिए। अनेक गांव ऐसे हैं जो मण्डी से जुड़े हुए नहीं हैं और वे किसी योजना में जुड़ भी नहीं सकते। अगर यह पैसा, कृषि उपज मण्डी में हमारा कटता है और हम लोग अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं, उससे कटता है, अगर यह पैसा किसान को बोर्ड के माध्यम से गांव की सड़क, जो जुड़े हुए गांव नहीं हैं, उनको बनाने के लिए दे दिया जाय तो मैं समझता हूं किसानों का इसमें बहुत बड़ा हित होगा। किसान अपनी इच्छा मुताबिक जो सड़कें हैं, या मिसिंग लिंक रह गई हैं, उनका वे निर्माण कर सकेंगे। यह मैं आपके माध्यम से सदन में माननीया मुख्य मंत्रीजी से अपील करता हूं।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, और भी कई विषय थे, लेकिन क्योंकि और लोगों को भी बोलना है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं और माननीया मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने एक अच्छा बजट और जिन परिस्थितियों में यह बजट दिया है और खासकर गंगानगर जिले में नहरों की सफाई के लिए, पक्के खालों के लिए और गंगानगर जिले में, क्योंकि यह सीमा का क्षेत्र है,

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

ऐसे स्कूल जो हायर सेकण्डरी नहीं थे, बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा और उसके लिए वे बधाई की पात्र हैं और मैं आपके माध्यम से उनको बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मेवारामजी जैन।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं, लेकिन इस बजट में ये सुझाव आने नहीं हैं। इसलिए अगले बजट में रखेंगे, या इस बजट में रखेंगे, क्योंकि इनके सुझाव सुंदर हैं।

श्री सभापति: इन्होंने अपनी बात कही है, सरकार सुन रही है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज परिवर्तित बजट 2014-15 पर चर्चा हो रही है। इलेक्शन से पहले सदन की नेता पूरे राजस्थान में सुराज यात्रा लेकर हर विधान सभा क्षेत्र में गयीं और लोगों से वादा किया कि हम आप लोगों की महंगाई कम कर देंगे, बिजली 24 घण्टे दे देंगे, कृषकों को कृषि के लिए 8 घण्टे बिजली दे देंगे और जो दवाइयां हैं जिनमें जहर घोटा जा रहा है, उनके स्थान पर अच्छी दवाइयों की व्यवस्था करेंगे, 15 लाख नौकरियां दे देंगे, ऐसे तमाम वादे किये और लोगों को बहलाया और इनकी बातों में आकर नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने 163 का बहुमत दिया। अब 163 का बहुमत आने से, मेरे खयाल से, ऐसा लग रहा है कि इतने उत्साहित हैं कि शायद किये हुए वादे इनको याद नहीं आ रहे हैं कि हमने चुनावों में जनता के सामने क्या-क्या बात कही थी। क्या आज सब्जियों के भाव हैं, किस तरह से आलू, टमाटर, ग्वारफली, अन्य सब्जियों के भाव देख लो, दूध के भाव देख लो, शक्कर के भाव देख लो, कौनसी महंगाई को आपने कम किया? यह आपके सामने उदाहरण है।

आज हास्पिटल में देख लो, दवाइयों की क्या पोजिशन थी। हमारे समय में हास्पिटल के अन्दर सारी दवाइयां उपलब्ध होती थीं और गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। आज हालत यह है, हास्पिटल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं, करीब-करीब बंद के कगार पर हैं। बातें कर रहे थे कि डाक्टर नहीं हैं, हम भेज देंगे? डाक्टर कहां हैं? आप अस्पताल जाकर देख लें, स्टाफ की हालत देख लें, दवाइयों की हालत भी ऐसी है।

ऐसे ही 15 लाख नौकरियों की बात की। युवा उसमें जोश में आये कि सरकार आयी और हमारी नौकरियां लगीं। अब आप देख रहे हैं, सड़कों पर

(श्री मेवाराम जैन)

धरने-प्रदर्शन चल रहे हैं। अब नई देने की तो छोड़ो, जब थर्ड ग्रेड की 24 हजार की भर्ती हो चुकी, उसका रिजल्ट आउट नहीं कर रहे हो और उन पर सड़कों पर क्या बीती होगी, वह आप देख रहे हैं। उसके साथ-साथ, कम्प्यूटर शिक्षा में, मैं टीवी पर देख रहा था, महिलाएं सड़क पर हाथ जोड़कर रेंगती जा रही थीं और प्रार्थना कर रही थीं कि हमें हटाओ मत। कम्प्यूटर में जो लगी हुई थीं, उनको हटा दिया। खान विभाग में अवैध खनन रोकने के लिए एक हजार की भर्ती कर दी, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। विद्यार्थी मित्र का तो आपने सुना ही है कि सुबह से कितनी बार इस पर चर्चा हो चुकी। 23-24 हजार विद्यार्थी मित्र हैं। पहले जब हम सत्ता में थे, उस समय क्या-क्या बातें कही गईं कि हमारे आते ही इनको लगा देंगे, यह हो रहा है, वह हो रहा है, इस प्रकार दुनिया भर के वादे किये गये और अब पता नहीं, वे वादे कहां गये।

मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन वादों को ध्यान में रखो, जो घोषणाएं की हैं उन पर अमल करो, नहीं तो आज जो 162 वाली बातें, मोहनलालजी गुप्ता मंत्री बनने के लिए बहुत ही ज्यादा इस ढंग से भाषण दे रहे थे। यह इस तरह का घमंड, पहले हम भी 156 से वापस कहां आ गये और अब 163 से वापस आप कहां पर आ जाओगे, यह तो समय आयेगा तब पता पड़ जाएगा। इसलिए इतने घमंड में मत रहो और लोगों से किये गये वादों पर काम करो।

आपने इस बजट में, मैंने पूरा बजट पढ़ा है, इसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कौनसा प्रावधान नौकरी के लिए रखा? किसानों को आप क्या फायदा दे रहे हैं? मुफ्त लोन जो डेढ़ लाख रुपये का दे रहे थे, वह भी आपने ब्याज में लागू कर दिया और उस पर भी आप धन्यवाद दे रहे थे।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज अकाल के क्या हालात हैं, बरसात हो नहीं रही है, उसके लिए क्या प्रावधान रखा है?

श्री सभापति: बरसात के लिए बजट में कोई प्रावधान रखें?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बरसात नहीं हुई तो अकाल पड़ा और अकाल के लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं होगा?

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, बजट के समय चर्चा हो रही थी रिफाइनरी और मेट्रो के बारे में, रिफाइनरी के बारे में इस ढंग से बात कर रहे थे, जैसे कोई राजस्थान के साथ अन्याय हो गया हो। मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री मेवाराम जैन)

जब तेल निकला और तेल निकलने के बाद बाड़मेर में तीन बड़े कुएं थे, उनका नामकरण हुआ, तब वसुंधराजी मुख्य मंत्री थीं और वहां जाकर उन कुओं का नामकरण मंगला, ऐश्वर्या और भाग्यम्, यह तीन नामकरण वहां वसुंधराजी के समय में हुआ। अगर रिफाइनरी ये लगाना चाहते थे तो उस समय इनको मना तो कोई कर ही नहीं रहा था, इनको प्रयास करके रिफाइनरी लगा लेनी चाहिए थी, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। जब हमने बड़ी मुश्किल से, कितनी मेहनत करके रिफाइनरी बाड़मेर में लाये, जहां 5 हजार करोड़ का रेवेन्यू अकेला बाड़मेर इस तेल के माध्यम से दे रहा है, रिफाइनरी का एम.ओ.यू. हुआ। आज उसको कह रहे हैं कि घाटे का सौदा है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसके अन्दर कौन हैं? एक तो राजस्थान सरकार, एक केन्द्र सरकार और एक एच.पी.सी.एल. कम्पनी है, जो भी भारत सरकार की है। इसमें कोई प्राइवेट ठेकेदार है जिसने कोई बीच में पैसे खा लिये या दलाली खा ली, यह पैसे जा रहे हैं, या कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो आप बता सकते हैं। इस रिफाइनरी में जो भी पैसों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वह भी वापस जब उत्पादन शुरू हो जाएगा, तब उसमें वापस आयेगा। तो फिर नुकसान क्या है? अगर नुकसान है, तो सरकार आपकी है, यहां नीचे राजस्थान और केन्द्र में आपकी सरकार है तो आप और भी कम कराना चाहो तो कराओ, कुछ भी करो, संशोधन करो, पर यह रिफाइनरी बाड़मेर में लगनी चाहिए, किसी भी हालत में लगनी चाहिए। अगर यह रिफाइनरी नहीं लगी तो पूरे राजस्थान में इसका क्या मेसेज जाएगा, यह तो आने वाला समय बतायेगा। अभी आपको ध्यान में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी आप इस 163 की हवा में बह रहे हो। हमारे बाड़मेर ने आपको 6 एम एल ए दिये हैं। एम एल ए साहब, आप यह कह दो। बाड़मेर ने आपको 6 एम एल ए दिये, एक एम पी दिया।

श्री अमराराम (पचपदरा): बिलकुल लगेगी और वहीं लगेगी, वहां पचपदरा के अन्दर लगेगी। आपने नमक की खानों का मुआवजा बिना दिये, आनन-फानन में, इलेक्शन से दो दिन पहले ही शिलान्यास किया था।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अमरा रामजी, घमण्ड मत करो। आप बाड़मेर में रिफाइनरी कहीं भी लगाओ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसी जगह लगे, आपकी इच्छा हो वहां लगाओ, पर लगनी चाहिए बाड़मेर में। यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यह पूरे बाड़मेर और राजस्थान के स्वाभिमान का मामला है। अगर इस रिफाइनरी को आपने रोका तो आगे आने वाली पीढ़ियां

(श्री मेवाराम जैन)

आपको माफ नहीं करेंगी। इसलिए मैं आपको सावचेत करना चाह रहा हूं कि इस रिफाइनरी के मुद्दे को आप हवा में मत निकालो। पहले, इलेक्शन के पहले तो आपने औपचारिक बजट में कुछ बजट भी रखा था कि वोट आ रहे हैं, कैसे वोट लेंगे, पर अब आपने इसमें बिलकुल साफ कर दिया कि हम विचार कर रहे हैं। मतलब, आपकी नीयत खराब है, रिफाइनरी आप लगाना नहीं चाह रहे हों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी हालत हुई तो कितने धरने और प्रदर्शन होंगे, यह तो आगे आने वाला समय बतायेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि रिफाइनरी के बारे में आप कुछ भी करो, ऊपर भी आपकी सरकार है, आप भले ही नया एम.ओ.यू. करो, अगर वह शिलान्यास किया हुआ पत्थर आपको पसंद नहीं है तो आप भले ही दूसरा लगा दो, हमें कोई एतराज नहीं है, पर रिफाइनरी बाड़मेर में लगनी चाहिए। नहीं तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि अन्य योजनाएं जो चल रही हैं, अशोकजी के नेतृत्व में बाड़मेर में हमारे लिफ्ट कैनाल मोहनगढ़ की योजना चल रही थी, उसके लिए भी टेंडर हो चुके, 500 करोड़ की योजना है, उसके लिए भी इस बजट में एक रुपया भी नहीं है। इसके अलावा, दूसरी भी बड़ी-बड़ी जितनी भी स्कीम्स थीं, उनके लिए भी एक पैसा भी नहीं रखा। मतलब, यह ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। पानी तो सभी के लिए चाहिए और उसमें अगर आप भेदभाव करोगे तो यह नुकसान आपके लिए ही होगा। पानी के आज हालात क्या हैं बाड़मेर में, मैं कहना चाहूंगा, इतनी दुर्दशा है कि 6-6 महीने पानी नहीं जा रहा है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में कहो कि हैण्डपम्प खराब है, तो दो महीने तक ठीक करने वाला कोई नहीं है; पाइपलाइन लीकेज है, टूटी हुई पड़ी है, तो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, यह पानी की व्यवस्था सब के लिए है, इसमें आप राजनीति मत करो। यह पानी की व्यवस्था सब के लिए ठीक करनी चाहिए।

इसके साथ-साथ, कानून-व्यवस्था की बात कर रहे थे और महिलाओं के लिए कितनी-कितनी बातें हो रही थीं, पर आज हो क्या रहा है, पहले तो सिर्फ जयपुर में ही चेन लूटी जा रही थीं पर अब तो हमारे बाड़मेर में भी वे पहुंच गये हैं। और तो और, पुलिस प्रशासन को पता है कि चोर यह है, लूटने वाला यह है, पर उसके बाद भी पकड़ा नहीं जा रहा है। उनको पकड़ नहीं रहे हैं। ऐसे हालात वहां पर हैं। अखबार देखोगे तो हर अखबार में होगा कि

(श्री मेवाराम जैन)

महिलाओं के साथ दुष्कर्म। अमरा रामजी और इनको पूछो, बाड़मेर में ही देख लो कि पूरे राजस्थान में किस तरह के कानून-व्यवस्था के हालात हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): रिफाइनरी की पहले बाड़मेर से पचपदरा में जगह क्यों बदली? इनके नेताओं ने जमीनों का घोटाला किया। वहां पर जमीनों का इतना घोटाला किया, वहां की जनता के साथ धोखा किया और रातों-रात रिफाइनरी की जगह बदल दी। पहले वह कारण तो बताओ। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): एक इंच वहां पर हमारी बता दो। (व्यवधान) एक इंच जमीन वहां पर हमारी बता दो, तो हम आपकी बात मान लेंगे। पर आपके नेताओं की जमीनें हैं वहां पर, दूसरों की नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, अब निगोशिएशन घोटाला करने के लिए ही कर रहे हो क्या? (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जमीनें भी आपके नेताओं की ही हैं, हमारे नेताओं की नहीं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर मेरी तरफ देखें। आप इस पर ज्यादा नहीं उलझें, इसमें कई लोग उलझ जायेंगे। आने दें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, अभी बजट में सड़कों की बात चली, काफी लम्बी-चौड़ी सड़कों की लिस्ट देखी और पी.पी.पी. मोड पर सड़कें हो रही हैं। पी.पी.पी. मोड पर सड़कें तो हो जाएंगी, अच्छी सड़कें भी होंगी, पर राजस्थान की जनता पर जो टोल टैक्स और ठेकेदारों के माध्यम से कितना नुकसान होगा, यह आने वाला समय आपको बतायेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह पी.पी.पी. मोड के माध्यम से जो सड़कें बननी हैं, उनमें राजस्थान की जनता को भारी नुकसान होगा। उसके साथ-साथ, जो सम्भाग स्तर पर रखरखाव का ठेका एक ठेकेदार को दोगे, तो इसमें भी जो पारदर्शिता और ईमानदारी की बात होगी, वह ठेकेदार नहीं कर पायेगा और उसमें भी राजस्थान की जनता को भारी नुकसान होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर भी आप पुनर्विचार करें और इसको कैसे ठीक कर सकें, वह करें।

बस स्टैण्ड की भी बात हुई...

श्री सभापति: आप तो बोलिये। मैंने सुना, बस, तब मैंने कहा कि ठीक है। एक मिनट, मेवारामजी, क्या कह रहे हैं? बोलिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नये बस स्टैण्ड, आधुनिक बस स्टैण्ड बनाने की इस बजट में बात हुई। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान) अगली बस में ही बैठ जायेंगे, आप चिंता मत करो। आधुनिक बस स्टैण्ड नये बनाने का भी इस बजट में प्रस्ताव है, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि बाड़मेर में नया बस स्टैण्ड नगर परिषद ने सात करोड़ का बनाकर दिया है, जिसको बने हुए 7 महीने हो गये हैं। सात महीने से वह बना पड़ा है, उसमें से चोर पंखे लेकर जा रहे हैं, कांच तोड़ रहे हैं, पर उसको शुरू नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो बना हुआ है उसको तो आप शुरू करो। नये तो आप क्या बनाओगे, वह तो समझ में नहीं आ रहा है, पर यह बना हुआ है, आलीशान बना हुआ है, मेरे ख्याल से, राजस्थान में सबसे बढ़िया बस स्टैण्ड बना है, इसको शुरू कराओ ताकि जनता को उसका फायदा मिल सके।

जो मिडल स्कूल, जो पुरानी सैंक्शन हैं, उसमें बन चुकी हैं, उनको पहले शुरू करवाओ। उसके अन्दर आप स्टाफ नहीं लगा रहे हो। कम से कम जो स्कूलें बन चुकी हैं, नई की तो आपने घोषणा कर दी, पर जो बनी हुई हैं, उनको तो चालू करवाओ, उसमें स्टाफ लगवाओ। इससे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी।

अल्पसंख्यकों के लिए पहले आवासीय स्कूल शुरू हुए, पर आवासीय स्कूलों के अन्दर उसको चेंज करने की बात चल रही है। आवासीय स्कूल अल्पसंख्यकों के लिए उस जगह होने चाहिए, जहां वास्तव में, वहां अल्पसंख्यक पढ़ाई में कमजोर हैं और उस जगह आवश्यकता है, इसलिए वे सैंक्शन हुई थीं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उसको चेंज नहीं करके उसी जगह ये अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलें बननी चाहिए।

बाकी पंचायतों के पुनर्गठन की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है, आप पुनर्गठन करो, पर उसमें मैं कहना चाहूंगा कि पुनर्गठन में राजनैतिक द्वेषता नहीं हो और पारदर्शिता के साथ सबके साथ न्याय हो। उसमें मेरा सुझाव है कि पंचायत समिति, तहसील और एस डी ओ हैडक्वार्टर, तीनों एक ही क्षेत्र में हों, ताकि वहां की जनता को नुकसान नहीं हो। मैं बाड़मेर का उदाहरण देना चाहूंगा कि बाड़मेर पंचायत समिति में सात...

श्री सभापति: पंचायती राज का समय आएगा, तब बोलना। आज तो जनरल बोलो आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): और दूसरा, मैं सहकारिता में कहना चाहूंगा...

श्री सभापति: वह भी आयेगी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं, सहकारिता में मेरा निवेदन है कि यह इस बजट के अन्दर इनको लेना चाहिए कि हर पंचायत में सहकारी समिति खुलनी चाहिए। आज नरेगा का, दूसरा सारा पेमेंट जो हो रहा है, इन सोसायटीज के माध्यम से हो रहा है, जो हर पंचायत क्षेत्र में होनी जरूरी हैं। वहां व्यवस्थापक नहीं हैं। चार-चार पंचायतों में एक व्यवस्थापक है तो कैसे वह वहां व्यवस्था कर पायेगा? इसलिए हर पंचायत में सहकारी समिति, सोसायटी होनी चाहिए और उसमें स्टाफ लगना चाहिए।

(17.42 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

टैक्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 350 करोड़ का टैक्स लगाया, उसके अन्दर किसानों को छोड़ा नहीं, व्यापारियों को छोड़ा नहीं। कोई व्हिकल बेचे-लें, उस पर टैक्स; जमीन खरीदे-बेचे, उस पर टैक्स; गरीब के साथ, उनके साथ भी टैक्स तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ये जो इतने सारे टैक्स लगाये गये हैं और जो इतनी योजनाएं हैं, मुझे तो कह रहे थे कि पीछे रेवड़िया बांटीं, इतनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, आज प्रश्न काल के अन्दर, मैं देख रहा था, आपके बी जे पी के ही एम एल ए साहब ने वह प्रश्न लगाया था, उस पर कितने माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह जो पेंशन योजना है, छह महीनों से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है और उस पर सब चिंतित हैं। तो यह अगर अच्छी योजना नहीं है तो फिर यह चर्चा उसके लिए क्यों कर रहे थे?

इन्दिरा आवास की बात है, 10 लाख इन्दिरा आवास सैंक्शन हुए और आप देखो तो 5-5, 6-6 एक पंचायत में हो रहे हैं सिर्फ। अब उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो यह जनता को कितना इसमें फायदा होगा? यह आज इस प्रश्न के माध्यम से सारे ही बोलना चाह रहे थे कि हम अपने जिले की बात करें, हम अपने जिले की बात करें।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं जो पिछली सरकार ने जन-कल्याणकारी योजनाएं दी थीं, वे सारी की सारी योजनाएं इतनी हैं कि आप भी उनको बंद नहीं कर पाओगे। अगर कहीं बंद करने की चेष्टा भी की आपने, तो आपको पछतावा होगा। जनता उसका करारा जवाब देगी।

(श्री मेवाराम जैन)

अंत में, मैं कहना चाहूंगा, यह जो जनता जल योजना और हैण्ड पम्प हैं, हम भी उसमें खपें, हमारे समय में भी कहा कि ये पंचायत ठीक नहीं कर पायेंगी। पंचायतों के पास न तो स्टाफ है, न साधन है। जनता भुगत रही है। तब भी नहीं माने और अब भी, मेरे ख्याल से, ऐसे सारे ही चाहते होंगे कि जनता जल योजना पी एच ई डी के पास होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था ठीक नहीं हो पायेगी। सारी स्कीमें ठप पड़ी हैं। पुनः आप वापस पी एच ई डी को यह स्कीम दो, ताकि जनता को राहत मिल सके।

मैं, अंत में, यही कहूंगा कि यह बजट है, इसमें जो भी इन्होंने प्रयास किया है, मैं तो इसमें चाहूंगा कि इसमें हर तरह से फेल हैं। कहीं भी, आपने जो वादे किये हैं, जनता को, किसान को, गरीब को, एस सी, एस टी को जो फायदा होना चाहिए, यह इस बजट में कुछ नहीं है। खाली लोक-लुभावनी बातें कही हैं। (व्यवधान)

राशन कार्ड और खाद्य सुरक्षा में आपके क्या हालात हैं, आप पता कर लो कि खाद्य सुरक्षा में आज लोगों को मिल क्या रहा है? मैं तो कहूंगा, कोई बात नहीं, हम एक रुपये किलो गेहूं दे रहे थे, वह भी शायद आप बंद करने जा रहे हों, पर यह जो खाद्य सुरक्षा वाला है, इसको भले ही आप पुनः सर्वे करा दो, पर गरीब को मिले, इसमें आप पूरी व्यवस्था करो, ताकि वे बाकी जो वंचित रहे हैं...(व्यवधान) हां, हमने जल्दी में शुरू की थी, उसमें कहीं कमियां रही होंगी, पर आप उसको ठीक करो और इसमें सबको, गरीब जो पात्र व्यक्ति हैं, उनको मिले, पेंशन समय पर मिले। (व्यवधान) सात महीनों में आपने क्या किया? उसको ठीक क्यों नहीं करा रहे हों? हमें कह रहे हों। अब आपकी ड्यूटी है। हमने ठीक नहीं कराये, तब तो हालत यह हुई है, इसीलिए यहां आये हैं। अब आप क्यों कर रहे हो वापस ऐसी स्थिति? (व्यवधान) हम ठीक नहीं कर पाये, तब तो हम यहां आये हैं। अब आप ठीक करो, नहीं तो, आप भी अगली बार यहां आओगे। इसलिए अब इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय मेवारामजी, कम से कम मेडिकल कालेज का तो धन्यवाद दो।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्रजी नागर।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप ले लें। अभी नहीं खुली है यह। आपको ध्यान नहीं है। पहले पता कर लो, कब की सैंक्शन है। आपने इसमें बताया है, इसलिए इसमें नहीं हुई है।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2014-15 के वाद-विवाद में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान में वसुन्धरा राजेजी की सरकार बनी और जिस प्रकार से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजस्थान का दौरा किया, भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं को नजदीकी से देखा और जो उन्होंने कल बजट पेश किया है, जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता की समस्याओं को देखते हुए, पिछली सरकार द्वारा जिस प्रकार का, फ्लैगशिप योजना के माध्यम से जो ढांचा खराब हो चुका था, उसको ठीक करने का प्रयास किया।

बिजली में जिस प्रकार की घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है, किसानों की माली हालत, किसानों की आर्थिक स्थिति तब मजबूत हो सकती है, जब हर किसान को जब वह चाहे, तब उसको बिजली का कनेक्शन मिले। राजस्थान की सरकार ने 40,000 कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की है और साथ ही यह भी तय किया गया कि आगे आने वाले समय में जब आवेदन किया जायेगा, किसान को तुरन्त बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जायेगा। साथ ही, सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं कि किसानों को अच्छी किस्म की बिजली मिले और नान-ट्रिपिंग बिजली मिले। सरकार द्वारा हर जी एस एस पर और हर फीडर पर सर्वे कराया जाकर, प्रयास किये जा रहे हैं कि किस प्रकार किसानों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो। यह सर्वे का काम किया जा रहा है। किसानों को चाहे सात घंटे बिजली मिले, चाहे आठ घंटे बिजली मिले, पर किसानों को नियमित रूप से आठ घंटे-सात घंटे बिजली मिलनी चाहिए। चाहे अपन 10 घंटे बिजली दें, पर ट्रिपिंग के आधार पर यदि बिजली मिलती है तो मैं मानता हूं कि 10 घंटे बिजली भी कम होती है किसानों के लिए और किसान 10 से 12 घंटे तक, 10-10, 12-12 घंटे तक के लिए इंतजार करता है।

इसके लिए पिछले राज में, जब माननीया वसुन्धरा राजेजी मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने फीडर सुधार कार्यक्रम चलाया और फीडर सुधार कार्यक्रम के साथ

(श्री नरेन्द्र नागर)

ही हर किसान को सेपरेट ट्रांसफार्मर देने की घोषणा की और साथ ही, हर गांव को सिंगल फेज से जोड़ने का प्रयास किया गया। उसकी वजह से आज किसानों को अच्छी बिजली मिल रही है और गांवों को सिंगल फेज जो सरकार ने 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की है, निश्चित रूप से गांवों में बिजली मिल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समस्या यह है कि जो ट्रांसफार्मर है और जिस प्रकार से उनके मीटर होते हैं और जिस प्रकार से उनकी वायरिंग होती है, वह बार-बार जलना, मीटरों का बार-बार जलना, और विभाग द्वारा जो ट्रांसफार्मर दिए जाते हैं, वे वेल्डिंग करके दिए जाते हैं और वह वेल्डिंग खुलने के बाद किसानों की वी सी आर भर देते हैं। सरकार को इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए और उनको फिक्स किया जाना चाहिए कि किसानों को यदि 5 एच पी की है तो उसका ही पैसा वसूलेंगे, या किसानों से साल भर में दो बार जब फसल आती है, उसमें बिजली का पैसा वसूलेंगे। तो एक प्रकार जो झंझट है, जिसमें बार-बार किसान परेशान होते हैं और जो शिकायतें मिलती हैं कि किसी की वी सी आर भर दी, किसानों के ज्यादा बिल आ गया, तो इन सारी समस्याओं से निजात मिल सकती है। सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था करें तो यह एक अच्छी व्यवस्था होगी।

पेयजल के लिए, आज की स्थिति में वाटर लेवल जो गहराई पर पहुंच रहा है, उसकी वजह से फ्लोराइड की मात्रा जो पहले गांवों में नहीं हुआ करती थी, वह भी अब गांवों में होने लग गई है और ज्यादातर गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी मिलता है। फ्लोराइडयुक्त पानी से निजात दिलाने के लिए, पेयजल के स्रोत होते हैं, उन स्रोतों के माध्यम से हर गांव को पानी मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार करती है। पिछली बार जब 2003 से 2008 तक में माननीया वसुंधरा राजेजी मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाईं। गांवों को और शहरों को पेयजल से जोड़ने का प्रयास किया था और अभी भी झालावाड़ जिले में रेवा को 48 करोड़ 50 लाख, भीमनी को 30 करोड़ 80 लाख, माधवी को 30 करोड़ 87 लाख रुपये दिये हैं। उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री नरेन्द्र नागर)

साथ ही, जल संसाधन विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है और जल संसाधन विभाग अच्छी तरह काम करे। वास्तव में, किसानों की अच्छी स्थिति तब हो सकती है, जब पर्याप्त रूप से पानी रुके और उस पानी का सदुपयोग हो। वैसे झालावाड़ जिला जो है, वह चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। वहां पर नदी और नाले इस प्रकार से बहते हैं, वास्तव में, कि पानी को रोका जाए तो सारे क्षेत्र में हम हर किसान को, हर खेत को पानी पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2003 से 2008 तक, जब वे सत्ता में थीं, तब भी किया था और अभी भी इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो भीमसागर बांध पड़ता है, उसमें 5 करोड़ रुपये जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिये हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं।

साथ में, कृषि ऐसा क्षेत्र है, लगभग 50 से 60 परसेंट इस राजस्थान में किसान हैं और किसानों की जब तक माली हालात ठीक नहीं हो सकती, इस प्रदेश का चहुंमुखी विकास नहीं हो सकता। विशेष रूप से, ज्यादातर यहां पर जो माननीय सदस्य हैं, वे किसान वर्ग से आते हैं, किसानों की स्थिति आप सब भली-भांति जानते हैं। किसानों को समय पर खाद मिले, किसानों को समय पर बिजली मिले, किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले, इस प्रकार के प्रयास सरकार को करने चाहिए और सरकार निश्चित रूप से करती है। सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिले, उसके लिए प्रावधान रखा है कि 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 50 लाख मैट्रिक टन डी ए पी और 50 हजार सुपर फास्फेट रिजर्व रखेंगे ताकि जिस दिन किसानों को आवश्यकता पड़े, तो किसान को दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़े, किसानों को व्यापारियों के चक्कर नहीं काटना पड़े, किसानों की जेब खाली न हो। इस प्रकार का प्रयास सरकार ने किया है।

साथ ही, जब किसानों की पैदावार होती है, किसानों को मजबूरन उस माल को व्यापारियों को बेचना पड़ता है, मंडियों में जाना पड़ता है। तो हर उपखण्ड स्तर पर, हर तहसील स्तर पर भण्डारण की व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, ताकि उससे किसान वहां माल जमा कराकर, उससे लोन मिल जाए और जिस दिन बाजार में भाव अच्छा मिले, उस दिन वह अपना माल बेच सके। इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। पिछली बार भी बहुत सी जगह वेयरहाउस खोले और आगे आने वाले समय में भी

(श्री नरेन्द्र नागर)

वेयरहाउस की व्यवस्था सब जगह हो, इस प्रकार का सरकार द्वारा प्रयास होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में, जहां शिक्षा ऐसा मूल मंत्र है, जिससे यह देश प्रगति कर सकता है, देश उन्नति कर सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में अपन कितने ही स्कूल खोल लें, चाहे मिडल स्कूल खोलें, चाहे सीनियर सेकण्डरी स्कूल खोलें, चाहे कालेज खोलें उच्च शिक्षा के रूप में, शिक्षा अच्छी मिले, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इस प्रकार का ध्यान वास्तव में सरकार को रखना चाहिए, चाहे कोई सी भी सरकार हो। आज अपन ने स्कूल खोल दिए, जिन स्कूलों में तीन-तीन सौ छात्र हैं, एक अध्यापक पढ़ा रहा है। निश्चित रूप से मैं सरकार की सराहना करता हूं कि एकीकरण के माध्यम से तय होना चाहिए कि वास्तव में कितने अध्यापक हैं और कितने छात्र हैं। छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को वहां लगाना चाहिए। हमेशा देखा गया है कि रोड के पास ज्यादातर अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर लग जाते हैं और जहां इन्टीरियर होता है, जहां पर बरसात में पहुंचने की दिक्कत होती है, वहां पर सब अध्यापक सिफारिश करके रोड के पास लगे होते हैं। एक पारदर्शिता के रूप में तय होना चाहिए और यह भी तय होना चाहिए, जिस प्रकार एक डाक्टर को अपन लगाते हैं, आपको पहले ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा, इस प्रकार से टीचरों का भी तय होना चाहिए, दो साल फिक्शेसन होता है, उसके बाद उसको फिक्स किया जाता है और सरकारी नौकरी उसकी मानी जाती है। यह तय होना चाहिए कि पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करें और उसके बाद में आपका ट्रांसफर होगा। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और निश्चित रूप से यह सरकार करेगी।

राजस्व के लिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्व की जिस प्रकार की स्थिति है, आज पटवारी की स्थिति आप देख लीजिए, कानूनगो की स्थिति देख लीजिए और जिला कलक्टर की स्थिति देख लीजिए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि जिला कलेक्टरेट पर मिनी सचिवालय खोला जाएगा, मिनी सचिवालय वास्तव में खुलना चाहिए ताकि सारा जिले की जनता आती है, उनको सुविधा मिले। उनकी वहां पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए और सम्पूर्ण व्यवस्था में मिनी सचिवालय होगा तो निश्चित रूप से यह सारी व्यवस्था होगी। सरकार ने मिनी सचिवालय खोलने की घोषणा की है, इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

(श्री नरेन्द्र नागर)

सभापति महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले मुख्यमंत्री-काल, 2003 से 2008 में भी बहुत सारे जो पर्यटन स्थल हैं, उनको बजट दिया। इस बार भी झालावाड़ जिले में झालावाड़ गढ़ के लिए 4 करोड़ 92 लाख, गागरोन फोर्ट के लिए 4 करोड़ 92 लाख और रैन बसेरा के लिए 2 करोड़ 24 लाख रुपये दिये हैं। रैन बसेरा ऐसी जगह है जो पिछले राज में जलकर खाक हो गया था और पिछली सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि जब अपनी सरकार आएगी, तब इसमें बजट मिलेगा, तो अब सरकार बनी है और बजट मिला है।

साथ ही, पुरातत्व संग्रहालय और कला संस्कृति में भी, जिंदा रखने के लिए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने झालावाड़ जिले के प्राचीन अवशेष मऊबोरदा को, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है, उसको 3 करोड़ 53 लाख दिये हैं; दलहनपुर, जो मनोहरथाना क्षेत्र में पड़ता है, उसको 6 करोड़ दिये हैं।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, वह वास्तव में, जिस प्रकार राजस्थान में यह व्यवस्था थी, जिस प्रकार की यहां की वित्तीय स्थिति थी, उसको ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। इस बजट की मैं सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से यह बजट, इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए अच्छे दिन और अच्छा समय, और आगे आने वाले समय में किसान खुशहाल होंगे और किसान उन्नति करेंगे।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलाल गुर्जर।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 5)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई 2014 को मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक 19 जुलाई 2014 से बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014 तक सदन में अग्रेत्तर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय:-

शनिवार, दिनांक 19 जुलाई 2014	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 20 जुलाई 2014	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2014 मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014 बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014 गुरुवार, दिनांक 24 जुलाई 2014 शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई 2014 शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 27 जुलाई 2014	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 28 जुलाई 2014	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण।

(परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुख-बन्द का प्रयोग की जाकर दिनांक 28 जुलाई, 2014 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।)

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई 2014	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 30 जुलाई 2014	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2014; एवं 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2014, -पर विचार एवं पारण।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामचन्द्र (डग): सम्माननीय सभापतिजी, आपने मुझे 2014-15 परिवर्तित बजट पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

वैसे तो मैं एक स्लोगन से यह शुरू करना चाह रहा था, लेकिन केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य, जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आज कौनसी चौपाई से शुरू करोगे? तो मैं, तुलसीकृत रामचरितमानस में अवधी भाषा में एक चौपाई लिखी है, 'राजधर्म सर्वसु एतनोही जिमी मन माह मनोरथ गोही।'; नीतिसार में बहुत सारी नीतियां हैं, राजधर्म पर, धर्मनीति पर हैं लेकिन जैसा तुलसीदासजी महाराज ने यह लिखा कि राजधर्म सर्वसु एतनोही', जो भी राज में हो, उसका यह धर्म है कि वह सबको साथ लेकर चले और पूरी जनता का सरोकार रखते हुए उसका मनोरथ कार्य करे, ताकि वह राजा जो जिस प्रजा के साथ अपने सम्बन्ध रखता हो, वह उसके सर्वांगीण विकास और चहुंमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प हो।

जैसा कि कल माननीया यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी मुख्य मंत्री राजस्थान, जिन्होंने यह बजट प्रस्तुत किया, यह बजट एक अभिनव है, एक आधुनिक तरीके का बजट है, एक साहसी बजट है, चुनौतीपूर्ण बजट है और अतुलनीय बजट है।

(श्री रामचन्द्र)

मैं देख रहा था, पहले जो मित्र सदस्य साथी बोल रहे थे, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में, मैं सभी विद्वान साथियों का सम्मान करता हूं, लेकिन लगता है कि पिछली सरकारों ने, अपनी सरकार के कार्यकाल के जो बजट थे, उसी ढर्रे पर वे सरकारें चलाते आ रहे थे। पिछली 2003-08 की सरकार में, मुझे इसलिए मालूम है कि राजस्थान के अन्दर आधारभूत ढांचे की दृष्टि से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने कार्यकाल में काफी अच्छे कार्य और सराहनीय कार्य किये थे। मैं जिस क्षेत्र से हूं, वह डग विधान सभा क्षेत्र झालावाड़ जिले का एक सुदूर और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ विधान सभा क्षेत्र है। तो जब 2003-08 में यह सरकार थी, तो वहां की सड़कें, वहां की जो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की जो सारी सुविधाएं थीं, उनसे राजस्थान का मध्य प्रदेश का कम्पीटिशन होता था। जब राजस्थान के लोग अपनी सड़कों पर जाते थे और जैसे ही खड्डों में वे प्रवेश करते थे, तो कहते थे कि मध्य प्रदेश आ गया। लेकिन आज हालत यह थी, पिछली सरकार में, सिर्फ लोक-लुभावनी अपनी नीतियों के सहारे और अपनी सरकार बनाने के प्रयास में पिछले कई बजट, मुझे ऐसा लगता है, राजस्थान को समर्पित किये, जिनमें राजस्थान का विकास नहीं हुआ और पिछड़ापन और 'बीमारू' दृष्टि की ओर अग्रसर हुए। इसी दृष्टि से, इन पांच सालों के पिछड़ेपन से हम जब आन्तरिक दृष्टि से प्रतियोगिता करते हैं, दूसरे प्रदेशों से, तो हमें लगता है कि हम बहुत पिछड़ गये। आज स्थिति यह है कि राजस्थान के लोग जब मध्य प्रदेश में जाते हैं, तो राजस्थान में आते ही उनको पता लग जाता है कि हम राजस्थान में आ गये, क्योंकि हम खड्डों में सड़क ढूंढते हैं, सड़क में खड्डे नहीं ढूंढते। ऐसे हालात पिछले पांच साल से रहे हैं।

लेकिन इस बजट से, जैसा कि माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के आकार को बढ़ा कर, 46 हजार करोड़ से 69 हजार करोड़ किया और यह भी तय किया कि बीस हजार किलोमीटर सड़कें राजस्थान की सुदृढ़ तरीके से स्थापित हों ताकि राजस्थान के अन्दर आधारभूत ढांचे की दृष्टि से ये एक मील का पत्थर साबित हों। आज लोगों को पेयजल तो बहुत दूर पीने का पानी नहीं मिला और लोग पानी के लिए तरसे हैं, पिछले कई सालों से, लेकिन आज जो इस सरकार ने एक आधुनिक दृष्टि से आर.ओ. से जोड़कर पानी की जो शुद्ध पेयजल की योजना दी है, यह भी एक अतुलनीय है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में रोजगार सृजन की दृष्टि से और निवेश को बढ़ाने के लिए जो यह बजट दिया गया है, वह बहुत ही कारगर साबित होगा।

(श्री रामचन्द्र)

हमारे प्रदेश में, मुझे जहां तक याद है, झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है जो हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। आज झालावाड़ जिला माननीया वसुन्धराजी के नाम से जाना जाता है क्योंकि झालावाड़ जिले की पहचान माननीया मुख्य मंत्रीजी रही हैं। उस क्षेत्र में विकास की दृष्टि से तो बहुत दूर, पिछड़ेपन से भी पाषण युग में थे और मैं बता रहा हूं, पाषाण युग की यह दृष्टि थी कि आज भी अगर आप देखेंगे, तो वहां पर जब से वे सांसद बनीं और उनके कार्यकाल में जितनी जिले की नदियां रही हैं, चाहे वह आहू, चम्बल, शिप्रा, कंठाली, बड़ी-बड़ी जो नदियां हैं, उन नदियों को उन्होंने उस समय लिफ्ट इर्रिगेशन से जोड़ कर और एक गांव में, जहां उनके बिलकुल ठेठ खाने-पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, आज वहां पानी की बहुतायतता है और नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के साथ-साथ, वहां उन्होंने चेक डैम बना कर लोगों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा दी, सड़कें दीं। झालावाड़ जिला जहां पर मात्र एक गढ़ के अन्दर सारे आफिस चला करते थे, आज गगनचुंबी मिनी सचिवालय है, वहां अभियांत्रिकी कालेज है, कृषि विश्वविद्यालय है और मेडिकल कालेज है। आज वहां कृषि के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय वहां खुला हुआ है, उस विश्वविद्यालय में पाली हाउस हैं और नये-नये वैरायटी के, कृषि उत्पादों के क्षेत्र में उन्नत किस्मों के बीज प्लस फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो यह श्रेय जब झालावाड़ को मिला, तो मैं जानता हूं कि यह ऐसा का ऐसा ही अब राजस्थान में होने लगा है।

राजस्थान चहुंमुखी विकास के लिए बाट जोह रहा है माननीया मुख्य मंत्रीजी के बजट से और मुझे लगता है कि राजस्थान में, जैसा लोगों ने कहा कि रोजगार सृजन नहीं होगा, मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि स्किल डवलपमेंट जैसी यूनिवर्सिटी और दूसरे कई रोजगार सृजन के कार्यक्रम लाकर यहां के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी बहुत सारी योजनाएं दी हैं। पत्रकारों के पांच लाख से दस लाख के मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिये हैं। इसके अलावा लड़कियों को, शिक्षा के क्षेत्र में, जो नवीं में आएंगी, उनको साइकिल; और बहुत सारे ऐसे हैं, कैंसर चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र, झालावाड़ और मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के लिए, जैसा मेरे साथी, खानपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पेयजल के लिए बहुत सारी योजनाएं दीं और कल राजस्थान में एक मात्र अपर जिला एवं सत्र न्यायालय भवानीमंडी में खोला। मैं माननीया मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत, हृदय के गहनतम तल से, आभार प्रकट करता हूं।

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान में अब नये विकास का और एक सुदृढ़ राजस्थान का, एक समृद्ध राजस्थान का जो सपना उन्होंने कल्पनाशील किया है, मैं सोचता हूं कि राजस्थान की एक मात्र ऐसी नेता हैं जिनके पास एक अपना विजन है और उस विजन को वे निश्चित रूप से, चाहे वह सुराज रथ यात्रा के माध्यम से हो, चाहे सरकार को सम्भाग स्तर पर ले जाने के माध्यम से हो, आज गांव-गांव और ढाणी जाकर वे सिर्फ इस बात के लिए घूम रही हैं। कोई उनको घूमने का शौक नहीं है, लेकिन वे यह जानना चाहती हैं कि ठेठ उस गांव के आदमी, गांवों में जो लोग परेशानी भोग रहे हैं, उनकी वास्तविक परेशानी क्या है और उस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार को गांवों में ले जाकर, उनकी समस्याओं को समाप्त करना और पुनः, जैसे खाद्य सुरक्षा पर माननीय सदस्य, अजमेर से आने वाले बोले थे कि लोगों को समुचित और सुलभता से खाद्य सुरक्षा की जद में नहीं लिया गया है, तो निश्चित रूप से माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर वापस पुनरावलोकन होगा और यथोचित पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का इस बजट भाषण पर बहुत-बहुत साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं और बधाई और शुभकामना देता हूं कि राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए आप एक समृद्ध राजस्थान, एक सुदृढ़ राजस्थान देगी। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री घनश्याम मेहर।

(अनुपस्थित)

श्री छोटूसिंह भाटी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2014-15 पर वादविवाद में मैं मेरा व्याख्यान देना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आदरणीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय प्रबंध एवं गलत नीतियों के कारण राज का खजाना सही योजनाओं में नहीं लग पाया एवं विगत सरकार हजारों करोड़ों रुपये के कर्ज को उपलब्धि रूप में इस सरकार को देकर गयी है। अति सम्मानीया मुख्य मंत्री महोदया ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, बड़ी कुशलता से प्रबंधन करते हुए न केवल पुरानी सभी योजनाओं को चालू रखा, बल्कि कई ऐसे फैसले लिए, जो कि दूरगामी साबित होंगे।

(श्री छोटू सिंह)

स्वास्थ्य की दृष्टि से, मेडिकल में, नये मेडिकल कालेज खोलकर आगामी वर्षों में डाक्टरों की फौज तैयार करने में, जो कल्याण की, और दूसरी तरफ, राज्य में शत-प्रतिशत आबादी का स्वास्थ्य बीमा कराने की योजना की जो घोषणा की है, इस पर आम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। यह प्रयास सराहनीय है।

आदरणीय सभापति महोदय, पैरा नम्बर 151, 153 और 159 में शिक्षा के क्षेत्र में हर पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने की घोषणा न केवल पूरे राजस्थान के लिए विशेष सौगात लेकर आई है, यह मांग आम जन की थी और लम्बे समय से विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने की थी। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की एक ही प्रतियोगी परीक्षा का निर्णय लेकर, शिक्षकों को भर्ती हेतु अनावश्यक परेशानी जो झेलनी पड़ रही थी, शिक्षकों की कमी लंबे समय से चली आ रही थी, परन्तु कई कारणों से सभी सरकारें शिक्षकों की पूर्ति नहीं कर पा रही थीं।

राजस्थान के आज 28 हजार स्कूलों में, केवल तीस बच्चों से भी कम, ऐसी स्कूलें हैं जहां 30 बच्चे ही हैं। उन स्कूलों का अन्य बड़ी स्कूलों में, नजदीक में, एकीकरण कर सरकारी स्कूलों में अध्यापक व्यवस्था को सुचारु करने का अहम निर्णय लिया है। वह भी सराहनीय है।

पैरा नम्बर 183 और 184 में महिलाओं के लिए भामाशाह योजना फिर से प्रारम्भ की है तथा बी पी एल परिवार की महिलाओं को राशि दुगनी कर दी है । साथ ही, महिला की रजिस्ट्री पर भी छूट बढ़ाकर, उन्हें भूमि खरीदने का जो प्रोत्साहन किया गया है वह भी सराहनीय है।

पैरा 36 के उल्लेख के अनुसार, दुरस्ती रेगिस्तान क्षेत्र के लिए लोकल सोलर ग्रिड और स्टेंड-एलोन-सोलर-ग्रिड सिस्टम के माध्यम से विद्युत सुविधा का व्यापक कार्यक्रम घोषित किया, जो कि रेगिस्तान क्षेत्र के भविष्य के लिए चमन कर, सराहनीय होगा।

पैरा नम्बर 99 में उल्लेख है, खनन नीति में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए, पिछली सरकार की भ्रष्ट खनन नीति को समाप्त कर, आनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ करने का जो निर्णय लिया है, इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता व बदलाव दिख जाएंगे। वह भी सराहनीय है।

पैरा नम्बर 17 में उल्लेख के अनुसार, प्रदेश में 530 गांवों को सीधा

(श्री छोटू सिंह)

पक्की सड़कों से जोड़ने की घोषणा है व उसमें 509 करोड़ का प्रावधान लिया है। वह भी सराहनीय और धन्यवाद का पात्र है। पैरा नम्बर 16 में उल्लेख है, आर सी सी सड़कें, जो गांव की गलियों में निर्माण कार्य करने के लिए, ग्रामीण गौरव पथ के रूप में 1 हजार 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, वह भी प्रशंसनीय है।

सभापति महोदय, पैरा नम्बर 217 के अनुसार सैनिकों की विधवाओं के लिए साहसिक निर्णय लेकर, सैनिकों द्वारा राज्य सरकार में दी गई सेवा के लिए पारिवारिक पेंशन का जो प्रावधान किया गया है, वह भी प्रशंसनीय है और माननीया मुख्य मंत्री इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं।

पैरा संख्या 155 में बालिकाओं के कक्षा 9 में प्रवेश पर साइकिल देने की घोषणा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का अहम प्रयास किया गया है। वह भी बहुत सराहनीय है।

पी पी पी माडल पर नई स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी की घोषणा कर, रोजगार के अवसर बढ़ाने का बेजोड़ प्रयास किया गया है। 5 शहरों में, जिनमें हमारा जैसलमेर भी शामिल है, नया डेजर्ट सर्किल बनाने की घोषणा कर पर्यटन क्षेत्र में उछाल लाने का कार्य किया गया है।

पैरा नम्बर 40 के अनुसार, एस सी, एस टी और अल्पसंख्यक गांव और ढाणियों को पेयजल से जोड़ने के लिए तीन हजार से भी अधिक गांव चयनित कर, बजट में इन्हें पेयजल से संतुष्ट करने का निर्णय; सभी वर्गों के लिए पेयजल की बहुत बड़ी परियोजना हेतु पूंजीगत इन्वेस्टमेंट का, ठोस भविष्य के लिए नीति निर्धारण का निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद की पात्र हैं।

पैरा नम्बर 68 में महानरेगा योजना, जो फर्जीवाड़ा ही था, उस योजना में खालों का निर्माण एवं रेल अण्डरब्रिज निर्माण का कार्य करवाया जाएगा, जिससे महानरेगा योजना में सम्पत्ति का सृजन और दूरगामी कार्य शामिल कर, स्थायी परिसम्पत्तियां बनाने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला बेहद अहम फैसला लिया गया है।

राज्य के जनजाति एवं ग्रामीण युवा केन्द्र की स्थापना पंचायत समिति मुख्यालय पर कर, इस अभिनव योजना को पुन: प्रारम्भ कर, राष्ट्र के परिदृश्य में राजस्थान को अग्रिम बनाने हेतु सार्थक प्रयास करने का जो उल्लेख किया गया है, वह भी सराहनीय है।

(श्री छोटू सिंह)

पैरा 196, विशेषकर इन्होंने पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार और बी डी ओ के भौगोलिक क्षेत्र को समान रचना में रखने के लिए, पंचायत समिति, उपखण्डों व तहसीलों के पुनर्गठन के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन कर, ठोस प्रयास किया गया है, जिसके लिए माननीया मुख्य मंत्री को बहुत धन्यवाद देते हैं।

सभापति महोदय, कुछ मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याएं हैं, वे भी मैं सदन के माध्यम से आप तक पहुंचाकर मंत्री महोदय को सुनाना चाहता हूं। जैसलमेर में बिजली पैदा होती है, गैस आधारित भी है, पवन से भी है, सोलर से भी है, करीबन 2,500 मेगावाट बिजली पैदा होती है लेकिन जैसलमेर में उसकी खपत ही नहीं, केवल दी जाती है, एक से डेढ़ मेगावाट तक। हमारा सदन के माध्यम से निवेदन है, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत-बहुत बड़े हब बिजली के बन रहे हैं और उन हबों के अन्दर जैसलमेर जिले को विशेष पैकेज दिया जाए, बिजली का। वहां के लोगों को केवल 7 घण्टे बिजली जब मिलती है, तो इससे आशंकित रहते हैं, कि हमारी धरती हमारे पूर्वजों ने सम्भाल कर रखी, हमारी इस धरती के अन्दर बिजली पैदा होती है, यहां की धरती से पानी आया, हम बाड़मेर को भेज रहे हैं, हम बालोतरा को भेज रहे हैं, हम नागौर को भेज रहे हैं, हम जोधपुर को भेज रहे हैं लेकिन हमारे यहां पर हमारे लोगों को पानी आज भी फ्लोराइडयुक्त पीना पड़ रहा है। इसलिए आपके माध्यम से सदन से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि इसमें कुछ इस प्रकार का हमारी जैसलमेर की जनता को लाभ दिया जाए, बिजली के क्षेत्र में और पानी के क्षेत्र में।

पानी जैसलमेर से लिफ्ट द्वारा बाड़मेर जाता है लेकिन बाड़मेर से यह योजना नम्बर एक फेज में और दो में चालू हुई थी, उस एक नम्बर फेज के अन्दर बाड़मेर शहर को हमने लिया था। उसी फेज, एक नम्बर के अन्दर, हमारे जैसलमेर के कई गांव थे। लेकिन इस पूर्ववर्ती पांच साल की सरकार, कांग्रेस ने इसको उलटा किया, 0 से जो शुरू करना था वह टेल से शुरू किया। आज बाड़मेर के कुछ गांवों को पानी मिलता है, लेकिन जैसलमेर से जो पानी जाता है, जैसलमेर को नसीब नहीं हो रहा है। यह दो फेज में काम था। फेज फर्स्ट में बाड़मेर शहर और हमारे जैसलमेर के गांव थे उसको कांग्रेस सरकार ने बंद करके बाड़मेर से शुरू, उलटा टेल से शुरू किया है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारा निवेदन है कि उसको पुन: जैसलमेर से शुरू किया जाए, ताकि

(श्री छोटू सिंह)

जैसलमेर से पानी जीरो से शुरू होता है और टेल तक पहुंचता है, यह उस हिसाब से, उस कैटेगरी से किया जाए।

पशुपालन के क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, हमारा क्षेत्र पशुपालक है और राष्ट्रीय स्तर पर 25 प्रतिशत से अधिक पशु हमारे जैसलमेर में ही हैं। राज्य की पशु गणना के हिसाब से राजस्थान में 5.79 करोड़ पशुधन हैं। उसमें से सबसे ज्यादा यदि पशु धन है तो जैसलमेर में है। आज जैसलमेर का बड़ा क्षेत्र है, जैसलमेर का तकरीबन 38 हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया है, पशुपालन का क्षेत्र है। हम भी आपको, चाहे बिजली पैदा के लिए, चाहे डिफेंस के लिए, लैंड जैसलमेर में मिलती है लेकिन जैसलमेर के लोग आज भी भूमि-हीन हैं। पशुपालक को चरागाह के लिए जमीन नहीं मिलती है। मेरा निवेदन है कि जब पूर्ववर्ती नियम बना रखे हैं कि गाय को आधा बीघा देना है, लेकिन वहां के निवासी गाय भी रखते हैं, ऊंट भी रखते हैं, भेड़ भी रखते हैं, बकरी भी रखते हैं और भी कोई जानवर, घोड़ा होगा। हमारा निवेदन है कि जिस प्रकार से आधा बीघा एक गाय को दिया जाता है, उसको बढ़ा कर एक बीघा किया जाए और दूसरे जो पशु हैं, उनके लिए भी जो भी नियम और कायदा हो, उस हिसाब से उनका आरक्षित किया जाए।

जो आपके पवन चक्कियां लगी हुई हैं, जो सोलर लग रही हैं, हमारा एरिया ऐसा भी है कि एक तरफ से अपन बीज बचा कर रखते हैं और दूसरी तरफ से सेवन घास का बीज पूरे राष्ट्र में जा रहा है, लगाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में विद्यमान है वह पौष्टिक सेवन घास। उसको आज, जिस हिसाब से जो काम हो रहा है, बाहर की कम्पनियां काम कर रही हैं, उस हिसाब से उस सेवन घास का पूरा खातमा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, सदन के माध्यम से, ऐसी जगह हम आपको उपलब्ध करवाएंगे जहां पर पवन भी लग सकती है, जहां सोलर भी लग सकता है, दूसरा भी कोई कारखाना लग सकता है लेकिन उस सेवन घास को आरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय में पशु धन के लिए चारे की कमी नहीं हो सके। वह जैसलमेर में ही विद्यमान है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के क्षेत्र के बारे में भी मेरा निवेदन है कि जैसलमेर में आज पेयजल के क्षेत्र में 75 परसेंट हमारी लैंड ऐसी है, हमारी जमीन ऐसी है कि जहां पर फाउंडेशन में पानी सब परमात्मा की, कुदरत से मिला है, लेकिन आज जैसलमेर में पेयजल की हा-हा-कार मची हुई है। नहर

(श्री छोटू सिंह)

से पानी आ नहीं रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि नहर में पानी नहीं है और ट्यूबवैल खोदे हुए नहीं हैं। पांच साल पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर कोई गौर नहीं किया। पानी की उपलब्धता होते हुए भी ट्यूबवैल नहीं खुदे। त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज मेरा निवेदन है कि किसी भी हालत में यह पानी की व्यवस्था जैसलमेर के दूरस्थ, पाइपलाइन की दूरियां बहुत हैं, खूब सारी इस अपोजीट साइड में, जहां पर मेवाराम जी खड़े हैं, जोरदार तरीके से आवाज उठाई, लेकिन पांच साल में यह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जूं तक नहीं रेंगी। बहुत कुछ कह दिया, कोई कमी नहीं रही। आदरणीय सदस्य महोदय, मेवारामजी आज यहां पर फरमा रहे हैं कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अभी तो अपना काम किया हुआ है, उसका ही तो पछतावा करो कि अपन ने पांच साल तक क्या किया था, वह क्या सोचा था।

मेरा निवेदन है कि हमारी सकारात्मक सोच है। 163 सीटें हमारे को जनता ने दी हैं तो यह सदन पूरा हमारा है, सात करोड़ जनता हमारी है, जैसलमेर और बाड़मेर यह भी हमारा है। हम चाहते हैं, आम जन तक हम आने वाले समय में, आगे जो सरकार बनेगी, डेफिनेट हम इस प्रकार की सेवा करेंगे, क्योंकि यह परिवर्तित बजट के अन्दर दो चिह्न लगे हुए हैं, एक चिह्न भगवा है और दूसरा चिह्न ग्रीन है; भगवे चिह्न से यह प्रतीत होता है कि हम बिलकुल ईमानदारी के साथ, सच्ची भावना के साथ, आम जन, राजस्थान की सात करोड़ जनता की सेवा करेंगे और यह ग्रीन चिह्न, हरा चिह्न यह भी सुशोभित करता है कि यह हरा-भरा पूरा राजस्थान रहेगा और खुशहाली रहेगी। यह हमारा प्रतीक चिह्न, बी.जे.पी. सरकार का कहता है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में मेरा निवेदन है कि जैसलमेर हमेशा टेल पर आता है। चिकित्सा की बहुत कमी है, डाक्टर हैं नहीं। पूर्ववर्ती ए.एन.एम. हमारी पंचायत हैडक्वार्टर पर लगी हुई थीं, पता नहीं, कांग्रेस सरकार ने जितनी भी ए.एन.एम. थीं, सभी अपने गृह जिलों में भेज दीं। हमारा यह निवेदन है कि आने वाले समय में जो भी भर्ती की जाए, चाहे ए.एन.एम. की हो, चाहे डाक्टर की हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे पटवारी की हो, जहां पर जो ड्यूटी जोइन करता है, उसको 15 साल के लिए आदेशित किया जाए जिससे वह वहां से हैडक्वार्टर के लिए बदली नहीं करवा सके, उसी जिले में रहे।

(श्री छोटू सिंह)

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा दूसरी बात है, विशेष समस्या है नहरी क्षेत्र की। नहरी क्षेत्र में जमीनें हैं लेकिन जैसलमेर की जनता आज भी भूमिहीन है। 65 हजार फाइलें जैसलमेर के लोगों की आज भी बकाया हैं। नहरी क्षेत्र, कमांड में रहते हुए भी लोग भूमिहीन हैं। क्योंकि नियम बनाया हुआ होता है कि आधा स्पेशल में जाएगा और आधा सामान्य में जाएगा, लेकिन जो कुछ रहवासी लोग थे, वे रह गये। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्पेशल को, जो वहां के लोकल गांव के रहने वाले हैं, जो कमांड में रहते हैं, उसको डी-नोटिफाइड करके नए सिरे से सामान्य में परिवर्तन करें ताकि वहां के रहवासी लोगों को जमीनें मिल सकें। यदि इसके अलावा भी नहीं मिलती है तो यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि बारानी अलाटमेंट किया जाए। अन-कमांड की लैंड भी जैसलमेर में खूब है, अन-कमांड लैंड को अलाट किया जाए जिससे कि वहां के रहवासी कोई भी भूमिहीन नहीं रहें।

विशेषकर एक दूसरी समस्या, माननीय सभापति महोदय, हमारा और निवेदन है, जिससे हम कई सालों से बहुत पीड़ित हैं, जिसे कहते हैं डी.एन.पी.। डी.एन.पी. के लिए पर्यावरण बिलकुल शुद्ध रहना चाहिए, पक्षी बिलकुल अच्छी तरह से रहने चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन डी.एन.पी. के अन्दर हम भी रह रहे हैं। हम हर लाभकारी योजना से आज तक वंचित होते आ रहे हैं। न वहां पर ट्यूबवैल खोद सकते हैं, न वहां पर सड़क बना सकते हैं, न कोई दूसरा अच्छा पक्का मकान बना सकते हैं और न कोई टांका बना सकते हैं। आज कोई भी किस्सा हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार का मेडिकल का हो जाए, हम एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में बहुत बड़ी मजबूरी समझते हैं। फोर-व्हिकल के बगैर गाड़ी नहीं जाती। सड़क है नहीं, ट्यूबवेल है नहीं, जाने-आने का साधन नहीं, ए.एन.एम. की दूरी बहुत। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं कि डी.एन.पी. क्षेत्र घोषित हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां के अन्दर जो योजनाएं हैं, एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, वे योजनाएं उन लोकल रहने वाले वासियों को भी मिलनी चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, वे मिलनी चाहिए।

इसके अलावा भी, माननीय सभापति महोदय, एक बी.ए.डी.पी. की स्कीम है, वह आज से पांच साल पहले चली थी कि जैसलमेर पूरा बोर्डर है

(श्री छोटू सिंह)

और उस बोर्डर के अन्दर जब जैसलमेर पूरा, 2004 से आज तक चला, तब गांवों की रोड्स बनीं, लिंक रोड भी बनीं, मिसिंग लिंक भी बनीं और आबादी से जोड़ने की भी बनीं। आज वस्तुस्थिति यह हो गयी कि पूर्ववर्ती पांच साल में ऐसी गाइडलाइंस बनाईं कि वह लाइन जीरो से, बोर्डर से जीरो से शुरू हो रही है। हमारी जो दो किलोमीटर, वह तीन किलोमीटर जो रोड बनी थी, पांच साल, आज सात साल हो गये, उस रोड का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कोई सदुपयोग नहीं है, कोई उसका प्रयोग नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी दूरी गांव से गांव दस किलोमीटर थी, पांच किलोमीटर रोड बन गई और पांच किलोमीटर रोड रह गई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो अधूरी सड़कें हैं, हमने खूब कहा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में, पर बिलकुल नहीं सुनी। अब आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो भी बी.ए.डी.पी. की अधूरी सड़कें हैं, कृपया उन्हें पूरी करवाएं।

दूसरी समस्या किसानों की है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की यह समस्या है कि हम नहरी क्षेत्र में रहते हैं, यूरिया, डी.ए.पी. खाद की हमें बहुत कमी आती है। हमारे पास ट्यूबवैल सिस्टम भी है लेकिन ट्यूबवैल्स और नहरी क्षेत्र में जो भी सिंचित है, हम खाद के लिए हमेशा मोहताज रहते हैं। हमारा निवेदन है कि जैसलमेर के जो, जिस हिसाब से गिरदावरी हो रही है, जिस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर हो रही है, उस हिसाब से हम यह चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक वहां पर मिलने चाहिए ताकि आम जन को खाद वहां पर अच्छी तरह से मिल सके।

इसके साथ में एक और समस्या है। वहां पर आने वाले पूर्वजों ने, पता नहीं, शिक्षा की कमी थी, जो सर्वे, भू-सेटलमेंट हुआ, उस सेटलमेंट में अमीन लोग गए थे और उन्होंने सर्वे इस हिसाब से किया कि मेरा खेत 214 के अन्दर है, वह बिलकुल काबिज काश्त है लेकिन रिकार्ड के अन्दर, रिकार्ड के अन्दर किसी और मगरे में बोल रहा है। मैं, मेरे पूर्वज वहां पर बोते आये थे, लेकिन उसका आज तक सही उपमान, सही नाप नहीं हो पाया। इससे आम जन के कम से कम 15 परसेंट लोग ऐसे हैं जिनका खसरा नम्बर कहां बोलता है, रिकार्ड कहां बोलता है और खेती कहां पर करते हैं। आपके माध्यम से हमारा यही निवेदन है कि आम जन को सही न्याय मिल सके।

(श्री छोटू सिंह)

इन्हीं आशाओं के साथ, सम्पूर्ण बजट में जनता पर कम से कम कर भार पड़े एवं नई परिसम्पत्तियों का प्रभावी तरीके से निर्णय हो, इस हेतु सरकार द्वारा दूरगामी एवं नीतिगत निर्णय लिये गये, जिसके लिये सरकार एवं माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी को धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापतिजी, मैंने पहली बार सदन में जब प्रवेश किया तो मुझे लगा कि सरकार द्वारा आम जनता से जो लोक-लुभावने वादे करके बड़ा बहुमत प्राप्त किया गया है, उस पर सरकार अपना वादा पूरा करने हेतु राहत प्रदान करेगी, परन्तु यहां तो सरकार के वादे, असत्य बोलकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब कल बजट भाषण में पढ़कर सुनाये तो मुझे ऐसे लगा, सरकार जनता के साथ खिलवाड़ करके, असत्य वादे, आम जनता का मखौल बना रही है।

माननीय सभापतिजी, सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता को मीठे-मीठे आश्वासन देकर कहा गया कि हम गरीब जनता को, किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करायेंगे, परन्तु आज प्रदेश में बिजली के जो हालात बने हुए हैं, वे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छह घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। सरकार के इस मामले में जूं तक नहीं रेंग रही है।

माननीय सभापतिजी, मेरे सम्भाग में 60 दिन की कार्ययोजना बनाकर सरकार भरतपुर में गयी थी। 60 दिन में कोई भी कार्य, जो वादे किये गये, उनमें से एक भी कार्य पूरा नहीं किया गया है। मासलपुर और मण्डरायल पर पुल बनाने की बात सरकार ने कही थी, मुख्य मंत्रीजी ने वहीं घोषणा की थी कि हम यहां चम्बल पर पुल बनायेंगे, पर बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया।

सभापति महोदय, सरकार द्वारा अपने चुनावी वादों में गांव-गांव में सिंगल फेज मोटर लगाकर, गरीब किसानों को पीने का पानी उपलब्ध कराने

(श्री घनश्याम)

की बात की गयी थी, पर पीने के पानी की समस्या आज इतनी विकट हो गयी है। पूर्वी राजस्थान में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीने का पानी वहां है नहीं, पूरा डेजर्ट और डार्क जोन एरिया है, जमीन में एक-एक हजार फीट तक पानी नहीं है, और वहां आप कह रहे हो कि आर.ओ. लगाकर पानी पिलाया जायेगा। वहां पर पानी टैंकरों से आता है और कीचड़ भरा हुआ पानी किसानों को और गांव वालों को पीने को मिल रहा है, तो वहां कैसे आर.ओ. काम करेगा? वहां चम्बल से नादौती-सवाई माधोपुर चम्बल परियोजना थी पीने के पानी की, वह बहुत सालों से लम्बित पड़ी है। सैकड़ों करोड़ रुपये उसमें सरकार ने खर्च कर दिये हैं और उसे बंद कर दिया गया है।

सभापति महोदय, चिकित्सा के बारे में भी मुख्य मंत्रीजी ने बताया कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अस्पताल खोलेंगे। अस्पताल खोलना तो दूर की बात है, वहां डाक्टरों की कई पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। सभी अस्पतालों में, चाहे टोडाभीम हो, नादौती हो, सारे एरिये में ही एक-एक, दो-दो डाक्टर बैठे हैं।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, गरीब किसानों की बात करें तो सरकार ने अपने चुनावी वादों में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों को अपनी फसल को मंडी तक ले जाने के लिये नवीन सड़क बनाकर अपनी फसल मंडी में पहुंचाने का वादा किया था, परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, ग्रामीण सड़क तो दूर, गांव की मुख्य सड़कों की क्या दयनीय स्थिति बनी हुई है, वह आज देखने लायक है। वहां छह महीने के अन्दर एक भी सड़क पर कोई भी पेच-वर्क नहीं लगाया गया।

आप कह रहे हैं, 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जायेगी और प्रावधान रखा है 250 करोड़ रुपये का। 250 करोड़ रुपये में कैसे सड़कें बनेंगी? आप कहते हैं, पी पी पी माडल पर एफ डी आई के माध्यम से सड़कें बनाई जायेंगी। हमारे यहां तालचड़ा से लेकर सिकन्दरा तक स्टेट हाइवे रोड है और उस रोड की ऐसी हालत है कि वहां सारे साधन बंद हो गये। आज की तारीख में अगर बरसात होगी तो वहां कोई साधन नहीं निकल पायेंगे। महावीरजी से मेंहदीपुर बालाजी, जो दोनों धार्मिक स्थान हैं, बड़े धार्मिक स्थान हैं, उनका रोड बंद हो चुका है। इस तरह की स्थिति पैदा हो गयी है।

बिजली के क्षेत्र में भी, छह घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है।

इसके साथ-साथ, किसानों के सामने आपने कहा, डार्क जोन में

(श्री घनश्याम)

कनेक्शन नहीं देंगे; तो डार्क जोन में कनेक्शन नहीं देंगे तो वह तो पूरा राजस्थान ही डार्क जोन में आता है, 70 प्रतिशत एरिया डार्क जोन में आता है और किसान इतना पैसा कहां से लायेंगे? जहां डेजर्ट एरिया है, मेरे क्षेत्र में तो पूरा बंजड़ एरिया है, कुछ एरिये में जहां पानी है, वहां किसानों को कनेक्शन नहीं मिलेंगे। एक-एक, दो-दो लाख, कहां से कनेक्शन का पैसा भरा जायेगा? मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसानों को बिजली के जो कृषि कनेक्शन हैं, उस पर इस तरह की कड़ी पाबन्दी नहीं लगायी जाये और उसमें छूट दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से छात्रवृत्ति का भुगतान मेरे क्षेत्र में एस.टी., एस.सी. और ओ बी सी के छात्रों को पिछले दो साल से नहीं मिल रहा है। इस साल तो जितने भी विद्यार्थियों का चयन हुआ है, उनमें से किसी तरह का कोई आरोप लगा दिया गया, किसी के कोई आक्षेप लगा दिया गया और उनसे कह दिया गया कि तुम्हारा छात्रवृत्ति में नम्बर नहीं आ रहा है। इसी तरह से, छात्रवृत्ति की भी युवाओं में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।

वसुन्धराजी ने चुनाव में, घोषणा-पत्र में कहा था कि हम 15 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है, आज युवा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर 15 लाख युवाओं को नौकरी देनी है तो छह महीने में डेढ़ लाख को तो नौकरी देनी चाहिये। यह भी युवाओं के साथ, एक बहुत बड़ा असत्य बोलकर धोखा दिया गया है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में भी पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। इस बजट में इसका कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है और पूरी तरह से सौतेला व्यवहार किया गया है। केवल करौली जिले में एक सड़क कैला देवी से और करौली को दी गयी है। वह भी धार्मिक स्थान के नाम पर दी गयी है। टोडाभीम में किसी प्रकार का, एक रुपये का भी बजट प्रावधान नहीं रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी खुद महिला हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिये भी बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। आज प्रदेश में आये दिन महिलाओं के साथ ज्यादतियां और अत्याचार हो रहे हैं। उन पर रोक लगाने हेतु सरकार की किसी भी प्रकार की कोई मंशा जाहिर नहीं की गयी है।

(श्री घनश्याम)

सभापति महोदय, पिछली सरकार में माननीय अशोकजी गहलोत के नेतृत्व में पांच वर्ष में प्रदेश में बनी करीब 40 हजार करोड़ रुपये की रिफाइनरी की परियोजना को आज सरकार के द्वारा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की मंशा से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जिससे प्रदेश को राजस्व घाटे का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो पिछली सरकार ने शैक्षणिक दृष्टिकोण से गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले थे। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। परन्तु सरकार उन विद्यालयों को समानीकरण, एकीकरण के नाम से बंद कर रही है, जिससे गरीब और बी.पी.एल. परिवार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज बजट में चिकित्सा सुविधा की बात करें तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनावी घोषणा पत्र में गांव-गांव में नवीन चिकित्सालय और डिस्पेंसरी खोलने का मीठा वादा किया, परन्तु आज इस बजट में सुनने को ऐसा लगा कि यह सरकार चिकिल्सालय खोलना तो दूर की बात है, पिछली सरकार में जो चिकित्सालय खोले गये, उन्हें भी बंद कर प्राइवेट चिकित्सालयों में चिकित्सकीय सेवा देने का विचार कर रही है। इससे आम जनता का शोषण होगा और गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर दवाई उपलब्ध नहीं हो सकेगी एवं मजदूरों को अपनी जमीन-जायदाद बेचकर अपना इलाज करवाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह बजट आम बजट न होकर, यह व्यक्तिगत बजट बनकर रह गया है, जिसकी पुरजोर शब्दों में विरोध और निन्दा करता हूं।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यगण फरमा रहे थे, बजट के बारे में बहुत अच्छा और सम्पूर्ण सुविधाओंयुक्त बजट पेश हुआ है, तो कितने ही सदस्य महोदय विनती कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र की निम्नलिखित

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

समस्याएं, जो कि बजट से वंचित रह गयी हैं, उन्हें भी शामिल किया जाये, तो फिर यह सम्पूर्ण कहां हुआ? इसका मतलब, तो कहीं न कहीं कोई कमी रही है। आपके क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। हम जैसे रिक्वेस्ट करते तो चलता, लेकिन आप भी रिक्वेस्ट करके उसमें अपनी समस्याओं को एड करवा रहे हैं।

जिस तरीके से चुनाव में जो भाषण दिया गया था कि कितने लाख बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, सम्पूर्ण राजस्थान को सुराज देंगे, तो लाखों की तो मैं बात छोड़ूं, हजारों को भी नहीं, शायद सैकड़ों को भी रोजगार की बात नहीं की गयी है। माना, यह जो पी पी पी के तहत बनायेंगे, ट्रेनिंग देंगे, तो बजट के माध्यम से युवाओं को यह संदेश दिया गया है कि अभी तो आप सिर्फ, और सिर्फ, प्रशिक्षण लेवें, रोजगार को दूर रखें, प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार के बारे में बाद में सोचेंगे। कौन से विभाग के लिए यह घोषणा की गयी है कि इस विभाग में इतनी वैकेंसी है, जिसमें विशेष दर्जा दिया गया है? बेरोजगारों के लिए उसमें कोई रखा गया हो कि इतने, इस विभाग में रोजगार देने की व्यवस्था बजट में की गयी है। मुझे नहीं लग रहा कि किया गया है।

जो बहुत अच्छा बोलने में, हमारी सम्माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने कहा था, हौसला रखो; तो मुझे लग रहा है, हौसला रखो, मन्जर भी आ गया, मील का पत्थर भी आ गया और रोजगार के लिए आर.पी.एस.सी. और चाहे आर.ए.एस. हों, सभी परिक्षाएं रद्द भी हो चुकी हैं। तो इस तरह की जो घोषणाएं हैं, ये थोथी घोषणाएं हैं, युवाओं को भटकाने वाली घोषणाएं हैं। निराशाजनक बजट है, चाहे महिलाओं से सम्बन्धित ले लें।

इसमें सम्माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने 65 वर्षों का जिक्र किया था, तो वे शायद भूल गयी थीं कि उन 65 वर्ष में खुद भी शामिल हैं। तो क्या आपका राज भी अच्छा नहीं था? क्या आपका राज भी सुशासन नहीं था? वे भूल रहे हैं और अभी सात महीने हो चुके, फिर भी अभी वह ही राग अलापा जा रहा है कि पिछली सरकार, पिछली सरकार। अब तो भूल जाओ, अब तो कम से कम यह याद रखें कि आपकी सरकार आ चुकी है, उस कार्य की क्रियान्विति करें। कार्य की क्रियान्विति कब होगी, जनता देख रही है, आस और उम्मीद लगा रही है। बड़ी किसानों को उम्मीद थी कि ओलावृष्टि हो चुकी थी, उसमें भी आधे किसान रह चुके हैं, वे बेचारे रो रहे हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बिजली की बात करें, क्योंकि बिजली एक ऐसा मुद्दा है, चाहे पानी हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी हो, नगर हो, सभी उसी पर डिपेंड रहते हैं लेकिन चुनाव में बहुत भाषण दिया था कि देखिये, किसान भाइयों, आप, गरीब जनता, जो गांवों में निवास करती है, उसको थ्री फेज की बिजली आठ घंटे रेगुलर दी जायेगी, सिंगल फेज की बिजली 20 घंटे दी जायेगी, लेकिन आज गांवों की यह हालत है कि उलटा हो रहा है, 20 घंटे बिजली काटी जा रही है और वह भी ट्रिपिंग में दी जा रही है। आप सब जो सदस्य महोदय यहां बैठे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं सब वाकिफ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम इल्जाम लगा रहे हैं। आपको इसकी लिस्ट निकलवा कर दे देंगे। आजकल तो, साहब, नैट है। आजकल नैट सुविधा है तो इसमें तो आप नैट से निकलवा सकते हैं। मैं गांव-गांव का, आप कहो, तो विवरण भी दे सकती हूं।

तो इस तरह से अभी जो बिजली नहीं आ रही है और अकाल पड़ रहा है, तो किसान की खरीफ की फसल नष्ट होने के कगार पर है। किसान उम्मीद लगा कर बैठा था, बड़े मन से और बड़े चाव से वोट दिया था कि रेगुलर बिजली मिलेगी; वह सोच रहा था कि बिजली के बिलों में कोई कमी होगी, किसान को कोई राहत दी जायेगी, लेकिन जब बजट आया तो उसमें कुछ नहीं था। सिंचाई के लिए बिजली में कोई और राहत मिलेगी, कोई नयी योजना बनेगी, या बिजली उत्पादन के लिए नयी योजना बना कर के किसानों को राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी कोई राहत नहीं मिल पायी। जैसा डार्क जोन में कनेक्शन खोलने की बात कही है, तो उसमें भी किसान को कोई राहत नहीं है। सारा का सारा जो खर्चा होगा, वह किसान को ही वहन करना पड़ेगा।

अभी थोड़ी देर पहले ही हमारे सदस्य महोदय बोल कर गये थे कि देखिये, अब कम्पनियां खुलेंगी, रोड बनायी जायेंगी, कालेजेज खोले जायेंगे, नये स्कूल्स खोले जायेंगे, तो मैं माननीय सदस्य महोदय को भी अवगत करा दूं और मैं सभापति महोदय के जरिए कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, बहुत बड़ा है, तो क्या वहां कालेज खोले जायेंगे? क्या वे वहां कालेज खुलवायेंगे? गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या उसको सड़क से जोड़ा जायेगा?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके यहां कालेज है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): साहब, आपको इतना ही ज्ञान नहीं

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

है। सरकारी कालेज ...(व्यवधान) सरकारी कालेज नहीं है। अब आपका राज है, मैं आपके राज की बात कर रही हूं। मेरा राज जा चुका है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि वह राज जा चुका है। हम आपके राज की बात कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पांच साल क्या किया फिर?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अब हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी हैं। आपको ज्ञान नहीं है क्या? तो यह ध्यान रखें। हम आज की सरकार से मांग कर रहे हैं, अभी आपके सदस्य महोदय रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं भी यही पूछ रही हूं, अब आप पतासे बांट कर तो दिखा दो। अब आप पतासे बांट लो। (व्यवधान) उस टाइम मैं विधान सभा में नहीं आयी थी, मैं आपको यह अवगत कराना चाहती हूं। आज मैं विधान सभा में हूं। (व्यवधान) तो अब आप पतासे बांट लो। रेवड़ी आपने लूट ली है मेरे हिसाब से।

एक माननीय सदस्य: अब दोबारा नहीं आओगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आयेंगे। अगली बार आप यहां होंगे, हम वहां होंगे, यह दिखा देंगे। इतना मत गरजो, बादल की तरह; गरज कर, खाली होकर, चले जाओगे। वापस हम यहां होंगे और आप यहां होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह वक्त है। (व्यवधान). यह वक्त होता है। आप पिछली बार लौट कर क्यों नहीं आये? कैसे चले गये थे? आप पिछली बार भी चले गये थे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, नहीं, इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया आपका।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नहीं, नहीं, अच्छा और बुरा वक्त भी आता रहता है। (व्यवधान) यह वक्त इस संसार की और इस दुनिया की रीत है। यह वक्त ही तो है, जो बदलता है और इन्सान को बदल कर दिखाता है।

एक माननीय सदस्य: जोर का झटका धीरे से लगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपको भी जोर का लगेगा, काहे को चिंता करते हो? एक न एक दिन सबको लगता है। (व्यवधान) आगे सुनो, पार्लियामेंट का भी लगेगा। धीरे-धीरे रखिये, एकदम से नहीं होगा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, नहीं, वह तो आपको लग गया पूरा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सूरज जब चढ़ता है तो वह छिपता भी है, अंधेरी रात भी आती है। इस बात को भी आप दिमाग में रखें।

सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में अलवर में महाराज भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय खुल तो गया लेकिन उसमें यह जिक्र नहीं किया गया कि वह कब से चालू होगा। स्टूडेंट उससे काफी परेशान हैं, क्योंकि उसमें समय निर्धारित नहीं है और अब सात महीने होने को आये, तभी से लगातार मांग की जा रही है।

जो विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर बच्चियों की संख्या 30-40 और 50 है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूल में अधिकतर लड़कियां ही पढ़ती हैं, बच्चों को तो फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से भेज दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में। तो कृपया इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही उन स्कूलों का एकीकरण किया जाए।

अभी जो कुछ दिन पहले एक आदेश आया है कि फर्स्ट, सेकण्ड, थर्ड ग्रेड, सभी टीचर्स का जो यह समानीकरण होगा, तो कम से कम जो स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स की अभी विशेष कमी है, विद्यार्थी मित्र हट गये हैं, तो कई स्कूलों में ऐसी नौबत है कि वे स्कूल तीन-तीन, चार-चार दिन तक बंद रहे हैं। तो पहले उन स्कूलों की सुधार की व्यवस्था की जाए। जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि हमें व्यवस्था में साल भर लगेगा, तो एक साल के अन्दर तो दसवीं में पढ़ने वाला बालक वापस दसवीं में ही रह जायेगा। कृपा कर के, जिस पद पर आप सुशोभित हैं, उस पद पर बैठ कर तो ऐसी बात नहीं करें, बल्कि यह कहना चाहिए था कि जल्दी ही व्यवस्था करेंगे।

इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी विद्यालयों में सब्जेक्ट टीचर्स लगने चाहिए, जिससे कि शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जा सके।

सभापति महोदय, महिलाओं के लिए पहले जो भाषण दिये जा रहे थे कि देखिये, किस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, लेकिन अब 6 महीनों में ये हत्याएं बढ़ी हैं, अपहरण के कांड भी बढ़े हैं। खुद माननीया मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में भी इस तरह का कांड हुआ है। तो क्या प्रशासन सो रहा है? यदि सो रहा है तो उसे जगाना होगा। बार-बार इस तरह की बातें कहना कि वह सरकार वह करी, यह करी, ठीक नहीं है।

उद्योग-धंधों में भी महिलाओं के लिए कोई विशेष नई योजना ऐसी नहीं की गयी है। बाकी ये साइकिलें हों, स्कूटी हों, ये तो पहले से ही दी जा रही थीं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महिलाओं के लिए जो पिछली सरकार ने निर्मल भारत योजना हो, शुभ लक्ष्मी योजना हो, तो इस तरह की विशेष योजनाएं जो बनाई थीं और नरेगा में जो गरीब जनता को फायदा मिल रहा था, जो रोजगार के अभाव में पलायन करके दूसरी जगह जाते थे, बच्चों की स्कूलें छूट जाती थीं, तो वह एक जगह, उसी गांव में काम करके, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, महिलाएं सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रही हैं। इस तरह की जो योजनाएं हैं, यह लागू रहनी चाहिए।

सभापति महोदय, जो मेडिकल कालेजों की घोषणाएं की गयी हैं, उनमें सिर्फ 700 सीटें हैं। 700 सीटें तो शायद एक डिस्ट्रिक्ट में भी डाक्टर्स की कम पड़ सकती हैं। अब इस गीत को आप कहते रहे। आप भी इसके लिए पिछली बार जिम्मेदार थे। आप कैसे भूल गये?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): धन्यवाद दो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप धन्यवाद दो ना। पिछली बार आप क्यों गये, मैं उसका कारण पूछ रही हूं। क्या इन्हीं कारणों से आप गये थे? जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जो जनता को लाभ मिला, वह देखें।

मेरे यहां सी एच सी पर 4 महीने से एक्सरे मशीन खराब पड़ी है, लेडीज डाक्टर नहीं है। सोनोग्राफी मशीन और इस तरह की जो मशीनें हैं, इनका सुधार कैसे हो मेडिकल विभाग में? नई भर्ती की जायें जिससे कि इसमें सुधार हो सके। आप यह कह दीजिये कि हम तो नहीं करेंगे; आप इस स्थिति को बिगाड़ गये, अब हम सुधारने के मूड में नहीं हैं, तो फिर हम आपसे कहना ही छोड़ देंगे। सभापति महोदय, इनसे पूछ लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मूड में हैं। मूड में हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय कह रहे हैं तो आपको क्या परेशानी हो रही है? बताओ ना।

गो-पालन का जो इसमें जिक्र किया गया है, तो यह जो नियम बनाया है गौ-रक्षा के लिए, राजस्थान में इतनी गोचर जमीन है जिस पर अतिक्रमण हो रहा है या वह खाली पड़ी है। उसको अगर गौशालाओं के नाम आबंटित करें तो गउओं को चारा भी मिलेगा और गौशाला का खर्चा भी उसमें से चल जायेगा, जिससे कि आम व्यक्ति को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि गौ समितियां तो बनकर रह जाती हैं, लेकिन,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

वास्तव में, पूरे राजस्थान की गोचर भूमि का सदुपयोग हो जायेगा। 500-500 बीघा गोचर जमीन पड़ी हुई है, वह काम में आ जायेगी।

सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अलवर में कहा गया है कि नीमराणा, खुशखेड़ा, भिवाड़ी के आसपास बनाई जायेगी। इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि कौनसी जगह बनाई जायेगी। इसके नजदीक ही जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, क्या वहां बनाई जायेगी?

सभापति महोदय, पी एम जी एस वाई में अभी तक जो रेवेन्यू विलेजेज हैं, अभी जो नये रेवेन्यू विलेजेज स्वीकृत हुए हैं, उनमें जो सड़क का प्रपोजल दिया गया था, वह पिछले दिनों कैंसिल हो गया। क्या रेवेन्यू विलेज, जो 250 से ऊपर की आबादी के हैं, उन्हें इसमें शामिल किया जायेगा? उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू विलेज होने के बाद भी सड़क से और मूलभूत सुविधाओं से वे वंचित हैं, जिससे उनका विकास हो सके।

सभापति महोदय, एक तरफ तो भारत सरकार ने मैट्रो को जरूरी बताया और एक तरफ राजस्थान सरकार ने अव्यावहारिक बताया। इस तरह की दोहरी बातें नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति: आपके पास में 7 बजे तक का समय है। कंटिन्यू कर सकती हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय का मैं धन्यवाद करूंगी और आप सभी को कहूंगी कि अब इस गीत को गाते-गाते 7 महीने बीत गये। अब आप उस जगह पर बैठ गये। अब या तो एक दिन खड़े होकर के मना कर दीजिये कि हम काम करने के, सेवा करने के मूड में नहीं हैं। अभी तो भाषण दे रहे थे। मना कर दीजिये, हमारे में से कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप काम करें। यह संवैधानिकता के खिलाफ होगा।

बजट सम्पूर्ण रूप से निराशाजनक है। मैं इसे निराशापूर्ण मानती हूं। आम जनता को, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार हो, उसे कोई राहत या सहानुभूति नहीं मिली है। धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 16 जुलाई 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.56 बजे बुधवार, दिनांक 16 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

गांवों में रोशनी हेतु सोलर लाइटों की खरीद में अनियमितता

6. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत पांच वर्षों में गांवों में रोशनी करवाने के नाम पर सोलर लाइटों की खरीद में हुई अनियमितता अंकेक्षण प्रतिवेदन में उजागर हुई है? यदि हां, तो गत पांच वर्ष के अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को सोलर लाइटों की खरीद में हुई अनियमितता की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कोई जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला परिषद जयपुर, पाली, राजसमन्द, सिरोही से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सोलर लाइटों की खरीद में हुई अनियमितता के प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला परिषद बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, पाली में सोलर लाइटों की खरीद में हुई अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है।

विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

उपरोक्त जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर-भरतपुर में बारां वीयर से जल बंटवारे की कार्य योजना

7. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि बारां वीयर पर अलवर-भरतपुर के लिए जल का बंटवारा ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण अलवर को कम पानी मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा जल बंटवारे के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बारां वियर पर अलवर-भरतपुर के लिए जल बंटवारे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। बारां वीयर पर अलवर-भरतपुर के लिए स्टेट टाइम में हुए जल बंटवारे के समझौते के अनुसार अलवर एवं भरतपुर को 1:1.234 अनुपातिक तय शुदा पानी मिलने से इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जैसलमेर जिले में सरकारी कार्यालयों हेतु भवन निर्माण

8. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में गत 5 वर्षों में सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों हेतु कितने भवनों का निर्माण कराया गया व उन पर कितनी राशि व्यय की गई? भवनों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्मित भवनों में से कितने भवनों को सम्बन्धित विभागों को सुपुर्द कर दिया गया व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जिला जैसलमेर में गत 5 वर्षों 2009-10 से 2013-14 तक कुल 20 सरकारी कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है एवं उन भवनों पर राशि रुपये 864.39 लाख व्यय की गई है। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त निर्मित 20 सरकारी कार्यालय भवन सम्बन्धित विभागों को सुपुर्द कर दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	जिला	वर्ष	विभाग का नाम	कार्यकारी एजेन्सी	कार्य का नाम	कार्य पर व्यय राशि (लाखों में)	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	भवन की स्थिति		विशेष विवरण
								विभाग को सुपुर्द किये जाने की दिनांक	विभाग को सुपुर्द किए जाने शेष	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	जैसलमेर	2009-10	उद्योग विभाग	सा.नि.वि.	जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर का निर्माण कार्य	16.65	14.09.2010	18.10.10		
2	जैसलमेर	2009-10	तकनीकी शिक्षा	सा.नि.वि.	पोलिटेक्निक महाविद्यालय जैसलमेर फेस प्रथम का निर्माण कार्य	180.43	15.09.2011	26.02.2014		
3	जैसलमेर	2009-10	न्यायिक विभाग	सा.नि.वि.	डीजे कोर्ट में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण कार्य	3.36	02.12.2009	29.12.2009		
4	जैसलमेर	2009-10	न्याय विभाग	सा.नि.वि.	ऐसीजेएम न्यायालय भवन पोकरण	41.51	28.03.2010	28.03.2010		
5	जैसलमेर	2009-10	न्याय विभाग	सा.नि.वि.	ग्रामीण न्यायालय सांकडा मुख्यालय पोकरण	11.41	22.11.2011	30.05.2013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	जैसलमेर	2009-10	न्याय विभाग	सा.नि.वि.	एसीजेएम न्यायालय भवन पोकरण में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	3.82	27.07.2010	28.03.2010		
7	जैसलमेर	2009-10	चिकित्सा विभाग	सा.नि.वि.	सामुदायिक स्वास्थ्यकेन्द्र सम	74.08	20.04.2011	03.11.2011		
8	जैसलमेर	2009-10	चिकित्सा विभाग	सा.नि.वि.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झिनझिनयाली में प्रसूति गृह का निर्माण कार्य	5.69	27.07.2011	20.06.2010		
					योग वर्ष 2009-10	**336.95**				
9	जैसलमेर	2010-11	चिकित्सा	सा.नि.वि.	जवाहिर चिकित्सालय जैसलमेर में रिहबिलिटेशन सेन्टर का निर्माण कार्य	23.97	26.08.2011	17.10.2011		
10	जैसलमेर	2010-11	न्यायिक	सा.नि.वि.	डीजे कोर्ट में चेम्बर का विस्तार कार्य	2.90	02.06.2011	12.06.2011		
11	जैसलमेर	2010-11	तकनीकी शिक्षा	सा.नि.वि.	पोलिटेक्निक महाविद्यालय जेसलमेर फेस द्वितीय का निर्माण कार्य	368.95	28.05.2013	20.02.2014		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	जैसलमेर	2010-11	न्याय विभाग	सा.नि.वि.	ग्रामीण न्यायालय भवन सांकड़ा मुख्यालय पोकरण का निर्माण कार्य	11.41	22.11.2011	30.05.2013		
					योग वर्ष 2010-11	**407.23**				
13	जैसलमेर	2010-11	उद्योग	सा.नि.वि.	जिला उद्योग केन्द्र जैसलमेर में एक कमरा व बरामदे का निर्माण कार्य	9.38	08.06.2012	08.06.2012		
14	जैसलमेर	2010-11	शिक्षा विभाग	सा.नि.वि.	माडल स्कूल फतेहगढ़ ब्लाक सम	222.99	10.09.2013	03.07.2014		
15	जैसलमेर	2011-12	शिक्षा विभाग	सा.नि.वि.	निर्माण कार्य माडल स्कूल पोकरण	220.4	07.04.2014	10.07.2014		
16	जैसलमेर	2011-12	न्याय विभाग	सा.नि.वि.	1 नम्बर लिटिजेन्ट सेड न्यायालय परिसर पोकरण	1.53	04.03.2013	04.03.2013		
17	जैसलमेर	2011-12	कोष कार्यालय	सा.नि.वि.	उप कोष कार्यालय पोकरण में रिकार्ड रूम का निर्माण	2.95	04.05.2012	07.05.2012		
					योग वर्ष 2011-12	**457.25**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	जैसलमेर	2012-13	पीएचईडी	सा.नि.वि.	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु प्रयोगशाला का निर्माण कार्य	72.96	25.08.2013	14.11.2013		
19	जैसलमेर	2012-13	पशु चिकित्सा	सा.नि.वि.	पशु चिकित्सालय में डिप्टी डाइरेक्टर डीएएचओ के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	43.8	20.06.2013	02.05.2014		
					योग वर्ष 2012-13	**116.76**				
20	जैसलमेर	2013-14	पुलिस विभाग	सा.नि.वि.	पुलिस थाना पोकरण में कम्प्यूटर रूम का निर्माण	3.45	22.11.2013	09.04.2014		
					योग वर्ष 2013-14	**3.45**				
					महायोग	**864.39**				

अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड पोकरण

अधिशासी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-प्रथम जैसलमेर

जायल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित आवेदन

9. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में विगत दो वर्षों में विधवा, विकलांग, वृद्धा अवस्था एवं अन्य पेंशन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने व्यक्तियों को किस-किस श्रेणी में पेंशन स्वीकृत कर जारी की गयी? विवरण सदन की पटल पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने आवेदकों को वृद्धा अवस्था, विकलांग, विधवा अथवा अन्य पेंशन जारी नहीं की गयी? कारण सहित विवरण सदन की पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में विगत दो वर्षों में पेंशन की विभिन्न श्रेणियों (राष्ट्रीय एवं राज्य की सम्मिलित) में प्राप्त आवेदन पत्र एवं स्वीकृत किये गये पेंशन लाभार्थियों का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	श्रेणी	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन
1	वृद्धावस्था	18570	18357
2	विधवा	2339	2294
3	विशेष योग्यजन	1581	1549

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल में वृद्धावस्था के 213, विधवा के 45 एवं विशेष योग्यजन पेंशन के 32 आवेदन पत्र लम्बित हैं। पंचायत समिति कार्यालय जायल को प्राप्त सभी पेंशन के आवेदनों की स्वीकृतियां जारी कर दी गयी थीं तथा लोक सभा चुनाव 2014, चुनाव आचार संहिता एवं जन सुनवाई 09 से 19 जून, 2014 के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्वीकृतियां को जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। जिसके तहत कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में सरकारी फसली ऋण की वसूली की अवधि में परिवर्तन

10. श्री घनश्याम (टोडाभीम) व **श्री दर्शन सिंह** (करौली) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री घनश्याम)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों से प्रतिवर्ष माह मार्च में सहकारी फसली ऋण की वसूली की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों से उक्त ऋण की वसूली माह मार्च के स्थान पर 30 जून तक करके किसानों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में किसानों को फसल चक्र के आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण सहकारिता के माध्यम सें किया जाता है। खरीफ फसल हेतु ऋण का वितरण 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक किया जाता है जिसकी वसूली की अन्तिम देय तिथि आगामी 31 मार्च निर्धारित है। इसी प्रकार रबी फसल हेतु फसली ऋण का वितरण 1 सितम्बर से 31 मार्च तक किया जाता है जिसकी वसूली की अन्तिम देय तिथि आगामी 30 जून निर्धारित है।

जी नहीं। राज्य में मौसम आधारित फसल चक्र के आधार पर अल्पकालीन फसली ऋण की वसूली निर्धारित होने के कारण इन ऋणों की वसूली दो चक्रों में की जाती है। पूर्व वर्ष में दिये गये ऋण की राशि 31 मार्च तक बैंक को वापस प्राप्त होकर इस राशि को 1 अप्रैल से पुन: ऋण देने में उपयोग लिया जाता है। अत: खरीफ तथा रबी के ऋण वितरण की वसूली एक साथ किये जाने की व्यवस्था ऋणी कृषक तथा सहकारी बैंकों के हित में नहीं होने के कारण वर्तमान में लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

गुरु गोलवलकर योजना को पुनः प्रारम्भ करने की कार्य योजना

11. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महती गुरु गोलवलकर योजना को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या सरकार गुरु गोलवलकर योजना को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गयी थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण के घोषणा के क्रम में वर्ष 2010-11 से उक्त योजना का नाम परिवर्तन कर ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना किया गया है।

(2) जी हां। ग्रामीण दानदाताओं की सहभागिता से गुरु गोलवलकर योजना के प्रावधान सम्मिलित करते हुये इस योजना को वर्ष 2014-15 में अपना गांव अपना काम योजना के नाम से लागू किया जा रहा है।

बाड़मेर जिले में बरसाती जल संरक्षण की कार्य योजना

12. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में जल संरक्षण की क्या नीति/नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में बरसाती पानी के संरक्षण के लिए क्या योजना लागू की गई है और इस हेतु वर्तमान में कितने कार्य स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पहाड़ी क्षेत्र में बरसाती जल के संरक्षण हेतु कोई एनिकट एवं चैकडम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां और कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में जल संरक्षण हेतु राज्य जल नीति दिनांक 16.02.2010 से लागू की गई है। प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) बरसाती पानी के संरक्षण के लिए बाड़मेर जिले में महानरेगा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2014-15 में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 5 कार्य प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महानरेगा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2013-14 में 6213 कार्य स्वीकृत एवं 188 कार्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 14 कार्य स्वीकृत हैं जिनमें से 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 3 कार्य प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट-'द' पर है।

(जल संसाधन मंत्री)

(3) जी नहीं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटपूतली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु स्वीकृत राशि

13. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 में किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी लम्बाई की सड़कें स्वीकृत की गईं एवं उनके लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की जाकर कितनी नवीन सड़कों का निर्माण किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत किन-किन सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं उनमें से किन-किन सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण हो गया है एवं किन-किन सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाना शेष है तथा इस हेतु स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है? वर्षवार एवं सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार स्वीकृत सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य शीघ्र कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जयपुर की कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक वर्षवार स्वीकृत सड़कों की लम्बाई, स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि मय निर्मित सड़कों की लम्बाई का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मद में निर्मित सड़कों का रख-रखाव एवं मरम्मत अनुबन्ध प्रावधान के अनुरूप सड़क निर्माणकर्ता संवेदक द्वारा ही पांच वर्षों तक किया जाता है। इस मद में पूर्व निर्मित सड़कों पर उक्त अवधि में मरम्मत की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट-**2** पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी हां। स्वीकृत सड़कों का निर्माण एवं अनुबन्धानुसार यथासमय मरम्मत कार्य शीघ्र प्रारम्भ/पूर्ण किये जाने हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजसमन्द जिले में पालनहार योजना से लाभान्वित

14. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में पालनहार योजना किस वर्ष प्रारम्भ की गई? इसके मुख्य प्रावधान एवं उद्देश्य क्या हैं?

(2) विगत 5 वर्षों में पालनहार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया एवं कितनी राशि प्रदान की गई?

(3) क्या उक्त योजना का उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया गया है? यदि हां, तो योजना उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल रही है?

(4) विगत 5 वर्षों में राजसमन्द जिलें में पालनहार योजना की क्या उपलब्धियां रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पालनहार योजना वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई। योजना के मुख्य प्रावधान निम्न हैं :

योजना हेतु पात्रता:

1. अनाथ बालक/बालिका
2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की तीन संतान।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
5. एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
7. नाता जाने वाली माता की तीन संतान।
8. विशेष योग्यजन माता पिता की संतान।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

9. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला की संतान।

पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पालनहार को अनुदान राशि :

1. 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
2. 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 1000 रुपये प्रति माह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
3. वस्त्र, स्वेटर, जूते, आदि हेतु 2000 रुपये वार्षिक (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

योजना का उद्देश्य:

उक्त श्रेणी के बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक/बालिका के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाना।

(2) विगत पांच वर्षों में पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित एवं प्रदान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	लाभान्वित
2009-10	2212.32	31006
2010-11	2599.74	50391
2011-12	4315.00	65925
2012-13	6170.28	73360
2013-14	7498.67	108657

(3) पालनहार योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक की अवधि का मूल्यांकन विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन करवाया गया। उक्त योजना में प्रति वर्ष लाभान्वितों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है साथ ही योजना का मूल्यांकन विभाग से पुन: मूल्यांकन करवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(4) राजसमन्द जिले में पालनहार योजना अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में निम्नानुसार बच्चों को लाभान्वित किया गया है :

वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)	लाभान्वित
2009-10	43.25	615
2010-11	65.00	2187
2011-12	103.89	1760
2012-13	238.65	3022
2013-14	302.27	3443

अलवर जिले में संचालित शिक्षा को-आपरेटिव समिति में अनियमितता

15. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग अलवर में विभाग के कर्मचारियों की एक रजिस्टर्ड संस्था "शिक्षा को-आपरेटिव" के नाम से संचालित है? यदि हां, तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं तथा उनकी कुल कितनी राशि इसमें जमा है? सदस्यों की सूची एवं जमा राशि/ऋण के रूप में वितरित राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था के पदाधिकारियों का निर्वाचन संस्था के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो वर्तमान में संस्था में कौन-कौन पदाधिकारी है? नाम, पद व सेवारत स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पदाधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध राजकीय यशवंत सीनियर माध्यमिक विद्यालय, अलवर के दो कमरे किराये पर लेकर संस्था के 8,00,000/- (आठ लाख रुपये) कमरों की साज-सज्जा पर व्यय कर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विद्यालय भवन के कमरों को खाली करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक-प्रथम) अलवर के आदेश करने के पश्चात् भी राजकीय भवन को खाली नहीं किया गया है? यदि हां, तो राजकीय

(श्री रामहेत सिंह यादव)

भवन को किराये पर देने के आदेश एवं खाली करने के आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) जिन दोषी कर्मचारियों/संस्था के पदाधिकारियों द्वारा संस्था के आठ लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया है, उनके विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षा कोआपरेटिव थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी, अलवर दिनांक 31.10.1938 पंजीयन सं. 93 से पंजीकृत सहकारी समिति है। समिति के दिनांक 31-3-2013 तक 2143 सदस्य हैं एवं दिनांक 31.03.2013 को आडिटेड संतुलन चित्र के अनुसार सदस्यों की राशि 2,86,61,007.05 रुपये हिस्सा पूंजी और राशि 10,38,54,560.52 रुपये लाजमी अमानत जमा है। समिति की आडिट रिपोर्ट दिनांक 31.03.2013 के अनुसार सदस्यों की जमा राशि 13,25,15,617.57 रुपये (हिस्सा पूंजी एवं लाजमी अमानत) है, ऋण राशि 14,59,07,235/- रुपये है एवं समस्त सदस्यों की सूची परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त संस्था के निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम, पद व सेवा स्थान का विवरण परिशिष्ट-।। पर संलग्न है।

(3 जी हां। यशवन्त रा.उ.मा.वि., अलवर के विद्यालय विकास समिति की बैठक दिनांक 30.04.2013 के प्रस्ताव अनुसार सोसायटी द्वारा उक्त विद्यालय के 2 जीर्ण-शीर्ण पड़े कमरों की मरम्मत, रंग पेन्ट, दीवारों पर टाइल्स आदि स्वयं के खर्चे से किया गया। संस्था प्रधान द्वारा स्वविवेक व विद्यालय विकास समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर सोसायटी को उक्त मरम्मत की अनुमति दी।

(4) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम, अलवर ने राजकीय यशवन्त रा.उ.मा.वि. के विद्यालय भवन के कमरों को खाली करने हेतु कोई स्पष्ट आदेश प्रसारित नहीं किये। दिनांक 18.10.2013 को प्रधानाचार्य को लिखे गये अ. शासकीय पत्र द्वारा शिक्षा सोसायटी कार्यालय के संचालन की अनुमति तक प्रदान नहीं करने बाबत लिखा जब तक की इसकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती। संलग्न परिशिष्ट-क। संस्था प्रधान ने अध्यक्ष विद्यालय विकास समिति की हैसियत से अनुबंध कर सोसायटी से 40,000/- रुपये प्रतिवर्ष अनुदान राशि पर अनुबंध शर्तों के आधार पर उक्त

(सहकारिता राज्य मंत्री)

दो कमरे दिये गये। अनुबंध की छायाप्रति का परिशिष्ट-ख संलग्न है। विद्यालय परिसर में स्थित कक्षा-कक्षों को किसी संस्थान को किराये पर देने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन दो कमरों को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2014 को खाली करवा लिया गया है।

(5) कक्षा-कक्षों को किराये पर देने वाले अधिकारियों का दायित्व निर्धारण कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा को आपरेटिव पंजीकृत संस्था है अत: राजकीय संस्था न होने के कारण शिक्षा विभाग स्तर से इसके अधिकारियों/संचालनकर्ता कर्मचारियों पर सीधे कार्यवाही नहीं की जा सकती है। सहकारिता विभाग द्वारा इस विषय में जांच करवाकर उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

चौरासी में ग्रामीण विकास की योजनाएं

16. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायत स्तर पर कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जिला डूंगरपुर में ऐसे कितने गांव हैं, जिनको ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु पंचायत स्तर पर निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही हैं- निर्बन्ध राशि योजना, तेरहवां वित्त आयोग का अनुदान, राज्य वित्त आयोग का अनुदान, नि:शुल्क आवासीय भूखण्ड योजना, रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आबंटन, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण जलभागीदारी विकास योजना, स्वविवेक जिला विकास योजना, मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(2) जी हां। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की प्रक्रिया आरम्भ होने के पूर्व पुनर्गठन किये जाने का विचार रखती है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में डूंगरपुर जिले के गांवों को ग्राम पंचायत बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जमवारामगढ़ में सतही जल आधारित परियोजनाएं

17. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 तक कितने हैण्डपम्प व टयूबवैल लगाये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सतही जल आधारित कितनी राशि की कितनी परियोजनाएं कहां-कहां स्वीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भूजल की कमी को देखते हुए उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई सतही जल आधारित परियोजनाएं बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू एवं सामान्य बनाये रखने के लिये माह जनवरी, 2009 से दिसम्बर, 2013 की अवधि में आवश्यकतानुसार 5 हैण्डपम्प, 52 थ्री-फेज नलकूप तथा 539 सिंगल फेज नलकूप स्थापित कर चालू किये गये। ग्राम पंचायतवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्णित अवधि में राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सतही जल आधारित कुल 50 वृहद् पेयजल परियोजनाएं राशि रुपये 20277.47 करोड़ की स्वीकृत की गईं। इन स्वीकृत परियोजनाओं में से राशि रुपये 16730.05 करोड़ की 46 परियोजनाओं का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

शेष 4 परियोजनाएं विगत सरकार द्वारा गत 6 माह में लिये गये निर्णयों की समीक्षा के परिपेक्ष्य में पुन: विचाराधीन है। वांछित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के समस्त 234 आबाद राजस्व ग्रामों में भू-जल स्रोतों से की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद होने के कारण इस क्षेत्र को सतही जल आधारित परियोजना से जोड़ना विचाराधीन नहीं है। सतही जल स्रोत व संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वृहद् परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौमूं से महला टोल रोड का निर्माण

18. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर जिले में चौमूं से महला (वाया किशनगढ़-रेनवाल-जोबनेर) मार्ग पर पी.पी.पी. मोड पर टोल रोड के निर्माण कार्य हेतु कब व कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई तथा उक्त कार्य किस फर्म को दिया गया? कार्य आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा क्या निर्धारित थी और वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मार्ग पर जोबनेर से किशनगढ़-रेनवाल तक की सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था तथा अब तक कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे?

(4) क्या सरकार जोबनेर से किशनगढ़-रेनवाल तक की सड़क के निर्माण कार्य में किये जा रहे विलम्ब एवं इससे आम जनता को हो रही असुविधा को देखते हुए जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चौमूं से महला (वाया रेनवाल-जोबनेर) दो लेन सड़क निर्माण कार्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) योजना के अन्तर्गत डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन**,** बिल्ड**,** फाइनेन्स**,** आपरेट एवं ट्रांसफर) आधार पर करवाया जा रहा है। उक्त कार्य मैसर्स यूनिटी इन्फ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड, मुम्बई को, जिसका रजिस्टर्ड आफिस 1252, पुष्पांजली अपार्टमेन्ट, ओल्ड प्रभादेवी रोड़, प्रभादेवी मुम्बई-400025 है, को बिडर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, पी.पी.पी.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

योजना के कन्सेशन अनुबन्ध के तहत दिया गया है। लेटर आफ अवार्ड सं. एफ.7(255)/बीओटी/चौमूं महला/09/डी-1301 दिनांक 22.02.2011 की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

उक्त कार्य भारत सरकार के योजना आयोग के द्वारा प्रदत्त माडल कन्सेशन अनुबन्ध के आधार पर, राज्य सरकार द्वारा कन्सेशनर (उद्यमी) के साथ किये गये कन्सेशन अनुबन्ध में निहित शर्तों पर दिया गया है। समस्त निर्माण कार्य पी.पी.पी. योजना के तहत किया जाना है। राज्य सरकार के पत्रांक एफ.7(1478)सैक्शन-।।/2011/डी-10 दिनांक 29.04.2011 द्वारा इस प्रोजेक्ट कार्य की राशि रुपये 134.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इस परियोजना सड़क से सम्बन्धित अन्य कार्य यथा यूटिलिटी शिफ्टिंग, भूमि अवाप्ति एवं इंडिपेंडेंट इंजीनियर सर्विसेज इत्यादि कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार के पत्रांक एफ.7(1478)अनु.।।/2011/ डी -166 दिनांक 24.06.2013 द्वारा राशि रुपये 42.34 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) इस प्रोजेक्ट सड़क का निर्माण कन्सेशन अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 15 जून, 2012 को प्रारम्भ किया जाकर, प्रोजेक्ट कार्य प्रारम्भ तिथि से 550 दिवस में अर्थात् 16 दिसम्बर, 2013 को पूर्ण किया जाना निर्धारित था। वर्तमान में उक्त प्रोजेक्ट सड़क के निर्धारित कार्य का 69.40 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(3) जोबनेर से रेनवाल के बीच सड़क का निर्माण कार्य कन्सेशनर द्वारा माह अगस्त, 2012 में शुरू किया गया था। मुख्य रूप से उद्यमी द्वारा धीमी गति से कार्य सम्पादन करने के कारण सड़क के इस भाग का कार्य अभी तक अपूर्ण है।

(4) जी हां। इस प्रोजेक्ट सड़क के कार्य को पूर्ण करने में कन्सेशनर द्वारा देरी किये जाने के कारण सम्बन्धित कन्सेशनर को अनुबन्ध के विभिन्न प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप विभिन्न नोटिस जारी किये गये हैं। अनुबन्ध के प्रावधानानुसार कन्सेशनर के विरुद्ध ''डेमेजेज फोर डिले" का नोटिस भी मुख्य अभियन्ता (पथ) द्वारा जारी किया जा चुका है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सरलीकरण

19. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विधवाओं, वृद्धों, निःशक्तजनों को पेंशन प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? पात्रता के मानदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्तमान में कुल कितनी विधवाओं, वृद्धों तथा नि:शक्तजनों को पेंशन प्रदान की जा रही है? उक्त नियमों में संशोधन से पूर्व कितने पात्र थे व संशोधन के पश्चात् कितने नये पात्र व्यक्ति चयनित हुए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्वीकृत पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार निश्चित समय सीमा में ही पेंशन भुगतान करवाने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्ष 2013 में शिविर लगाकर/घर-घर जाकर प्रत्येक राजस्व गांव में पेंशन योजनाओं के आवेदन पत्र लेकर स्वीकृत किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत व कितने निरस्त किये गये? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार पेंशन नियमों व मानदण्डों का और अधिक सरलीकरण करने व पारदर्शिता लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में विधवाओं, वृद्धों, विशेष योग्यजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत निम्नांकित पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है :

1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
4. मुख्य मंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
5. मुख्य मंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
6. मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

उक्त योजनाओं में निम्न दरों से पेंशन देय है।

पेंशन दर :

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के पेंशनर को रुपये 750 प्रतिमाह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रुपये 500 प्रतिमाह।
3. 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250 प्रतिमाह।

पात्रता के मानदण्ड सहित नियमों की प्रति परिशिष्ट 1 से 5 पर संलग्न है।

(2) राज्य में वर्तमान में 676800 विधवाओं, 4266355 वृद्धों एवं 356625 विशेष योग्यजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन प्रदान की जा रही है। नये पेंशन नियमों के जारी किये जाने से पूर्व 404286 विधवाओं, 871804 वृद्धों एवं 164676 विशेष योग्यजनों एवं नये नियम जारी किये जाने के पश्चात् 272514 विधवाओं, 3394551 वृद्धों एवं 191949 विशेष योग्यजन नये पेंशनर चयनित हुए। माह मार्च, 2013 एवं मई, 2014 को पेंशनरों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 6 व 7 पर संलग्न है।

(3) जी हां। स्वीकृत पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान नहीं होने की कुछ मामलों में शिकायतें मिल रही हैं। सरकार द्वारा निश्चित समय सीमा में ही पेंशन भुगतान का प्रयास किया जा रहा है।

(4) जी हां। सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में वर्ष 2013 में शिविर लगाकर/घर-घर जाकर प्रत्येक राजस्व गांव में पेंशन योजनाओं के आवेदन पत्र लेकर स्वीकृत किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में वर्ष 2013-14 में "पेंशन महा अभियान" के तहत वृद्धावस्था/विधवा/विशेष योग्यजन (राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन की सम्मिलित) पेंशन हेतु प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत एवं निरस्त किये गये आवेदनों का ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 8 पर संलग्न है।

(5) सरकार द्वारा पेंशन नियमों व मानदण्डों में और अधिक सरलीकरण करने व पारदर्शिता लाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नाबार्ड के नियमों के विपरीत वार्षिक अंकेक्षण

20. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से चलने वाले शीर्ष बैंक (अपेक्स बैंक) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड के नियमों के विपरीत वार्षिक अंकेक्षण करवाया जा रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार नाबार्ड के नियमों के अनुसार अंकेक्षण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम (संशोधित) वर्ष 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की लेखा परीक्षा नाबार्ड द्वारा अनुमोदित सांविधिक लेखाकारों के पैनल से करवाया जाना वांछित था। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम (संशोधन) वर्ष 2013 की धारा 54 के प्रावधानों के अनुसार इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा जारी सांविधिक निरीक्षकों के पैनल में से निरीक्षक नियुक्त कर उक्त निरीक्षक से ही आडिट कराये जाने की विधिक बाध्यता हैं तथा तदनुसार ही आडिट करवाया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा किये गये अनुरोध के पश्चात उनके द्वारा प्रेषित 150 लेखा परीक्षकों के अनुमोदित पैनल को अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये गये पैनल सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में आडिट उन लेखा परीक्षकों से करवाया जा रहा है जो नाबार्ड के पैनल में भी है तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के पैनल में भी सम्मिलित है।

(2) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि., एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड के नियमों के अनुसार एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आडिट करवायी जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में जांच की आवश्यकता नहीं हैं।

गोगुन्दा में मुख्य मंत्री आवास योजना के लिए राशि का भुगतान

21. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में विगत 5 वर्षों में मुख्य मंत्री आवास योजना में किन-किन पंचायतों में राष्ट्रीयकृत बैंक एवं मिनी बैंकों के द्वारा भुगतान किया गया है? उक्त पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जिन-जिन राष्ट्रीयकृत बैंक एवं मिनी बैंकों के द्वारा भुगतान किया गया है। उनका पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लक्ष्मणगढ़ में स्वीकृत नलकूप

22. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में गत तीन वर्षों में कुल कितने सिंगल फेस नलकूप व थ्री-फेस नलकूप स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत नलकूपों में से कितने खोदे जा चुके हैं एवं कितने खोदे जाने शेष हैं?

(3) उक्त खोदे जा चुके नलकूपों में से कितने नलकूपों पर विद्युत सम्बन्ध किया जाना शेष है व शेष नलकूपों पर अब कब तक विद्युत सम्बन्ध करवा दिया जायेगा?

(4) गत दो वर्षों में वृत्त कार्यालय सीकर द्वारा किन-किन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गईं? आमंत्रित निविदा की राशि व जारी किये गये कार्यादेश की प्रति एवं निविदा के विरुद्ध किये गये भुगतान की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू एवं सामान्य बनाये रखने हेतु विगत तीन वित्तीय वर्षों (2011-12 से 2013-14

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

की अवधि तक) में 261 थ्री-फेज एवं 247 सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृति के विरुद्ध अब तक 218 थ्री-फेज एवं 212 सिंगल फेज नलकूपों का वेधन कार्य पूर्ण हो चुका है। 36 थ्री-फेज एवं 34 सिंगल फेज नलकूपों का वेधन कार्य शेष रहा है। 7 थ्री-फेज एवं 1 सिंगल फेज नलकूपों का निर्माण कार्य स्थानीय विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं हो सका। विवरण संलग्न परिशिष्ट-क में निहित है।

(3) उक्तानुसार थ्री-फेज एवं सिंगल फेज नलकूपों के पूर्ण किये गये कार्यों में से 48 थ्री-फेज एवं 112 सिंगल फेज नलकूपों पर विद्युत सम्बन्ध वर्तमान में शेष रहा है। इन समस्त नलकूपों पर माह सितम्बर, 2014 तक चरणबद्ध रूप से विद्युत सम्बन्ध लिया जाकर इन स्रोतों को चालू कर दिया जायेगा।

(4) विभाग के वृत्त कार्यालय, सीकर द्वारा विगत दो वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में क्रमश: 49 एवं 111, कुल 160 पेयजल सम्बन्धी विभिन्न कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई। कार्यवार आमंत्रित निविदा की राशि एवं निविदा राशि के विरुद्ध किये गये भुगतान सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-ख पर तथा जारी किये गये कार्यादेश की प्रतियां परिशिष्ट-ग पर संलग्न हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

सुमेरपुर की क्षतिग्रस्त सड़कें

23. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र की अनेक सड़कें 'नान पेचेबल' ((मरम्मत योग्य नहीं) घोषित हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व कब से? सरकार की उनके पुन:निर्माण की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की अनेक सडकें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो उनकी मरम्मत कब तक कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की कुल लम्बाई 794.34 कि.मी. में से 93.10 कि.मी. लम्बाई की सड़कें नोन पेचेबल (मरम्मत योग्य नहीं) स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। इनका पुन: निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में 125.15 कि.मी. लम्बाई की सड़कें क्षतिग्रस्त (पेच मरम्मत योग्य) स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। इन सड़कों पर पेच मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधनानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित नान पेचेबल (मरम्मत योग्य नहीं) सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी)	क्षतिग्रस्तता का विवरण		निर्माण/गत नवीनीकरण वर्ष	क्षतिग्रस्तता (मरम्मत योग्य नहीं का वर्ष (कब से)
				चैनेज	लम्बाई (किमी)		
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	रूपावास-जैतपुर सड़क	मुख्य जिला सड़क	6.00	0/0 to 6/0	6.00	2004-05	2012
2	जैतपुर-खौड-जवाली-नाडोल सड़क	अन्य जिला सड़क	10.00	6/0 to 8/0	2.00	2005-06	2013
3	ढोला-माण्डल-पुनाडिया सडक	अन्य जिला सड़क	8.00	5/0 to 8/0	3.00	2000-01	2010
4	फालना सुमेरपुर सड़क	अन्य जिला सड़क	18.00	12/0 to 16/0 19/0 to 21/0	6.00	2005-05	2012
5	केनपुरा से कोसेलाव सड़क	अन्य जिला सड़क	10.00	5/0 to 10/0	5.00	2006-07	2013
6	पाली खैरवा सड़क	अन्य जिला सड़क	20.00	18/500 to 19/0	0.50	2006-07	2013
7	गुण्डा एन्दला से गिरवर सड़क	ग्रामीण सड़क	7.00	0/0 to 7/0	7.00	2006-07	2012
8	आइचिया से सोनाईमांजी सड़क	ग्रामीण सड़क	3.50	0/0 to 3/500	3.50	2004-05	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
9	खैरवा से सापुनी सड़क	ग्रामीण सड़क	12.50	3/0 to 7/0	4.00	2006-07	2013
10	सम्पर्क सड़क लाम्बिया सड़क	ग्रामीण सड़क	7.00	0/0 to 7/0	7.00	2006-07	2012
11	गुन्दोज से ठाकुरला सड़क	ग्रामीण सड़क	6.00	0/0 to 6/0	6.00	2006-07	2012
12	सम्पर्क सड़क सोवणिया सड़क	ग्रामीण सड़क	5.00	0/0 to 5/0	5.00	2004-05	2012
13	चाणोद से साकदड़ा	ग्रामीण सड़क	8.00	4/0 to 8/0	4.00	1998-99	2012
14	सम्पर्क सड़क प्रतापगढ़	ग्रामीण सड़क	2.00	0/0 to 2/0	2.00	2005-06	2012
15	खौड से खौड खेतलाजी सड़क	ग्रामीण सड़क	1.00	0/0 to 0/500	0.50	2003-04	2011
16	बालराई से नवा गुडा सड़क	ग्रामीण सड़क	4.50	1/500 to 4/500	3.00	2005-06	2012
17	सम्पर्क सड़क सांपा	कृषि मंडी सड़क	4.00	2/0 to 4/0	2.00	2002-03	2011
18	बोमादडा से बाणियावास सड़क	कृषि मंडी सड़क	7.00	0/0 to 7/0	7.00	2003-04	2012

1	2	3	4	5	6	7	8
19	स्टेशन रोड से कोलिवाड़ा	कृषि मंडी सड़क	2.70	0/0 to 2/700	2.70	2004-05	2012
20	सम्पर्क सड़क बिरामी	कृषि मंडी सड़क	2.50	0/0 to 2/500	2.50	2004-05	2012
21	लापोद से बसन्त	कृषि मंडी सड़क	4.00	0/0 to 2/0	2.00	2004-05	2012
22	पालड़ी से धनापुरा	कृषि मंडी सड़क	2.30	0/0 to 2/300	2.30	2004-05	2012
23	भाचुन्दा वसे बडगावडा	कृषि मंडी सड़क	5.00	0/0 to 5/0	5.00	2004-05	2012
24	सलोदरीया से फतापुरा	कृषि मंडी सड़क	2.50	0/0 to 2/500	2.50	1996-97	2012
25	सम्पर्क सड़क पोमावा	कृषि मंडी सड़क	2.60	0/0 to 2/600	2.60	2002-03	2011
		योग	**161.10**		**93.10**		

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित क्षतिग्रस्त सड़कों (पेच मरम्मत योग) का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (किमी)	क्षतिग्रस्तता का विवरण		निर्माण/गत नवीनीकरण वर्ष
				चैनेज	लम्बाई (किमी)	
1	2	3	4	5	6	7
1	चाणौद केनपुरा रानी मुण्डारा सड़क	मुख्य जिला सड़क	21.00	2/0 से 6/0 9/0 से 10/0	5.00	2007-08

1	2	3	4	5	6	7
2	पाली खैरवा सड़क	अन्य जिला सड़क	20.00	4/0 से 6/0 8/0 से 10/0	4.00	2007-08
3	रामासिया भावरी सड़क	अन्य जिला सड़क	29.00	15/0 से 29/0	14.00	2007-08
4	मण्डली डेण्डा चाणोद सड़क	अन्य जिला सड़क	20.00	8/0 से 12/0	4.00	2007-08
5	सुमेरपुर से तखतगढ़ सड़क	अन्य जिला सड़क	24.00	10/0 से 12/0 13/0 से 15/0	4.00	2008-09
6	निम्बाहेड़ा से पांचेटिया	अन्य जिला सड़क	5.00	0/0 से 5/0	5.00	2002-03
7	खोड किरवा वाया चांगवा सड़क	अन्य जिला सड़क	15.00	8/0 से 15/0	7.00	2003-04
8	फालना से सुमेरपुर सड़क	अन्य जिला सड़क	21.00	8/0 से 10/0	2.00	2004-05
9	ढोला माण्डल पुनाड़िया सडक	अन्य जिला सड़क	8.00	0/0 से 2/0 4/0 से 6/0	4.00	2006-07
10	सम्पर्क सड़क भांगेश्वर सड़क	ग्रामीण सड़क	7.00	0/0 से 7/0	7.00	2006-07
11	चाणोद से साकदडी	ग्रामीण सड़क	8.00	0/0 से 4/0	4.00	2006-07
12	साकदडा से पेनावा	ग्रामीण सड़क	6.00	0/0 से 6/0	6.00	2006-07
13	राईको की ढाणी से भालेलाव	ग्रामीण सड़क	7.40	2/0 से 5/0	3.00	2006-07
14	राईको की ढाणी से बम्बोलाई	ग्रामीण सड़क	8.25	3/0 से 6/0	3.00	2007-08
15	खातीखेड़ा से लाम्बिया सड़क	ग्रामीण सड़क	5.00	0/0 से 5/0	5.00	2005-06

1	2	3	4	5	6	7
16	बोमादडा से उतवण सड़क	ग्रामीण सड़क	1.25	0/0 से 1/250	2.25	2005-06
17	सम्पर्क सड़क पुनागर माताजी	ग्रामीण सड़क	6.00	0/0 से 3/0	3.00	2005-06
18	सुमेरपुर-जवाई बांध वाया कोलीवाड़ा	ग्रामीण सड़क	3.00	0/0 से 1/0	1.00	2005-06
19	सम्पर्क सड़क पुस्तेड़ा भाकर सड़क	ग्रामीण सड़क	3.00	0/0 से 3/0	3.00	2002-03
20	बिरामी से रानी	ग्रामीण सड़क	6.00	0/0 से 3/0 4/0 से 6/0	5.00	2007-08
21	पावा से रोडला जिला सीमा तक	ग्रामीण सड़क	3.00	1/0 से 2/0 4/0 से 6/0	1.00	2005-06
22	सम्पर्क सड़क आकदडा	ग्रामीण सड़क	5.00	0/0 से 2/0	2.00	2002-03
23	खैरवा से किरवा सडक	ग्रामीण सड़क	12.50	7/0 से 12/0	5.00	2006-07
24	सम्पर्क सडक हिंगोला	ग्रामीण सड़क	3.00	1/500 से 2/500	1.00	2005-06
25	सम्पर्क सड़क ठाकुरला	कृषि मंडी सडक	4.00	0/0 से 4/0	4.00	2001-02
26	सम्पर्क सड़क खिमाडा	कृषि मंडी सड़क	2.20	1/0 से 2/200	1.20	2002-03
27	सम्पर्क सड़क बलाना से राजपुरा	कृषि मंडी सड़क	3.00	0/0 से 3/0	3.00	2004-05
28	सम्पर्क सड़क गोगरा	कृषि मंडी सड़क	4.50	3/0 से 4/0	1.00	2002-03
29	सम्पर्क सडक साण्डेराव से बागडी	कृषि मंडी सड़क	2.50	1/0 से 2/0	1.00	2004-05

1	2	3	4	5	6	7
30	सम्पर्क सड़क दयालपुरा	कृषि मंडी सड़क	2.50	0/0 से 2/500	2.50	2002-03
31	सम्पर्क सड़क सिन्दरू	कृषि मंडी सड़क	1.20	1/0 से 1/200	1.20	2004-05
32	शिवगंज पुलिस स्टेशन से कोरटा	कृषि मंडी सड़क	14.50	4/500 से 7/0 13/0 से 14/0	3.50	2004-05
33	पालड़ी से सलोदरिया	कृषि मंडी सड़क	3.50	0/500 से 3/0	2.50	2004-05
34	नेतरा से पराखिया	कृषि मंडी सड़क	5.00	2/0 से 5/0	3.00	2004-05
35	कानपुरा से फतापुरा	कृषि मंडी सड़क	3.00	1/0 से 3/0	2.00	2004-05
		योग	**293.30**	**योग**	**125.15**	

प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितता के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

24. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में गत तीन वर्षों में छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दौसा, सवाई माधोपुर व करौली जिले में छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों (2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बूंदी के कार्यालय में छात्रवृति में हुई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। उक्त जांच दिनांक 10.03.2014 से 14.03.2014 तक करवाई गई है। जांच रिपोर्ट दिनांक 25.3.13 को ही प्राप्त हुई है। उक्त जांच में दोषी पाये गये संविदाकर्मी कम्प्यूटर आपरेटर श्री रविप्रकाश ब्रजवत द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी मानव कल्याण चेतना संस्थान, नाहर का चौकटा, सूंरग गेट, बूंदी के विरुद्ध बूंदी थाने में एफ.आई.आर संख्या 122/14 दिनांक 26.02.14 के द्वारा दर्ज करवाई गई है। उक्त जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही निर्णयाधीन है।

(2) जी नहीं। जिला दौसा की विशेष जांच दल द्वारा वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 में वितरित छात्रवृति की जांच की गई जिसकी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है जिसकी पालना रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। रिपार्ट प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

सवाई माधोपुर जिले में छात्रवृति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी अधिकारियों/कर्मयारियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं भ्रष्टाचार निरोशक ब्यूरों में दर्ज प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति दी गई है जिनका विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

करौली जिले में छात्रवृति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच में

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

वल्लभनगर में बैंकों द्वारा किसानों से बीमा पेटे ली गई राशि

25. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों से बीमा का पैसा वसूला जाता है?

(2) क्या फसल खराब होने पर ये बैंक किसानों को मुआवजा देते हैं? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) विगत 5 वर्षो में वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को यह मुआवजा दिया गया? यदि नहीं, तो क्या बैंकों द्वारा बीमा पेटे ली गई राशि किसानों को ब्याज सहित लौटाई जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषकों का फसल बीमा किया जाना अनिवार्य है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसली ऋण दिये जाने पर बीमा हेतु प्रीमियम राशि कृषकों से वसूली जाती है।

(2) जी हां। फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा क्लेम का निर्धारण बीमा कम्पनियों द्वारा फसल मौसमवार पूर्व निर्धारित मापदण्डों से विचलन की स्थिति में आकलन कर मुआवजा दिया जाता है। बीमा कम्पनियों द्वारा पात्र बीमित कृषकों के बीमा क्लेम सम्बन्धित नोडल बैंकों को हस्तान्तरित किये जाते हैं, जिनके द्वारा बीमा क्लेम राशि सम्बन्धित बीमित कृषकों के खातों में नियमानुसार जमा होती है।

(3) विगत 5 वर्षो में केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुर के माध्यम से बीमा कम्पनियों द्वारा वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के 9797 किसानों को रुपये 2841268.00 मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है जिसकी विगत परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैंकों द्वारा फसल बीमा हेतु एकत्रित प्रीमियम राशि बीमा कम्पनियों को हस्तान्तरित की जाती है। एकत्रित प्रीमियम राशि ब्याज सह्ति लौटाये जाने का प्रावधान फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका में निहित नहीं है।

(विगत पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जैसलमेर शहर में अनुपयोगी पेयजल पाइपलाइन

1. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जैसलमेर शहर में पेयजल पाइपलाइन का प्रेशर बढ़ाने हेतु लगभग 11-12 वर्ष पूर्व बनाई गई 20 ईंच, 16 इंच एवं 12 इंच की पाइप लाइन का कार्य किस फर्म द्वारा कितने समय में कितनी लागत से पूर्ण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पाइपलाइन की टेस्टिंग की गई थी? यदि हां, तो पाइपलाइन के उपयोग में नहीं आने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नये नलकूपों की स्थापना करने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा लगाई गई केबल, पम्प व अन्य सामग्री की एक वर्ष की गारण्टी अवधि होती है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में ऐसी कौन-कौनसी फर्में हैं, जिनके द्वारा लगाये गये नलकूपों के गारण्टी अवधि में खराब होने पर उनके द्वारा मरम्मत कार्य करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में पेयजल की आपूर्ति करने हेतु 8 टैंकर उपलब्ध होने के उपरान्त भी ठेके पर टैक्टरों से पानी सप्लाई कर लाखों रुपयों का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किये गये भुगतान एवं सम्बन्धित फर्म के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा उक्त जिले के किन-किन गांवों में वर्ष 1998-99 में रेडीमेड पशुखेली का निर्माण करवाया गया तथा वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुनर्गठित जल प्रदाय योजना, गजरूप सागर-जैसलमेर की माह फरवरी, 2002 में जारी संशोधित स्वीकृति में जैसलमेर शहर को नहरी पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुली डूंगरी स्थित जलाशय से सोनार किले की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रथम पोल तक विभिन्न व्यास की (350, 400 व 500 मिलीमीटर) ए.सी. पाइपलाइन बिछाने, जोड़ने व टेस्टिंग का कार्य मैसर्स जीवण लाल लूणाराम, ग्राम कनोई को दिनांक 8 मई, 2003 को जारी किया गया। फर्म द्वारा उक्त कार्य दो माह में पूर्ण किया गया तथा इस कार्य पर रुपये 10.88 लाख की राशि व्यय की गई थी।

(2) जी हां। विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित देवा माइनर स्थित हैडवर्क्स से जल उत्पादन कम होने के कारण उक्तानुसार डाली गई कुल 1172 मीटर पाइपलाइन में से 200 मीटर पाइपलाइन को वितरण प्रणाली में उपयोग में लिया जा रहा है। प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जयपुर से करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(3) विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर जिले की विभिन्न जल योजनाओं अन्तर्गत नये नलकूपों के निर्माण एवं कमीशनिंग कार्य हेतु फर्मों द्वारा इन पर स्थापित सबमर्सिल पम्प सैट की दो वर्ष तथा अन्य सामग्री की 18 माह की गारण्टी अवधि होती है। विगत दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14) में उक्त क्षेत्र में सम्बन्धित आदेशित फर्मों द्वारा निर्मित किये गये नलकूपों पर स्थापित किये गये सबमर्सिल पम्प सैट एवं अन्य सम्बन्धित सामग्री गारण्टी अवधि में खराब नहीं होने के कारण नहीं बदले गये हैं।

(4) जैसलमेर जिले में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 756 ग्राम एवं 3017 ढाणियों में से 740 मुख्य ग्राम एवं 959 ढाणियां विभिन्न जल योजनाओं से वर्तमान में लाभान्वित हैं। जिले में पेय योग्य भू-जल स्रोतों के कम होने, पशुधन अधिक होने तथा क्षेत्रीय जल योजनाओं अन्तर्गत लाभान्वित कई ग्राम/ढाणियां मुख्य जल स्रोत से अत्यन्त दूर होने से अंतिम छोर के ग्राम/ढाणियों में इन योजनाओं से पानी नहीं/अत्यन्त कम उपलब्ध हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में विशेषकर हर वर्ष ग्रीष्म ऋतु में विभागीय उपलब्ध 12 टैंकरों से पर्याप्त जल परिवहन का कार्य सम्भव नहीं हो पाता है।

विगत पांच वर्षों (2009-10 से 2013-14 की अवधि) में पेयजल परिवहन कार्य पर किये गये भुगतान सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(5) जैसलमेर जिले में वित्तीय वर्ष 1998-99 में रेडीमेड पशुखेली का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद

2. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में कुल कितने अभियन्ताओं के पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पिछले दिनों हुई पदोन्नति के पश्चात् कनिष्ठ अभियन्ताओं की कमी आई है? यदि हां, तो उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों को कब तक भर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में अभियन्ता संवर्ग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता स्तर के कुल 113 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 46 पदों पर अभियन्ता वर्तमान में पदस्थापित हैं। श्रेणीवार स्वीकृत पद एवं पदस्थापन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता के क्रमश: 35 एवं 32 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल, यान्त्रिकी एवं विद्युत) के 159 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आयोग के स्तर पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति होने से विभाग में हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। कनिष्ठ अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति होने से विभाग में हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-क

अलवर जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में अभियन्ताओं के श्रेणीवार स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण

अभियन्ता पद	स्वीकृत पद	पदस्थापित पद	रिक्त पद
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	1	1	0
अधीक्षण अभियन्ता	2	2	0
अधिशासी अभियन्ता	12	12	0
सहायक अभियन्ता	56	21	35
कनिष्ठ अभियन्ता	42	10	32
कुल पद	**113**	**46**	**67**

मारवाड़ जंक्शन में सहायक अभियन्ता का रिक्त पद

3. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के मारवाड़ जंक्शन एवं राणी में एक ही सहायक अभियन्ता पदस्थापित है? यदि हां, तो उक्त दोनों स्थानों पर कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के शहर क्रमश: मारवाड़ जंक्शन एवं रानी स्टेशन में सहायक अभियन्ता के उपखण्ड कार्यालय स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक में एक-एक सहायक अभियन्ता का पद स्वीकृत है। उक्त दोनों कार्यालयों में सहायक अभियन्ता पदस्थापित हैं तथा सहायक अभियन्ता का कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में उक्तानुसार सहायक अभियन्ता का कोई पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

प्रदेश में जर्जर इमारतों के निस्तारण की कार्य योजना

4. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) व **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकारी इमारतों की जांच या उनके जर्जर अवस्था में होने की स्थिति पर उन्हें गिराने की कोई पुख्ता एवं समयबद्ध व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जर्जर इमारतों के कारण होने वाली जनहानि रोकने हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में सरकारी इमारतों के समयबद्ध निरीक्षण की पुख्ता व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में सरकारी इमारतों की जांच या उनके जर्जर अवस्था में होने की स्थिति पर उन्हें गिराने हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है, इस सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 05.09.2013 की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के तहत जर्जर इमारतों के कारण होने वाली जनहानि रोकने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (Standard Operating Procedure) बनाया जाना प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित स्टैन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर आपदा प्रबन्धन हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम संस्था राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुमोदन पश्चात् शीघ्र लागू होगा।

(3) जी हां। प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन सरकारी इमारतों के समयबद्ध निरीक्षण की पुख्ता व्यवस्था पी.डब्ल्यू.डी. मैनुएल भाग-2 के पैरा संख्या 31.27.1 एवं 31.27.2 में वर्णित है (परिशिष्ट-2) तथा इसके अनुसरण में मानसून पूर्व एवं पश्चात् भवनों का निरीक्षण करने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है (परिशिष्ट-3)।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फुलेरा में घटिया सड़क निर्माण की जांच

5. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में गत पांच वर्षों में किन-किन सड़कों का निर्माण किस-किस योजना के अन्तर्गत कराया गया है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत पर गत दो वर्षों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कतिपय सड़कों के घटिया निर्माण की जांच भी कराई गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क की किस अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच में क्या तथ्य उजागर हुए? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जांच में किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को घटिया निर्माण करने एवं किन-किन को मानीटरिंग नहीं करने का दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में गत पांच वर्षों (वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 व 2013-14) में करवाये गये सड़क निर्माण कार्यों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) गारण्टी अवधि में सड़कों का रख-रखाव संवेदक द्वारा ही किया जाता है। संवेदक द्वारा आवश्यक मरम्मत न करने पर विभाग द्वारा संवेदक के हर्जे-खर्चे पर कार्य कराया जाता है। वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2013-14 में संवेदक के हर्जे-खर्चे पर करवाये गये मरम्मत पर व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त सड़कों का निर्माण करते समय सम्बन्धित फील्ड अधिकारियों एवं गुण नियंत्रण खण्ड के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सड़क कार्य में उपयोग लिये जाने वाले मैटेरियल एवं सड़क कार्य की गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से की गई है। वर्तमान में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन में नर्मदा नहर पर पुल निर्माण में अनियमितता

6. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अन्तर्गत नर्मदा नहर से सिंचित क्षेत्र में पुल निर्माण का कार्य किस फर्म से करवाया गया?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा नहर से सिंचित क्षेत्र में पुल निर्माण कार्य में सामग्री खरीद व मजदूरी भुगतान में अनियमितता एवं मिट्टी भराव सम्बन्धी गैर जरूरी व अनावश्यक कार्य पर सरकारी राशि के दुरुपयोग की शिकायतों की कोई जांच की गई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अन्तर्गत नर्मदा नहर से सिंचित क्षेत्र में एक पुलिया का निर्माण पनोरिया गांव के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मैसर्स भजन लाल विश्नोई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी सार्वजनिक निर्माण विभाग संवेदक बाड़मेर द्वारा वर्ष 2011-12 में किया गया था।

(2) जी नहीं। उक्त पुलिया के कार्य की कोई शिकायत/जांच नहीं की गई है। उक्त पुलिया निर्माण का कार्य निक्षेप-तृतीय सिविल डिपोजिट योजनान्तर्गत संवेदक द्वारा सामग्री व मजदूरी सहित पूर्ण कार्य करवाया गया, जिसके लिए मुख्य अभियन्ता, नर्मदा नहर परियोजना सांचौर (जिला-जालोर) द्वारा राशि रुपये 376.30 लाख जमा करवाये गये, जिसमें उक्त एक पुलिया का निर्माण कार्य सम्मिलित था एवं वर्तमान में उक्त पुलिया की स्थिति संतोषजनक है।

अजमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन सड़कें

7. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग के क्षेत्राधीन अजमेर शहर एवं जिले की कौन-कौनसी सड़कें हैं? सड़कों के स्थान व लम्बाई सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार व सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या अजमेर शहर की विभाग के अधीन आने वाली सड़कें अजमेर विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरित कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब व कौन-कौनसी सड़कें एवं नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत दिनों अजमेर शहर की उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण/मरम्मत अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा भी कराया गया है? यदि हां, तो कब व कौन-कौनसी सड़कों का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन शहर सहित**,** सड़कों के स्थान व लम्बाई सहित, विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) अजमेर जिले में विभाग द्वारा गत 5 वर्षों में नव निर्मित, पुनर्निर्माण एवं पैच मरम्मत कार्यों पर व्यय की गयी राशि का वर्षवार एवं सड़कवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-2, 3 व 4 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की बैठक में किये गये निर्णयानुसार शहर की 81.600 कि.मी. लम्बाई की सड़कों को हस्तान्तरित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड अजमेर द्वारा दिनांक 27.08.2013 को पत्र लिखा गया। परन्तु अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कें अपने अधीन नहीं ली हैं लेकिन इन सड़कों पर उनके द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित सड़कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां। अजमेर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये कार्य का विवरण परिशिष्ट-6 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सड़क निर्माण में विलम्ब होने पर संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही

8. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा सड़क निर्माण कार्य संविदा की शर्तों के अनुसार समय पर पूरा नही किये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं

(श्रीमती गोलमा)

पेनल्टी लगाने का क्या प्रावधान है? सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला दौसा, करौली एवं सवाई माधोपुर में वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में कार्यादेश जारी होने के उपरान्त किन-किन सड़कों को निर्धारित समय पर पूर्ण नहीं किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़कों का समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर किस-किस ठेकेदार पर कितनी-कितनी राशि की पेनल्टी लगाई गई एवं किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संवेदकों द्वारा सड़क निर्माण कार्य संविदा की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं किया जाने पर अनुबन्धानुसार नियमों के तहत कार्यवाही का प्रावधान निम्नलिखित है :-

(अ) सामान्य कार्यों जो कि पी.डब्ल्यू.एफ. एण्ड आर. में निर्धारित अनुबन्ध के अनुसार संवेदकों द्वारा कार्य समय पर पूरा नहीं किया जाने पर अनुबन्ध की धारा **2** के तहत शेष रहे कार्यों पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरोपित करने का प्रावधान है। यदि संवेदक कार्य को अधूरा छोड़ देता है तो अनुबन्ध की धारा **2** व **3** का प्रावधान है। जिसके तहत शेष रहे कार्यों को अन्य संवेदक से पूर्ण कराये जाने पर निविदा दर वृद्धि की राशि को मूल संवेदक से वसूल किया जाता है। अनुबन्ध की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(ब) पीएमजीएसवाई/पीएमजीएसवाई (वर्ल्ड बैंक) योजना में संविदा के क्लाज 44.1 के अनुसार कार्य पूरा नहीं करने पर कार्यवाही के नियम/प्रावधान-

यदि संवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो संवेदक पर विलम्ब अवधि पर कार्यादेश राशि की एक प्रतिशत की दर से प्रति सप्ताह लिक्विडिटी डेमेज की राशि रोकी जाती है, जो अनुबन्ध की राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकती है। सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(स) सीआरएफ/आर.आर.एस.एम.पी. (वर्ल्ड बैंक) कार्यों पर संविदा की धारा 49 के तहत-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

यदि संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो संवेदक पर विलम्ब अवधि पर पूरे कार्य पर कान्ट्रेक्ट डाटा अनुसार प्रतिदिन, प्रारम्भिक अनुबन्ध मूल का 0.05 प्रतिशत की दर से लिक्विडिटी डेमेज की राशि रोकी जाती है, जो कि अधिकतम अनुबन्ध की राशि का 10 प्रतिशत तक हो सकती है। सम्बन्धित प्रावधानों/नियमों की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(2) जिला दौसा, करौली, सवाई माधोपुर में वर्ष 2009 से 2013 की अवधि में कार्यादेश जारी होने के उपरान्त निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किये गये सड़क कार्यों का विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है।

(3) सड़कों के निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध अनुबन्धानुसार लगाई गई पेनल्टी व की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। उक्त सड़क कार्यों में विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर-मालपुरा मार्ग पर बाइपास का निर्माण

9. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सांगानेर, फागी, रेनवाल, नीमेड़ा, चौसला, डिग्गी, मालपुरा एवं केकड़ी होकर सांगानेर से भीलवाड़ा जाने वाले राजमार्ग पर रेनवाल, फागी, चौसला, नीमेड़ा एवं मालपुरा में अत्यधिक ट्रैफिक के कारण जाम से निजात दिलाने हेतु उक्त गांवों में बाइपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। रेनवाल, फागी एवं मालपुरा में ट्रैफिक एवं सड़क पर वाहनों की सघनता के आधार पर बाइपास निर्माण अनुबन्ध के बाद में स्वीकृत होकर प्रस्तावित है। जबकि चौसला नीमेड़ा में बाइपास निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

रेनवाल, फागी, मालपुरा में बाइपास निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि अवाप्ति उपरान्त निर्माण कार्य सम्भव हो सकेगा।

चौंसला, नीमेड़ा गांव में अनुबन्ध की दिनांक 12.07.2010 तक ट्रैफिक के आधार पर निवेशक द्वारा डी.बी.एफ.ओ.टी. (डिजाइन, बिल्ड, फाइनेन्स, आपरेट एवं ट्रान्सफर) परियोजना के निर्धारित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुये बाईपास का निर्माण वांछित नहीं है।

बामनवास की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण

10. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास की सडकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अब बामनवास की सड़कें बौंली से जस्टाना, मितुलपुर से पीपल्दा, बौंली से खेडली, वास की पुलिया से पीपलवाडा, वाटोदा से खेडली मोड़, पिपलाई मोड़ से रासना, गढमोरा से बन्ध मोरा सागर, सुखार खोली से बालाजी तथा बालाजी से गुडला लेवाली वाया बामनवास तक बामनवास से सकीपुरा, सकीपुरा से सराया होते हुये कस्बा शहर तक की सड़कों का डामरीकरण/नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की 714.59 कि.मी. लम्बाई की सड़कों में से 109.30 कि.मी. लम्बाई में सड़कें क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त 11 सड़कों की लम्बाई 162.00 कि.मी. में से 55.00 कि.मी. लम्बाई क्षतिग्रस्त स्थिति में है। इनमें से 39 कि.मी. लम्बाई में कार्य स्वीकृत/प्रगतिरत है। शेष 16 कि.मी. लम्बाई की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत गारण्टी अवधि की सड़कों पर संवेदक के हर्जे-खर्जे पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर के बगरू वालों के रास्ते में आबंटित नजूल नोहरा

11. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर के बगरू वालों के रास्ते में उपखण्ड प्रथम द्वारा नजूल नोहरा पी-39 किसको आबंटित किया गया व आबंटन के मानदण्ड क्या थे? आबंटन की प्रति सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटन पश्चात् उक्त नजूल नोहरे की

(श्री हीरालाल)

रजिस्ट्री पंजीयन क्रमांक 3762 दिनांक 27 अगस्त, 1988 को कराई गई है? यदि हां, तो रजिस्ट्री की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नजूल नोहरा पी-39 बगरू वालों का रास्ता, चौकड़ी पुरानी बस्ती, जयपुर श्री काले खां पुत्र श्री मीर बक्स को दिनांक 30.04.1970 से 30 रुपये प्रतिमाह किराये पर लीज पर दी गई। उक्त लीज दिनांक 26.12.1979 को सम्पत्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर द्वारा निष्पादित किया गया था। जो परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त नजूल नोहरे का विक्रय दिनांक 26.09.1988 को जरिये विक्रय पत्र श्री काले खां पुत्र श्री मीर बक्स को रुपये 53100/- में किया गया था। इस विक्रयनामा को पत्रांक डी-686-87 दिनांक 26.09.1988 द्वारा उप पंजीयक कार्यालय जयपुर को पंजीयन हेतु भिजवाया गया जो कि परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले में नवीन सड़कों/मरम्मत के लिये आबंटित राशि

12. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2008 से 2013 तक नवीन सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्यों हेतु कितना बजट आबंटित किया गया? विधान सभा क्षेत्र वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बजट के अन्तर्गत सीकर जिले में कितनी नवीन सड़कों व मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई व कितने कार्य पूर्ण किये गये? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक नवीन सड़कों के निर्माण व मरम्मत कार्यों पर आबंटित बजट का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त बजट के अन्तर्गत सीकर जिले में वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक नवीन सड़कों व मरम्मत सड़क कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-**2** पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पश्चिमी राजस्थान के लिए माही डैम से पेयजल/सिंचाई हेतु कार्य योजना

13. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में पीने और सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1966 में तत्कालीन सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान के पांच जिलों–सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर के लिए माही बजाज परियोजना के माही डैम का 66 प्रतिशत पानी सिंचाई और पेयजल के लिए काम में लेने का तथा शेष 34 प्रतिशत पानी गुजरात के लिए काम में लेने की रूपरेखा बनाई गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार इस महत्वपूर्ण योजना पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु पर्याप्त तथा पीने के लिए उचित गुण्वत्ता एवं पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1966 के अन्तरराज्यीय समझौते में सिरोही, जालौर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर जिलों के लिए माही डैम के पानी के उपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। समझौते की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

AGREEMENT BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT FOR THE EXPLOITATION OF MAHI RIVER

(Dated 10th January, 1996)

KADANA DAM

1. Kadana Dam should be built to FRL 419.00. The entire cost and benefits of this Project will be borne by Gujarat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan, Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the dam for such use. The exact proportions will be fixed at the time when such releases become available.

BANSWARA DAM

1. Banswara Dam across Mahi, located in Rajasthan, will be built to FRL 921.00. out of the total cost of the Dam, a portion will be allocated for power which Rajasthan will develop from the waters of this reservoir. This will be at the rate of Rs. 1250/- per KW firm power. If the total cost of the dam

increases beyond Rs. 14 crores, the allocated cost per KW taken above will also be increased proportionately.

2. The cost of the dam for FRL 915.00 should be shared between Gujarat and Rajasthan in the ratio of 40:9, as the utilisation of the waters for irrigation inclusive if evaporation losses are 40 TMC in Gujarat and 9TMC in Rajasthan.

3. Building the dam upto FRL 921.00 will give an additional storage of 7 TMC which will be useful in lean years for ensuring firming of power generation. In view of this, Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building Dam between FRL 921.00 and 915.00.

4. At a later date when Narmada Development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and the Mahi waters at Banswara are released for use in Rajasthan, Rajasthan should reimburse the cost of the Banswara Project paid by Gujarat.

Sd/
NATHU RAM MIRDHA
Minister for irrigation
Government of Rajasthan
JAIPUR

Sd/-
VIJAYA KUMAR TRIVEDI
Minster for Public works
Ports & Civil Supplies
Gujarat State

टोंक जिले के सहोदरा बांध से नई नहर निकालने की कार्य योजना

14. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला टोंक की पीपलू तहसील की पंचायत डोडवाडी स्थित सहोदरा बांध से सर्वे कराकर नई नहर निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार सहोदरा बांध की चादर की ऊंचाई दो फीट बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या विश्व बैंक द्वारा उक्त कार्य के लिये कोई बजट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कितना व किस-किस कार्य के लिये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार बनास नदी के डोडवाडी बालाजी में एनिकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। क्योंकि सहोदरा बांध में पानी की आवक कम होने के कारण बांध पूर्ण भराव क्षमता तक नहीं भर पाता है।

(2) जी नहीं। क्योंकि सहोदरा बांध में पानी की आवक कम होने के कारण उक्त बांध वर्ष 1985 से वर्ष 2013 के मध्य केवल 10 बार ही ओवर फ्लो होने से बांध के चादर की ऊंचाई दो फीट बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सपोटरा में सिंचाई नहरों की मरम्मत

15. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से जून 2014 तक किस-किस सिंचाई परियोजना में नहरों की मरम्मत और रख-रखाव के कार्य कराये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मरम्मत और रख-रखाव के किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार को मामचारी बांध एवं नहरों की मरम्मत और रख-रखाव के कार्यों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किस-किस ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वित्तीय वर्ष 2010-11 से जून 2014 तक सिंचाई परियोजना में नहरों की मरम्मत और रख-रखाव के कराये गये कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) मरम्मत और रख-रखाव के उपरोक्त वर्णित कार्यों पर कुल राशि रुपये 736.45 लाख व्यय की गई। व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' में अंकित है।

(जल संसाधन मंत्री)

3. जी हां। मामचारी बांध एवं नहरों की मरम्मत और रखरखाव के कार्यों में अनियमितता की शिकायतों की जांच हेतु एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अन्तरराज्यीय नदी जल समझौतों की पालना

16. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश को वर्तमान में तीन राज्यों में हुए समझौते के तहत बीबीएमबी के माध्यम से रावी-व्यास नदियों से अपने हिस्से के निर्धारित जल से कम जल प्राप्त हो रहा है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार रावी-व्यास नदियों से प्रदेश को मिलने वाले अपने हिस्से के जल को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1981 के रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल के वितरण हेतु हुए समझौते में राजस्थान को 17.17 एम.ए.एफ. अधिशेष जल में से 8.6 एम.ए.एफ. पानी आबंटित किया गया था। इस जल समझौते में यह प्रावधान था कि जब तक राजस्थान अपने हिस्से के पूरे जल को उपयोग करने की क्षमता अर्जित नहीं कर लेता तब तक पंजाब राजस्थान के हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. जल का उपयोग कर सकेगा। पंजाब द्वारा अभी भी राजस्थान के हिस्से का 0.6 एम.ए.एफ. जल रिस्टोर नहीं किया गया है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा रावी-व्यास नदियों के मिलने वाले अपने हिस्से के जल को प्राप्त करने हेतु किये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट–अ

सरकार द्वारा रावी-व्यास नदियों को मिलने वाले जल को प्राप्त करने हेतु किये प्रयासों का विवरण

राजस्थान वर्ष 1991 से ही अपने पूर्ण हिस्से का उपयोग करने की स्थिति में है तथा 0.6 एम.ए.एफ. जल को रिस्टोर करवाने के लिए मुख्य मंत्री स्तर पर भी लगातार प्रयास किये गये हैं। वर्ष 2004 में पंजाब द्वारा पंजाब टर्मीनेशन आफ एग्रीमेन्ट एक्ट, 2004 पारित कर रावी-व्यास नदियों से सम्बन्धित सभी समझौतों को उनके निष्पादन की दिनांक से निरस्त कर दिया था। इस एक्ट की वैधता के सम्बन्ध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी है जो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: राजस्थान को 0.6 एम.ए.एफ. जल रिस्टोर किया जाना इस कारण से जुडा है। राजस्थान द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान ने पत्र दिनांक 28.06.2013 द्वारा सर्वोच्च न्यायालस की विशेष बैंच स्थापित करवाकर शीघ्र प्रेसीडेसल रेफरेंस पर निर्णय करवाकर इस प्रकरण को हल करवाने का आग्रह किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र दिनांक 12.06.2007, 09.06.2009, 02.04.2010 एवं 06.07.2012 तथा 27.09.2012, 03.02.2014 एवं 07.06.2014 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का शीघ्र गठन करवाकर इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया। माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 28.06.2013, 03.02.2014 एवं 07.06.2014 द्वारा मननीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ स्थापित करवाकर इस प्रकरण में शीघ्र निर्णय हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया है। अत: इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय की विशेष पीठ स्थापित करवाकर राय प्राप्त करने के लिए राजस्थान द्वारा लगातार प्रयास किये गये हैं। नोर्थ जोनल काउंसिल की दिनांक 13.07.2012 को चण्डीगढ में आयोजित बैठक में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 0.6 एम.ए.एफ. जल रिस्टोर करवाने का आग्रह किया। यह प्रकरण अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सरकार द्वारा रावी-व्यास नदियों को मिलने वाले 0.6 एम.ए.एफ. जल को प्राप्त करने हेतु किये पत्राचार का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पत्र दिनांक	पत्र जिसके द्वारा प्रेषित किया गया	पत्र जिसको प्रेषित किया गया
1	07.10.1994	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री भारत सरकार
2	17.04.1998	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
3	23.12.1998	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
4	21.09.1999	मुख्य मंत्री, राजस्थान	मुख्य मंत्री, पंजाब सरकार
5	29.04.2000	सिंचाई मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
6	09.11.2000	सचिव सिंचाई, राजस्थान	अध्यक्ष भाखड़ा व्यास प्रबन्धन मण्डल
7	01.03.2001	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
8	08.01.2003	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
9	08.05.2003	सचिव, सिंचाई राजस्थान	सचिव, जल संसाधन, भारत सरकार
10	24.01.2004	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
11	18.03.2004	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
12	29.12.2004	सिंचाई मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
13	23.05.2005	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
14	25.5.2005	सिंचाई मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार
15	03.11.2005	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
16	01.09.2006	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार

क्र. सं.	पत्र दिनांक	पत्र जिसके द्वारा प्रेषित किया गया	पत्र जिसको प्रेषित किया गया
17	12.06.2007	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
18	12.06.2007	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
19	09.06.2009	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
20	02.04.2010	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
21	06.07.2012	मुख्य मंत्री, राजस्थान	प्रधानमंत्री, भारत सरकार
22	27.09.2012	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार
23	10.01.2013	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार
24	28.06.2013	WRM, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
25	03.02.2014	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार
26	07.06.2014	मुख्य मंत्री, राजस्थान	केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार

बड़ी सादड़ी में स्वीकृत/रिक्त पद

17. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विभाग के अन्तर्गत कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितने पद कब-कब से रिक्त हैं एवं क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत एक सहायक अभियन्ता, चार कनिष्ठ अभियन्ता, एक वरिष्ठ लिपिक और दो सहायक कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) उक्त पदों में से कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त चार पदों में से एक पद दिनांक 31.08.2009, दो पद दिनांक 27.07.2013 एवं एक पद दिनांक 29.07.2013 तथा एक वरिष्ठ लिपिक का पद दिनांक 08.01.2013 से रिक्त है।

(3) उपलब्धतानुसार कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों को भरा जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मानदण्ड

18. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वृद्धावस्था एवं विधवा महिलाओं को पेंशन वितरण करने के नवीनतम मानदण्ड क्या निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पेंशन के लिए गत तीन वर्षों में कितने लोगों ने आवेदन किया तथा कितने लोगों को पेंशन वितरित की गई? वर्षवार, जिलेवार व वर्गवार आवेदकों की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत कितने लोगों ने उक्त पेंशन के लिए आवेदन किया तथा कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा महिलाओं को पेंशन वितरण करने के नवीनतम मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। राज्य में दिनांक 1.4.2013 से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा/परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2013 लागू किये गये हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षो में पेंशन की वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों एवं लाभार्थियों का जिलेवार उपलब्ध संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) प्रशासन गांवों के संग अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त एवं

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

स्वीकृत किये गये आवेदनों का जिलेवार उपलब्ध संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर सम्भाग के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में अनियमितता की जांच

19. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभाग, निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं आदि के द्वारा निजी तथा राजकीय सहयोग से विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार आदि के लिए विभिन्न प्रकार के छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने, किस-किस व्यवस्थान्तर्गत, किस-किस वर्ग के लिए एवं किस संस्था द्वारा एवं कब से? पृथक्-पृथक् नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को कितनी-कितनी राशि, किस-किस व्यवस्था एवं सामग्री आदि के लिए स्वीकृत की जाकर उपलब्ध करवाई जाती है एवं उनकी जांच तथा निरीक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि छात्रावासों के संचालन तथा व्यवस्थाओं बाबत शिकायतें मिल रही हैं? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही की जाने के लिए कौन अधिकृत है? गत पांच वर्ष की अवधि में उदयपुर सम्भाग की प्राप्त शिकायतों की प्रति सहित, की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने तथा इनके सुचारु संचालन के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो इनमें क्या-क्या सुधार लाने का प्रस्ताव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि निजी संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा सरकार से अनुदान या सहयोग के रूप में राशि प्राप्त कर चलाये जा रहे छात्रावासों की मौके पर जांच की जाने पर उनमें गम्भीर अनियमितताएं एवं अव्यवस्थाएं पाई

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

गई हैं? यदि हां, तो उनमें से किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के द्वारा राजकीय सहयोग से विभिन्न स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छकार, आदि के लिये विभिन्न प्रकार के छात्रावास स्वीकृत/संचालित किये जा रहे हैं। निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित छात्रावास हेतु विभाग मान्यता एवं सहायता उपलब्ध नहीं कराता है। उक्त छात्रावास राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के अन्तर्गत संचालित किये जाते हैं। विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित अनुदानित छात्रावासों की पृथक-पृथक नामजद सूची परिशिष्ट अ-I एवं अ-II पर उपलब्ध है।

(2) उक्त छात्रावासों में आवासरत विद्यार्थियों को मैस भत्ते हेतु 1750 रुपये प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से साढ़े नौ माह हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। जिसका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की जांच एवं निरीक्षण के लिए विभागीय जिलाधिकारी अधिकृत है। विभाग द्वारा जिला कलक्टर्स, विभागीय नोडल अधिकरियों के माध्यम से भी समय-समय पर छात्रावासों की जांच, निरीक्षण आदि की कार्यवाही करवाई जाती है।

निरीक्षण हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। छात्रावासों के संचालन एवं व्यवस्थाओं बाबत शिकायत प्राप्त होने पर उन पर कार्यवाही करने हेतु विभागाध्यक्ष अधिकृत है। गत पांच वर्षों की अवधि में उदयपुर सम्भाग के विभिन्न छात्रावासों में मैस समिति/प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत रसोइया/चौकीदारों द्वारा नियमितिकरण, न्यूनतम मजदूरी के पूर्ण एवं नियमित भुगतान किये जाने हेतु विभाग को विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभागीय छात्रावासों में मैस समिति के माध्यम से कार्यरत अंशकालीन रसोइया/चौकीदारों को निर्धारित मानदेय के भुगतान हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 24085 दिनांक 17.4.2012 एवं पत्रांक 69831-921 दिनांक 19.11.2013 द्वारा विभागीय जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है जिसकी प्रतियां परिशिष्ट-द पर उपलब्ध हैं।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

(4) जी हां। छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने तथा इनके सुचारू संचालन के लिये विभाग द्वारा छात्रावासों में रख-रखाव एवं व्यवस्थित संचालन गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री क्रय करने एवं निर्धारित मीनू अनुसार भोजन उपलब्ध कराने हेतु विभाग के समस्त जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जो परिशिष्ट-य पर उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा राजकीय सहयोग से संचालित अनुदानित छात्रावासों में किसी भी प्रकार की कोई गम्भीर अनियमितताएं एवं अव्यवस्था नहीं पाई गई हैं।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

सत्र 2013-14 की छात्रवृत्ति का वितरण

20. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सत्र 2013-14 की छात्रवृत्ति का वितरण अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक छात्रवृत्ति वितरित कर दी जायेगी?

उत्तर

जी हां। सत्र 2013-14 के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र 31 जनवरी, 2014 तक आनलाइन आमंत्रित किये गये तथा 5 जून, 2014 तक पूर्व में आवेदित आनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कापी स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों के कार्यालयों में जमा कराने एवं आक्षेपित आवेदन पत्रों में विद्यार्थियों द्वारा दस्तावेज पूर्ति हेतु 30 जून, 2014 तक दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय देने के कारण छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हो पाया है। शीघ्र ही नियमानुसार पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण कर दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या-21

(स्थगित)

जयपुर जिले की गृह निर्माण सहकारी समितियों का अंकेक्षण

22. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि सहकारी अधिनियम, 2001 एवं नियम, 2003 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति का प्रतिवर्ष अंकेक्षक से अंकेक्षण करवाया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो अंकेक्षण करवाने के सम्बन्ध में जारी आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जयपुर में वर्तमान में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं एवं उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों का कब-कब आडिट करवाया गया? किस-किस सहकारी समिति का कब से आडिट करवाया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला जयपुर में ऐसी कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनका पंजीयन रद्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में दिनांक 24.04.2013 से लागू राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के अन्तर्गत आडिट से सम्बन्धित प्रावधान (धारा-54) की अंश प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न है तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक फा. 8(45)सविरा/आडिट/एम्पेनलमेंट/परिपत्र/2013 दिनांक 28.05.2013 की प्रति परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

(2) जिला जयपुर में वर्तमान में 208 [जयपुर (शहर) क्षेत्र में 163 एवं जयपुर (ग्रामीण) क्षेत्र में 45] प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इन गृह निर्माण सहकारी समितियों का कब तक आडिट हुआ एवं कब से आडिट करवाया जाना शेष है की सूची परिशिष्ट-तीन पर संलग्न है।

(3) जिला जयपुर में 140 [जयपुर (शहर) क्षेत्र में 101 एवं जयपुर (ग्रामीण) क्षेत्र में 39] प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं जिनका पंजीयन रद्द कर दिया गया है। जिसकी सूची परिशिष्ट-चार पर संलग्न है।

(प्रति व सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सिकराय में सूक्ष्म वित्त समितियों की स्थापना

23. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सिकराय में सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) समितियां स्थापित की जा रही हैं? यदि हां, तो इनके क्या-क्या उद्देश्य एवं नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती गीता वर्मा)

(2) उक्त समितियों की स्थापना के लिये मानक आधार क्या है? विधान सभा क्षेत्र सिकराय में कितनी समितियां स्थापित करनी हैं तथा उनमें से कितनी समितियां स्थपित की जा चुकी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत 5 वर्षों में सरकार ने बजट में सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) के लिये कितनी राशि आबंटित की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार गत 5 वर्षों में आबंटित राशि का उपयोग सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) समितियों द्वारा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में दो सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) समितियां स्थापित की जा चुकी हैं जो सिकराय और दौसा पंचायत समिति स्तर पर हैं। माइक्रो फाइनेंस समितियों के उद्देश्य एवं नियम परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) माइक्रो फाइनेंस सहकारी समिति की स्थापना के लिए उक्त समिति के कार्यक्षेत्र में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों के 250 व्यक्तिगत सदस्य मिलकर ब्लाक स्तर पर न्यूनतम 50 हजार रुपये अंश पूंजी के साथ माइक्रो फाइनेंस समिति का गठन कर राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003के अन्तर्गत ऋण सम्पदा सोसायटी वर्ग में उक्त समिति का पंजीयन करवा सकते हैं। विधान सभा क्षेत्र सिकराय में दो माइक्रो फाइनेंस सहकारी समितियां पंचायत समिति स्तर पर स्थापित की जानी थी। अब तक उक्त 2 समितियों सिकराय पंचायत समिति स्तर पर एवं दौसा पंचायत समिति स्तर पर क्रमश: सिकराय माइक्रो फाइनेंस सहकारी समिति और दौसा माइक्रो फाइनेंस सहकारी समिति स्थापित की जा चुकी हैं।

(3) गत सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के पैरा संख्या 146 के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लि., की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा राशि 10 करोड रुपये अंश पूंजी का प्रावधान किया गया था।

(4) राज्य सरकार स्तर पर राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लि., जयपुर के गठन का निर्णय पुनर्समीक्षा हेतु विचाराधीन है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

जेला ग्राम पंचायत (सिरोही) में आबादी भूमि पर अतिक्रमण

24. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिरोही तहसील की ग्राम पंचायत जेला के ग्राम सवराटा में आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?

(2) उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्ति एवं पुलिस इमदाद प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत जेला ने कब-कब जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी को पत्र प्रेषित किये गये? पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कालन्द्री में कालन्द्री से मोहब्बत नगर मुख्य रास्ते पर बायीं ओर बेशकीमती गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 से उक्त भूमि पर चबूतरे का निर्माण कर भूमि हड़पने की साजिश की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्त एवं पुलिस इमदाद प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत जेला द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के अन्तर्गत अतिक्रमियों को चिन्हित कर इन्हें हटाने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-110 के अन्तर्गत पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु पत्र दिनांक 23.1.2014, 27.1.2014, 30.1.2014, 20.2.2014, 26.2.2014 तथा 28.4.2014 तथा 01.07.2014 के द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही को पत्र दिये गये हैं। इस प्रकरण में सरपंच ग्राम पंचायत जेला ने जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 23.05.2014 में निवदेन किया गया। ग्राम पंचायत जेला द्वारा लिखे गये पत्रों एवं जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उपखण्ड अधिकारी को लिखे गये पत्र की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत कालन्द्री से मोहब्बत नगर मुख्य रास्ते पर बायीं और बेशकीमती गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(4) जी हां। तहसीलदार सिरोही के पत्रांक राजस्व/2014/1437 दिनांक 09.07.2014 के प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12.09.2013 को जानकारी होने पर अतिक्रमी भूमि का मौका जांच की गई। मौका एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौजा कालन्द्री के खसरा नम्बर 2138 किस्म गै.मु. गोचर जो कि ग्राम पंचायत के खाते की भूमि है, में करीबन 0-20 है. भूमि पर काटों की बाड़ कर एवं खाई खोदकर अतिक्रमण किया गया एवं करीबन 20 वर्गफीट भूमि पर पत्थर की चुनाई कर कमरा बनाया गया है। इस स्थान पर समाधी स्थल बनाया गया एवं एक ट्यूबवैल खोदा गया। मौके पर कार्य करने वाले लोगो को पाबन्द कर कार्य रूकवाया गया। इस सम्बन्ध में मौके पर कार्य करने वाले लोगों को तहसील कार्यालय सिरोही के पत्रांक राजस्व/2013/2254-59 दिनांक 13.09.2013 के द्वारा नोटिस जारी कर निर्माणाधीन कार्य को ध्वस्त करने एवं सामग्री हटाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त भूमि ग्राम पंचायत की खातेदारी भूमि होने से तहसील कार्यालय सिरोही के पत्रांक राजस्व/2013/2268 दिनांक 13.09.2013 के द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही को अतिक्रमण हटाने हेतु लिखा गया। चूंकि भूमि राजस्व के पत्रांक/राज-6/2010/7 दिनांक 8.09.2010 के अनुसार उक्त अतिक्रमण के लिये सम्बन्धित ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय उत्तरदायी है। तहसीलदार सिरोही ने उक्त पत्र के द्वारा बताया कि उक्त अतिक्रमण स्थल को हटाने हेतु दिनांक 25.09.2013 को ग्राम कालन्द्री में तिथि मुकर्रर की जाकर मौके पर पहुंचे। मौके पर इस स्थल पर ग्रामवासी भारी तादाद में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे जिससे नियत तारीख को अतिक्रमण नहीं हटवाया जा सके। उक्त स्थल जन आस्था से जुडा होने से एवं अतिक्रमण हटाये जाने पर जन आक्रोश एवं शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के मध्यनजर अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। तहसीलदार सिरोही द्वारा इस सम्बन्ध में लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा

25. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूसिंह)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2013-14 में हुई ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में भी ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा ओलावृष्टि से हुये नुकसान का सर्वे करवाया गया? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ओलावृष्टि से किसानों को हुये नुकसान का सर्वे करवाकर काश्तकारों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। फसल खराबे का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। खराबा रिपोर्ट परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(4) जी हां। सर्वे करवा लिया गया है। नुकसान से प्रभावित पात्र काश्तकारों को एसडीआरएफ मानदण्डानुसार सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट–अ

रबी फसल 2014 (सम्वत् 2070) में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे रिपोर्ट एवं 7डी सूचना जिला कलेक्टरों से प्राप्त

क्र. सं.	नाम जिला	जिले की खराबा वाली तहसील	कुल ग्राम	कुल खराबा वाले ग्राम
1.	अजमेर	4	198	42
2.	अलवर	7	997	100
3.	भरतपुर	2	44	33
4.	भीलवाड़ा	1	110	3
5.	बारां	7	1246	507
6.	बीकानेर	1	98	24

क्र. सं.	नाम जिला	जिले की खराबा वाली तहसील	कुल ग्राम	कुल खराबा वाले ग्राम
7.	बूंदी	4	-	35
8.	चित्तौड़गढ़	5	1748	177
9.	चूरू	1	185	13
10.	दौसा	1	132	106
11.	गंगानगर	3	766	75
12.	हनुमानगढ़	4	-	90
13.	जयपुर	10	1893	279
14.	झालावाड़	7	1625	869
15.	झुन्झुनूं	3	389	27
16.	जोधपुर	1	-	2
17.	कोटा	4	953	70
18.	करौली	3	156	116
19.	नागौर	3	378	36
20.	सीकर	-	-	15
21.	सवाई माधोपुर	7	253	210
22.	टोंक	5	1213	47
	कुल योग	**83**	**12384**	**2876**

परिशिष्ट-ब

क्र.सं.	जिला	राशि लाखों में
1.	अजमेर	668.78
2.	अलवर	206.41
3.	बारां	10970.69
4.	भरतपुर	736.93
5.	भीलवाड़ा	92.1
6.	बीकानेर	133.50
7.	बूंदी	430.26
8.	चित्तौड़गढ़	1452.58

क्र.सं.	जिला	राशि लाखों में
9.	चूरू	196.793
10.	डूंगरपुर	24.67
11.	दौसा	945.41
12.	गंगानगर	514.3
13.	हनुमानगढ़	1116.88
14.	जयपुर	2349.13
15.	झालावाड़	11345.57
16.	झुन्झुनूं	1241.12
17.	जोधपुर	19.00
18.	करौली	1557.94
19.	कोटा	780.00
20.	नागौर	387.84
21.	प्रतापगढ़	137.92
22.	सवाई माधोपुर	5854.37
23	सीकर	357.28
24	टोंक	1329.01

बिलाड़ा में प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा

26. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में गत वर्ष रबी की फसल पकाई के दौरान शीतलहर, पाले एवं बेमौसम की बरसात, अंधड़ एवं ओलावृष्टि से गेहूं, जीरा, सौंफ, मैथी एवं सरसों की फसल का नुकसान हुआ है। यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम में कितना-कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों में काश्तकारों ने रबी की फसल हेतु अल्पकालीन ऋण लिया हुआ है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि का? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नुकसान की भरपाई हेतु क्षतिपूर्ति मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल)

(4) क्या सरकार किसानों को राहत देने हेतु अल्पकालीन ऋण की अदायगी में परिवर्तन कर उसे तीन किश्तों में अदायगी करने की छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दी जोधपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में रबी की फसल हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से रुपये 2716.58 लाख का अल्पकालीन ऋण वितरण किया गया है, विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) दी जोधपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा वर्ष 2013-14 में रुपये 2794.33 लाख का खरीफ अल्पकालीन ऋण में परिवर्तन किया गया है एवं उसे तीन किश्तों में अदायगी करने की छूट दी गई है। रबी ऋण हेतु किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से 2013-14 में रबी फसल हेतु वितरित अल्पकालीन ऋण का ग्रामवार विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	वितरित ऋण राशि
1	बिलाडा	591.81
2	बरना	44.10
3	बींजवाडिया	39.90
4	हर्ष	37.17
5	भावी	37.31
6	घाणा मगरा	23.40
7	तिलवासनी	9.10
8	झूरली	8.15
9	बोरून्दा	257.82
10	हरियाढाणा	110.78
11	पटेल नगर	62.70

क्र.सं.	ग्राम का नाम	वितरित ऋण राशि
12	खोजा नगर	41.20
13	झाक	108.00
14	भागासनी	94.50
15	मुरकासनी	28.94
16	जैतीवास	69.60
17	जैलवा	55.20
18	बींजासनी	45.35
19	खारिया मीठापुर	228.04
20	कालाऊना	70.20
21	उदलियावास	66.60
22	रामपुरिया	19.80
23	कुपडावास	17.30
24	मालकोसनी	78.40
25	गुजरावास	30.80
26	बडीकला	32.20
27	बड़ीखुर्द	20.96
28	पिचियाक	15.95
29	जसवनतपुरा	9.35
30	बीरावास	14.19
31	खेजड़ला	110.88
32	बांजड़ा	13.68
33	रावनियाना	22.82
34	खारिया	13.41
35	आनावास	6.81
36	मालावास	22.10
37	लवारी	7.41
38	गढसुरिया	9.57
39	मादलिया	23.96
40	सोवनिया	7.98
41	रणसीगांव	145.65
42	समबाडिया	65.49
	योग	**2716.58**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना

27. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) व **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2009 से मई 2014 के मध्य ग्रामीण क्षेत्र में आग लगने की कितनी घटनाएं कब-कब हुईं एवं उनमें कितनी राशि का नुकसान हुआ कितने लोगों तथा मवेशियों की मृत्यु हुई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा आग बुझाने के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में आग जल्दी भयावह रूप धारण करती है एवं जान-माल का नुकसान होने की ज्यादा सम्भावना होती है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिलेवार सूचना का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की स्थिति में जिला प्रशासन एवं अन्य किसी माध्यम से नगरीय निकाय के अग्निशमन केन्द्रों को सूचना प्राप्त होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अविलम्ब अग्निशमन वाहन भेजे जाते हैं। राज्य में कुल 184 नगरीय निकाय स्थापित हैं, जिनमें से 98 नगरीय निकायों द्वारा 122 अग्निशमन केन्द्रों पर कुल 311 अग्निशमन वाहन संचालित है।

परिशिष्ट 'अ'

प्रदेश में वर्ष 2009 से मई 2014 तक आग लगने की घटनाओं की संख्या, अनुमानित नुकसान की राशि, मानव क्षति की संख्या व पशु क्षति की संख्या का जिलेवार विवरण निम्नानुसर है

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	नुकसान की राशि	मानव क्षति	पशु क्षति
1.	अजमेर	240	237	328	202	234	43	986.42	4	75
2.	अलवर	271	260	433	378	215	108	582.75	9	84
3.	बांसवाड़ा	73	32	88	63	24	8	153.95	1	21
4.	बारां	0	1	36	27	31	9	101.7	1	0
5.	बाड़मेर	219	642	635	632	690	214	2188.20	45	174
6.	भरतपुर	140	176	132	190	140	24	387.32	13	74
7.	भीलवाड़ा	15	6	13	8	6	0	16.98	8	25
8.	बीकानेर	96	120	110	117	97	44	521.49	12	158
9.	बूंदी	18	6	23	15	20	7	17.21	0	19
10.	चित्तौड़गढ़	14	5	7	12	5	5	25.61	4	55
11.	चूरू	56	67	82	107	104	43	171.06	8	103
12.	डूंगरपुर	0	0	6	4	6	0	4.46	0	7

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	नुकसान की राशि	मानव क्षति	पशु क्षति
13.	धौलपुर	442	427	315	187	249	83	408.6	9	15
14.	दौसा	683	817	516	651	440	97	1028.00	13	298
15.	गंगानगर	4	12	6	9	14	12	32.65	1	6
16.	हनुमानगढ़	14	17	10	3	13	4	13.0	1	43
17.	जयपुर	808	753	610	504	324	243	1877.15	48	532
18.	जैसलमेर	117	72	86	137	88	20	27.4	7	47
19.	जालौर	104	88	70	68	58	11	235.23	18	46
20.	झालावाड़	18	13	5	9	12	3	25.42	6	7
21.	झुन्झुनूं	42	45	46	58	64	16	34.73	14	256
22.	जोधपुर	295	283	253	441	259	65	97.41	9	83
23.	करौली	143	63	53	39	120	67	193.24	14	63
24.	कोटा	7	7	11	5	4	2	59.27	20	19
25.	नागौर	203	196	228	158	174	46	712.54	16	94
26.	पाली	16	21	37	24	23	8	93.29	2	19
27.	प्रतापगढ़	1	17	20	7	5	0	19.0	2	29

क्र.सं.	जिला	वर्ष 2009	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014	नुकसान की राशि	मानव क्षति	पशु क्षति
28.	राजसमन्द	9	4	1	6	1	0	3.94	4	34
29.	सवाई माधोपुर	139	112	192	291	181	99	740.96	11	70
30.	सीकर	192	252	320	173	137	100	740.69	28	147
31.	सिरोही	15	59	50	34	21	03	95.31	9	2
32.	टोंक	80	63	115	85	55	34	493.43	0	47
33.	उदयपुर	7	3	4	2	1	1	32.84	5	24

सांगानेर में विधायक/सांसद निधि से स्वीकृत बकाया कार्य

28. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में सांसद निधि एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब से बकाया है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बकाया कार्यों में किस-किस एजेन्सी को नियुक्त किया हुआ है? कार्यवार एजेन्सी का नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में सांसद निधि एवं विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण (बकाया) कार्यों का कारण सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त अपूर्ण कार्यों को यथासंभव इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) उक्त बकाया कार्यों के लिये नियुक्त कार्यकारी एजेन्सी का विवरण परिशिष्ट-ब के अन्तिम कालम में अंकितानुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बालोतरा पंचायत समिति में क्लस्टर योजना में स्वीकृत कार्य

29. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पंचायत समिति बालोतरा की पंचायतों में वर्तमान में कलस्टर योजना के अन्तर्गत टांकों का निर्माण, एनिकट और मेड बंधी का कार्य चल रहा है यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में तथा गत 4 वर्षों में उक्त ग्राम पंचायतों में कलस्टर योजना के अन्तर्गत कुल कितनी-कितनी राशि के कार्य हुए? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति बालोतरा की पंचायतों में कलस्टर (जलग्रहण) योजना के अन्तर्गत टांको का निर्माण, एनिकट और मेड बंधी का कार्य चल रहा है गत 4 वर्षो में इन ग्राम पंचायतों में कुल 11,05,24,864 रु. (ग्यारह करोड़ पांच लाख चौबीस हजार आठ सौ चौसठ रु.) के कार्य हुए हैं। परियोजनावार, ग्राम पंचायतवार कार्यों की सूची तथा व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनरेगा योजना में निविदा प्रक्रिया का सरलीकरण

30. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी प्रावधानों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार महानरेगा के तहत कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया आदि के प्रावधानों के सरलीकरण हेतु बीएसआर दरों पर कार्य करवाने का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 प्रति परिशिष्ट-1 पर तथा राज्य सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की संशोधित अनुसूची प्रथम के बिन्दु संख्या 23 के अनुरूप ग्राम पंचायतों एवं कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के अनुसार ही सामग्री का क्रय किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के द्वारा निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरलीकरण किया गया है, तदनुसार ही महात्मा गांधी नरेगा योजना में सामग्री का क्रय किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के संशोधित अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 21 के प्रावधानानुसार ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करवाया जाना अनुमत नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

मनरेगा योजनान्तर्गत एनिकटों का निर्माण

31. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में प्रदेश सतही जल को बढ़ाने के उद्देश्य से नरेगा के अन्तर्गत एनिकट निर्माण का निर्णय लिया गया था।

(2) क्या यह भी सही है कि गत पांच वर्षों में उक्त एनिकट निर्माण कार्य को रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार नरेगा के अन्तर्गत पुनः एनिकट निर्माण की अनुमति देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एनिकट निर्माण का कार्य अनुमत श्रेणी में होने से योजनान्तर्गत एनिकट निर्माण के कार्य कराये गये हैं।

(2) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एनिकट निर्माण, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 11153/2011 में दिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालना में विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.07.2012 एवं 14.05.2014 के अनुरूप कराये जा सकते हैं। परिपत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत सूचना जो पढ़ी मानी गयी

महवा पंचायत समिति के कतिपय गांवों की पेयजल समस्या के दृष्टिगत CWR का अविलम्ब निर्माण

पंचायत समिति महवा के करीबन 13 गांवों की भीषण पेयजल समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने 413.76 लाख रुपये की एक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम खेड़ला बुजुर्ग, सलैमपुर के नाम से स्वीकृत की थी जिसके 9 जलस्रोत ग्राम खोहरामुल्ला में लिये गये तथा हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान ग्राम खोहरामुल्ला की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तकनीकी रूप से उपयुक्त स्थान ग्राम खोहरामुल्ला की पहाड की तलहटी में खोद दिया गया। इस हेतु विभाग द्वारा सम्बन्धित गांवों में 13 जीएलआर एवं गांव बडागांव में एक एसआर का निर्माण कर पाइप लाइन डाल दी गई किन्तु कुछेक सत्ताधारी दल के स्थानीय नेताओं की अड़ंगेबाजी के कारण बीच में ही रोक दिया जिस कारण से सीडब्ल्यूआर का निर्माण नहीं हो पाया। सीडब्ल्यूआर का निर्माण नहीं होने के कारण सारे गांव प्यासे हैं। सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग महवा ने अधिशासी अभियन्ता खण्ड दौसा को लिखे अपने पत्रांक 819 दिनांक 5.6.14 के द्वारा खोहरामुल्ला में सीडब्लयूआर बनाया जाना ही तकनीकी रूप से उपयुक्त बताया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता ने भी अधीक्षण अभियन्ता को लिखे पत्रांक/दौसा/2014-15/1007 दिनांक 6.6.2014 को सीडब्ल्यूआर को ग्राम खोहरामुल्ला में बनाया जाना उपयुक्त बताया है।

विभाग ने ग्राम बाडाबुजुर्ग में सीडब्ल्यूआर बनाया जाना प्रस्तावित किया था किन्तु जगह की अनुपलब्धता के कारण ग्राम पंचायत बाडाबुजुर्ग ने पत्र लिखकर विभाग को अपने पत्रांक-SP-1 दिनांक 28.5.2014 के द्वारा आग्रह किया है कि source village ग्राम खोहरामुल्ला में एसआर के पास सीडब्ल्यूआर बनाया जाना उचित रहेगा। जिसका सर्वे विभाग द्वारा किया गया और सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता आदि अधिकारियों ने खोहरामुल्ला में सीडब्ल्यूआर बनाया जाना तकनीकी रूप से उपयुक्त बताया गया फिर भी विभाग ने उसका निर्माण कार्य रोक दिया। source village खोहरामुल्ला में सीडब्ल्यूआर बने इस हेतु तत्कालीन सांसद ने अपने पत्रांक 1708 दिनांक

5.12.2011 के द्वारा अति. मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा था।

जनता पेजयल की समस्या से त्रस्त है, एक स्थानीय नेता के बेतुके अड़ियल रवैये के कारण 13 गांवों के लोग प्यासे हैं। अत: जनहित में ग्राम खोहरामुल्ला में सीडब्ल्यूआर अविलम्ब बनाकर आमजन को पानी उपलब्ध कराया जाये तथा राजनैतिक दबाव के कारण जो अधिकारी इस योजना को लटका रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्रीमती गोलमा

(राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)